62nd Annual Report
वार्षिक रिपोर्ट
2025-26



सी सी आई
CCi

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

Cement Corporation of India Limited
(A Govt. of India Enterprise)

Building Nation Together

CCI JOURNEY

Objective

CCI was incorporated as wholly owned Government of India Enterprise on 18.01.1965 with the principal objective of achieving self sufficiency in Cement production.

Journey Started

First plant was commissioned on 19.07.1970 in Mandhar. CCI commissioned total of 11 units till 1990 in different states with total capacity of 38.48 LMT p.a.

BIFR

Declared SICK on 08.08.1996 u/s 3 (1) (o) of SICA Act, 1985. Hon'ble BIFR on 21.03.2006, approved closure of 7 Non operating units (NOU's) and Expansion/ Modernization of 3 operating units.

Action

After receipt of Govt./Ministry support, VRS/VSS was invited and regular employee strength of CCI was reduced from 1570 to 813. A New journey of CCI commenced with an installed capacity of 14.46 LMT p.a. with 3 operating plants in Rajban, Bokajan and Tandur.

Post Revival

Post Revival CCI have been running in profit. except suffered first time loss in FY 2019-20 of ₹50.94 Cr with negative Net Worth of ₹22.09 Cr.

Positive Net Worth

Transform from negative Net Worth of ₹22 Cr. In FY 2019-20 to positive net worth of ₹327 Cr. In FY 2025-26



Shri H.D. Kumaraswamy

Hon'ble Minister
Ministry of Heavy Industries



Shri Bhupathi Raju Srinivasa varma

Hon'ble Minister of State
Ministry of Heavy Industries



Shri Kamran Rizvi

Secretary
Ministry of Heavy Industries



Mr. Prem Chandra Maurya

Joint Secretary
Ministry of Heavy Industries



TABLE OF CONTENTS

01 CORPORATE OVERVIEW

Board of Directors 3
Key Functionaries 4
Year At A Glance 2025-26 5

02 STATUTORY REPORTS

Chairman Speech 6
Directors' Report 9
Management Discussion & Analysis 55
Corporate Governance 68
Secretarial Audit Report 76
Auditors' Report 81

03 Financial Statement

Financial Statements 2025-26 107
Cash Flow Statement 109
C&AG Comments 153

04 Additional Information

Our Employees – Our Greatest Asset 158
Salient Features of Our Units 162

REFRENCE INFORMATION

01. AUDIT COMMITTEE

Shri Vishal Kumar Sharma, (Independent Director) as Chairman

Shri Yatendra Singh Kushwaha, (Independent Director) as Member

Shri Balasugumar Daniel, Director (Operations) as Member

02. CSR COMMITTEE

Shri Yatendra Singh Kushwaha, (Independent Director) as Chairman

Shri Vishal Kumar Sharma, (Independent Director) as Member

Shri Balasugumar Daniel, Director (Operations) as Member

03. REMUNERATION COMMITTEE

Shri Vishal Kumar Sharma, (Independent Director) as Chairman

Dr. Renuka Mishra, Director (Govt. Nominee) as Member

Shri Yatendra Singh Kushwaha, (Independent Director) as Member

04. STATUTORY AUDITORS

M/s S K Mehta & Co.. (Statutory & Principle Auditor)

M/s Tukaram & Co. (Branch Auditor)

M/s M. Borar & Co. (Branch Auditor)

M/s Amit Agrawal & Associates (Secretarial Auditor)

05. COST AUDITORS

M/s K G Goyal & Associates (Principle Auditor)

M/s S Dhal & Co. – Tandur Unit

M/s Bandyopadhyaya Bhaumik & Co. – Bokajan Unit

Bankers: SBI, Bank of Baroda, ICICI Bank

BOARD OF DIRECTORS



Shri Sanjay Banga
Chairman & Managing Director



Shri Prem Chandra Maurya
Govt. Nominee Director
Joint Secretary, MHI



Dr. Renuka Mishra
Govt. Nominee Director
Economic Advisor, MHI



Shri Pradeep Kumar Chand
Director (Finance)



Shri Balasugumar Daniel
Director (Operations)



Shri Vishal Kumar Sharma
Independent Director



Shri Yatendra Singh Kushwaha
Independent Director

As on date of AGM

KEY FUNCTIONARIES



Shri Piyush Ranjan, IDSE
Chief Vigilance Officer



Shri. Vivek Kumar
Executive Director



Shri Ajay Kumar Sharma
Company Secretary



Shri Ravindra Kumar Saroj
General Manager



Shri P. Prabaharan
General Manager



Shri Chinmay Nandi
General Manager



Shri Alok Shukla
General Manager (Mktg.)



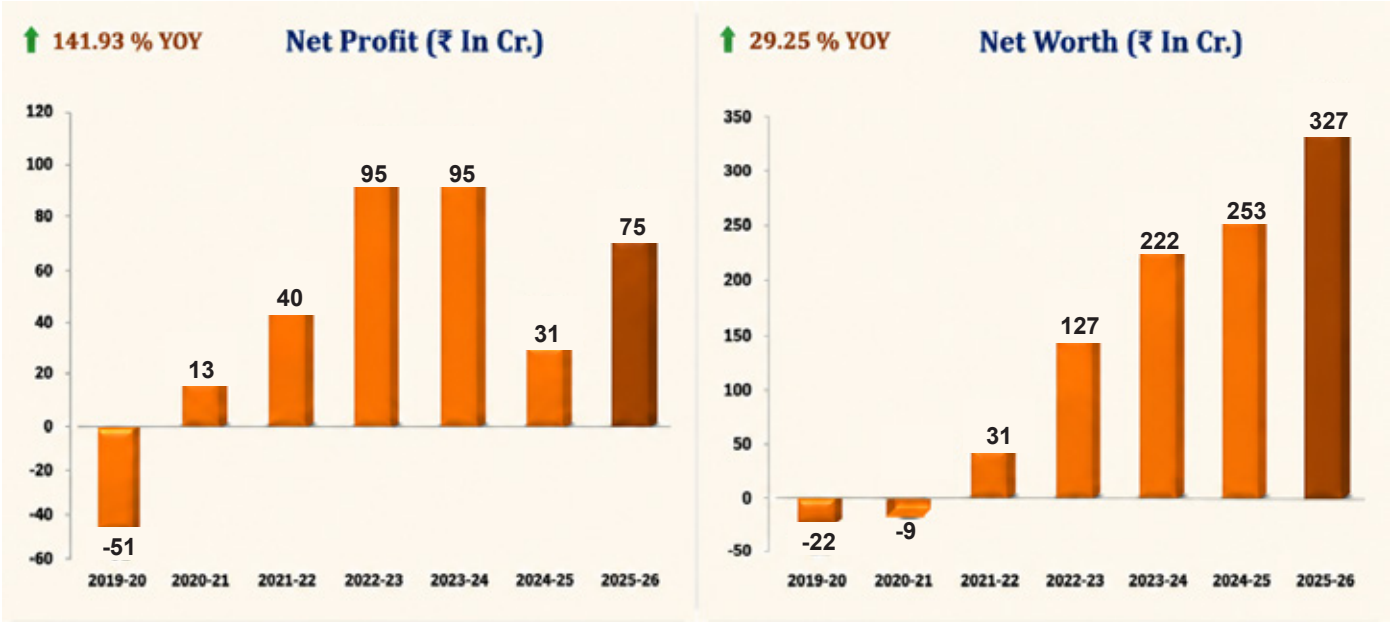
Shri Sri Prakash Kumar
Senior Manager (HR)

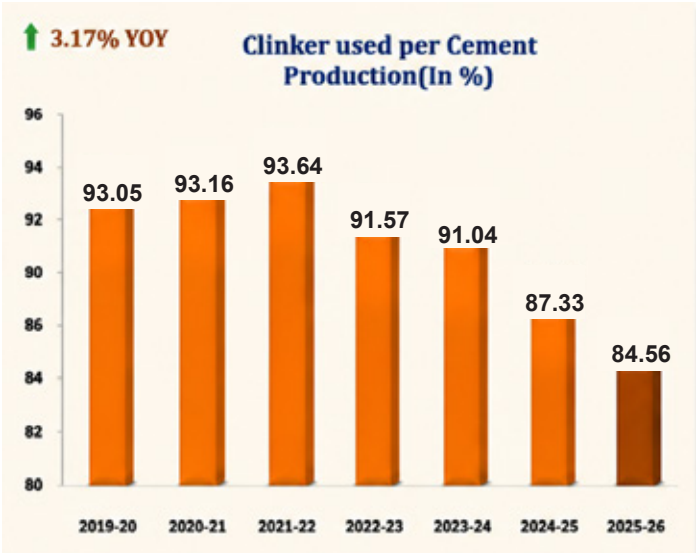


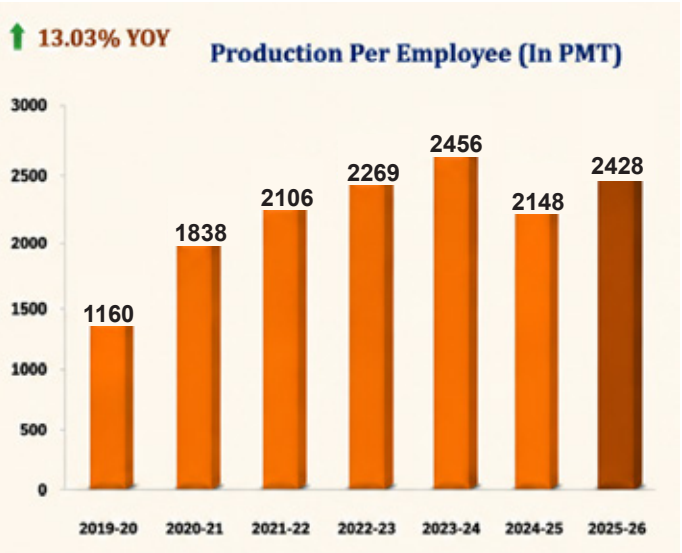
Shri Syed Shariq Hussain
Senior Manager (Fin.)

YEAR AT GLANCE 2025-26









CHAIRMAN SPEECH AT THE 62nd ANNUAL GENERAL MEETING



Chairman's Speech

Cement Corporation of India Ltd, established in 1965 to help India become self reliant in cement production has completed more than 60 years ,operates in a fiercely competitive market and is the only CPSU engaged in manufacture and sale of cement. We have been witness to many industry cycles, technological evolutions in cement technology and a definitive thrust towards reducing carbon foot print. Cement Corporation of India caters to customers located in distinct geographies of North, South and NE India. Indian cement market is an important driver of India's vision of becoming a Viksit Bharat by 2047 and provides sustenance to diverse construction activities such as homes, roads, bridges, multi-storeyed buildings, dams and tunnels. Cement is also one of the core industries and thus forms the backbone of nation building.

India remains as the second largest cement producer in the world after China with an annual cement production installed capacity of about 700 Million Tonnes per annum . However the per capita cement consumption is still below world average and therefore the industry is still growing rapidly. CCI has three operational units located at Tandur in Telangana, Rajban in Himachal Pradesh and Bokajan in Assam. These plants were established in seventies and eighties.

Global Outlook

The 2025 economic landscape was characterized by a gradual slowdown in global trade as international tariff policies and geopolitical uncertainties unfolded. Despite these headwinds, growth was supported by solid technology and AI-related investments, as well as accommodative monetary policies. The global GDP growth rate for 2025 was projected at 3.2% by major international institutions, marking a slight slowdown from the 3.3% recorded in 2024. Advanced economies grew at roughly 1.5%, while emerging market and developing economies expanded by just over 4%.. Geopolitical tensions compounded market uncertainties and a fragmented world economy shaped by competing spheres of influence added further complexity. The war in Middle East poses an energy challenge for the entire world and particularly for the Asian economies.

Globalisation is giving way to bilateral trade deals which may change the global business as conducted today. However it also offers India an opportunity to emerge as a reliable business and strategic partner to an increasing number of countries.

Indian Outlook

India's real GDP grew by an estimated 7.7% in the 2025–2026 financial year (FY26), according to

the provisional estimates released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation. This robust performance outpaced the 7.1% growth recorded in FY24–25. The economic expansion was spearheaded by the manufacturing sector, which grew by 10.7%, and the services sector (trade, repair, hotels, and transport), which surged by 11%.

The government also took the bold step of GST reforms during the FY 25-26 wherein GST on cement was reduced from 28% to 18% to spur construction activities. The risks are also well balanced and further public investment shall continue to be a significant contributor to the Indian growth. Individual house building, especially domestic consumption, still contributes to about two third of overall cement consumption.

The year also witnessed the use of tariffs as a tool of affecting business decisions and the country has entered into Free Trade Agreements with various countries /regions including European Union, UK, -2- Oman and New Zealand. Trade negotiations are also currently ongoing with USA , Gulf Cooperation Council (GCC) and Isarel.

Cement being a part of building material industry stands to gain by various government initiatives such as Gati Shakti, affordable housing and various infrastructure expansion projects. While global financial market face volatility, geopolitical tensions and trade barriers/tariffs pose downside risks, India's sound macroeconomic fundamentals, robust financial sector, a growing middle class, and a commitment to sustainable growth places India in a position to remain the fastest growing major economy going forward as well.

Your Company's performance

The largest one million tonne cement plant of CCI is located at Tandur in the state of Telangana, a part of South India which continues to be a cement surplus region . An annual cement production capacity of about 35 million tonnes is available in our vicinity with three plant located in Telangana itself. The phase of consolidation in Indian cement industry continued during the current fiscal also and this had a direct bearing on the prices as cement is a branded commodity. It also affected our capacity to sell in many markets profitably. However CCI remained a consumer favourite in our nearby markets which speaks about the brand strength and customer satisfaction. The prices remained under tremendous pressure both in North and South India.

Overall the annual cement production increased marginally from 6.65 lac MT during FY 24-25 to 6.75 lac MT during FY 25-26. While Tandur and Bokajan units increased their cement production, it registered decline at Rajban due to plant and machinery break down.

However taking a pro-active approach, we increased the production and sale of IRS T-40, a special grade cement produced by only a handful of cement companies, for Concrete Sleeper Plants located in the adjoining states of Maharashtra and Karnataka from Tandur unit. The per tonne contribution of this cement is better as compared to other cement varieties. In the trade segment we are focussing on the sale of Portland Pozzolona Cement (PPC) but ordinary Portland cement (OPC) also continues to be available at all the units.

The company's financial parameters also improved during the current year with net worth increasing from ₹ 253 cr in FY 24-25 to ₹ 327 cr in FY 25-26. The net profit also improved from ₹ 31 cr to ₹ 75 cr during the same period. With the increased focus on production of PPC , the clinker cement percentage improved further from 87.33 in FY 24-25 to 84.56 during FY 25-26. This is a key metric in reducing the carbon footprint of the organization..

We exported 8,500 MT cement through Vishakapatnam port to the friendly island country of Seychelles as a part of gift from Government of India to the people of Seychelles from Tandur unit. The cement was despatched from the factory through CONCOR rakes which were handled at the port and subsequently loaded into ship for onward journey to Seychelles. The consignment was handed over by Hon. Prime Minister Sh Narendra Modiji during his Seychelles visit.

Capitalising on the advantage of railway siding within the plant itself, Bokajan unit despatched cement to Khongsang railway station in Manipur to cater to Manipur cement requirements. The unit is also actively considering cement despatches through rakes to cater to various regions of North East India.

Growth Initiatives

CCI remains committed to reducing its carbon footprint despite cement production being

inherently a major contributor to carbon dioxide emissions. We are focussing on the installation of solar plants at all the three cement units. While the solar plants of one MW each have already operational at Rajban and Bokajan units, efforts are underway for the installation of a 6 MW solar power plant at Tandur unit. Waste heat recovery systems are operational both at Rajban and Bokajan units. An electronic packer has been installed at Rajban unit and the same is under installation at Tandur unit.

Corporate Social Responsibility

The CSR Policy was approved by the Board and the policy is being implemented at the Corporation in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and guidelines issued by the Government from time to time. Our responsibility also extends to nearby communities where CCI provides various basic facilities such as education and health care and it will be our endeavour to continue the human approach associated with public sectors.

Corporate Governance

The Company believes that ethical and transparent business practices with all stakeholders of the company is key to adhering to the norms of Corporate Governance. Your company reiterates its commitment to pursue the same. I feel elated to inform you, that your Company is consistent in achieving "Excellent Rating" in respect of Corporate Governance

Acknowledgement

Your continued support and confidence inspires in pursuing new endeavours for excellence and I, on behalf of the Board of Directors of your Company, wish to place on record our sincere thanks to you and Government of India, particularly to the Ministry of Heavy Industries, for their guidance and support in all our pursuits.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued support to the products of CCI.

I also acknowledge and feel grateful for the overwhelming support of Government of India, State Governments, CAG, our Bankers, Statutory Auditors, Director General of Audit (Power) and all other Authorities and Agencies.

Last but not the least, I would convey my appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you all again,

Jai Hind,

Sd/
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN No: 09353339

Date: 22.09.2026
Place: New Delhi

DIRECTORS' REPORT

To the Members,

On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 62nd Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31st March, 2026, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance for the year 2025-26 along with previous year's figures are given below:

(₹ In Cr.)

Sl. No.	PARTICULARS	For the year ended 2025-26	For the year ended 2024-25
1	Net Income from Operations	326.96	326.81
2	Other Income	58.80	114.61
3	Total Expenses other than depreciation and interest	367.03	396.21
4	Exceptional Income/ (Expenses)	71.44	0.00
5	PBDIT	90.17	45.21
6	Less: Finance Cost	1.43	0.53
7	PBDT	88.74	44.68
8	Less: Depreciation	14.06	13.63
9	Profit/ (Loss) before Tax	74.67	31.05
10	Less: Income Tax	13.59	2.60
11	Less: Income Tax for Earlier Years	3.63	-
12	Add: MAT Credit Entitlement	13.59	2.60
13	Add: MAT Credit Entitlement for Earlier Years	3.63	-
14	Net Profit after Tax	74.67	31.05

2. DIVIDEND

Company has accumulated losses. Accordingly, no dividend will be declared for the financial year 2025-26.

3. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Your Directors wish to present the details of Business operations done during the year 2025-26:-

A. OPERATIONS

(i) Performance of Units –

Despite severe headwinds, CCI recorded an increase in raw material production, though market pressures restricted final cement output.

- **Clinker Production:** Total clinker production for FY 2025-26 stood at 5,62,420 MT, reflecting an increase of 8,165 MT against 5,54,255 MT in FY 2024-25.
- **Inventory Optimization:** Clinker inventory levels were successfully reduced by approximately 8,326 MT compared to the previous fiscal year.
- **The "Cement Price War" & Demand Constraints:** The industry faced stagnant demand and aggressive competitive pricing (price wars) from private players. This sluggish demand directly bottlenecked CCI's operations; Cement Silos remained continuously full, forcing the units to deliberately slow down or halt grinding operations. Consequently, final cement production fell short of the pre-set targets.

The details of Clinker Production (MT) and Cement Production (MT) of the operating units individually and collectively are stated as under:-

Particular	Financial Year 2024-25			CCI As a Whole	Financial Year 2025-26			CCI As a Whole
	Bokajan (MT)	Rajban (MT)	Tandur (MT)	(MT)	Bokajan (MT)	Rajban (MT)	Tandur (MT)	(MT)
Clinker Production	85250	119005	350000	554255	103100	94930	364390	562420
Cement Production	97750	140775	427270	665795	108320	112080	454520	674920



Hon'ble Minister Shri H.D. Kumaraswamy (MHI) Meeting with Shri Sanjay Banga, CMD, CCI



Shri Sanjay Banga, CMD, CCI Review the Progress of Tandur unit



Shri Balasugumar Daniel, Director (Operation), CCI Review the Progress of Tandur unit

(ii) Quality:

CCI manufactures various types of cements like Portland Pozzolana Cement (PPC), Ordinary Portland Cement (OPC) of varying grades viz 43, 53 and 53S (special grade cement for manufacture of sleepers for Indian Railways) grades, under strict quality control with the brand name of CCI Cement.

The status of projects are mentioned below:

a) Status of Bokajan Expansion Project

A Work Order for expansion of Bokajan unit to 1200 TPD on 24.09.2010 was placed on M/s Promac Engineering Industries Ltd. Bangalore vide Work Order No. 46/10/6(6)/10-MMO/196 dated 30.09.2010 at value of ₹ 142.40 crores with the completion period of 18 months. The Project languished for about 7 years. On 06.03.2019, CCI terminated the Contract with M/s Promac Engineering Industries Ltd. The Arbitral Tribunal awarded a decision in favour of CCI.

b) Status of Silchar Grinding Unit

A Work Order No.47/10/6(7)/10-MMO/206 dated 30.09.2010 was issued to M/s Promac Engineering Industries Ltd. Bangalore for setting up of 50 TPH Cement Grinding Unit at Silchar (Assam) on Turnkey Basis at value of ₹ 39.68 crores with the completion period of 12 months. On breach of contractual obligations, the W.O. was terminated by CCI on 06.03.2019. The Arbitral Tribunal award is challenged by CCI.

c) Technology Upgradation of Tandur

1. **Recipe quality control systems** incorporated in raw mill and cement mills to stabilize quality and enhance productivity.

2. **Calciner Coal PID control** integrated for stable calcination and fuel efficiency.

3. **Automation upgrades** done with provision of process parameters across major sections like kiln, VRM and cement mills for better monitoring and operational control.

4. Adoption of **standard refractory materials** to reduce thermal loss and unplanned kiln stoppages.

5. **Electronic packer procurement** initiated to enhance packing accuracy and reduce cement loss at dispatch.

Details of Monetization of Idle Assets of Non-Operating Units

Pursuant the Ministry of Heavy Industries (MHI) vide Letter No. 1(1)/2017-PE-XII/CPSE-III dated 09.02.2022, the Company initiated the monetization of idle assets of its Non-Operating Units (NOUs) on an "As is Where is Basis" through open e-auction conducted by MSTC.

The e-auction process for all seven (7) Non-Operating Units has been successfully completed, and all seven NOUs have accordingly been monetized. The present status of the sale and disposal of Plant & Machinery, Stores, Spares, Civil Structures, and other assets of these Non-Operating Units is as under:

Sl. No.	Unit's Location	Status
1	Charkhi Dadri, Haryana	Completed
2	Akaltara, Chhattisgarh	
3	Mandhar, Chhattisgarh	
4	Kurkunta, Karnataka	
5	Bhatinda, Punjab	
6	Nayagaon, Madhya Pradesh	Sale Order has been issued and the disposal work is under progress.
7	Adilabad, Telangana	

Renting of Railway Sidings of Non-Operating Units

With a view to optimally utilizing idle infrastructure and generating additional revenue, the Company has rented out the unused railway sidings of its Non-Operating Units (NOUs). The details are as under:

During the year, Railway Siding Line No. 1 at CCI's Akaltara Non-Operating Unit was commercially utilized for the first time, marking a significant milestone in the monetization of the Corporation's idle infrastructure. The initiative is expected to generate an additional stream of recurring non-operational income.

This is in addition to the revenue already being generated through the commercial utilization of Railway Siding Line No. 3 at the Akaltara Unit. The monetization of Railway Siding Line No. 1 has further enhanced the Unit's revenue-generating potential and is expected to contribute meaningfully to the Corporation's recurring non-operational income.

Further, during the year, the Company successfully finalized the tender for the operationalization of the Railway Siding at Mandhar, Chhattisgarh. Upon commencement of commercial operations, the Mandhar Railway Siding is expected to provide an additional source of recurring non-operational income, thereby further strengthening the Corporation's revenue base.

B. PROFITABILITY

The company has earned a net profit of ₹ 74.67 Crores during the year 2025-26 as against the net profit of ₹ 31.05 crores in the previous year.

C. INDUSTRY HIGHLIGHTS AND OUTLOOK

India continues to be the second-largest producer of cement in the world, with a total annual installed capacity of about 700 million tonnes. Production is concentrated in states with limestone deposits, namely Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. South India holds the largest share of installed capacity at 32%, followed by North India at 20%.

The Union Budget 2026-27 allocated a record ₹ 12.2 lakh crore towards capital expenditure for infrastructure development across roads, railways, logistics (including multi-modal transport) and urban infrastructure. Indian Railways has approved projects covering 6,000 km of network, and the National Infrastructure Pipeline (NIP) has initiated projects worth ₹ 102 lakh crore over the next five years. Together with the ongoing housing boom, robust rural demand (which now accounts for nearly a third of total cement consumption), affordable housing schemes, rapid urbanisation and growth in manufacturing, these initiatives are



Hon'ble Shri Prem Chandra Maurya, Joint Secretary, MHI being felicitated by Shri Sanjay Banga, CMD, CCI

expected to drive a substantial increase in cement demand.

Key Central Government initiatives likely to further boost cement consumption include:

- PMAY Urban 2.0, targeting support for one crore urban poor and middle-class families over five years, with financial assistance of up to ₹2.50 lakh per eligible household; an additional 2.88 lakh households were approved in February 2026, taking total sanctioned houses to 13.61 lakh.
- Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana, for which the Union Budget 2026-27 allocated ₹ 54,916.7 crore to support rural housing development.
- PM Gati Shakti Yojana, under which the Network Planning Group is evaluating 352 infrastructure projects worth ₹ 16.10 lakh crore, alongside an additional ₹ 5,000 crore extended to states as a 50-year interest-free loan for infrastructure development.
- Expansion of the National Infrastructure Pipeline from 7,400 to 9,305 projects.

Supported by this sustained government focus on infrastructure, housing and logistics, the Indian cement sector is well placed to maintain strong medium-term growth, with demand likely to remain firm across key end-user segments. Continued consolidation, capacity expansion nationwide, and rising investment in green energy and logistics efficiency are expected to further strengthen industry competitiveness; CCI itself has established solar power projects at its Bokajan and Rajban units to reduce its carbon footprint.

The country's annual cement production reached about 490 million tonnes, while per capita consumption rose to about 290 kg – still





Shri Harshvardhan Chauhan, Hon'ble Minister of Industries , Govt. of Himachal Pradesh

substantially below the world average, underlining significant long-term headroom. Cement prices were marginally higher than in FY 2025-26; however, elevated fuel and freight costs, particularly amid disruptions to free navigation through the Strait of Hormuz arising from the situation in West Asia, pose a significant headwind to profitability in FY 2026-27.

D. COMPANY'S PERFORMANCE

Cement Corporation of India produced 6.75 lakh MT of cement during FY 2025-26, with sales realisation improving by about 2% over the previous fiscal year. Production at the Rajban unit was disrupted for a few weeks due to a breakdown. South India remains the region with the lowest capacity utilisation in the industry, resulting in a weak pricing environment and a greater focus on markets closer to the Tandur unit. Rising energy prices have also increased input costs, affecting the unit's cost competitiveness. The Company continues to focus on promoting blended cement, which is more environmentally friendly.

E. MARKETING AND MARKETING ENVIRONMENT

CCI has three operational units, located in Telangana, Himachal Pradesh and Assam. The Tandur unit is an integrated plant with a capacity of one million tonnes per annum, while the other two units are smaller but strategically located. Tandur operates within a highly competitive cluster of ten integrated cement plants within a 100 km radius, serving the markets of Telangana, Karnataka and Maharashtra, which results in stiff competition. Pan-India consolidation through mergers and acquisitions over the last two years has further pressured cement prices; CCI, however, has withstood these headwinds on the strength of its consumer acceptance and preference, and stands to benefit once the consolidation phase concludes. At Tandur, the Company has also promoted OPC 53S, a special-grade cement used in the production of railway sleepers at concrete-sleeper plants in Karnataka and Telangana.

Markets in North-East India are also evolving, with major national players planning greenfield projects or acquisitions in the region. The availability of a railway siding within the CCI Bokajan unit, however, offers a distinct advantage over competitors, and the unit continues to enjoy strong customer preference in its neighbouring markets.

CCI Rajban, though located in Himachal Pradesh, lies close to the Uttarakhand border, and its principal markets span Himachal Pradesh and the Garhwal region of Uttarakhand. The unit has supplied cement to several prestigious projects amid large-scale developmental and infrastructure work underway in the Himalayan region.

In a significant policy move, the Government reduced the GST on cement from 28% to 18% during September 2025. This differential tax benefit has been passed on to consumers, further spurring construction activity, and has been well received across the industry, by builders, individual home-builders and infrastructure developers alike.

The marketing environment is expected to remain challenging in FY 2026-27, with the consolidation phase yet to conclude and cement prices continuing to be under pressure. CCI remains fully prepared to meet these challenges and to continue offering good-quality cement to consumers at affordable prices.

During the year, Cement Corporation of India also exported 8,500 MT of cement from its Tandur unit through Vishakhapatnam port to Seychelles, as part of a gift from the Government of India to the people of the island nation. The cement was dispatched from Tandur via CONCOR rakes, handled at the port and loaded onto the vessel for onward shipment. The consignment was handed over by Hon' Prime Minister Sh Narendra Modiji during his June 26 Seychelles visit.

4. CAPITAL STRUCTURE

The Corporation has not received any amount as equity from Government of India during the Financial year and company's share capital at the end of the year stood at ₹ 811.41 crore; consisting of paid up Equity share capital of ₹ 455.98 crores and paid up Non-cumulative redeemable preference shares of ₹ 355.43 crores.

5. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

At the milestone of ~ 61 years, CCI reaffirms its commitment to its greatest strength—its people The company is supported by a dedicated workforce comprising approximately 278 regular employees and 1,120 contractual staff, all bringing diverse skills, qualifications, and expertise to the organization. CCI firmly believes that employee development is vital to the overall growth of the company. In collaboration with premier institutes, the company conducts focused programs aimed at enhancing knowledge, technical capabilities, and preparing its workforce for future challenges.







Celebration of CCI Foundation Day at Units





Glimpses from CCI Anti Drug Awareness Program and Eye Check Up Camp at Community Centre Tandur Witnessed by Vikarabad District Police Administration, CCI employees labours and Karankote villagers



Free Health Check Up organized at Corporate Office

6. INDUSTRIAL RELATIONS:

The company fostered a conducive and amiable Industrial Relations climate during the FY 2025-2026. CCI also adhered to all applicable labour laws, in line with the government guidelines leading to zero man-days loss on account of labour disputes. CCI has a sound practice of resolving issues in a structured manner through interacting and discussing with trade unions and employees at different levels.



Shri Sanjay Banga, CMD, CCI met with Shri R. D. Nazeem, Additional Chief Secretary, (Industries and Transport), Govt. of Himachal Pradesh







Units of CCI conducted an Awareness Session on Safety Awareness during the national Safety Day. Various life-saving measures were also explained for community safety.



The consignment of 8500 MT cement, exported by Cement Corporation of India, was handed over by Honorable PM Sh Narendra Modiji, to the government & people of Seychelles during his recent visit to the Indian Ocean island nation.

7. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

In today's rapidly evolving era of Automation and Artificial Intelligence, work is no longer merely about completing tasks- it is about creating meaningful employee experiences that inspire innovation, collaboration, and organizational excellence. Modern workplaces are witnessing a significant shift in employee expectations, with increasing emphasis on flexibility, well-being, diversity, equity, inclusion, and continuous learning. Recognizing this transformation, the Human Resource Development Department of Cement Corporation of India (CCI) has been at the forefront of fostering a progressive, people-centric work environment that empowers employees while aligning with the Corporation's mission, vision and strategic objectives.

Moving beyond conventional methods of workforce management, CCI has embraced digital transformation to modernize its human resource practices. The Corporation has successfully streamlined key HR processes, including online recruitment and the Online Performance Management System, enabling faster, more transparent and efficient talent acquisition and performance evaluation. These digital initiatives have significantly reduced manual interventions, minimized processing time, improved accuracy, and enhanced the overall employee experience. The adoption of technology has also strengthened data-driven decision-making and reinforced a culture of accountability and performance excellence.

Recognizing that human capital is the foundation of sustainable organizational growth, CCI continues to invest in the development of its workforce through continuous learning, skill enhancement and capacity-building initiatives. The Corporation encourages employees to upgrade their competencies, embrace innovation and remain agile in an ever-changing business environment. Such initiatives not only prepare employees for future challenges but also contribute to improved organizational performance and long-term success.

To foster teamwork, strengthen interpersonal relationships, and promote a positive work culture, the Human Resource Department regularly organizes a wide range of employee engagement initiatives. These include team-building activities, Swachhta Pakhwada (Cleanliness Drive), Sports Tournaments, International Day of Yoga celebrations, National Unity Day, Constitution Day, Safety Week, World Environment Day and various cultural and social events. Such initiatives encourage collaboration, enhance employee morale, reinforce organizational values and create a vibrant and inclusive workplace.

CCI also places significant emphasis on employee health and community welfare through various social outreach initiatives. The Corporation regularly organizes Health Awareness Programmes for employees and school students in its unit locations, conducts medical camps in nearby villages, and extends healthcare support to underprivileged communities. These initiatives reflect CCI's commitment to corporate social responsibility and its endeavor to create a positive impact beyond the workplace.





CCI Rajban proudly celebrated Ambedkar Jayanti. Stationery items and ladoos were distributed among young children spreading joy and reaffirming our commitment to education equality and social upliftment







Yoga Day celebrated with full enthusiasm & energy across all 3 units of Cement Corporation of India Ltd. Employees & their families came together for a joint yoga session, promoting fitness, mindfulness & family bonding





Holi Milan at Corporate Office





Colorful Bihu-2026 celebrated with joy at CCI Quarry Dillai Parbat Limestone Mines, Organized by family members and children of CCI Bokajan Unit employees



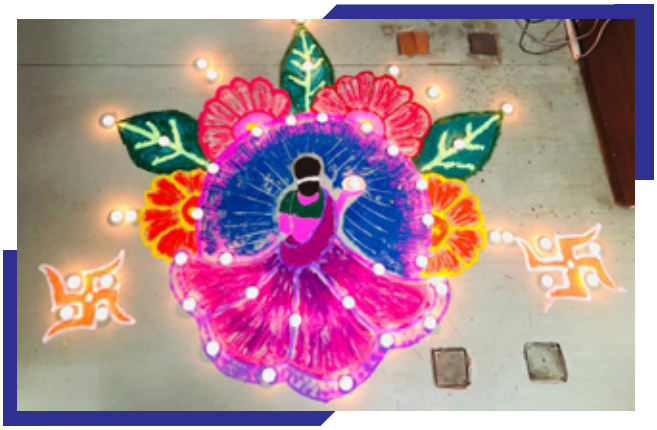


Organized Essay and Poster Competition under Swachhata Pakhwada to inspire youth for a cleaner India
Creative entries highlighted the importance of cleanliness & hygiene









Celebration of Diwali alongwith Rangoli Competition at Corporate Office

Special Campaign 5.0

Cement Corporation of India (CCI) actively participated in Special Campaign 5.0, launched by the Government of India to promote cleanliness, efficiency and good governance in public offices. The campaign focused on cleanliness drives, systematic record management, disposal of obsolete records and scrap across the Corporate Office and Units. Employees enthusiastically participated in the initiative, reinforcing a culture of cleanliness, transparency and operational efficiency while contributing to a more organized, sustainable and productive workplace.

Special Campaign 5.0 also emphasized improving workplace efficiency by optimizing office spaces, reducing pendency in administrative matters, and strengthening transparency and accountability in day-to-day functioning. Awareness programmes and employee engagement activities were conducted to encourage sustainable practices, proper waste management and responsible use of resources.

The successful implementation of Special Campaign 5.0 reflects CCI's dedication to the principles of *Swachhata* (cleanliness), *Karya Kushalta* (workplace efficiency) and *Good Governance*.







As part of Special Campaign-5.0, CCI successfully carried out cleaning and weeding out of old files reinforcing the spirit of cleanliness and efficiency

TB Mukt Bharat Abhiyaan- 100 day Campaign Gaon Gaon Sheher Sheher

Cement Corporation of India (CCI) actively participated in the TB Mukt Bharat Abhiyaan- 100-day Campaign: "Gaon Gaon, Sheher Sheher", reaffirming its commitment to the Government of India's mission of eliminating tuberculosis. As part of the campaign, awareness programmes were organized across CCI units to educate employees and nearby communities on TB prevention, early diagnosis, timely treatment and the importance of eliminating the stigma associated with the disease. In addition, CCI units distributed TB Nutrition Kits to TB patients, providing nutritional support to aid their recovery and promote treatment adherence. These initiatives reflect CCI's commitment to strengthening public health awareness, supporting community well-being and contributing towards the national goal of a TB-Free India.



CCI Bokajan Unit successfully organized a TB awareness session as part of the 100 Days Campaign under TB Mukt Bharat Abhiyan





CCI Tandur Unit distributed 72 FREE TB Nutrition Kits to TB patients under the TB Mukt Bharat Abhiyan campaign



CCI Rajban distributed nutrition baskets to TB patients at Health Centers Taruwala and Ajoli supporting treatment with nutritious food for healthier recovery and a TB free community

8. TRAINING AND DEVELOPMENT:

CCI continued to focus on employee learning and capacity building through structured training and development initiatives during FY 2025-26. A number of online and offline training programmes were organized to enhance employees' technical, managerial, behavioural, and functional competencies. Employees were also nominated for external training programmes, seminars, workshops, and conferences based on organizational requirements.

To promote continuous self-learning, employees were encouraged to undertake competency-based courses on the iGOT Karmayogi platform, enabling them to upgrade their knowledge and skills through digital learning.

In addition, CCI organized Knowledge Sharing Sessions involving employees from the Corporate Office, Units and Regional Offices to facilitate the exchange of best practices and functional expertise, thereby fostering collaborative learning and improving organizational effectiveness.



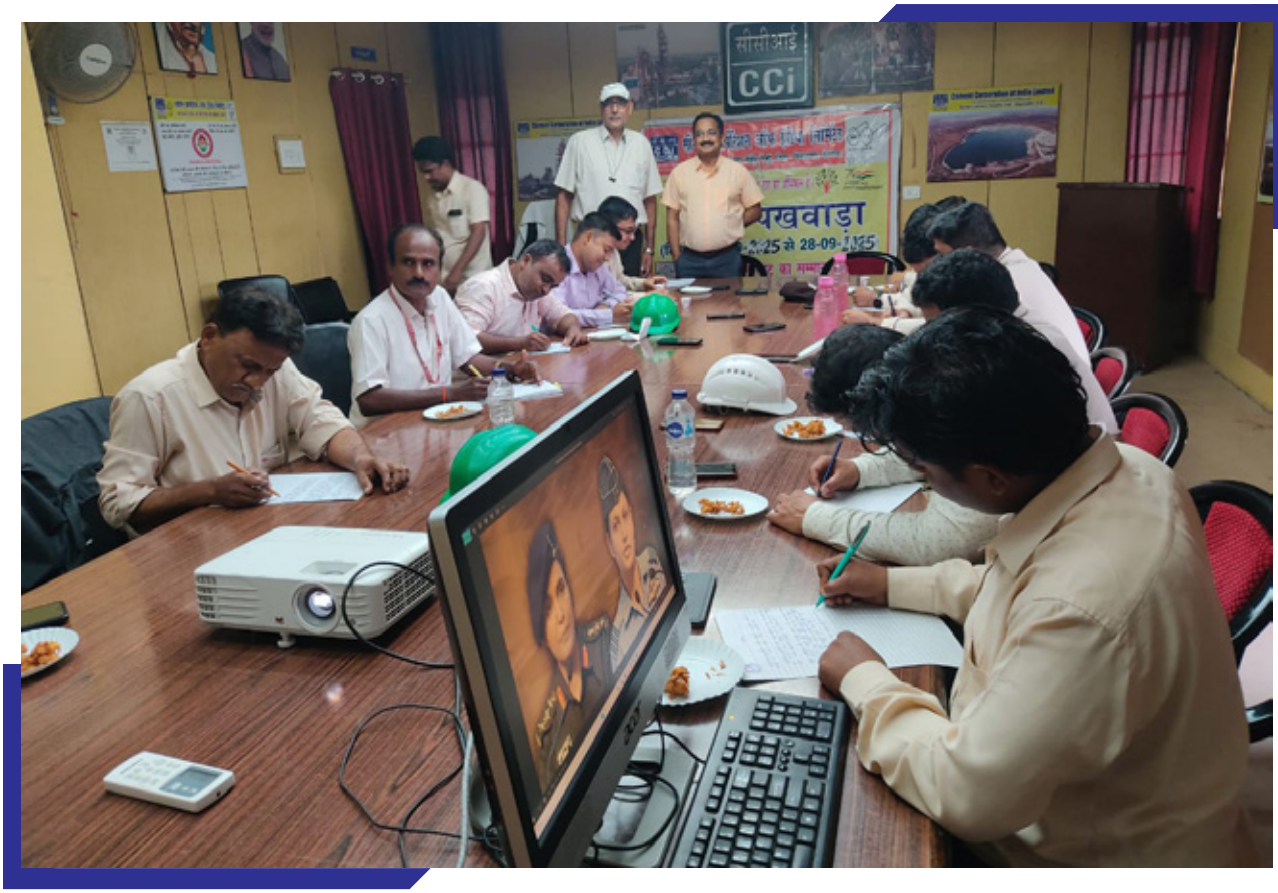
Corporate Office Employees Study visit to Rajban Unit for knowing the in depth knowledge of the Cement Production and Unit working

9. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

The Corporation continued to promote the progressive use of Hindi in accordance with the Official Language Policy of the Government of India. Meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly to review the implementation of the policy. The Corporation also participated actively in Official Language programmes and observed Hindi Week/ Hindi Fortnight to encourage greater use of Hindi in day-to-day official work.



Employees participated in Essay Competition organized at Bokajan Unit on the Topic: 'The Importance of Official Language Hindi in Office Work.'



Employees participated in a Hindi Picture Description Competition at Tandur Unit and expressed their creative thoughts about the Hindi language.



CCI, CO organized a news reading and handwriting competition in the effort to promote the Hindi Language .



CCI receiving an award in the poetry recitation competition organized by SJVN under the aegis of Nagar Rajbhasha Karyanvayan Samiti (NARAKAS), Delhi Unit-2.

10. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

Apart from the business of manufacturing cement, the core value of CCI is to give back to the society by providing social, environmental and economic benefits to the community it operates. CSR initiatives have been undertaken in the field of sanitation, hygiene and promotion of healthcare facilities and skill development.

During the Financial Year 2025-26, CCI Units has contributed in different thematic areas including:

- Installation of one Aqualux RO Plant, two Refrigerators and make available Wheel Chairs for patients by CCI, Bokajan Cement Factory.
- Arranged one UB 420 Inflatable Rescue Boat for Disaster management support and emergency rescue services by Bokajan Cement Factory.
- Distribution of Nutritional Food Packets for school going children (Sukapha ME School, CCI ME School, Govt. Upper OK Kehai LP School, Dillai and Bokajan 2 Mile LP School) by Bokajan Cement Factory.
- For 2025-26, CCI, Bokajan Cement Factory has also contributed towards Skill development Workshop/ Training Programmes.
- A free Health Check-up Camps was organized at Rohini Bey Village near Mines, Manipuri Basti Hatigarh near Bokajan Cement Factory and Habibagg Bosti near Angle Station.
- Installation/Arrangement of various Medical Surgical items such as BP Machine Analyzer, Glucometer, Stethoscope, Weighing Machine, Urine Analyzer, Para Monitor, Oxygen Concentrator, Nebulizer and various sports items including Steel items for Gram Panchayat etc. by Tandur Cement Factory.
- Installation of 2 Kent RO and arrangements of various RO Components by Tandur Cement Factory.
- Contributed towards Abhinav Nyas (Often known as Abhinav Bharat Nyas) dedicated to moral, physical, educational and cultural upliftment by Tandur Cement Factory.
- Arranged Summer and Winter Uniform with shoes, stationery items for School kids & Sports items for Schools i.e. Government Primary School Manal, Government Primary School Kando, Government Primary School Rajban and Government Primary School Badwaa by Rajban Cement Factory.
- Distribution of 72 TB Kit by Tandur Cement Factory and distribution of Nutrition basket for 25 TB Patients for 6 months in Rajban area in order to provide Nutrition and Health Support for TB patients under Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan (Nikshay Mitra Initiative) launched by Honorable President of India.
- A free Health Camp was organized by Rajban Cement Factory wherein free medical consultation was provided to local villagers in nearby villages of Rajban unit along with supply of free medicines to Chhichheti Panchayat.







Bokajan Unit distributed essential items under its 2025-26 CSR initiatives. In the presence of the DC, BTC Chairman, Fire Fighting & Rescue Team, and media, a life-saving boat was handed over to the Bokajan ADC Sub-Division, and automatic wheelchairs were given to physically disabled women. An RO water purifier and cooler was also provided to the Khatakhati Police Station."





Under CSR initiative CCI Tandur Unit donates essential medical surgical instruments to Govt District Hospital Tandur Empowering better healthcare for our community



CCI Ltd brought health & hope to Village Chacheti near our Rajban unit mines hosted free awareness camp for free health camp and tb awareness camp





Little smiles, big impact: CCI Rajban distributed school uniforms, sweaters, shoes, bags and sports equipment to students of Govt Primary School, Rajban. Committed to learning and wellbeing

11. WELFARE OF WOMEN:

The Company has actively cultivated a culture of equality that motivates and supports women's participation in all facets of the organization. This progressive environment has encouraged a transformative mindset, empowering women to take on roles with greater confidence and impact—contributing meaningfully to both their own development and the growth of the organization. All statutory and additional benefits are uniformly extended to women employees across all Units and Offices of the Corporation. CCI fully complies with the provisions of the Maternity Benefit Act, 1961 (as amended in 2017). The benefits under this Act are extended to both permanent and contractual employees, ensuring comprehensive support and protection for all eligible women staff.

To ensure a safe and inclusive workplace, Cement Corporation of India has constituted a committee in accordance with the provisions of the Prevention of Sexual Harassment (PoSH) Act. The committee is responsible for addressing any issues related to sexual harassment, periodically reviewing the Company's policy, and sensitizing employees about their rights and responsibilities under the Act. Notably, during the financial year 2025-26, no complaints were received under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act.

In addition, CCI units are having dedicated Ladies Clubs, which serve as platforms for organizing various social, recreational, and welfare activities for women. These clubs actively address women-related concerns at the unit level and promote empowerment through vocational programs such as computer literacy and mother-and-child healthcare. The Corporation extends infrastructural and financial support to facilitate these initiatives for the overall well-being and development of women employees.

Prevention of Sexual Harassment (PoSH)

a. Number of complaints of sexual harassment received during the year- 00 (NIL)
b. Number of complaints disposed off during the year – 00 (NIL)
c. Number of cases pending for more than ninety days – 00 (NIL)





Celebrated Women's Day at our corporate office with a heartfelt cake-cutting ceremony. CMD, Sh. Sanjay Banga, shared inspiring thoughts on women empowerment, emphasizing equality and progress. Together, we continue to champion

12. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

An effective Grievance Redressal system is key to enhancing employee satisfaction, which in turn contributes to improved productivity. Recognizing this, Cement Corporation of India has established a robust and responsive Grievance Redressal mechanism across its Corporate Office and operational Units.

Employees are encouraged to raise grievances at any time concerning wages, working conditions, leave, work assignments, welfare facilities, and other related matters. Based on the nature of each grievance, the designated committee ensures timely and thoughtful resolution, often through informal and constructive dialogue.

CCI's grievance mechanism is comprehensive, streamlined, and adaptable—playing a vital role in fostering a positive and harmonious relationship between employees and management.

13. REMUNERATION POLICY

In CCI, pay and other benefits for executives are based on the Presidential Directives issued by the Ministry of Heavy Industries and Department of Public Enterprises,

14. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

15. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

16. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives.

17. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE DEPARTMENT.

1) Vigilance Awareness Initiatives

- Vigilance Awareness Week 2025 was organized in all the three Operating units and Corporate Office from 27th October 2025 to 2nd November 2025. During this week different competitions were held in all the three Operating Units and Corporate Office viz. essay writing, Debate, poster making, slogan writing competition to bring out maximum employees and public participation.
- Awareness sessions were conducted among locals like "*Awareness Gram Sabha*" in nearby villages of all the three units and *Seminars/ Workshops* were conducted to sensitize the public about the need for transparency and integrity in public governance.

2) CVC- Mandated Campaign

- In line with CVC guidelines, a three-month campaign was conducted from 18th August 2025 to **17th November 2025** on the theme **"सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी"** / "Vigilance: Our Shared Responsibility."
    - Focus areas included:
        - Disposal of pending complaints
        - Disposal of pending cases.
        - Capacity-building programs.
        - Asset management.
        - Digital initiatives.
- Under the capacity-building program, workshops and awareness sessions were held on topics such as *Conduct Rules & Office Working, Cyber Hygiene, Purchase & Contract*

Management, Framing of Chargesheet, and CTE-type intensive examinations. Officials from Corporate Office attended physically, while operating units joined virtually.

3. Preventive Vigilance Measures

- Regular activities included identification of corruption-prone areas, mapping of sensitive posts, periodic rotation of officers/staff in sensitive positions, surprise inspections, scrutiny of immovable property returns, and preparation of Agreed and ODI lists.

4. Scrutiny of Property Returns

- 20–30% of Annual Property Returns submitted by employees through the HR Department were scrutinized on a quarterly basis to ensure compliance and detect irregularities.

5. Reporting to CVC

- Quarterly Performance Reports, Annual Reports, and Quarterly Progress Reports were submitted to the Central Vigilance Commission (CVC) within the stipulated timelines, ensuring transparency and accountability.



Shri Sanjay Banga, CMD-CCI, along with CVO Shri Piyush Ranjan, launched our 3-month #VAW2025 drive on vigilance, capacity building & digital initiatives .# This year theme "Vigilance - Our Shared Responsibility."



Vigilance Awareness Week Campaign at Bokajan Unit

18. E-PROCUREMENT / INTEGRITY PACT

The e-procurement facility is already in place in the organization. M/s NIC (National Informatics Center), New Delhi is the service provider for e-procurement portal apart from GeM portal where procurement is being promoted in accordance with Govt. policies.

Moreover, tenders above ₹ 50,000/- (fifty thousand) are being invited through e-tender, floated in NIC/ GeM portal.

The Integrity Pact has been implemented. An IEM also oversees implementation of Integrity Pact, for all tenders above ₹ 10 Lakhs. Regular Integrity Pact review meetings are also held by the IEM.





Sh Sanjay Banga, CMD, CCI along with CVO Sh. Piyush Ranjan administered the Integrity Pledge to employees at the Corporate Office New Delhi

19. MSME PROCUREMENTS

MSMEs, being the backbone of the economy, are valued growth partners of the Company, and the MSME Policy of the Government of India is being strictly adhered to in all procurement activities. For the financial year 2025-26, procurement from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) has reached a remarkable 80% of the total procurement value, well above the mandated requirement of 25% procurement through MSMEs under the MSME Policy. Within this, procurement through Women MSME entrepreneurs stands at 3.60% of the total procurement done through MSMEs, exceeding the target of 3%.

MSME payments are being released within the due dates (45 days) and there are no delayed/pending payments with respect to MSMEs in CCI, the same is also reported monthly on the MSME Samadhaan portal. No complaints have been received from MSME vendors on the MSME Samadhaan portal, which also reflects the priority being given to MSMEs.

The Government is also monitoring the progress of MSME procurement through the MSME Sambandh portal, where monthly data is analysed. Procurement through SC/ST and Women MSMEs is also being monitored and efforts are underway to increase their participation in the procurement process. Vendor Meets are being organised regularly, wherein MSME vendors in particular are motivated for participation in CCI tenders, with special efforts to increase the participation of SC/ ST and Women MSME vendors in CCI tenders.



CCI has signed an MoU with NSIC to supply quality cement boosting support for MSMEs and infrastructure growth across India

20. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds, accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate governance. The company has the following internal audit system mainly :–

- Internal Audit by Independent Chartered Accountant firms

Outside Internal auditors are appointed on the basis of Open Tender/ Empanelment after due recommendation by Audit Committee and approval from Board of Directors of the company. The reports containing significant audit findings are periodically submitted to management and Audit Committee of the company. Based on report of Internal Auditor, corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the control.

The company has adequate internal control measures in the form of various codes, manuals and procedures issued by the management covering all

important activities i.e. Marketing Manual, Purchase and Works manual, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc. The marketing manual has been updated and management has taken steps to update all other manuals time to time for better check and control.

21. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

No govt. loans, guarantees or investments are made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2025-26.

22. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report are part of Directors' Report.

23. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

24. COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES:

CCI is a CPSE where policy relating to appointment, remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government of India.

25. ANNUAL RETURN

The Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is placed on the website of the company. The URL for the Annual Return is https://www.cciltd.in/page.php?id=29

26. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The company has conducted Seven (7) Board Meetings i.e. on 09.04.2025, 23.05.2025, 17.07.2025, 01.08.2025, 09.10.2025, 02.12.2025 and 20.02.2026 during the financial year 2025-26.

27. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report is attached with this report and forms part of Annual Report of the Company.

28. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 the Board hereby submit its responsibility Statement:—

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for

ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.

(f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

29. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

30. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year 2025-26.

31. DIRECTORS

The following Directors were appointed/ ceased during the year 2025-26:

- Shri Prem Chandra Maurya, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries joined the Board as part time official Director (Govt. Nominee) w.e.f. 17.07.2025.
- Shri Balasugumar Daniel joined the Board as Director (Operations) w.e.f. 30.12.2025.
- Dr. Renuka Mishra, Economic Advisor, Ministry of Heavy Industries was appointed as Government Nominee Director on the Board of CCI w.e.f. 16.03.2026 vice Shri Arun Kumar Sarkar, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industries.
- Shri Arun Kumar Sarkar, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industries ceased to be part time official Director (Govt. Nominee) from the Board of the Company w.e.f. 16.03.2026. The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution during his association with the Company.
- Dr. Renuka Mishra, Economic Advisor, Ministry of Heavy Industries ceased to be part time official Director (Govt. Nominee) from the Board of the Company w.e.f. 14.07.2025. The company places on record, its appreciation for her guidance and contribution during her association with the Company.

32. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

There was no Independent Director on the Board during the period under review i.e. 2025-26. Accordingly, Declaration of Independence under Section 149 (7) of the Companies Act, 2013 could not be taken.

33. WEBSITE DEVELOPMENT, E-PRCOUREMENT, E-OFFICE, ERP, ONLINE SALES MODULE, ONLINE PROVIDENT FUND MODULE, ONLINE PERFORMANCE APPRAISAL PORTAL, ONLINE LITIGATION PORTAL ETC.

Website Development:

The latest updates and information about the Company can be accessed at Company's website: https://www.cciltd.in , which includes the Company Profile, Organizational History, Vision & Mission, Annual Reports, latest Tenders, Photo Gallery, Plants/CCI Offices, HRM/HRD etc.

E-Procurement Portal:

The CCI is using the GeM (Government e-Market Place) portal for procurement of Goods, Services and Works. However, GePNIC CPP e-procurement portal of Govt. of India is also used in case of non-availability in GeM portal. The e-procurement portal GePNIC is a secure and transparent procurement system.

E-Office Portal:

The CCI e-office has been in place since 2020 to manage the files electronically. This eliminated the need for physical files and reduced the processing delay.

E-mail:

The CCI is using NIC (Govt. of India) e-mail services for better security of electronic mail. The email.gov.in portal is being used for accessing emails, which has the dual authentication facility.

ERP:

SAP Business One ERP system is being used smoothly in all Units & Corporate Office. The servers are taken from MeitY (Ministry of Electronics and Information Technology), which are empanelled cloud service providers (CSPs). Integrated SBI's CMP e-Collections API to enable automated posting of incoming bank payments to the CCI SAP ERP system.

Online Sales Module:

The exercise for implementation of the Dealer APP has been initiated wherein the dealer can place the online order for purchase of cement directly from the CCI Cement plants.

Online Provident Fund Module:

The CCI is using PF online Module to facilitate the employee.

Online Performance Appraisal Portal:

The Online Performance Appraisal system is being used for transparency and streamlining the appraisal system.

Online Litigation Portal:

The Online Litigation Portal system has been introduced for monitoring the status of all legal cases for prompt action and status tracking.

34. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has always endeavored in implementation of Right to Information (RTI) Act, 2005 in letter and spirit. The Company has designated Public Information Officers (PIO) and Appellate Authorities and Transparency Officer under Section 5 and Section 19(1) of the RTI Act. The provisions under the Act are being complied with by all the Plants and Units of the Company.

An exclusive RTI Corner has been developed with link being available on website of the Company. Details of Authorities, PIO, First Appellate Authority & Transparency Officer have also been made available on the website of the Company.

35. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

From time to time we are receiving export enquiries from different parties. Due to locational disadvantage for our plants, which are for away from sea ports, out inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. The entire production of cement is being sold in the domestic market.

36. AUDITORS:

STATUTORY AUDITORS

M/s. S K Mehta & Co., Chartered Accountant Delhi were appointed as Principal Statutory Auditors and Branch Auditor for Rajban and Non-Operating units for the year 2025-26 and M/s. M Borar & Co. and M/s. Tukaram & Co. LLP were appointed as Branch Auditors. The report of the statutory auditors and reply thereto, and comments of the Comptroller & Auditor General of India are annexed to this report.

COST AUDITORS

M/s. K G Goyal & Associates, Cost Accountants, were appointed as Lead Cost Auditor of the Corporation and also Cost Auditor of Rajban Unit, M/s. Bandyopadhyay Bhaumik & Co., Cost Accountant for Bokajan Unit & M/s. S Dhal & Co., Cost Accountants for Tandur Unit for the year 2025-26.

SECRETARIAL AUDITORS

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Amit Agrawal & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2026. The report of the Secretarial Auditor is attached as Annexure. In respect of the Secretarial Audit report for the financial year ended 31st March, 2026, your Directors have clarified as follows:

Management's Reply in respect of the Secretarial Audit Report – MR 3 for the financial year ended 31st March, 2026

Remarks	Management's Reply
The Company has not proper composition of various committees as required under section 177 and 178 of the Companies Act, 2013. However, with the approval of the Board, various letters have been sent to MHI for appointment of Independent Directors.	CCI does not have any Independent Directors on its Board during the period under review as the tenure of both previous Independent Directors i.e. Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel ceased w.e.f. 01.11.2024. Accordingly, the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee could not be reconstituted for want of Independent Directors. However, time to time request letters have been sent to Administrative Ministry for appointment of Independent Directors.

37. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee constituted keeping in view the special circumstances consists of the following Directors:

a. Shri Prem Chandra Maurya, Director (Govt. Nominee) as Chairman

b. Shri Arun Kumar Sarkar, Director (Govt. Nominee) as Member

c. Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance) as Member

The Company has Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cciltd.in

The Audit Committee ceased to be in effect due to cessation of Shri Arun Kumar Sarkar, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industries and part time official Director (Govt. Nominee) from the Board of CCI w.e.f. 16.03.2026.

38. ACKNOWLEDGEMENTS

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Ministry of Heavy Industries, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, PESB, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s. S K Mehta & Co., Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Director General of Audit (Power). The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN No: 09353339

Date: 22.09.2026

Place: New Delhi

Particulars under following heads as required under Rule 8(3) of Companies (Accounts) Rules 2014.

A. CONSERVATION OF ENERGY

I. The steps taken or impact on conservation of energy:

- Installation of VFD Panel (250 kW) for PH Fan Motor.
- Installed energy efficient motor 185 kW for Preheater Fan.
- Installed HT APFC Panel to improve power factor from 0.95 to 0.97 at BKO and from 0.993 to 0.997 at TDO to reduce power losses.
- Replacement of old Cement Mill HT motor with new energy efficient motor thereby reducing power consumption.
- New drag chain retrofitting for LS stacker in place of CRD system installed & commissioned.

II. The steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy:

- The 1 MWp Solar Power Plant under RESCO MODEL has been commissioned at CCI-Rajban unit. During 2025-26 the plant generated 11,36,700 kWh of solar power.
- The 1 MWp Solar Power Plant under RESCO MODEL has been commissioned at CCI-Bokajan.
- The installation of a 6 MW Solar Power Plant is under consideration at CCI-Tandur.
- Use of petro-polymer fuel as a substitute for diesel, during kiln light-ups.

III. The Capital investment on energy conservation equipments.

The CCI has invested ₹ 35.64 Lakhs for taking up the various energy conservation measures by way of improvement in efficiency and reducing losses.

B) TECHNOLOGY ABSORPTION

(i) The efforts made towards technology absorption:

1. Installed a coal shed in the yard to prevent wetting of coal during rains, reducing coal losses and ensuring better combustion efficiency.
2. Installation of New PJBH (Pulse Jet Bag House) in place of ESP for both Kilns.

(ii) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution

(a) The installation of Dry fly ash feeding system for increasing the addition of the fly ash for utilization of the waste material of thermal plant and reduce the cost of production

(b) The utilization of technology such as installation of VCB, AVR etc. improved the plant operation and in turn enhanced the productivity.

(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year): NIL

(a) The details of technology imported: NA

(b) The year of import: NA

(c) Whether the technology been fully absorbed: NA

(d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and: NA

(iv) The expenditure incurred on Research and Development: NA

(A) Unit wise total energy consumption and energy consumption per unit of production:-

1) ELECTRICITY	UOM	BOKAJAN	RAJBAN	TANDUR
a) PURCHASED				
I) UNITS	KWh	17362652	14650006	54944400
II) TOTAL AMOUNT	₹ in Lakhs	1548.73	1387.49	4598.74
III) RATE PER UNIT	₹/KWh	8.92	9.47	8.37
b) OWN GENERATION				
THROUGH DIESEL GENERATION				
I) UNITS	KWh	NIL	12080	NIL
II) TOTAL DIESEL CONSUMPTION	Litre	NIL	4471	NIL
III) UNITS/LITRE OF DIESEL OIL	KWh/ Litre	NIL	2.70	NIL
IV) COST PER UNIT	₹/KWh	NIL	32.91	NIL
THROUGH SOLAR POWER				
I) UNITS	KWh	290400	1191523	53850.00
II) TOTAL AMOUNT	₹ in Lakhs		54.60	
2) COAL				
QTY Consumed	MT	25927	22584	100137
TOTAL COST	₹ in Lakhs	1779.64	1815.24	6527.77
AVERAGE RATE	₹/MT	6864.00	8037.70	6518.84
3) CONSUMPTION PER UNIT OF PRODUCTION				
I) ELECTRICITY (Packed cement incl. Township)	KWh/MT	156.13	137.52	125.02
II) Booked Coal (% of clinker Production)	%	25.147	23.79	27.48
III) Coal (UHV)	K.cal/Kg of coal	4700	4024	3281





World Environment Day Celebrated in Bokajan Unit with the Participation of Children in Drawing Competition

Annexure A

CSR ACTIVITIES

1 CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as **"A commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating".**

CCI integrates and align its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Government of India from time to time.

2*. (i) Net Worth- 252.66 Crore

(ii) Turnover- 325.22 Crore

(iii) Net Profit- 31.05 Crore

(iv) Criteria that triggered CSR applicability – Net Profit Exceeding 5 Crore

(* Details are as per 2024-25)

3. (a) (i) Whether CSR Committee has been constituted- **NO (After cessation of both Independent Directors w.e.f. 01.11.2024, the CSR committee ceased to be in effect)**

(ii) Number of Directors composing CSR Committee- **00**

(iii) Number of meetings of CSR Committee held during the year- **00**

Sr. No.	DIN	Name of Director	Category	No. of meetings of CSR Committee attended during the year
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--

(b) (i) Whether the company has a website- **YES**

(ii) If Yes, Provide web-link- ***https://www.cciltd.in***

(iii) Whether following has been disclosed on the website of the company in pursuance of Rule 9 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014:

- Composition of CSR Committee- **NO**
- CSR Policy – **YES**
- CSR projects approved by the Board- **YES**

(c) (i) Whether Impact assessment of CSR projects is carried out in pursuance of sub-rule (3) of Rule 8 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014, if applicable- **NA**

(ii) If Yes, whether the same has been disclosed in the Board Report- **NA**

(iii) Provide web-link, if any- **NA**

(d) (i) Whether any amount is available for set off in pursuance of sub-rule (3) of Rule 7 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014- **YES**

(ii) If yes, provide details:

S. No.	Financial Year	Amount available for set-off (in ₹)	Amount set-off in the financial year, if any (in ₹)	Balance Amount (in ₹)
1.	2022-23	--	--	--
2.	2023-24	--	--	--
3.	2024-25	1,29,918	1,29,918	--
	Total	**--**	**--**	**--**

4. (a) Whether the company has completed the period of three financial years since its incorporation – **YES**

(b) If no, then provide the number of financial years completed since incorporation- **NA**

(c) Net Profit & other details for the preceding financial years:

S. No.	Particulars	Amount (₹ in Crores)		
		FY-1 (2022-23)	FY-2 (2023-24)	FY-3 (2024-25)
1.	Profit before tax	95.29	95.05	31.05
2.	Net Profit computed u/s 198	13.55	(4.37)	31.05
3.	Total amount adjusted as per rule 2(1)(h) of the CSR Policy Rules 2014	0	0	0
4.	Total Net Profit for section 135 (2-3)	13.55	(4.37)	31.05

(d) Average Net Profit of the company as per section 135 (5)- ₹ **1341 Lakhs**

5. (a) 2% of Average net profit of the company as per section 135 (5) – ₹ **26.82 Lakhs**

(b) Surplus arising out of the CSR projects/ programs or activities of the previous financial year, if any - **NIL**

(c) Amount required to be set off for the financial year, if any – ₹ **1,29,918**

(d) Total CSR obligation for the financial year (5a+5b-5c) - ₹ **25,52,082**

6. (a) Whether CSR amount for the financial year has been spent- **YES**

(b) If yes, CSR amount has been spent against:

- Ongoing projects- NA
- Other than ongoing projects- YES
- Both (Ongoing and other than ongoing projects)- NA

(i) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

Number of Ongoing Projects for the financial year

Sl. No.	Project ID	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes/ No)	Location of the project		Project duration (in months)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Mode of Implementa-tion- Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation- Through Implementing Agency	
					State	District				CSR Registration No.	Name
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
							Total	–			

(ii) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

Number of Other than Ongoing Projects for the financial year

Sl. No.	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes/ No)	Location of the project		Amount spent in the financial year (in ₹)	Mode of Implementation- Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation- Through Implementing Agency	
				State	District			CSR Registration No.	Name
1	Schedule VII (i)	Health & Nutrition	Yes	Telangana	K.V. Rangareddy	12,39,813	Direct	--	--
2	Schedule VII (i)	Health & Nutrition etc.	Yes	Assam	Karbi Anglong	2,81,751	Direct	--	--
3	Schedule VII (ii)	Promoting Education including vocational skills training	Yes	Assam	Karbi Anglong	1,02,000	Direct	--	--
4	Schedule VII (xii)	Disaster Management including relief	Yes	Assam	Karbi Anglong	2,14,455	Direct	--	--
5	Schedule VII (i)	Health & Nutrition	Yes	Himachal Pradesh	Sirmaur	2,71,127	Direct	--	--
6	Schedule VII (ii)	Promoting Education	Yes	Himachal Pradesh	Sirmaur	4,89,350	Direct	--	--
					Total	**25,98,496**			

(c) Amount spent in Administrative Overheads- **NIL**

(d) Amount spent on Impact Assessment, if applicable- **NIL**

(e) Total Amount Spent for the financial year – ₹ **25,98,496**

(f) Amount unspent/ (excess) spent for the Financial year [5(d)-6(e)] unspent for Ongoing projects) – **(₹ 46,414)**

(g) Amount eligible for transfer to Unspent CSR Account for the Financial year as per Section 135 (6) (before adjustments) - **NIL**

(h) Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII for the Financial Year (if total unspent for the Financial Year is greater than unspent for Ongoing projects) - **NIL**

7. Details of transfer of Unspent CSR amount for the financial year:

(a) Transfer to Unspent CSR account as per Section 135(6)

Amount to be transferred to Unspent CSR account	Amount actually transferred to Unspent CSR account	Date of Transfer	Deficiency, if any
--	--	--	--

(b) Transfer to Fund specified in Schedule VII as per second proviso to Section 135(5) for the Financial Year:

Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII	Amount actually transferred to Fund specified in Schedule VII	Date of Transfer	Deficiency, if any
--	--	--	--

8. Specify the reason(s) if the company has failed to spend two percent of the average net profit as per section 135(5): **NA**

9. Whether any unspent amount of preceding three financial years has been spent in the financial year: NO

(a) Details of CSR amount spent in the financial year pertaining to three preceding financial year(s):

Sl. No.	Preceding Financial Years	Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135(6) (in ₹)	Balance Amount in Unspent CSR Account under Section 135(6) (in ₹)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5), if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in ₹)	Deficiency, if any
					Amount (in ₹)	Date of Transfer		
1	2022-23	--	--	--	--	--	--	--
2	2023-24	--	--	--	--	--	--	--
3	2024-25	--	--	--	--	--	--	--

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

Number of Ongoing Projects: NA

Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Amount spent for the project at the beginning of the Financial Year (In ₹)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Cumulative Amount Spent at the end of Financial Year (in ₹)	Status of the project- Completed/ Ongoing
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--

(c) (i) Whether any new CSR project has been undertaken in the financial year from the Unspent amount pertaining to preceding three financial years: NO

(ii) If yes, nature of the new CSR Project(s) is/ are:

- Ongoing project(s) - NA
- Other than ongoing project(s) -NA
- Both (Ongoing and other than ongoing projects)- NA

(iii) Details of amount spent against new ongoing CSR project in the financial year:

Number of Ongoing Projects: NA

Sl. No.	Proj-ect ID	Financial year to which the new project pertains	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Proj-ect	Local Area (Yes/ No)	Location of the project		Project duration (in months)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Mode of Imple-men-tation-Direct (Yes/ No)	Mode of Im-plementation-Through Imple-menting Agency	
						State	District				CSR Registra-tion No.	Name
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
								Total				

(iv) Details of amount spent against new other than ongoing projects in the financial year

Number of Other than Ongoing Projects: NA

Sl. No.	Financial year to which the new project pertains	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes/ No)	Location of the project		Project duration (in months)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Mode of Imple-menta-tion- Di-rect (Yes/ No)	Mode of Implemen-tation- Through Implementing Agency	
					State	District				CSR Registra-tion No.	Name
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
							Total				

10. Whether any capital assets have been created or acquired through CSR spent in the financial year: **NO**

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired: **NA**

Sr. No.	Short particulars of the property or assets(s) [including complete address and location of the property]	Pin code of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary or registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered Address
	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
			Total				

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Chief Financial Officer (CFO)

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Cement is the binding force of infrastructure, and the durability of infrastructure determines the durability of progress. As India builds at a rapid pace, your Company continues to play an important role in this journey, with generations of builders relying on its quality cement to create structures across cities and communities. India's infrastructure story is still unfolding and offers substantial long-term headroom; as the country strives to become a developed nation by 2047, demand for resilient and substantial construction materials will continue to rise. Meeting this demand requires the Company to anticipate evolving patterns, respond swiftly to regional requirements, and ensure uninterrupted supply even in challenging conditions.

A sustainable approach calls for innovation across energy sourcing, material composition and logistics. The Company has accordingly increased its share of renewable energy, promoted blended cement, and improved thermal efficiency across operations, aligning growth with environmental responsibility. Sustainability, in this context, extends beyond emission reduction to lifecycle performance across decades of use, through economic cycles, shifting demand patterns and evolving climatic conditions.

The future of manufacturing will depend equally on human capital and industrial capacity, encompassing safety culture and leadership. As India's infrastructure demands grows more sophisticated on its path to a developed economy, the Company's commitment remains firmly on delivering cement that stands the test of time, with quality engineered into every stage of production across its ISO-certified units.

The international scenario during the year was marked by heightened geopolitical tensions in West Asia and the Russia-Ukraine region, leading to volatility in energy markets and sustained inflationary pressure on fuel, logistics and other input costs, particularly towards the end of the financial year – a trend expected to persist. Cost optimisation through operational efficiency therefore remains a core priority in mitigating input-cost volatility. On the demand side, the reduction in GST on cement, together with continued public investment in infrastructure, housing, highways, freight corridors, metro networks, ports, airports and industrial corridors, reinforced confidence in the sector's medium-term growth prospects.

Overall, the year reflected a combination of structural opportunity and short-term volatility. India remains the fastest-growing large economy even as global economies navigate uncertainty, with growth momentum supported by strong domestic consumption, accelerated urbanisation and sustained public investment-creating a durable demand base in which cement remains a critical enabler of national progress. Backed by policy reforms and a continuing shift towards green technologies, the Indian cement sector, and your Company within it, is well positioned to support the country's long-term infrastructure requirements and enable sustainable growth in the years ahead.

Cautionary Statement

Statements in this "Management Discussions & Analysis" describing Company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.



Karankote Limestone Mine won Three prizes at the 40th Mines Safety Week,(DGMS Hyderabad)

Management's replies to the observations stipulated in the Audit Report on Annual Accounts for the financial year 2025-26 dated 24.06.2026 are given below:

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
1	PROPERTY PLANT & EQUIPMENT a) Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation in respect of lands held at Non-Operating Units. Further, the DDA had suo moto transferred the lease hold land measuring 14.20 Acres to South Delhi Municipal Corporation (SDMC) on 11.04.2017, the cost of which amounting to Rs. 321.29 lacs is shown as "Recoverable from outside parties". MCD vide letter dated 22.04.2024 has communicated handing over of 9 Acres of MCD land situated at Firozpur Kalan (Faridabad) to Company in lieu of 14.20 Acres of land, possession of which is still pending. Moreover, the physical possession of the land measuring 6.74 Acres, given to railways for constructing siding is not yet handed over to the Company. Northern Railways vide letter dated 01.01.2024 directed the Delhi Division and construction organisation and has sought details in order to decide on the matter of CCI claim. (Refer Note 31.04 to the Financial Statements). Pending outcome of aforesaid matters, impact on the Financial Statements is presently not quantifiable. b) No accounting is made in respect of the amount recoverable on account of acquisition and use of government land outside CCI's Adilabad Township and used as road from pump house to national highway no. 7 measuring 32 Guntas , the alienation order of which is awaited. (Refer Note 31.06 to the Financial Statements). Impact of the same on the Financial Statements is not presently quantifiable.	a) The position has been adequately explained in the relevant point no. 04 in Note no. 31, which is forming part of the Annual Accounts. b) The position has been adequately explained in the relevant point no. 06 in Note no. 31, which is forming part of the Annual Accounts.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
	c) Physical verification of Property, Plant & Equipment items & Capital Work In progress held at Non -Operating Units Mandhar, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon & Nayagaon Expansion, Delhi Grinding unit, Kurkunta, Adilabad, Bhatinda Grinding Unit (Collectively referred to as 'Non- Operating Units') has not been conducted in current year & previous year having written down value of Rs. 2127.20 lacs for Property , Plant & Equipment (including Rs. 1441.67 lacs in respect of Freehold & Leasehold Land) & having net book value of Rs 285.00 lacs for Capital Work in Progress as of 31st March, 2026 and in the absence of same, we are not able to comment on the physical existence of such items as reflected in the Financial Statements and its impact on the Financial Statements.	c) All the Plant and Machinery, raw materials and stores and spares excluding limestone of all the non-operating units except Adilabad Unit have been sold through MSTC e-auction process. Physical Valuation have been undertaken as per the laid down procedure enumerated by Ministry in this regard viz, Internal CCI Committee valuation, Independent Government Valuer, and sealed cover valuation being submitted to Ministry directly. Only township, non-plant building and limestone is available in all the units.
	d) Amortization expense is not booked in the current year for Leasehold Land held at various Non-Operating Units having written down value of Rs. 324.82 lacs as of 31St March, 2026. In our opinion, same is not in accordance with provisions of Accounting Standard (AS)-10 "Property, Plant & Equipment", considering the fact that such lands are not held for sale/ disposal as of date. Impact of non- charging of amortization for the current year and for the earlier years on the financial statements is not presently ascertainable. e) In respect of certain Freehold Land of Non-Operating units, company has provided amortization expense of Rs.146.07 lacs in the earlier years. Basis and justification of booking such amortization expenses on freehold lands in the earlier years is not made available. In the absence of proper details including title deeds of such lands, impact of the same on the financial statements is not presently ascertainable. f) No accounting for decapitalisation of items of Property, plant & equipment is being done for assets replaced during the year which are being capitalized in the accounts at Rajban unit. Impact of not charging off the written down value of replaced assets on the financial statements is not presently ascertainable.	d) The position has been adequately explained in the relevant point no. 15 in Note no. 31, which is forming part of the Annual Accounts. e) The accounting treatment adopted by the Company is nor a year-specific accounting adjustment. It is in accordance with the Significant Accounting Policies consistently followed by the Company and approved as part of its annual financial statements. The same is adequately disclosed in Significant Accounting Policy No. 1.05. f) Point is well noted and necessary action if any will be taken at unit level.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
	g) Branch Auditor of Tandur Unit has reported that as per the significant accounting policy of the company, overburden removal costs capitalised as quarry development expenditure are required to be amortised based on the quantity of limestone/shale extracted in relation to the total limestone/ shale reserves exposed through the related quarry development activity. However, during the year, the Unit has amortised the quarry development expenditure by charging 10% and 20% of the capitalised cost towards limestone and shale, respectively, without establishing a linkage between the quantity extracted during the year and the total reserves exposed by the quarry development work. Accordingly, compliance with the accounting policy and the applicable accounting framework could not be established.	g) The position has been adequately explained in the Significant accounting policy no. 1.11 "Unamortized Expenditure" which is forming part of the Annual Accounts.
2	**CAPITAL WORK IN PROGRESS** Capital Work in progress amounting to Rs. 285.00 lacs is outstanding since long for capital scheme in Delhi Grinding Unit which is abandoned. In the absence of availability of information related to latest realisable value of such assets, we are unable to comment on whether any provision for impairment in the value is required in this regard.	The position has been adequately explained in the relevant point no. 04 in Note no. 31, which is forming part of the Annual Accounts.
3	**INVENTORIES** a) No provision is made for stores and spares items which are not moved for more than three years amounting to Rs.259.32 lacs held at Rajban Unit. In the absence of detailed review & analysis of such items, we are unable to comment whether any provision for diminution in value of such items is required to be made in the Financial Statements. b) Semi – Finished Inventory of Clinker having value of Rs. 2059.61 lacs and Crushed Lime Stone having value of Rs 614.75 lacs held at Rajban unit as at 31st March, 2026 is not properly tagged or labelled and major stock is lying scattered in an open ground which leads to damage/deterioration and as result, we are not able to comment on whether there is any decline in the value of said inventory as at 31St March, 2026.	a) All the concerned items are usable and having value which is not diminished in terms of its usage. b) Point is well noted and necessary action if any will be taken at unit level.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
	c) As per the significant accounting policy of the Company, Stores and Spares are required to be valued using the weighted-average cost method. However, during our verification of sample transactions across various inventory categories, it was observed that the SAP system was valuing material issues at rates different from the weighted-average rates. Further, certain stores and spares are being held as stand-by items for use over multiple accounting periods and require evaluation regarding their appropriate classification as Stores and Spares inventory or Property, Plant and Equipment as per Accounting Standard 10 in accordance with the applicable accounting standards. Auditors of Tandur unit has reported that Stores and Spares pertaining to Tandur YRO unit continued to be recognized under inventory, with no consumption recorded during the year, indicating the need for assessment of their recoverability and continued classification as inventory. The consequent impact, if any, arising from the above matters on the Financial Statements is not ascertainable.	c) Point is well noted and necessary action if any will be taken at unit level.
	d) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, during the course of the audit it was observed that certain inventory items have remained non-moving for an extended period. Amount of inventory items individually valued above Rs. 50,000 and aggregating to Rs. 174.49 lakhs were identified as non-moving for more than eight years. The continued retention of such inventory indicates accumulation of materials that have not been utilised over a prolonged period. Consequently, they are unable to quantify the extent of inventory that may require provisioning, write-down, or disposal.	d) Point is well noted and necessary action if any will be taken at unit level.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
4	**INVESTMENTS** Company is having investment of Rs. 227.96 lacs by way of equity shares of Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited. Financial Statements of investee company is not available with the Company for the period beyond 31st March, 2021. In the absence of availability of latest financial information/ financial statements, we are not able to comment on whether there is any impairment in the value of such investment as at 31st March, 2026.	As per para 17 of AS-13, "...Long-term investments are usually carried at cost. However, when there is a decline, other than temporary, in the value of a long-term investment, the carrying amount is reduced to recognize the decline...". APGPCL has prepared its financial statements on a going concern basis, and the Board has stated that the company's net worth remains positive and that it expects revival of operations upon restoration of gas allocation. We shall be reviewing the same on every balance sheet date and will comply applicable paras of AS-13 accordingly.
5	**TRADE RECEIVABLES, LOANS AND ADVANCES, TRADE PAYABLES, DEPOSITS AND OTHER LIABILTIES** a) The balance of Trade Receivables, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation/ confirmation of balances is not ascertainable. (Refer Note 31.40 to the Financial Statements) b) There are certain recoverable balances outstanding for Rs. 1072.47 lacs in Non-Operating Units, Rs. 146.36 lacs in Rajban Unit and Rs. 31.66 lacs in Corporate Office which are not recovered/ adjusted since long and there is no confirmation/ reconciliation of such outstanding balances. In the absence of same, we are not able to comment on the recoverability of such amounts. c) Provisions for interest payable up to 31st March 2026 on outstanding undisputed statutory dues other than Mining dues and Dead Rent is not made as per the provisions of applicable law. Quantum of provisions required in this regard on these undisputed dues is not ascertainable as relevant details are not available with the Company. Management is expecting waiver of interest from respective statutory authorities in this regard. Further property tax provision is not made for F.Y. 2024-25 and F.Y. 2025-26 in respect of Adilabad unit, which in the opinion of management is not payable. In the absence of detailed information, impact of the same on the Financial Statements is presently not quantifiable.	a) The position has been adequately explained in the relevant point no. 40 in Note no. 31, which is forming part of the Annual Accounts. b) The position has been adequately explained in the relevant point no. 40 in Note no. 31, which is forming part of the Annual Accounts. c) Point is well noted and necessary action if any will be taken at unit level.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
	d) Branch Auditor of the Tandur Unit has reported that there are certain amounts payables to Micro, Small and Medium enterprises within the meaning of Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 beyond the due dates as prescribed in the said Act. However, the Unit is not calculating and providing for the interest in the books of account for the year ending 31st March, 2026, except for those parties who are under BIFR. Impact of the same on the Financial Statements is presently not quantifiable.	d) The position has been adequately explained in the relevant point no. 21 & 23 in Note no. 31 forming part of the Annual Accounts. Further these are on account of disputed dues and/or payments withheld in line with the terms and conditions provided in respective work orders and tender documents which are duly agreed upon by both the parties and hence these amounts are not due for payments pending resolution of disputes / issues as per provisions of MSMED Act.
	e) In Tandur Unit, with regard to classification of the long-term trade payables of Rs 324.08 lacs, Branch Auditor of the Unit has not been provided with any justification as to why the same is classified as long term in the Financial Statements, along with the due date of payment for each party. In the absence of detailed information, impact of the same on the Financial Statements is not presently quantifiable.	e) The qualification will be reviewed and addressed at the unit level. The required action will be taken in the subsequent year.
	f) Branch Auditor of Tandur Unit has reported that adequate supporting documentation regarding the ageing of trade receivables and external balance confirmations from customers were not made available for verification. Accordingly, they are unable to independently verify the accuracy, classification, and recoverability of the outstanding receivable balances, and the consequential impact, if any, on the Financial Statements could not be determined.	f) The qualification will be taken care in the subsequent year at NOUs level.
	g) During the year, the Company has recognized income of Rs 591.00 lacs towards sale of scrap material originally allotted to the bidder of Kurkunta Unit which is not lifted by the bidder. As per the terms of the contact, ownership of the material was transferred to the bidder against receipt of consideration. The bidder has invoked arbitration clause & raised various claims against the company & the matter is pending disposal as date. Pending adjudication of case, impact of the same, if any, on the Financial Statements is not presently not ascertainable.	g) The position has been adequately explained in the relevant point no. 19 in Note no. 31, which is forming part of the Annual Accounts.
	h) Branch Auditor of Tandur Unit has reported that certain trade payable balances have remained outstanding for more than 3 to 5 years. In the absence of a periodic management assessment to evaluate the	h) The qualification will be reviewed and addressed at the unit level. The required action will be taken in the subsequent year.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
	continued validity of these liabilities, they are unable to comment on appropriateness of their continued recognition in the Financial Statements or determine the potential impact, if any, on the Financial Statements. i) Branch Auditor of Tandur Unit has reported that, as required under Accounting Standard (AS) 29 – 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets,' provisions should be based on the best estimate of the obligation and be subject to periodic review. However, in the absence of the information and explanation, they are not able to comment whether the provisions made during the year are commendable to be complying with the provisions of AS 29.	i) The qualification will be reviewed and addressed at the unit level. The required action will be taken in the subsequent year.
	j) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, the trade receivables ageing schedule reflects outstanding receivables of Rs.17.91 lakh which are more than three years old. Since party-wise details and supporting records substantiating the recoverability of these balances were not made available for audit, they are unable to assess whether any provision for doubtful debts is required. Consequently, the impact if any, on trade receivables and profit for the year cannot be ascertained. k) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, the trade payables ageing schedule reveals that trade payables aggregating to Rs. 22.16 lakh under the category, others, have remained outstanding for a period exceeding three years as at 31 March 2026. The prolonged non-settlement of these balances indicates the need for a detailed review and reconciliation of the outstanding liabilities. In the absence of party-wise details, confirmations and supporting documents relating to such old outstanding balances, they are unable to comment on the completeness, accuracy and continuing validity of these liabilities. Consequently, the impact, if any, on the financial statements cannot be ascertained.	j) The qualification will be reviewed and addressed at the unit level. The required action will be taken in the subsequent year. k) The qualification will be reviewed and addressed at the unit level. The required action will be taken in the subsequent year.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
	l) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, during the course of audit, it was observed that short term Loans and Advances recoverable aggregating to Rs 2265.77 00 lacs as at 31 March 2026 include Rs. 919.27 lacs recoverable from contractors & suppliers and Rs 1056.59 lacs recoverable from outside parties. Party wise details, confirmations, ageing analysis and supporting records substantiating the nature and recoverability of these balances were not made available for audit and were not disclosed in the Financial Statements. In the absence of sufficient & appropriate audit evidence, they are unable to verify the existence, accuracy and recoverability of these balances or determine whether any provision for doubtful advances/ recoveries is required. Consequently, the impact, if any, on the Financial Statements cannot be ascertained. m) Advances to vendors to Coal Company in the Rajban unit include advance of Rs 97.33 lacs which is outstanding for more than one year for which no confirmation / reconciliation of balances is provided. In the absence of reconciliation / confirmation of balance outstanding, we are not able to comment on impact of the same, if any, on the Financial Statements.	l) The qualification will be reviewed and addressed at the unit level. The required action will be taken in the subsequent year. m) The position has been adequately explained in the relevant point no. 40 in Note no. 31 which is forming part of the Annual Accounts.
6	**INCOME TAX** a) The Company has recognized MAT Credit Entitlement amounting to Rs. 4,011.74 lakhs as an asset in the financial statements. Management is of the view that the same will be utilized against future normal income tax liabilities. However, in the absence of convincing evidence demonstrating that the Company will generate adequate taxable profits and pay normal income tax within the period prescribed under the Income-tax Act, 1961, we are unable to obtain reasonable assurance regarding the recoverability and consequent appropriateness of recognition of such MAT credit entitlement. Accordingly, we are unable to comment on the impact, if any, that may arise in respect of the carrying value of this asset in the Financial Statements. b) An amount of Rs. 17.88 lakh is shown as recoverable from the Income Tax Department towards income tax refunds which has remained outstanding for a	a) The position has been adequately explained in the relevant point no. 16 in Note no. 31, which is forming part of the Annual Accounts. b) The concerned amounts are withheld by the Income Tax department on account of old Income Tax assessments. Necessary applications have already been filed for refund of the same.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
6	considerable period. In the absence of adequate supporting evidence regarding the recoverability and realization of the said amount, we are unable to comment on its appropriateness of continued recognition in the Financial Statements. Consequently, the impact thereof, if any, on the Financial Statements is presently not ascertainable.	
7	**SHARE CAPITAL** The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of Rs.1,000/- each for a value of Rs. 35543.25 lacs to Government of India on 22nd March, 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March, 2014 and redemption of which is not done in consonance with the terms of the issue. Management has informed that further action for extension of re-issue of preference share has been sought from Ministry and response in this regard is yet to be received. (Refer Note 31.11 to the Financial Statements).	The position has been adequately explained in the relevant point no. 11 in Note no. 31, which is forming part of the Annual Accounts.
8	**CONTINGENT LIABILITIES** a) Contingent liability amount includes certain disputed cases of Rs. 2364.04 lacs which are decided against the company in Arbitration / Lower courts against which the Company has filed appeal with Higher Courts and against these cases, the Company has deposited/ provided Bank Guarantee of Rs. 1583.14 lacs in the higher courts/ with parties. In the opinion of management which is supported by legal view, company is expecting favorable decision in higher forum and accordingly, no provision is made against such disputed cases. Pending final outcome of such cases, impact of the same, if any, on the Financial Statements is presently not ascertainable. b) In the absence of adequate documentation, we are not able to verify the correctness of certain disputed cases amounting to Rs. 5100.35 lacs disclosed as contingent liability in the financial statements related to non-operating units.	a) The position has been adequately explained in the relevant point no. 16 in Significant Accounting Policies at Note no. 01, and Note No. 29 as well which are forming part of the Annual Accounts. b) The position has been adequately explained in the relevant point no. 16 in Significant Accounting Policies at Note no. 01, and Note No. 29 as well which are forming part of the Annual Accounts.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
9	**GOODS AND SERVICE TAX** a) Reconciliation of GST Credit and Cash Balance as appearing in the Financial Statements and the amounts appearing in the GST portal is not provided in respect of Rajban Unit. In the absence of reconciliation, impact, if any, on the Financial Statements is not presently ascertainable. b) Reconciliation of Input Tax Credits as appearing in GST portal with the amounts captured in the books of account of Rajban unit for the year is not provided. In the absence of reconciliation, impact, if any, on the Financial Statements is not presently ascertainable. c) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, during the course of audit it was observed that the Unit has filed GSTR-9 (Annual Return) for FY 2022-23, however, GSTR-9C (Reconciliation Statement) for FY 2022-23 has not been filed. Further, GSTR- 9 and GSTR-9C returns for FY 2023-24 and FY 2024-25 have also not been filed as required under the provisions of the CGST Act 2017. Further, notices have been issued by the GST Department for non-filing of GSTR-9C (Reconciliation statement) for the financial years 2020-21 to 2024-25, proposing levy of penalty under Section 125 of the CGST Act 2017. As per the said notices, a penalty of Rs. 50,000 for each financial year has been proposed for the aforesaid non-compliance. However, no reply/submission against the said notices has been made by the management till the date of audit. In the absence of any response to the notices and considering the proposed penalty under section 125 of the CGST Act 2017, the company may be exposed to an aggregate penalty of Rs.2.50 lakhs, apart from any other consequential liabilities that may arise upon adjudication by the GST authorities.	a) The qualification will be reviewed and addressed at the unit level. The required action will be taken in the subsequent year. b) The qualification will be reviewed and addressed at the unit level. The required action will be taken in the subsequent year. c) The point has been noted and necessary procedure is being followed at unit level to file necessary returns to comply with GST Act, 2017.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
	Further, in the absence of the filling of annual returns and reconciliation statements, reconciliation of turnover, tax liability and input tax credit with the books of account, consequential impact, if any, on the Financial Statements is not presently ascertainable.	
	d) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, during the course of audit it was observed that differences existed between the input Tax Credit (ITC) available as per GSTR-2B and the ITC available in GSTR-3B. In the FY 2023-24, ITC credit as per GSTR-2B is excess by Rs. 85.10 lacs, in the FY 2024-25, ITC credit as per GSTR-3B is excess by Rs. 10.98 lacs and in the FY 2025-26, ITC credit as per GSTR-3B is excess by Rs. 10.00 lacs. Reconciliation explaining the aforesaid differences between ITC available as per GSTR-2B and ITC availed in GSTR-3B has not been provided. In the absence of such reconciliation and supporting records, they could not ascertain the reasons for non-availment of ITC during FY 2023-24 and excess availment of ITC during the FY 2024-25 and 2025-26, consequently the correctness and admissibility of the differential ITC could not be ascertained.	d) The point has been noted and necessary procedure is being followed at unit level to comply with GST Act, 2017.
	e) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, during the course of audit, it was observed that the turnover as per Financial Statements differs from the turnover reported in GSTR-3B returns by Rs. 486.10 lacs (Turnover as per books Rs. 6906.42 lacs & as per GSTR-3B Rs. 7392.52 lacs). In the absence of a reconciliation statement and adequate supporting records, the correctness of revenue recognition and the resultant impact on the Financial Statements could not be ascertained.	e) The point has been noted and necessary procedure is being followed at unit level to comply with GST Act, 2017.

<table>
<tr><th>S.No</th><th>BASIS FOR QUALIFICATIONS</th><th>MANAGEMENT REPLY</th></tr>
<tr><td></td><td>f) It was observed that GSTR- 9 (Annual Return) and GSTR 9C Reconciliation Statement) is not filed for the past years in respect of certain locations as per details provided as under:
<table>
<tr><th>State / Location</th><th>Year for which GSTR-9 return not filed (FY)</th><th>Year for which GSTR-9C return not filed (FY)</th></tr>
<tr><td>Uttarakhand</td><td>NA</td><td>2017-18 to 2024-25 except 2022-23</td></tr>
<tr><td>Delhi</td><td>NA</td><td>2017-18 To 2020-21</td></tr>
<tr><td>Chhattisgarh</td><td>2020-21</td><td>2017-18 To 2021-22</td></tr>
<tr><td>Haryana</td><td>2020-21</td><td>2017-18 To 2022-23</td></tr>
<tr><td>Punjab</td><td>2020-21</td><td>2018-19 To 2021-22</td></tr>
</table>
Further, in the absence of the filing of annual returns and reconciliation statements, reconciliation of turnover, tax liability and input tax credit with the books of account, consequential impact, if any, on Financial Statements is not presently ascertainable.</td><td>f) The point has been noted and necessary procedure is being followed at unit level to comply with GST Act, 2017.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>ROYALTY EXPENSE
Reconciliation of quantity of lime stone extracted from the mines and quantity on which royalty paid during the year is not provided in respect of Rajban unit. In the absence of same, we are not able to comment on impact of the same, if any, on the Financial Statements.</td><td>The royalty is being paid for extracted Limestone only. The same is being recommended by HOD Mines.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>OTHERS
The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntala unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation. Impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable. (Refer Note 31.42 to the Financial Statements).</td><td>The position has been adequately explained in the relevant point no. 42 in Note no. 31, which is forming part of the Annual Accounts.</td></tr>
</table>

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based the guidelines that Government of India issues from time to time should go a long way to enhance the value for all stakeholders i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/Departments and the society at large.

2. Board of Directors:

i. Constitution of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12.

ii. Composition of Board:

As on 31st March 2026, the Board of CCI comprised of five (5) Directors out of which three are Functional Directors and two Part-time Official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Table 1: Categories of Directors and the Directorship and Committee positions held by them

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 09.10.2025)	No. of Directorship held as on 31.03.2026 (Including CCI)	No. of Committee Membership held in other companies as on 31.03.2026
Functional Directors:						
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD*	7	7	Yes	3	NIL
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance)	7	7	Yes	1	NIL
3.	Shri Balasugumar Daniel, Director (Operations)** (w.e.f. 30.12.2025)	1	1	NA	1	NIL

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 09.10.2025)	No. of Directorship held as on 31.03.2026 (Including CCI)	No. of Committee Membership held in other companies as on 31.03.2026
Government Nominee Directors:						
4.	Shri Prem Chandra Maurya*** (w.e.f 17.07.2025)	5	5	NA	7	NIL
5.	Dr. Renuka Mishra (upto 14.07.2025)	2	2	NA	10	NIL
6.	Shri Arun Kumar Sarkar (upto 16.03.2026)	7	7	Yes	2	NIL
7.	Dr. Renuka Mishra**** (w.e.f. 16.03.2026)	0	0	NA	5	NIL

*Pursuant to Order No. 7-19/1/2024-PE-V dated 21st May, 2025 of Ministry of Heavy Industries, Govt. of India, Shri Sanjay Banga, Chairman & Managing Director, Cement Corporation of India Limited was entrusted with the additional charge of the post of Chairman & Managing Director, Hindustan Salts Limited / Sambhar Salts Limited for a period of one year with effect from the date of assumption of charge of the post or till appointment of a regular incumbent to the post or until further orders, whichever is the earliest. Shri Sanjay Banga, C&MD, CCI has assumed the additional charge of the post of C&MD, HSL/SSL with effect from 21.05.2025, AN.

**Ministry of Heavy Industries vide Order No. 1(5)/2019-PE-XII/CPSE-III dated 01.12.2025 had appointed Shri Balasugumar Daniel, Chief General Manager, I/c (Works), Steel Authority of India Limited (SAIL) as Director (Operations), Cement Corporation of India Limited with effect from the date of his assumption of charge of the post till the date of his superannuation i.e. 31.07.2029 or until further orders, whichever is earlier. Shri Balasugumar Daniel has assumed the charge of the post of Director (Operations), CCI with effect from 30th December, 2025 (Forenoon).

***Shri Prem Chandra Maurya, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries was appointed as Part-time Official Director (Government Nominee) on the Board of CCI w.e.f. 17.07.2025 vice Dr. Renuka Mishra, Economic Advisor, Ministry of Heavy Industries.

****Dr. Renuka Mishra, Economic Advisor, Ministry of Heavy Industries was appointed as Government Nominee Director on the Board of CCI w.e.f. 16.03.2026 vice Shri Arun Kumar Sarkar, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industries.

The company held Seven (7) Board Meetings i.e. on 09.04.2025, 23.05.2025, 17.07.2025, 01.08.2025, 09.10.2025, 02.12.2025 and 20.02.2026 during the financial year 2025-26.

iii. **Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:**

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/ Committee. The C&MD/Directors decides the date and place of Board/ Committee meetings. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation in due compliance with applicable provisions whether enunciated in the Act or its Articles.
- Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.
- The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the Functional Director/Chairman & Managing Director.
- Presentations are made in the Board/ Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions, as and when necessary.
- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

iv. **Recording of minutes of the Board/ Committee meetings:**

Minutes of the proceedings of each Board/ Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board Meeting for their confirmation. The minutes of Sub-Committee of the Board are also placed before the Board for its information.

v. **Follow-up mechanism:**

An Action Taken Report on the important decisions of the Board/Committee members is presented as and when the ATR agenda received. This acts as an effective follow-up, review and report process.

vi. **Compliance:**

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-

- Award of large contracts.
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/ firms, etc.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.
- Quarterly Compliance certificate of statutory provisions.
- Other matters desired by the Board from time to time.

vii. **Non-Executive Directors' compensation and disclosures:**

The Company do not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However,

the Independent Directors are being paid sitting fees at the rate of ₹ 15,000/- (₹ Fifteen thousand only) per Board meeting and ₹ 12,000/- (₹ Twelve thousand only) for Committee meetings. Out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof are also re-imbursed to Independent Directors.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held (As on 31.03.2026)

Sl. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies / Disclosures (2025-26)
		Functional Directors:	
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD	Functional Director	1. Hindustan Salts Limited 2. Sambhar Salts Limited
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance)	Functional Director	NIL
3.	Shri Balasugumar Daniel, Director (Operations) (w.e.f. 30.12.2025)	Functional Director	NIL
		Government Nominee Directors	
4.	Shri Prem Chandra Maurya (w.e.f. 17.07.2025)	Govt. Nominee Director	HMT Limited HMT Machine Tools Limited Bridge & Roof Co (India) Ltd Rajasthan Electronics & Instruments Ltd (REIL) HMT Watches Limited HMT (International) Ltd.
4.	Dr. Renuka Mishra (upto 14.07.2025) & w.e.f. 16.03.2026)	Govt. Nominee Director	1. HMT Machine Tools Limited 2. NEPA LTD 3. Engineering Projects (India) Limited 4. Scooters India Limited

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to Directors by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board Members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2025-26.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimization

The risk management system is an integrated part and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

The company does not have Independent Directors on its Board during the financial year 2025-26. Accordingly, in view of the special circumstances, the Board constituted an Audit Committee consisted of the following Directors:-

1) Shri Prem Chandra Maurya, Director (Govt. Nominee) as Chairman

2) **Shri Arun Kumar Sarkar, Director (Govt. Nominee) as Member**

3) **Shri Pradeep Kumar Chand , Director (Finance) as Member**

The Audit Committee ceased to be in effect due to cessation of Shri Arun Kumar Sarkar, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industries and part time official Director (Govt. Nominee) from the Board of CCI w.e.f. 16.03.2026.

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2025-26, two Audit Committee Meetings were held on 01.08.2025 and 09.10.2025 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Shri Prem Chandra Maurya	2	2
2. Shri Arun Kumar Sarkar	2	2
3. Shri Pradeep Kumar Chand	2	2

4. Nomination & Remuneration Committee

Being a Government Company, Remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government and as per the terms and conditions of their appointment / contract. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE shall constitute a Nomination & Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.

For want of Independent Directors the Nomination and Remuneration Committee of the company could not be reconstituted.

Detail of Remuneration paid to Directors/ KMP:

Details of remuneration paid to Directors/KMP of the Company for the year 2025-26 are given below:-

(₹ In lakhs)

S. No	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance Incentive	Value of Perquisite	Medical Reimbursement	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD	36.09	10.26	0	10.48	0.32	4.33	61.48
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance)	31.26	6.22	0	6.02	0.73	3.75	47.99
3.	Shri Balasugumar Daniel, Director (Operations) (w.e.f. 30.12.2025)	14.29	2.40	0	0	0.05	1.44	18.18
4.	Shri Ajay Kumar Sharma, Co. Secretary	22.32	5.92	0	0	0.21	2.45	30.90
	Total	**103.96**	**24.80**	**0**	**16.50**	**1.31**	**11.97**	**158.54**

5. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have a Corporate Social Responsibility Committee. However, the Company is not having any Independent Director on the Board. Accordingly, CSR Committee could not be reconstituted.

6. Stakeholders Relationship Committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

7. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

8. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

AGM	59th AGM	60th AGM	61st AGM
Date & Time	29th September, 2023 at 11:00 AM	25th October, 2024 at 04:00 PM	9th October, 2025 at 04:00 PM
Location	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Special Resolution(s) passed	No	Yes	No

9. Disclosures

I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the Accounting Standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the Financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2026.

IV. Presidential Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2025-26. However, MHI has issued presidential directives on 01.09.2023 to implement pay revision notionally effective from 01.01.2017 and actually with effect from 01.04.2023. The said order (Presidential Directives) has been implemented.

10. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance. CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

11. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website www.cciltd.in. The Company also hosts official news on significant corporate

decisions and activities on the website of CCI from time to time.

12. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the Competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cciltd.in

13. Compliance Certificate:

Certificate from M/s Amit Agrawal & Associates, Practicing Company Secretaries confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises and Management's reply forms part of the Annual Report for the financial year 2025-26 which is **Annexed** herewith.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN: 09353339

Date : 22.09.2026
Place: New Delhi

Amit Agrawal & Associates
Company Secretaries
Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA
Ph. : +91-11-49423788, 43019279, Mob.: +91-9811272307
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members,
Cement Corporation of India Limited
CORE -5, Scope Complex 7
Lodhi Road New Delhi-110003 IN
CIN: U74899DL1965GOI004322

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Cement Corporation Of India Limited, (herewith referred as 'the Company') for the year ended on **31st March, 2026** as stipulated in 'Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010' vide Notification No. 1 No. 18(8)/2005- GM originally issued on 22.06.2007 and revised guidelines vide office memorandum dated 14th May, 2010 by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises Government of India and annexure mentioned there under (herein referred as 'Guidelines').

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we hereby certify that the Company has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in abovementioned DPE guidelines except as given below:

a. The Company has not proper composition of audit and Nomination Remuneration committee.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

Place : Delhi

Date : 27.07.2026

For Amit Agrawal & Associates
(Companies Secretaries)

CS Amit Agrawal
(Partner)
M. No. F5311, C.P. No. : 3647
UDIN: F005311H000949265

Management's Reply to the observation under Corporate Governance Certificate for the financial year 2025-26

The Certificate on Corporate Governance for the financial year 2025-26 has been received from M/s Amit Agrawal & Associates, Practicing Company Secretaries, New Delhi wherein it was pointed out that "The Company has not proper composition of audit and Nomination Remuneration committee". In this regard, the management's reply is as under:

CCI does not have any Independent Directors on its Board during the period under review as the tenure of both previous Independent Directors i.e. Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel ceased w.e.f. 01.11.2024. Accordingly, the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committeecould not be reconstituted for want of Independent Directors.However, time to time request letters have been sent to Administrative Ministry for appointment of Independent Directors.

Amit Agrawal & Associates
Company Secretaries
Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA
Ph. : +91-11-49423788, 43019279, Mob.: +91-9811272307
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2026

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Cement Corporation of India Limited
CORE -5, Scope Complex 7
Lodhi Road New Delhi-110003 IN
CIN: U74899DL1965GOI004322

We report that:

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Cement Corporation of India Limited** (hereinafter referred as 'the Company') having its registered office at Core -5, Scope Complex 7, Lodhi Road, New Delhi-110003. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Company's Responsibilities

The Company's Management and Board of Directors are responsible for the maintenance of secretarial record under the Companies Act, 2013 and compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards. Further the Company's management and the Board of Directors are also responsible for establishing and maintaining adequate systems and process, commensurate with the size and operations of the Company to identify, monitor and ensure compliances with the applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Auditor's Responsibilities Statement

Our responsibility is only to examine and verify those compliances on a test basis and express an opinion on these secretarial records based on our audit.

AMIT AGRAWAL & ASSOCIATES
C.P. : 3647
Company Secretaries

We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Limitations

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the Secretarial Auditing Standards as prescribed by Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

Further, we conducted the secretarial audit by examining the secretarial records including minutes, documents, registers, other records and returns related to the applicable laws on the Company etc. received via electronic means. The management has confirmed that the records submitted to us are the true and correct. We have also relied upon representation given by the management of the Company for certain areas which otherwise requires physical verification.

Basis of Opinion

We have followed the audit practices, secretarial auditing standards and processes as were applicable and appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification in some cases was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion. We also believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Report on Secretarial Records and Compliances thereof

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the



information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms, and returns filed and other records maintained by **M/s. Cement Corporation of India Limited** for the financial year ended on **31st March, 2026** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
(ii) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India
(iii) Other laws applicable specifically to the Company namely:

a) The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952
b) Payment of Gratuity Act, 1972
c) Payment of Minimum Wages Act, 1948
d) The Maternity Benefit Act, 1961
e) The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act), 2013
f) Payment of Bonus Act, 1965
g) Employees' State Insurance Act, 1948;
h) Indian Trust Act, 1882 created for PF purposes for its employees.
i) Environment (Protection) Act, 1986
j) Food Safety and Standard of India Act, 2011
k) The Factory Act, 1948
l) Compulsory Notification of Vacancy Act 1959
m) Payment of Wages Act
n) Workman`s and Compensation Act
o) The Gratuity Act
p) Equal Remuneration Act
q) Industrial Dispute Act
r) Employment of Children Act
s) Indian Stamp Act
t) The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972

However, During the period under review, provisions of the following regulations were not applicable to the Company because of clause (I) no FDI and ECB has been taken by the Company since incorporation and for (II) & (III)



clauses below the Company is unlisted Company. Hence, comments are not required to be made in respect of these clauses:

I. Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulation made there under to the extent Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.

II. The Rules, Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act').

III. The Listing Agreement with any Stock Exchange.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, standards etc. mentioned above except our observation as given below:

a. The Company has not proper composition of various committees as required under section 177 and 178 of the Companies Act, 2013. However, with the approval of the Board, various letters have been sent to MHI for appointment of Independent Directors.

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Director having women director and the composition of board is as per provisions of the Act *except as above*. The Changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act. However, the Composition of the Board of Directors of the company was not having such number of Independent Directors as required under the DPE guidelines for which company has regularly written to its administrative ministry for appointment of same.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Further, the Company has 4 charges which are shown on MCA Portal due to non-filing of form 17 (Form CHG-4 under Companies Act, 2013) with the Registrar of Companies, however the same were satisfied years ago as per One Time Settlement (OTS) with the respective Bank/ Financial Institutions.



Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that the compliance by the Company of applicable financial laws like direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory financial audit by other designated professional.

We further report that during the audit period there were no specific events / corporate actions in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. having a major bearing on the Company`s affairs.

For Amit Agrawal &Associates
(Companies Secretaries)

Place: Delhi
Date : 27.07.2026

CS Amit Agrawal
(Partner)
M. No. F5311, C.P. No. : 3647
UDIN: F005311H000949111

Independent Auditor's Report

To

The Members of Cement Corporation of India Limited,

Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED** ("the Company") which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2026, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Financial Statements"), in which are incorporated the Financial Statements for year ended on that date of four units (Tandur, YRO, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the Branch Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects / possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 as amended and the other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2026, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1) <u>PROPERTY PLANT & EQUIPMENT</u>

a) Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation in respect of lands held at Non- Operating Units.

Further, the DDA had suo moto transferred the lease hold land measuring 14.20 Acres to South Delhi Municipal Corporation (SDMC) on 11.04.2017, the cost of which amounting to ₹321.29 lacs is shown as "Recoverable from outside parties". MCD vide letter dated 22.04.2024 has communicated handing over of 9 Acres of MCD land situated at Firozpur Kalan (Faridabad) to Company in lieu of 14.20 Acres of land, possession of which is still pending.

Moreover, the physical possession of the land measuring 6.74 Acres, given to railways for constructing siding is not yet handed over to the Company. Northern Railways vide letter dated 01.01.2024 directed the Delhi Division and construction organisation and has sought details in order to decide on the matter of CCI claim. (Refer Note 31.04 to the Financial Statements). Pending outcome of aforesaid matters, impact on the Financial Statements is presently not quantifiable.

b) No accounting is made in respect of the amount recoverable on account of acquisition and use of government land outside CCI's Adilabad Township and used as road from pump house to national highway no. 7 measuring 32 Guntas , the alienation order of which is awaited. (Refer Note 31.06 to the Financial Statements). Impact of the same on the Financial Statements is not presently quantifiable.

c) Physical verification of Property, Plant & Equipment items & Capital Work In progress held at Non -Operating Units Mandhar, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon & Nayagaon Expansion, Delhi Grinding unit, Kurkunta, Adilabad, Bhatinda Grinding Unit (Collectively referred to as 'Non- Operating Units') has not been conducted in current year & previous year having written down value of ₹2127.20 lacs for Property , Plant & Equipment (including ₹1441.67 lacs in respect of Freehold & Leasehold Land) &

having net book value of ₹ 285.00 lacs for Capital Work in Progress as of 31st March, 2026 and in the absence of same, we are not able to comment on the physical existence of such items as reflected in the Financial Statements and its impact on the Financial Statements.

d) Amortization expense is not booked in the current year for Leasehold Land held at various Non-Operating Units having written down value of ₹ 324.82 lacs as of 31St March, 2026. In our opinion, same is not in accordance with provisions of Accounting Standard (AS)-10 "Property, Plant & Equipment", considering the fact that such lands are not held for sale/ disposal as of date. Impact of non- charging of amortization for the current year and for the earlier years on the financial statements is not presently ascertainable.

e) In respect of certain Freehold Land of Non-Operating units, company has provided amortization expense of ₹ 146.07 lacs in the earlier years. Basis and justification of booking such amortization expenses on freehold lands in the earlier years is not made available. In the absence of proper details including title deeds of such lands, impact of the same on the financial statements is not presently ascertainable.

e) No accounting for decapitalisation of items of Property, plant & equipment is being done for assets replaced during the year which are being capitalized in the accounts at Rajban unit. Impact of not charging off the written down value of replaced assets on the financial statements is not presently ascertainable.

f) Branch Auditor of Tandur Unit has reported that as per the significant accounting policy of the company, overburden removal costs capitalised as quarry development expenditure are required to be amortised based on the quantity of limestone/shale extracted in relation to the total limestone/ shale reserves exposed through the related quarry development activity. However, during the year, the Unit has amortised the quarry development expenditure by charging 10% and 20% of the capitalised cost towards limestone and shale, respectively, without establishing a linkage between the quantity extracted during the year and the total reserves exposed by the quarry development work. Accordingly, compliance with the accounting policy and the applicable accounting framework could not be established.

2) CAPITAL WORK IN PROGRESS

Capital Work in progress amounting to ₹ 285.00 lacs is outstanding since long for capital scheme in Delhi Grinding Unit which is abandoned. In the absence of availability of information related to latest realisable value of such assets, we are unable to comment on whether any provision for impairment in the value is required in this regard.

3) INVENTORIES

a) No provision is made for stores and spares items which are not moved for more than three years amounting to ₹ 259.32 lacs held at Rajban Unit. In the absence of detailed review & analysis of such items, we are unable to comment whether any provision for diminution in value of such items is required to be made in the Financial Statements.

b) Semi – Finished Inventory of Clinker having value of ₹ 2059.61 lacs and Crushed Lime Stone having value of ₹ 614.75 lacs held at Rajban unit as at 31st March, 2026 is not properly tagged or labelled and major stock is lying scattered in an open ground which leads to damage/deterioration and as result, we are not able to comment on whether there is any decline in the value of said inventory as at 31st March, 2026.

c) As per the significant accounting policy of the Company, Stores and Spares are required to be valued using the weighted-average cost method. However, during our verification of sample transactions across various inventory categories, it was observed that the SAP system was valuing material issues at rates different from the weighted-average rates.

Further, certain stores and spares are being held as stand-by items for use over multiple accounting periods and require evaluation

regarding their appropriate classification as Stores and Spares inventory or Property, Plant and Equipment as per Accounting Standard 10 in accordance with the applicable accounting standards

Auditors of Tandur unit has reported that Stores and Spares pertaining to Tandur YRO unit continued to be recognized under inventory, with no consumption recorded during the year, indicating the need for assessment of their recoverability and continued classification as inventory.

The consequent impact, if any, arising from the above matters on the Financial Statements is not ascertainable.

d) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, during the course of the audit it was observed that certain inventory items have remained non-moving for an extended period. Amount of inventory items individually valued above ₹ 50,000 and aggregating to ₹ 174.49 lakhs were identified as non-moving for more than eight years.The continued retention of such inventory indicates accumulation of materials that have not been utilised over a prolonged period. Consequently, they are unable to quantify the extent of inventory that may require provisioning, write-down, or disposal.

4) INVESTMENTS

Company is having investment of ₹ 227.96 lacs by way of equity shares of Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited. Financial Statements of investee company is not available with the Company for the period beyond 31st March, 2021. In the absence of availability of latest financial information/ financial statements, we are not able to comment on whether there is any impairment in the value of such investment as at 31st March, 2026.

5) TRADE RECEIVABLES, LOANS AND ADVANCES, OTHER RECEIVABLES, TRADE PAYABLES, DEPOSITS AND OTHER PAYABLES

a) The balance of Trade Receivables, Loans and advances, Other receivables, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other payables are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation/ confirmation of balances is not ascertainable. (Refer Note 31.40 to the Financial Statements)

b) There are certain recoverable balances outstanding for ₹ 1072.47 lacs in Non-Operating Units, ₹ 146.36 lacs in Rajban Unit and ₹ 31.66 lacs in Corporate Office which are not recovered/ adjusted since long and there is no confirmation/ reconciliation of such outstanding balances. In the absence of same, we are not able to comment on the recoverability of such amounts.

c) Provisions for interest payable up to 31st March 2026 on outstanding undisputed statutory dues other than Mining dues and Dead Rent is not made as per the provisions of applicable law. Quantum of provisions required in this regard on these undisputed dues is not ascertainable as relevant details are not available with the Company. Management is expecting waiver of interest from respective statutory authorities in this regard. Further property tax provision is not made for F.Y. 2024-25 and F.Y. 2025-26 in respect of Adilabad unit, which in the opinion of management is not payable. In the absence of detailed information, impact of the same on the Financial Statements is presently not quantifiable.

d) Branch Auditor of the Tandur Unit has reported that there are certain amounts payables to Micro, Small and Medium enterprises within the meaning of Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 beyond the due dates as prescribed in the said Act. However, the Unit is not calculating and providing for the interest in the books of account for the year ending 31st March, 2026, except for those parties who are under BIFR. Impact of the same on the Financial Statements is presently not quantifiable.

e) In Tandur Unit, with regard to classification of the long-term trade payables of ₹ 324.08 lacs, Branch Auditor of the Unit has not

been provided with any justification as to why the same is classified as long term in the Financial Statements, along with the due date of payment for each party. In the absence of detailed information, impact of the same on the Financial Statements is not presently quantifiable.

f) Branch Auditor of Tandur Unit has reported that adequate supporting documentation regarding the ageing of trade receivables and external balance confirmations from customers were not made available for verification. Accordingly, they are unable to independently verify the accuracy, classification, and recoverability of the outstanding receivable balances, and the consequential impact, if any, on the Financial Statements could not be determined.

g) During the year, the Company has recognized income of ₹591.00 lacs towards sale of scrap material originally allotted to the bidder of Karkunta Unit which is not lifted by the bidder. As per the terms of the contact, ownership of the material was transferred to the bidder against receipt of consideration. The bidder has invoked arbitration clause & raised various claims against the company & the matter is pending disposal as date. Pending adjudication of case, impact of the same, if any, on the Financial Statements is not presently not ascertainable.

h) Branch Auditor of Tandur Unit has reported that certain trade payable balances have remained outstanding for more than 3 to 5 years. In the absence of a periodic management assessment to evaluate the continued validity of these liabilities, they are unable to comment on appropriateness of their continued recognition in the Financial Statements or determine the potential impact, if any, on the Financial Statements.

i) Branch Auditor of Tandur Unit has reported that, as required under Accounting Standard (AS) 29 – 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets,' provisions should be based on the best estimate of the obligation and be subject to periodic review. However, in the absence of the information and explanation, they are not able to comment whether the provisions made during the year are commendable to be complying with the provisions of AS 29.

j) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, the trade receivables ageing schedule reflects outstanding receivables of ₹17.91 lakh which are more than three years old. Since party-wise details and supporting records substantiating the recoverability of these balances were not made available for audit, they are unable to assess whether any provision for doubtful debts is required. Consequently, the impact if any, on trade receivables and profit for the year cannot be ascertained.

k) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, the trade payables ageing schedule reveals that trade payables aggregating to ₹22.16 lakh under the category, others, have remained outstanding for a period exceeding three years as at 31 March 2026. The prolonged non-settlement of these balances indicates the need for a detailed review and reconciliation of the outstanding liabilities.

In the absence of party-wise details, confirmations and supporting documents relating to such old outstanding balances, they are unable to comment on the completeness, accuracy and continuing validity of these liabilities. Consequently, the impact, if any, on the financial statements cannot be ascertained.

l) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, during the course of audit, it was observed that short term Loans and Advances recoverable aggregating to ₹2265.77 lacs as at 31 March 2026 include ₹919.27 lacs recoverable from contractors & suppliers and ₹1056.59 lacs recoverable from outside parties. Party wise details, confirmations, ageing analysis and supporting records substantiating the nature and recoverability of these balances were not made available for audit and were not disclosed in the Financial Statements.

In the absence of sufficient & appropriate audit evidence, they are unable to verify the existence, accuracy and recoverability of these balances or determine whether any provision for doubtful advances/

recoveries is required. Consequently, the impact, if any, on the Financial Statements cannot be ascertained.

m) Advances to vendors to Coal Company in the Rajban unit include advance of ₹ 97.33 lacs which is outstanding for more than one year for which no confirmation / reconciliation of balances is provided. In the absence of reconciliation / confirmation of balance outstanding, we are not able to comment on impact of the same, if any, on the Financial Statements.

6) INCOME TAX

a) The Company has recognized MAT Credit Entitlement amounting to ₹ 4,011.74 lakhs as an asset in the financial statements. Management is of the view that the same will be utilized against future normal income tax liabilities. However, in the absence of convincing evidence demonstrating that the Company will generate adequate taxable profits and pay normal income tax within the period prescribed under the Income-tax Act, 1961, we are unable to obtain reasonable assurance regarding the recoverability and consequent appropriateness of recognition of such MAT credit entitlement. Accordingly, we are unable to comment on the impact, if any, that may arise in respect of the carrying value of this asset in the Financial Statements.

b) An amount of ₹ 17.88 lakhs is shown as recoverable from the Income Tax Department towards income tax refunds which has remained outstanding for a considerable period. In the absence of adequate supporting evidence regarding the recoverability and realization of the said amount, we are unable to comment on its appropriateness of continued recognition in the Financial Statements. Consequently, the impact thereof, if any, on the Financial Statements is presently not ascertainable.

7) SHARE CAPITAL

The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹ 1,000/- each for a value of ₹ 35543.25 lacs to Government of India on 22nd March, 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March, 2014 and redemption of which is not done in consonance with the terms of the issue. Management has informed that further action for extension of re- issue of preference share has been sought from Ministry and response in this regard is yet to be received. (Refer Note 31.11 to the Financial Statements)

8) CONTINGENT LIABILITIES

a) Contingent liability amount includes certain disputed cases of ₹ 2364.04 lacs which are decided against the company in Arbitration / Lower courts against which the Company has filed appeal with Higher Courts and against these cases, the Company has deposited/ provided Bank Guarantee of ₹ 1583.14 lacs in the higher courts/ with parties. In the opinion of management which is supported by legal view, company is expecting favorable decision in higher forum and accordingly, no provision is made against such disputed cases. Pending final outcome of such cases, impact of the same, if any, on the Financial Statements is presently not ascertainable.

b) In the absence of adequate documentation, we are not able to verify the correctness of certain disputed cases amounting to ₹ 5100.35 lacs disclosed as contingent liability in the financial statements related to non-operating units.

9) GOODS AND SERVICE TAX

a) Reconciliation of GST Credit and Cash Balance as appearing in the Financial Statements and the amounts appearing in the GST portal is not provided in respect of Rajban Unit. In the absence of reconciliation, impact, if any, on the Financial Statements is not presently ascertainable.

b) Reconciliation of Input Tax Credits as appearing in GST portal with the amounts captured in the books of account of Rajban unit for the year is not provided. In the absence of reconciliation, impact , if any, on the Financial Statements is not presently ascertainable.

c) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, during the course of audit it was observed that the Unit has filed GSTR-9 (Annual Return) for FY 2022-23, however, GSTR-9C (Reconciliation Statement) for FY 2022-23 has not been filed. Further, GSTR-9 and GSTR-9C returns for FY 2023-24 and FY 2024-25 have also not been filed as required under the provisions of the CGST Act 2017. Further, notices have been issued by the GST Department for non-filing of GSTR-9C (Reconciliation statement) for the financial years 2020-21 to 2024-25, proposing levy of penalty under Section 125 of the CGST Act 2017. As per the said notices, a penalty of ₹ 50,000 for each financial year has been proposed for the aforesaid non-compliance. However, no reply/submission against the said notices has been made by the management till the date of audit. In the absence of any response to the notices and considering the proposed penalty under section 125 of the CGST Act 2017, the company may be exposed to an aggregate penalty of ₹ 2.50 lakhs, apart from any other consequential liabilities that may arise upon adjudication by the GST authorities.

Further, in the absence of the filling of annual returns and reconciliation statements, reconciliation of turnover, tax liability and input tax credit with the books of account, consequential impact, if any, on the Financial Statements is not presently ascertainable.

d) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, during the course of audit it was observed that differences existed between the input Tax Credit (ITC) available as per GSTR-2B and the ITC available in GSTR-3B. In the FY 2023-24, ITC credit as per GSTR-2B is excess by ₹ 85.10 lacs, in the FY 2024-25, ITC credit as per GSTR-3B is excess by ₹ 10.98 lacs and in the FY 2025-26, ITC credit as per GSTR-3B is excess by ₹ 10,00 lacs.

Reconciliation explaining the aforesaid differences between ITC available as per GSTR-2B and ITC availed in GSTR-3B has not been provided. In the absence of such reconciliation and supporting records, they could not ascertain the reasons for non-availment of ITC during FY 2023-24 and excess availment of ITC during the FY 2024-25 and 2025-26, Consequently the correctness and admissibility of the differential ITC could not be ascertained.

e) Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that, during the course of audit, it was observed that the turnover as per Financial Statements differs from the turnover reported in GSTR-3B returns by ₹ 486.10 lacs (Turnover as per books ₹ 6906.42 lacs & as per GSTR-3B ₹ 7392.52 lacs). In the absence of a reconciliation statement and adequate supporting records, the correctness of revenue recognition and the resultant impact on the Financial Statements could not be ascertained.

f) It was observed that GSTR- 9 (Annual Return) and GSTR 9C Reconciliation Statement) is not filed for the past years in respect of certain locations as per details provided as under

State / Location	Year for Which GSTR-9 return not filed	Year for Which GSTR-9C return not filed
Uttarakhand	NA	2017-18 to 2024-25 except 2022-23
Delhi	NA	2017-18 To 2020-21
Chhattisgarh	2020-21	2017-18 To 2021-22
Haryana	2020-21	2017-18 To 2022-23
Punjab	2020-21	2018-19 To 2021-22

Further, in the absence of the filing of annual returns and reconciliation statements, reconciliation of turnover, tax liability and input tax credit with the books of account, consequential impact, if any, on the Financial Statements is not presently ascertainable.

10) ROYALTY EXPENSE

Reconciliation of quantity of lime stone extracted from the mines and quantity on which royalty paid during the year is not provided in respect of Rajban unit. In the absence of same, we are not able to comment on impact of the same, if any, on the Financial Statements.

11) OTHERS

The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntala (Tandur YRO) unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation. Impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable. (Refer Note 31.42 to the Financial Statements)

In respect of points mentioned in the basis for qualified opinion, impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to following notes in the Financial Statements:

a) The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dated 08.08.1996. Hon'ble BIFR, in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological up-gradation of 3 operating plants and closure/sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at 7 units. MHI vide letter dated 09.02.2022 directed to sale plant and machinery, stores etc. of these non-operating units. Accordingly, Plant and machinery along with other assets of Akaltara, Chakri Dadri, Kurkunta, Mandhar , Nayagoan and Nayagaon Extension units was sold through M/s MSTC. (Refer Note – 31.08(i) to the Financial Statements)

b) In the case of the Nayagaon Unit, a tender for the sale of assets was floated through M/s MSTC, a Government of India enterprise, for the sale of Plant & Machinery along with dismantling, Stores & Spares on an "as is where is" and "clean sweep" basis. The Company realized a sale consideration of ₹ 10,030.00 lakhs. After adjusting the Net Block of Fixed Assets of ₹ 655.52 lakhs, Stores & Spares of ₹ 1,365.42 lakhs, Capital Work-in-Progress (CWIP) of ₹ 15.33 lakhs, Semi - finished Goods ₹ 206.20 lakhs, Raw Materials of ₹ 22.08 lakhs, Scrap Stock of ₹ 14.66 lakhs and commission on sale amounting to ₹ 100.30 lakhs, the resultant net gain on sale of assets amounting to ₹ 7650.49 lakhs have been disclosed as an Exceptional Item in the Statement of Profit and Loss. (Refer Note – 31.08 (ii) to the Financial Statements)

c) In case of Kurkunta Unit, scrap sale of leftover material has been e-auctioned through MSTC for an amount ₹ 591.00 Lacs on "as is where is and clean sweep basis" and after adjusting commission on sales amounting to ₹ 5.91 lacs, resultant gain on sales amounting to ₹ 585.09 lacs has been disclosed as an exceptional item in the Statement of Profit and Loss account. (Refer Note – 31.08(iii) to the Financial Statements)

d) In case of Bokajan Expansion project, pursuant to the arbitral award dated 22.04.2026 in favour of the Company and based on the technical evaluation carried out by an independent consultant and

internal assessment, the management has decided to discontinue and abandon the proposed 1200 TPD Kiln Expansion Project. Accordingly, the related Capital Work in Progress of ₹2997.77 lacs has been reviewed for its recoverability. Assets identified as usable in existing operations amounting to ₹472.53 lacs and scrapable items with an estimated realizable value of ₹111.23 lacs have been retained for reclassification/disposal, as appropriate. The balance CWIP of ₹ 2414 .01 lacs relating to non-usable equipment and incomplete civil structures has been charged off. The resultant net loss of ₹ 1090.85 lacs on derecognition of CWIP after adjusting the recovery from contractor as per arbitration order of ₹1323.16 Lakh is disclosed separately as Exceptional item in the Statement of Profit & Loss. (Refer Note – 31.03 to the Financial Statements)

e) The company has seven production units, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which was not commissioned. As per view of the Management, no provision for impairment of assets, under Accounting Standard -28 notified under the Act is required as recoverable value expected is more than the book value of the Assets. (Refer Note – 31.10 to the Financial Statements).

Our opinion is not modified in respect of the matters mentioned above.

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report but does not include the Financial Statements and our auditor's report thereon, which are expected to be made available to us after the date of our auditor's report.

Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate action thereon.

Responsibility of Management and those charged with governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 as amended. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, the Board of Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board

of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate Internal Financial Controls with reference to Financial Statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate

with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matter

1. We did not audit the Financial Statements of 4 (four) units included in the Financial Statements of the company whose Financial Statements/ Financial Information include total assets of ₹ 32860.35 lacs as at 31st March, 2026 and total income of ₹ 28782.34 lacs for the year ended on that date. These financial statements have been audited by the Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these units is based solely on the report of such Branch Auditors.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, we give in the **"Annexure A"**, a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order to the extent applicable.
2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the **"Annexure B"** on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report to the extent applicable that:

   a) We have sought and, except for the effects/possible effects of the matters described in Basis for Qualified Opinion paragraph above, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   b) In our opinion, except for the effects/ possible effects of the matters described in Basis for Qualified Opinion paragraph above and for the matters stated in paragraph 3k (vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and reports of Branch Auditors.

   c) The matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion may have an adverse effect on the functioning of the Company.

   d) The reports on the accounts of units of the Company audited under Section 143(8) of the Act by the Branch Auditors have been furnished to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

   e) Except for the effects/possible effects of the matters described in Basis for Qualified Opinion paragraph above, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts.

   f) Except for the effects/possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act.

   g) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Act are not applicable to the Company.

h) The qualification relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above and as stated in paragraph (b) above on reporting under 143(3) of the Act & paragraph 3k(vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.

i) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in **"Annexure C".** Our report expresses a modified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to Financial Statements.

j) Pursuant to Gazette Notification no. 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of section 197 of the Act, are not applicable to the Company, being a Government Company and accordingly, reporting in accordance with requirements of provisions of Section 197(16) of the Act is not applicable to the Company.

k) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. Except for effects/possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion under the paragraph related to contingent liabilities, the Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Financial Statements–Refer Note No. 29 to the Financial Statements.

   ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

   iii. There is no amount which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company in accordance with the relevant provisions of the Act and Rules made thereunder.

   iv. a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

b) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

c) Based on such audit procedures which we considered reasonable and

appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (iv) (a) and (iv)(b) above contain any material mis-statement.

v. The company has not paid or declared any dividend during the year.

vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2026 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software except that the feature of recording audit trail (edit log) facility was not enabled at the database level to log any direct data changes for the accounting software used for maintaining the books of account of the company.

During the course of our audit, we did not come across any instances of the audit trail feature being tampered with. Additionally, the audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

For S.K. Mehta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000478N
Sd/-
Jayant Kumar
Partner
M. No. 518718
UDIN: 26518718DPDJTL7943
Place of Signature: New Delhi
Dated: 24th June, 2026

Annexure 'A'

Annexure to the Independent Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the Members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the Financial Statements for the year ended 31st March, 2026]

i) a) In respect of its Property, Plant, Equipment and Intangible Assets:

A. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the property, plant & equipment other than for Tandur unit and Non-Operating Units (Adilabad, Akaltara, Charkhi Dadri, Kurkunta, Mandhar, Nayagaon & Bhatinda Grinding Unit).

B. According to the information and explanation given to us the Company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets.

b) As explained to us, Property, Plant & Equipment have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased manner program of verification adopted by the management which provides for physical verification of all the property, plant & equipment at reasonable intervals for units located in Bokajan, Silchar, Rajban and Tandur which in our opinion is reasonable considering the size of units and nature of its assets. No physical verification of property, plant & equipment has been conducted in respect of Non- Operating Units (Adilabad, Akaltara, Charkhi Dadri, Kurkunta, Mandhar, Nayagaon, and Bhatinda Grinding unit).

In our opinion and as per the information given by the Management, the discrepancies observed during physical verification were not material and have been appropriately accounted for in the books.

c) Title deeds of immovable properties (other than immoveable properties where the company is lessee and lease agreements are executed in the favour of lessee) as disclosed in the financial statements are held in name of the Company except for Non- Operating Units where proper details relating to immovable properties held is not made available and in the absence of same, we are not unable to comment on whether these units are having proper title deeds in its name in case of freehold land and having valid lease deeds in respect of leasehold lands. Details of other cases where Title Deeds of land and other properties of the Company are yet to be executed is given as under (Refer note 31.26 to the Financial Statements) -

Sr. No.	Description of Property	Gross Carrying Value (₹ in Lacs)	Held in thename of	Whether Promoter, Director or their relative or employee	Period held – indicate Range where appropriate	Reason fornot being held in thename of company
1.	Land at Bhatinda	5.57	PSEB (Gurunanak dev Thermal Power Station Bhatinda)	No	Since 1995	Deemed Ownership with CCI
2.	Head Office Building	266.58	Standing Conferenceof Public Enterprise	No	Since 1988	Deemed ownershipwith CCI

Further in respect of Tandur Unit, Branch Auditor of unit has reported that title deeds of Land and Building is not available in respect of 628 Acres and 31 Gunta.

d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the Company has not revalued its property, plant & equipment or intangible assets or both during the year. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(i)(d) of the Order is not applicable.

e) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, there are no proceedings initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.

ii) In respect of inventory:

(a) As explained to us, the inventories were physically verified at the end of the year by the management for units located in Bokajan, Rajban and Tandur except that physical verification records of inventory of stores and spares held at Tandur unit is not made available till the conclusion of audit. Further, no physical verification of Inventories lying in Non–Operating Units (Adilabad, Akaltara, Kurkunta, Mandhar & Nayagaon) is conducted during the year.

In our opinion, the frequency of such physical verification of inventories is reasonable having regard to the size of the units and the nature of its business and the coverage and procedures of such verification by the management is appropriate except where inventories are not physically verified and also where physical verification records are not available. As per information and explanation given to us, no discrepancies were noticed on verification between the physical stocks and the book records that were more than 10% in the aggregate of each class of inventory.

(b) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company doesn't have sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3 (ii)(b) of the Order is not applicable.

iii) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, during the year, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(iii)(a) to (f) of the Order is not applicable.

iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of Section 185 and 186 of the Act as applicable, in respect of investments made. Company has not granted any loans, or provided any guarantee and security to the parties covered under section 185 and 186 of the Act.

v) The Company has not accepted deposits or amounts which are deemed to be deposits. As such, directives issued by Reserve Bank of India and provisions of Section 73 to 76 of the Act or any other relevant provisions of the Act and rules framed thereunder are not applicable to the company.

vi) We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013, wherever applicable and we are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained where applicable. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.

vii) In respect of statutory dues:

(a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees state insurance (ESI), income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues as applicable, to the appropriate authorities except for cases stated below.

In our opinion and according to the information and explanations given to us, no undisputed statutory dues is outstanding as at 31st March 2026 for a period of more than six months from the date they became payable except as given herein below:

Name of the Statute*	Nature of dues	Amount (₹ in Lacs)	Period to which the amount relates*	Due Date*	Date of payment*	Remarks if Any*
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act)	Dead Rent	37.10				
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act)	Royalty	774.33				
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act)	Surcharge and Additional Tax	4.18				
	Road Tax	4.92				
	Professional Tax	3.08				
Chhattisgarh Entry Tax, 1976	Entry Tax	12.08				
	Entry Tax	1.69				
Chhattisgarh Value Added Sales Tax Act,	Sales Tax	1,279.45				
Haryana General Sales Tax Act,	Sales Tax	240.39				
Himachal Pradesh General Sales Tax Act	Sales Tax	0.66				
Madhya Pradesh General Sales Tax Act,	Sales Tax	2.04				
	Cess	16.79				
Income Tax Act, 1961	Income Tax	0.59				
The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (EPF & MP Act, 1952)	PF & PENSION	28.84				
Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017	GST	6.32				
Total		**2412.46**				

*In the absence of required information/proper records available with the Company, details required as per requirements of Guidance Note on Companies Auditors Report Order (CARO) 2020 issued by the ICAI is not provided under this clause.

(b) According to the information and explanations given to us, there are disputed statutory dues which have not been deposited till 31st March 2026 as given herein below:

Name of the Statute#	Nature of dues	Gross Disputed Amount (₹ in lacs)	Amount deposited under protest/ Appeal (₹ in lacs)	Period to which amount relates (Year) #	Forum where dispute is pending #	Remarks If any #
Central Excise & Customs Act	Excise Duty	184.24		2009	Court of Respective States	
Central Excise & Customs Act	Excise Duty	107.29	-			
Central Excise & Customs Act	Service Tax	33.75		2016	Appellate Tribunal	
Commercial Tax Dept. Telangana	Sales Tax	8.98	-		High Court, Telangana	
Chhattisgarh Value Added Sales Tax Act,	Sales Tax	184.72	-			
Commercial Tax Department – Telangana	Sales Tax	120.33		1985-86	High Court, Telangana	
Himachal Pradesh General Sales Tax Act	Sales Tax	13.21	2.59	2007-08 & 2008-09		
The Karnataka Sales Tax Act	Sales Tax	1.77				
Assam Sales Tax (Amendments) Act, 1961	Sales Tax	174.24				
Income Tax Act, 1961	Income Tax	84.56	84.56	AY-2006-07	Assessing Officer	
Income Tax Act, 1961	Income Tax	73.36	73.36	AY-2018-19	CIT (A)	
Income Tax Act, 1961	Income Tax	16.80			Assessing Officer	TDS Demand of various years
Income Tax Act, 1961	Income Tax	0.76			Commissioner of Income Tax	
Finance Act, 1994	Service Tax	2.29	-			

Name of the Statute#	Nature of dues	Gross Disputed Amount (₹ in lacs)	Amount deposited under protest/ Appeal (₹ in lacs)	Period to which amount relates (Year) #	Forum where dispute is pending #	Remarks If any #
GST Act, 2017	GST	58.08		2024	Office of Assistant Commissioner	In absence of information we are unable to comment on the correctness of demand
GST Act, 2017	GST	6.36	-	2017-18 & 2019-20		
GST Act, 2017	GST	408.52		2019-20		Matter stated to be under dispute, subject to legal recourse by the company
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act)	Royalty	56.87	-			
	NALA Tax	51.13	-			
	Panchayat Tax	6.02	-			
	Property Tax	290.04	-			
Employee State Insurance Act	ESI	36.92	-			
Municipal Authority	Municipal Tax	111.16				
Municipal Authority	Municipal Tax	187.84				
Grand Total		**2219.24**	**160.51**			

In the absence of required information/ proper records maintained by the Company, details as required as per Guidance Note on Companies Auditors Report Order (CARO) 2020 issued by the ICAI is provided to the extent made available.

Further, in respect of Silchar Grinding unit, Branch Auditor has reported that they are not able to ascertain the exact amount of disputed liability due to non-availability of various assessment orders from different departments.

viii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(viii) of the Order is not applicable.

ix) (a) According to the information and explanation given to us the company has defaulted in the repayment of principle amount of loans and interest thereon in respect of dues as per details given below-

Nature of Borrowing, including Debt Securities	Name of Lender	Amount not paid on due date (₹ in Lacs)	Whether Principal or Interest	No. of Days Delay or Unpaid	Remarks
Interest Free Loan	Govt. of India	15,090.07	Principal	From the year 2011 i.e. 5478 Days	Not paid
Non Plan Loan	Govt. of India	12,385 .27	Interest	From the year 2011 i.e. 5478 Days	Not paid
Total		**27,475.34**			

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender.

(c) The company has not taken any term loan during the year and accordingly, reporting requirements under the provisions of clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable.

(d) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the records of the Company, no short-term funds were raised during the year. Accordingly, reporting requirements under the provisions of clause 3(ix) (d) of the Order is not applicable.

(e) The company is not having any subsidiary or associate or joint venture. Accordingly, reporting requirements under the provisions of clause 3(ix) (e) of the Order is not applicable.

(f) The company is not having any subsidiary or associate or joint venture. Accordingly, reporting requirements under the provisions of clause 3(ix) (f) of the Order is not applicable.

x) (a) The Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

(b) During the year, the company has not made any preferential allotment or private placement of the shares or convertible debentures (fully, partially or optionally). Accordingly, reporting under clause 3(x) (b) of the order is not applicable.

xi) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on our examination of books and records of the Company, no case of fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the year.

(b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to date of audit report.

(c) As represented to us by the management, there were no whistle blower complaints received by the company during the year. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xi)(c) of the Order is not applicable.

xii) In our opinion and according to the information and explanations are given to us, the company is not a Nidhi company. Accordingly, reporting under the provisions of clause (xii) of the Order is not applicable.

xiii) According to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, wherever applicable and their details have been disclosed in Financial Statement as required under Accounting Standards (AS).

xiv) (a) Based on information and explanations provided to us and our audit procedures performed, in our opinion, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the internal audit reports of the Company issued till date for the year under audit in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

xv) The Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xv) of the Order is not applicable.

xvi) (a) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xvi) (a) of the order is not applicable.

(b) The Company has not conducted any Non- Banking Financial or Housing Finance Activities without a valid certificate of Registration from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xvi) (b) of the Order is not applicable.

(c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xvi)(c) of the Order is not applicable.

(d) In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016). Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.

xvii) Based on our examination of the books and records of the Company, the Company has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xvii) of the Order is not applicable.

xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xviii) of the Order is not applicable.

xix) On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the Financial Statements and our knowledge of the board of directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that the company is not capable of meeting its

liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

We however state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

xx) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has incurred expenditure under Corporate Social Responsibility as required by the provisions of Section 135 of the Act and there are no unspent amounts which are to be transferred pursuant to section 135(5) and 135(6) of the Act.

For S.K. Mehta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000478N

Sd/-
Jayant Kumar
Partner
M. No. 518718
UDIN: 26518718DPDJTL7943

Place of Signature: New Delhi
Dated: 24th June, 2026

Annexure - B to the Independent Auditor's Report

Referred to in paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our Report of even date to the Members of Cement Corporation of India Limited on the Financial Statements for the year ended 31st March, 2026.

S. No.	Directions U/s 143(5) of the Companies Act, 2013	Auditor's reply on action taken on the directions
1	Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	Based on the information and explanations provided to us and on our examination of the records of the Company, we observed that the Company has not made any direct investments for post-retirement employee benefits. The Company has made investments in quoted and unquoted securities through the Provident Fund (PF) Trust for funding post-retirement provident fund obligations of employees. We have reviewed the valuation methodology adopted by the PF Trust and the supporting documents relating to such investments. As explained by the management, PF trust investments have been valued at cost in accordance with the accounting policies followed by the Trust and fair value of investments is more than of amount of PF obligations as at the end of the year as per actuary valuation report obtained in this regard. In our opinion, the valuation methodology adopted is reasonable and is consistent with Accounting Standards (AS). Further, based on our examination, the valuation approach of investments is reasonable and the same is in compliance with the applicable regulations. Further, the Company has not created any other trust for the administration or investment of other post-retirement employee benefit obligations.
2	Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, whether review of this system and controls that are significant to the Companies financial reporting process as well as cyber security has been done by Information Security Auditing Organizations empanelled by Cert-In at minimum frequency of once in a year and material discrepancies found, if any, have been suitably reported? The implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications may also be reported.	As per the information and explanations given to us, the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system i.e. SAP system. However, the following transactions are processed outside the integrated SAP system: Inventory valuation and cost allocation. Calculation of depreciation on Property, Plant and Equipment. These processes are carried out outside the SAP system using excel spreadsheets, and the summarized results are entered into the SAP system through manual journal entries. It is informed to us that during the year, review of IT system and controls that are significant to the Companies financial reporting process as well as cyber security has not been done by an Information Security Auditing Organizations empanelled by CERT IN at minimum frequency of once in a year.

S. No.	Directions U/s 143(5) of the Companies Act, 2013	Auditor's reply on action taken on the directions
		Based on the audit procedures carried out, in our opinion, there are no implications on the integrity of the accounts with respect of the transactions processed outside the integrated SAP ERP system and the same is also not having financial implication on the accounts.
3	Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilized as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.	Based on procedures carried out and as per information and explanations given to us, the Company has not received any funds (grants/ subsidy etc.) for specific schemes from Central/State Government or its agencies during financial year 2025-26, further there are no funds (grants/ subsidy etc.) which are receivable as at reporting date for specific schemes from Central/State Government or its agencies. No interest is earned on any funds (grants/ subsidy etc.), by the Company during the year.
4	Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	Based on the audit procedures performed and as per the information and explanation given to us, the company has identified the key risk areas and has formulated risk management policy considering global best practices to mitigate any risks. However, no meeting of Risk management committee held during the financial year 2025-26. Accordingly, in our opinion, key risks areas are not systematically reviewed, assessed and monitored during the year. Based on the audit procedures performed and as per the information and explanation given to us, the company has not identified any data assets and consequently these have not been subject to valuation.
5	Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs. Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.	Based on the information and explanations given to us, and audit procedures carried out by us, the company has generally complied with provisions of the rules and regulations of Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Department of Public Enterprises (DPE), Reserve Bank of India, Ministry of Electronics and Information Technology and CERT-IN, wherever applicable except that A) During the year, the Company was not in full compliance with certain provisions of the Companies Act, 2013 which are as under 1) Company was not having Independent Directors as required under in terms of provisions of Section 149(4) of the Companies Act, 2013 and as a result constitution of Audit Committee is not in accordance with provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013.

S. No.	Directions U/s 143(5) of the Companies Act, 2013	Auditor's reply on action taken on the directions
		2) Company was not having minimum one woman director on the Board for the period from 15th July 2025 to 15th March 2026 as per requirements of Section 149 of the Companies Act, 2013. 3) Company was not having Nomination & Remuneration Committee and CSR Committee as required under the Section 178 and Section 135 of the Companies Act, 2013. 4) Non- compliance is observed related to Section 128 of the Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 regarding audit trail feature is not enabled for changes made at data base level in the accounting software, as reported in the paragraph 3(k)(vi) under the heading 'Other Legal and Regulatory Requirements' in this report. B) Company has not complied with the corporate governance guidelines of Department of Public Enterprises relating to appointment of independent directors, constitution of Audit Committee and not having Remuneration Committee. As per information and explanation given to us provisions of Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Telecom Regulatory Authority of India, and National Payments Corporation of India are not applicable to the Company.

For S.K. Mehta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000478N

Sd/-
Jayant Kumar
Partner
M. No. 518718
UDIN: 26518718DPDJTL7943

Place of Signature: New Delhi
Dated: 24th June, 2026

Annexure - C to the Independent Auditor's Report

Referred to in paragraph 3(i)) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our Report of even date to the Members of Cement Corporation of India Limited on the Financial Statements for the year ended 31st March 2026

Report on the Internal Financial Controls with reference to Financial Statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to Financial Statements of **Cement Corporation of India Limited** ("the Company") as of 31st March 2026 in conjunction with our audit of the Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to Financial Statements based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing, as specified under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to Financial Statements and, both issued by ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Financial Statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the Company's internal financial controls with reference to Financial Statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

A Company's internal financial control with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the

transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Basis for Qualified Opinion

According to information and explanations given to us and based on our audit, the following material weakness has been identified as of 31st March, 2026:

PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT

1. Physical verification of Property, Plant & Equipment items held at Non -Operating Units has not been conducted by the management in the current year & previous year.

2. Proper records related to title deed / Lease deeds in respect of immovable properties held at Non – operating Units are not properly maintained.

3. Proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the property, plant & equipment is not maintained in respect of Tandur Unit and Non-Operating units.

INVENTORIES

1. No physical verification of Inventories lying in non-operating units which has been carried forward in the books from several past years and also, physical verification records of the Stores and spares held at Tandur Unit are not made available. Further, proper records of inventories held is not maintained in non-operating units.

2. Semi – Finished Inventory of Clinker and Crushed Lime Stone held at Rajban unit is not properly labelled or tagged and major stocks are lying scattered in an open ground which leads to damage / deterioration.

3. The Company did not maintain a continuous, system-driven process for inventory quantities and valuations, resulting in system inconsistencies with weighted average costs and a reliance on manual year-end journal vouchers to reconcile differences between SAP generated and management valuations.

STATUTORY DUES

1. Proper records for undisputed statutory dues such as due date of payment, reasons for not making payment and interest / penalty amount payable, as applicable, are not available.

2. Proper records for disputed statutory dues such as year of dispute, forum where disputes are pending, gross disputed amount and amount paid under dispute etc. are not maintained in Non – Operating Units.

3. Branch Auditor of Silchar unit has reported that they are not able to ascertain the exact amount of disputed liability due to non-availability of various assessment orders from different department.

4. Reconciliation of GST Credit and Cash Balance as appearing in the Financial Statements and the amounts appearing in the GST portal is not provided in respect of Rajban Unit.

5. Reconciliation of Input Tax Credit as appearing in GST portal with the amounts captured in the books of account for the year of Rajban and Bokajan units is not provided.

6. GSTR-9C return (Reconciliation Statement) for the FY 2022-23 and GSTR 9 and GSTR 9C returns for FY 2023-24 and 2024-25 is not filed by the Bokajan Unit as required under the law.

7. GSTR 9 Returns (Annual Return) and GSTR 9C Returns (Reconciliation Statement) are not filed for earlier years for certain locations as required under the law.

OTHERS

1. System of obtaining confirmation and reconciliation of balances with respect to balance of Trade Receivables, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities need significant improvement.

2. Proper records for Contingent Liabilities are not maintained in Non-Operating Units.

3. Branch Auditor of the Bokajan Unit has reported that party wise details, confirmations, ageing analysis and supporting records substantiating the nature and recoverability of balances recoverable in the unit are not available.

4. Branch Auditor of Tandur Unit has reported that unit did not maintain adequate ageing and recoverability information for receivables.

5. Branch Auditor of Tandur unit has reported that unit did not maintain documents evidencing FDR terms, Excise /Sales tax claim support also shale mine active lease agreement are not made available.

Qualified Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to explanations given to us , except for the possible effects of material weakness described in the Basis of Qualified Opinion Paragraph on the achievement of the objectives of the control criteria , the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls with reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as of March 31, 2026, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note issued by the ICAI.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the Financial Statements of the Company as at and for the year ended 31st March, 2026 and these material weaknesses have affected our opinion on the Financial Statements of the Company and we have issued qualified opinion on the Financial Statements.

Other Matter

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to Financial Statements in so far as it relates to Units / Branches audited by the Branch Auditors, is based on the corresponding report of the Branch Auditors.

For S.K. Mehta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000478N

Sd/-
Jayant Kumar
Partner
M. No. 518718
UDIN: 26518718DPDJTL7943

Place of Signature: New Delhi
Dated: 24th June, 2026

Cement Corporation of India Limited
Balance Sheet as at March 31, 2026

(₹ In Lakh)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	02	81,140.74	81,140.74
(b) Reserves and Surplus	03	(48,407.36)	(55,874.55)
		32,733.38	**25,266.19**
Non-current Liabilities			
(a) Long-Term Borrowings	04	15,090.07	15,090.07
(b) Other Long-Term Liabilities	05	16,335.83	15,822.09
(c) Long-Term Provisions	06	3,154.30	3,400.92
		34,580.20	**34,313.08**
Current Liabilities			
(a) Trade Payables			
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	07	417.76	627.94
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterpises	07	2,960.30	3,525.52
(b) Other Current Liabilities	08	11,220.09	10,609.93
(c) Short-Term Provisions	09	3,250.35	2,279.57
		17,848.50	**17,042.96**
Total		**85,162.08**	**76,622.23**
ASSETS			
Non-Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment and Intangible Assets			
(i) Property, Plant and Equipment	10A	16,827.23	17,043.10
(ii) Intangible Assets	10B	38.78	39.92
(iii) Capital Work-In-Progress	11	1,432.53	4,985.12
(b) Non-Current Investments	12	227.98	227.98
(c) Long-Term Loans and Advances	13	1,321.02	1,281.00
(d) Other Non-Current Assets	14	8,937.65	4,833.00
(e) Unamortised Expenses	15	1,897.25	1,896.13
		30,682.44	**30,306.25**
Current Assets			
(a) Inventories	16	13,738.58	16,205.45
(b) Trade Receivables	17	821.61	452.45
(c) Cash and Bank Balances	18	31,037.46	22,972.41
(d) Short-Term Loans and Advances	19	6,056.84	4,149.38
(e) Other Current Assets	20	2,825.15	2,536.29
		54,479.64	**46,315.98**
Total		**85,162.08**	**76,622.23**

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements **1 to 31**

The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For S K MEHTA & CO.
Chartered Accountants
FRN 000478N

Sd/-
(CA Jayant Kumar)
Partner
Membership No.518718

Date: 24.06.2026
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary)

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

Cement Corporation of India Limited
Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2026

(₹ In Lakh)

Particulars	Note No.	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
Income			
I Revenue from Operations			
(a) Sale of Products		32,563.37	32,521.78
(b) Other Operating Revenues		132.83	159.55
Total Revenue from Operations		**32,696.20**	**32,681.33**
II Other Income	**21**	5,879.52	11,460.72
Total Income		**38,575.72**	**44,142.05**
Expenses			
(a) Cost of Materials Consumed	**22**	5,065.15	4,706.54
(b) Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	**23**	(18.23)	1,202.89
(c) Employee Benefits Expense	**24**	5,267.20	5,507.77
(d) Finance Costs	**25**	143.13	93.61
(e) Depreciation and Amortisation Expense	**26**	1,406.53	1,363.16
(f) Other Expenses	**27**	26,389.48	28,163.26
Total Expenses		**38,253.26**	**41,037.23**
Profit before Exceptional and Extraordinary Items and Tax		**322.46**	**3,104.82**
Exceptional Items Income / (Expense)	**28AA**	7,144.73	-
Profit before Extraordinary Items and Tax		**7,467.19**	**3,104.82**
Extraordinary Items Income / (Expense)	**28 AB**	-	-
Profit before Tax		**7,467.19**	**3,104.82**
Tax Expense			
Current Tax		1,359.20	259.62
Tax Expense for Earlier Years		362.99	-
Less: MAT Credit Entitlement		(1,359.20)	(259.62)
Less: MAT Credit Entitlement for Earlier Years		(362.99)	-
Profit from Continuing operations		198.22	1,527.61
Profit from Discontinuing operations	**28C**	7,268.97	1,577.21
Tax expense of Discontinuing operations		-	-
Profit from Discontinuing operations (After Tax)		7,268.97	1,577.21
Profit for the year		**7,467.19**	**3,104.82**
Earnings per Equity Share (in ₹)	**31.45**		
(Face Value of ₹ 1000/- per Equity Share)			
Basic		**163.69**	**68.01**
Diluted		**163.69**	**68.01**

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements **1 to 31**

The Notes referred to above form an integral part of the Statement of Profit & Loss

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For S K MEHTA & CO.
Chartered Accountants
FRN 000478N

Sd/-
(CA Jayant Kumar)
Partner
Membership No.518718

Date: 24.06.2026
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary)

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

Cement Corporation of India Limited
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2026

(₹ In Lakh)

Particulars		Continuing Operations		Discontinuing Operations		Total	
		Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
A.	**Cash flow from Operating Activities:**						
	Net profit/(loss) before Tax	198.22	1,527.60	7,268.97	1,577.22	7,467.19	3,104.82
	Adjusted for:						
	Depreciation and amortisation expenses	1,406.53	1,349.41	-	13.89	1,406.53	1,363.30
	Finance Cost	114.83	65.34	28.30	28.27	143.13	93.61
	Depreciation Written Back	-	(131.33)	-	(137.76)	-	(269.09)
	Interest and Other Income	(5,171.67)	(4,526.39)	(296.22)	(691.74)	(5,467.89)	(5,218.13)
	Profit on disposal of Property, Plant and Equipment	(1.41)	-	-	-	(1.41)	-
	Provision for diminution in value of limestone inventories		-	197.26	-	197.26	-
	Provisions no longer required written back	(311.12)	(5,481.77)	(75.29)	(38.44)	(386.41)	(5,520.21)
	Provision for doubtful receivables & advances	-	458.66	-	-	-	458.66
	Unamortised Expenses written off	218.81	268.82	-	-	218.81	268.82
	Exceptional (Income)/Expense	-	-	(7,144.73)	-	(7,144.73)	-
	Operating profit before working capital changes	**(3,545.81)**	**(6,469.66)**	**(21.71)**	**751.44**	**(3,567.52)**	**(5,718.22)**
	Changes in Working Capital:						
	Increase / (Decrease) in Trade Payables	(299.34)	(446.15)	(476.06)	476.04	(775.40)	29.89
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities	409.80	2,389.17	1,100.51	(1,907.79)	1,510.31	481.38
	Increase / (Decrease) in Provisions	(304.01)	(2,558.84)	(50.76)	(825.23)	(354.77)	(3,384.07)
	Decrease / (Increase) in Trade Receivables	(369.16)	(403.08)	-	-	(369.16)	(403.08)
	Decrease / (Increase) in Inventories	772.48	1,978.88	1,608.36	4.78	2,380.84	1,983.66
	Decrease / (Increase) in Loans and Advances	(1,793.50)	32.95	(153.98)	(194.49)	(1,947.48)	(161.54)
	Decrease / (Increase) in Other Assets	(2,416.83)	1,536.49	(8.92)	(84.77)	(2,425.75)	1,451.72
	Unamortised Expenses incurred	(219.93)	(187.49)	-	-	(219.93)	(187.49)
	Cash generated from Operations	**(7,766.30)**	**(4,127.73)**	**1,997.44**	**(1,780.02)**	**(5,768.86)**	**(5,907.75)**
	Payment of Taxes (Net)	(565.36)	(438.92)	-	-	(565.36)	(438.92)
	Net cash from / (used in) Operating Activities	**(8,331.66)**	**(4,566.65)**	**1,997.44**	**(1,780.02)**	**(6,334.22)**	**(6,346.67)**
B.	**Cash flow from Investing Activities:**						
	Purchase of Property, Plant and Equipment	(638.66)	(2,109.24)	(5.34)	-	(644.00)	(2,109.24)
	Interest and Other Income	4,848.21	4,580.05	296.22	829.49	5,144.43	5,409.54
	Capital work-in-progress	(188.90)	(577.77)	(0.00)	183.19	(188.90)	(394.58)
	Receipts on sale of Property, Plant and Equipment & CWIP	2.09	-	10,228.78	(137.75)	10,230.87	(137.75)
	Net cash from Investing Activities	**4,022.74**	**1,893.04**	**10,519.66**	**874.93**	**14,542.40**	**2,767.97**
C.	**Cash flow from Financing Activities:**						
	Interest and Other Borrowing Cost paid	(114.83)	(65.34)	(28.30)	(28.27)	(143.13)	(93.61)
	Fund transferred between units	12,492.25	(933.66)	(12,492.25)	933.66	-	-
	Net cash from financing activities	**12,377.42**	**(999.00)**	**(12,520.55)**	**905.39**	**(143.13)**	**(93.61)**
	Net Increase / (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	**8,068.50**	**(3,672.61)**	**(3.45)**	**0.30**	**8,065.05**	**(3,672.31)**
	Opening Cash and Cash Equivalents	22,947.84	26,620.45	24.57	24.27	22,972.41	26,644.72
	Closing Cash and Cash Equivalents	**31,016.34**	**22,947.84**	**21.12**	**24.57**	**31,037.46**	**22,972.41**

Notes :

1 Closing Cash and Cash Equivalents comprises:

(₹ In Lakh)

Particulars	Continuing Operations		Discontinuing Operations		Total	
	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
Cash (Refer Note No. 18)	0.62	0.87	0.03	0.03	0.65	0.90
Balance with Banks:						
- In Current Accounts (Refer Note No. 18)	541.98	536.94	21.09	24.54	563.07	561.48
- In Deposit Accounts (Refer Note No. 18)	30,473.74	22,410.03	-	-	30,473.74	22,410.03
Total	**31,016.34**	**22,947.84**	**21.12**	**24.57**	**31,037.46**	**22,972.41**

2 The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method as set out in Accounting Standard 3 'Cash Flow Statements' notified by the Central Government under Companies (Accounting Standards) Rules, 2021.

3 Fixed Deposits include deposits of ₹ 637.03 (Previous Year: ₹ 1701.52) held as Margin Money against Bank Guarantee/Letter of credit with Client/Others on acount of Earnest Money Deposit/Security Deposit/Departments/Regulator etc.

4 Additional working capital, as and when required, is proposed to be met out of own cash resources.

5 Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to confirm to the current year's classification.

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For S K MEHTA & CO.
Chartered Accountants
FRN 000478N

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(CA Jayant Kumar)
Partner
Membership No.518718

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary)

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

Date: 24.06.2026
Place: New Delhi

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

Cement Corporation of India Limited

Notes to Financial Statements

01 Significant Accounting Policies

01.01 Basis of Preparation

The financial statements have been prepared under historical cost convention, on accrual basis, in compliance with applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act., 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 as amended and the relevant provision of the Companies Act., 2013 except for the following items which are accounted for on cash basis.

(a) Liquidated damages/penalties/claims, other than Railway & Insurance claims, made are accounted for on realization and included in Miscellaneous Income.

(b) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

01.02 Use of Estimates

The preparation of financial statements, in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles, requires Management to make estimates and assumptions wherever necessary that affect the reported amount of assets, liabilities and contingent liabilities as on the date of the financial statements and the reported amount of revenue and expenses during the period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results materialize.

01.03 Operating Cycle

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's operating cycle and other criteria set out in Schedule III of the Companies Act, 2013. Based on the nature of operations, the Company has ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of current/non-current classification of assets and liabilities.

01.04 Revenue Recognition

Revenue is recognised to the extent that it can be reliably measured and is probable that the economic benefits will flow to the company.

(a) Sale of Goods

Sales are recognised when all significant risks and rewards of ownership are transferred to the buyer and the Company retains no effective control of the goods transferred to a degree usually associated with the ownership. Revenue is recognized net of returns, discounts and rebates etc., and also excluding Goods and Services tax.

(b) Sales of Services

Revenue from services rendered is recognised as and when the service is performed based on agreements/ arrangements with the concerned parties.

(c) Other Income

Interest income is accrued on a time basis, with reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable.

01.05 Land & Amortisation

(a) Land given free by the State Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.

(b) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

01.06 Investments

(a) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.

(b) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

01.07 Borrowing Costs

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are recognised as an expense in the period, in which they are incurred.

01.08 Property, Plant and Equipment and Intangible Assets

(a) Property, plant & equipment are stated at acquisition cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises of the purchase price and any other attributable cost to bring the asset to its working condition for its intended use.

(b) Intangible assets are stated at acquisition cost, net of accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises of the purchase price and any other attributable expenditure on making the asset ready for its intended use.

01.09 Depreciation / Amortisation

(a) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use. Depreciation on Property, Plant and Equipment is calculated on straight line basis based on the useful life of assets in accordance with the Schedule II of the Companies Act, 2013 and 95% of the cost is written off during the expected useful life of the assets.

(b) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded /sold / demolished/ destroyed.

(c) Any individual asset whose written down value is ₹ 5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.

(d) Any individual asset costing upto ₹ 5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.

(e) Leasehold Land is amortised over the period of lease.

(f) Intangible assets are amortised on a straight line basis over their expected useful life as follows:

Computer software is amortised over a period of five years.

01.10 Inventories

(a) Stores, spare parts and raw materials, except as indicated in (b) below, are stated at weighted average cost. The obsolete/unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.

(b) Clinker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation it is stated at zero value.

(c) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.

(d) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

(e) Loose Tools and tackles are written off over a period of three years

01.11 Unamortised Expenditure

(a) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Unamortised Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.

(b) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over-burden etc. is treated initially as 'Unamortised Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation. The

limestone ratio in proportion to the overburden in units are different for respective units and depends upon the geological environment and terrain of the region/state in which respective unit is operating.

(c) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupee one lakh, the same is treated as Unamortised Expenditure and is charged off in three to five years.

(d) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of hi-chrome grinding media is treated as Unamortised Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.

(e) In case there is no unutilized grant/subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service or wages for the balance period of service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after 01/04/2003 is recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

01.12 Prior Period Items

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cutoff date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year. In case the amount is more than ₹ 10,000/- , same are disclosed as prior period items in the financial statements.

01.13 Taxes on Income

Tax expense for the period, comprising Current Tax and Deferred Tax is included in determining the Net Profit / (Loss) for the year.

(a) Provision for Current Income Tax is made in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961.

(b) Deferred Tax resulting from "timing differences" between taxable income and accounting income is determined by using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date. Deferred Tax assets are carried forward to the extent it is reasonably/ virtually certain that future taxable profit will be available, against which such Deferred Tax assets can be realised.

(c) MAT credit entitlement is recognized and are carried forward to the extent it is reasonably/ virtually certain that future taxable profit will be available against which MAT credit can be realized.

01.14 Foreign Exchange Transactions

(a) Foreign Currency transactions are initially recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction. On settlement of transactions, the realised gains and losses on foreign exchange transactions are recognised in the Statement of Profit and Loss.

(b) Foreign currency monetary items remaining unsettled at the end of the year are translated at year-end exchange rate. The exchange rate differences arising thereon are recognised in the Statement of Profit and Loss. Non-monetary items, which are carried at historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

01.15 Government Grants/ Subsidies

(a) Government Grants/ Subsidies related to specific Property, Plant and Equipment are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific Property, Plant and Equipment equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition/ installation.

(b) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.

(c) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.

(d) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 notified under Companies Act, 2013.

01.16 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(a) Provisions are recognised for liabilities that can be measured by using a substantial degree of estimation, if:

  (i) the Company has a present obligation as a result of a past event;

  (ii) a probable outflow of resources embodying economic benefits is expected to settle the obligation; and

  (iii) the amount of the obligation can be reliably estimated.

(b) Contingent liability is disclosed in case of:

  (i) a present obligation arising from a past event when it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.

  (ii) a possible obligation, unless the probability of outflow in settlement is remote.

(c) Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

01.17 Impairment of Assets

At each Balance Sheet date an assessment is made whether any indication exists that an Asset/ Cash Generating Unit has been impaired. If any such indication exists, an impairment loss i.e. the amount, by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, is provided in the books of account. Recoverable amount is higher of the net selling price of assets and value in use.

01.18 Claims of the Company

(a) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.

(b) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

01.19 Deposit Works

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital Work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

01.20 Employee Benefits

(a) Provision for gratuity under the Code on Social Security, 2020 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service at the end of each financial year in accordance with the acturial valuation.

(b) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service at the end of each financial year in accordance with the acturial valuation.

(c) Provision for expenses on Travel to Hometown on Superannuation is recognised on the basis of an actuarial valuation carried out at the year end.

(d) The contribution to Provident Fund and Family Pension Scheme is recognised as expense and is charged to the Statement of Profit and Loss.

(e) Liability for bonus is provided as per the provisions of Code on Wages, 2019 on Unit wise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

(f) Gains and losses arising out of actuarial valuation are recognised in the Statement of Profit and Loss.

01.21 Premium on Redemption of Debentures

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss / IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

01.22 Prepaid Expenses

Expenditure of ₹ 10,000/- or less, in each case, incurred in advance of the subsequent year(s) are charged off as expenses of the current year.

01.23 Accounting for Bad & Doubtful Recievables/ Loans / Advances etc

(a) Provision is made for doubtful Recievables/ Loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.

(b) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

01.24 Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers

(a) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.

(b) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Property, Plant and Equipment etc. are accounted for at book value.

(c) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.

(d) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

01.25 Classification of Expenditure

(a) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of Property, Plant and Equipment, including cost of stores & spares, except as shown as in (b) below, are charged to Statement of Profit & Loss.

(b) Expenditure incurred on repairs and maintenance of Property, Plant and Equipment including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance (e.g. an increase in capacity) is capitalized.

(c) Salaries and Wages:

Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.

(d) Other Sundry Expenses:

Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

01.26 Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

01.27 Allocation of Corporate Office Expenditure

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
02	**Share Capital**		
	Authorised		
	50,00,000 (31 March 2025: 50,00,000) Equity Shares, ₹ 1000/- par value per share	50,000.00	50,000.00
	40,00,000 (31 March 2025: 40,00,000) Preference Shares, ₹ 1000/- par value per share	40,000.00	40,000.00
	Total	**90,000.00**	**90,000.00**
	Issued, Subscribed and Paid-Up		
	45,59,749 (31 March 2025: 45,59,749) Equity Shares, ₹ 1000/- par value per share fully paid	45,597.49	45,597.49
	35,54,325 (31 March 2025: 35,54,325) Preference Shares, ₹ 1000/- par value per share fully paid	35,543.25	35,543.25
	Total	**81,140.74**	**81,140.74**

02.1 Aggregate number of Shares allotted as fully paid up by way of bonus shares or allotted as fully paid pursuant to contracts without payment being received in cash or bought back for the period of five year immediately preceding current financial year is nil

02.2 Rights, preferences and restrictions in respect of each class of shares

The Company has two classes of shares referred to as Equity Shares and 0.01% Non-Cumulative Redeemable Preference Shares having par value of ₹ 1000/- per share. Each holder of Equity Share is entitled to one vote per share. Preference Shareholder is eligible to vote only on the resolutions directly affecting the rights attached to his Preference shares.

02.3 Reconciliation of the Number of Shares outstanding

	March 31, 2026		March 31, 2025	
Equity Shares	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**
Balance as at the beginning of the year	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49

0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**
Balance as at the beginning of the year	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

02.4 Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the Corporation:

	March 31, 2026		March 31, 2025	
Name of the Shareholder	**Number of Shares**	**% of Shareholding**	**Number of Shares**	**% of Shareholding**
Equity Shares:				
Government of India	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:				
Government of India	3,554,325	100%	3,554,325	100%

02.5 Details of shareholding of promoters in the Corporation:

Shares held by promoters at the end of the year	**March 31, 2026**			**March 31, 2025**		
Promoter Name	**Number of Shares**	**% of Shares**	**% Change during the year**	**Number of Shares**	**% of Shares**	**% Change during the year**
Equity Shares:						
Government of India	4,559,749	100%	0%	4,559,749	100%	0%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:						
Government of India	3,554,325	100%	0%	3,554,325	100%	0%

Notes :

There is no change in %age shareholding of promoters in the Corporation during financial year 2025-26 and 2024-25.

Refer Note No. 31.11 related to 0.01% Non-Cummulative Redemeeable Perference Shares

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
03	**Reserves & Surplus**		
	Surplus / (Deficit) in the Statement of Profit and Loss		
	Balance as at the beginning of the year	(55,874.55)	(58,979.37)
	Add: Net Profit / (Loss) for the year	7,467.19	3,104.82
	Balance as at the end of the year	**(48,407.36)**	**(55,874.55)**
04	**Long Term Borrowings**		
	Unsecured:		
	Interest Free -Plan loan from Government of India	15,090.07	15,090.07
	Total	**15,090.07**	**15,090.07**
	Note: Refer Note No. 31.09 (ii)		
05	**Other Long Term Liabilities**		
	Trade Payables 1 & 2		
	- Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	2.77	17.46
	- Outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterpises	872.98	627.22
	Security & Earnest Money Received	2,515.48	2,322.43
	Advances from Customers	32.94	30.61
	GST/Sales Tax payable	0.20	0.20
	Interest accrued and due on borrowings- Govt Loan3	12,385.27	12,385.27
	Other Payables	526.19	438.90
	Total	**16,335.83**	**15,822.09**

Note:

1. Refer Note No. 31.23 relating to aging of trade payables
2. Refer Note No 31.21 relating to Disclosure in respect of Micro and Small Enterprises as required under Schedule-III of the Companies Act, 2013 and MSMED Act, 2006
3. Refer Note No. 31.09 (ii)

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
06	**Long Term Provisions**		
	Provision for Employee benefits:		
	- Gratuity	1,549.80	1,700.32
	- Earned Leave	1,123.19	1,254.45
	Provision for Capital Expenditure	10.57	10.57
	Other Provisions	470.74	435.58
	Total	**3,154.30**	**3,400.92**
07	**Trade Payables1&2**		
	Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	417.76	627.94
	Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterpises	2,960.30	3,525.52
	Total	**3,378.06**	**4,153.46**

Note:

1. Refer Note No. 31.23 relating to aging of trade payables
2. Refer Note No 31.21 relating to Disclosure in respect of Micro and Small Enterprises as required under Schedule-III of the Companies Act, 2013 and MSMED Act, 2006

08	**Other Current Liabilities**		
	Advances from customers	1,278.50	1,207.09
	Security & Earnest Money Received	1,923.33	1,186.71
	GST/Sales Tax Payable	813.57	861.68
	Power Dues Payable	852.00	799.69
	Dues to Employees	642.30	495.57
	Royalty payable	84.71	82.90
	Other Payables	5,625.68	5,976.29
	Total	**11,220.09**	**10,609.93**
09	**Short Term Provisions**		
	Provision for Employee benefits:		
	- Gratuity	474.44	478.32
	- Earned Leave	263.90	305.24
	Other Provisions	1,330.63	1,393.56
	Bonus	7.96	7.96
	Provision for Income Tax (net of taxes paid)	1,173.42	94.49
	Total	**3,250.35**	**2,279.57**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

10 A: Property, Plant and Equipment

(₹ In Lakh)

	Particulars	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
		As at April 01, 2025	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2026	As at April 01, 2025	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2026	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
A)	**Works**										
1	Land Freehold	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85
2	Land Leasehold	2,003.78	-	-	2,003.78	1,440.06	14.26	-	1,454.32	549.46	563.72
3	Roads & Culverts	903.79	-	296.09	607.70	820.15	12.31	281.72	550.74	56.96	83.64
4	Plant Buildings	6,800.84	-	3,810.18	2,990.66	6,455.10	4.19	3,634.16	2,825.13	165.53	345.74
5	Non-Plant Buildings	711.14	-	220.46	490.68	537.19	4.80	172.63	369.36	121.32	173.95
6	Water Supply, Drainage & Sewerage	994.33	-	631.27	363.06	870.08	1.76	605.90	265.94	97.12	124.25
7	Railway Siding	4,999.41	2.99	682.98	4,319.42	2,314.02	222.10	653.00	1,883.12	2,436.30	2,685.39
8	Electrical Installation	2,781.98	10.82	733.70	2,059.10	1,816.15	126.92	710.22	1,232.85	826.25	965.83
9	Plant & Machinery	49,090.50	1,767.57	18,235.61	32,622.46	39,114.49	941.09	17,503.96	22,551.62	10,070.84	9,976.01
10	Aerial Ropeway	730.62	-	-	730.62	673.56	2.34	-	675.90	54.72	57.06
11	Railway Rolling Stock	348.41	-	101.95	246.46	333.99	-	99.85	234.14	12.32	14.42
12	Quarry Equipment	1,399.34	-	751.91	647.43	1,334.27	3.41	720.26	617.42	30.01	65.07
13	Vehicles	268.96	20.33	57.94	231.35	230.09	5.43	55.63	179.89	51.46	38.87
14	Office Equipments	405.74	2.90	38.22	370.42	370.43	12.62	37.72	345.33	25.09	35.31
15	Furniture & Fixture	207.94	12.10	43.48	176.56	191.92	3.85	43.38	152.39	24.17	16.02
16	Miscellaneous Equipments	849.48	20.39	221.14	648.73	688.94	31.95	210.36	510.53	138.20	160.54
17	Plant & Mach. costing upto ₹ 5000	61.55	0.63	3.50	58.68	61.55	0.63	3.50	58.68	-	-
	Total Works	**73,894.73**	**1,837.73**	**25,828.43**	**49,904.03**	**57,398.06**	**1,387.66**	**24,732.29**	**34,053.43**	**15,850.60**	**16,496.67**
B)	**Township**										
1	Land Freehold	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72
2	Land Leasehold	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33

(₹ In Lakh)

	Particulars	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
		As at April 01, 2025	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2026	As at April 01, 2025	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2026	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+ (b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+ (f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
3	Roads & Culverts	39.01	-	27.32	11.69	37.07	0.15	25.97	11.25	0.44	1.94
4	Residential & welfare buildings	1,743.45	-	995.98	747.47	1,290.97	7.12	759.32	538.77	208.70	452.48
5	Water Supply, Drainage & Sewerage	185.35	-	138.38	46.97	157.21	0.87	133.18	24.90	22.07	28.14
6	Electrical Installation	39.96	-	33.38	6.58	38.96	-	32.64	6.32	0.26	1.00
7	Vehicles	98.62	-	37.46	61.16	86.32	1.53	35.80	52.05	9.11	12.30
8	Office Equipments	3.83	-	3.55	0.28	3.75	0.01	3.56	0.20	0.08	0.08
9	Furniture & Fixture	16.48	-	9.78	6.70	15.20	-	9.78	5.42	1.28	1.28
10	Miscellaneous Equipments	16.15	-	3.89	12.26	14.99	0.05	3.89	11.15	1.11	1.16
	Total Township	**2,191.22**	**-**	**1,249.74**	**941.48**	**1,644.79**	**9.73**	**1,004.14**	**650.38**	**291.10**	**546.43**
1	Assets retired from active use and held for disposal (Refer Note No. 31.15)	-	685.53	-	685.53	-	-	-	-	685.53	-
	Total works & Township	**76,085.95**	**2,523.26**	**27,078.17**	**51,531.04**	**59,042.85**	**1,397.39**	**25,736.43**	**34,703.81**	**16,827.23**	**17,043.10**
	Previous year	**74,374.46**	**1,934.27**	**222.78**	**76,085.95**	**58,176.25**	**1,355.21**	**488.60**	**59,042.85**	**17,043.10**	

10 B: Intangible Assets

	Particulars	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
		As at April 01, 2025	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2026	As at April 01, 2025	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2026	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+ (b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+ (f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
1	Computer Software	48.80	8.00	-	56.80	8.88	9.14	-	18.02	38.78	39.92
	Total	**48.80**	**8.00**	**-**	**56.80**	**8.88**	**9.14**	**-**	**18.02**	**38.78**	**39.92**
	Previous year	**1.90**	**46.90**	**-**	**48.80**	**0.79**	**8.09**	**-**	**8.88**	**39.92**	

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	As at April 01, 2025	Additions during the year	Capitalised/ Adjusted during the year	As at 31 March 2026
11	**Capital Work-in-Progress**				
	Mechanical consultancy	249.10	-	124.12	124.98
	Civil Engineering Works	2,038.27	-	1,217.56	820.71
	Plant & Machinery including awaiting erection	2,834.83	188.90	2,399.81	623.92
	Erection Expenses of Plant & Machinery	0.54	-	-	0.54
	Incidental Expenditure Pending Allocation	138.19	-	-	138.19
	Others	160.16	-	-	160.16
	Sub Total	**5,421.09**	**188.90**	**3,741.49**	**1,868.50**
	Provisions for unserviceable CWIP	435.97	-	-	435.97
	Total	**4,985.12**	**188.90**	**3,741.49**	**1,432.53**

Note - Refer Note No 31.27 related to aging of CWIP

Particulars		Market Value as on 31-03-2026	Book Value as on 31-03-2026	Book Value as on 31-03-2026	Market Value as on 31-03-2025	Book Value as on 31-03-2025	Book Value as on 31-03-2025
12	**Non Current Investments (Non Trade)**						
A	**Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Quoted**						
i)	31 Equity Shares of ₹ 10/- each of Andhra Cements Ltd, (formerly Andhra Cement Company Limited) Market Value ₹ 40.79 per share on NSE (Previous Year: ₹ 48.88 per Share)	0.01		*	0.02		*
ii)	280 Equity Shares (Including 180 Bonus Shares) of ₹ 10/- each of ACC Ltd. (Note1 below) Market Value @ ₹ 1254.60 per share on NSE (Previous Year: ₹1942.65 per Share)	3.51		0.01	5.44		0.01
	Sub Total			**0.01**			**0.01**
B	**Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Unquoted**						
i)	1 Equity Share of ₹ 10/- each of Assam Bengal Cement Co. Ltd. (Note 2 below)			*			*
ii)	79 Equity Share of ₹ 10/- each of Jaipur Udyog Ltd.			0.01			0.01
iii)	40 Equity Share of ₹ 5/- each of Sone Valley Cement Co. Ltd.			*			*
iv)	55,31,250 Equity Share of ₹ 10/- each of A P Gas Power Corporation Ltd. including 23,15,520 Bonus Shares		322.00			322.00	
	Less: 16,10,680 Shares sold including 1,34,000 Bonus Shares		94.04			94.04	
	Balance held 39,20,570 Shares including 21,81,520 Bonus Shares			227.96			227.96
	Sub Total			**227.97**			**227.97**
	Total (A + B)			**227.98**			**227.98**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		Market Value as on	Book Value as on	Book Value as on	Market Value as on	Book Value as on	Book Value as on
		31-03-2026	31-03-2026	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2025	31-03-2025
(i)	**Aggregate of Quoted Investments**						
	Cost			0.02			0.02
	Market Value	3.52			5.45		
(ii)	**Aggregate of Un-quoted Investments**						
	Cost			227.96			227.96
(iii)	**Aggregate provision for diminution in the value of investments**			Nil			Nil

Note:

1) Converted from 28 Shares of ₹ 100 each. New Share Certificates awaited.
2) Shares are yet to be transferred to the name of the Corporation.
* Amount is less than ₹ 0.01 lakh

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
13	**Long-term Loans and Advances**		
a)	**Capital Advances**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	207.20	207.20
	Doubtful	18.59	18.59
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	18.59	18.59
	Sub Total	**207.20**	**207.20**
b)	**Contractors & Suppliers**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	365.31	326.62
	Doubtful	496.74	496.74
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	496.74	496.74
	Sub Total	**365.31**	**326.62**
c)	**Balance with Govt. Department**		
	Secured, Considered Good	0.38	0.38
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	151.20	151.20
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	151.20	151.20
	Sub Total	**0.38**	**0.38**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
d)	**Insurance and Other claims**		
	Secured, Considered Good	8.76	7.52
	Unsecured, Considered Good	7.78	11.41
	Doubtful	134.01	134.01
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	134.01	134.01
	Sub Total	**16.54**	**18.93**
e)	**Loans & Advances to Employees**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	3.53	3.53
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	3.53	3.53
	Sub Total	**-**	**-**
f)	**Claims Recoverable- Railways**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	13.44	13.44
	Doubtful	406.06	406.06
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	406.06	406.06
	Sub Total	**13.44**	**13.44**
g)	**Excise Duty Relief Recoverable**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	132.38	132.38
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	132.38	132.38
	Sub Total	**-**	**-**
h)	**Recoverable from Employees**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	0.97	0.05
	Doubtful	7.94	7.94
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	7.94	7.94
	Sub Total	**0.97**	**0.05**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
i)	**Recoverable from Outside Parties**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	717.18	714.38
	Doubtful	949.52	949.52
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	949.52	949.52
	Sub Total	**717.18**	**714.38**
j)	**Shortage, Losses Pending Investigation**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	589.52	589.52
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	589.52	589.52
	Sub Total	**-**	**-**
	Total	**1,321.02**	**1,281.00**
14	**Other Non-Current Assets**		
	Long- Term Trade Receivables[1]		
	Secured- Considered Good	-	-
	Unsecured- Considered Good	-	-
	Doubtful	1,514.52	1,514.52
	Less: Allowances for doubtful receivables	1,514.52	1,514.52
	Sub Total	**-**	**-**
	Deposits: Central Excise	-	-
	Secured, Considered Good	23.47	23.47
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	0.02	0.02
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	0.02	0.02
	Sub Total	**23.47**	**23.47**
	Deposits: Others	-	-
	Secured, Considered Good	0.03	0.03
	Unsecured, Considered Good	1,190.40	1,053.45
	Doubtful	54.78	54.78
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	54.78	54.78
	Sub Total	**1,190.43**	**1,053.48**
	Interest accrued & due on Loans & Advances		
	Secured- Considered Good	-	-
	Unsecured- Considered Good	2.09	2.09
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for doubtful receivables	-	-
	Sub Total	**2.09**	**2.09**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
	Fixed deposits having maturity period of more than 12 months from the reporting date [2]	3,534.13	1,210.72
	Advance Tax/TDS (Net of Provision)	175.79	253.69
	MAT Credit Entitlement	4,011.74	2,289.55
	Total	**8,937.65**	**4,833.00**

Note:

1 Refer Note No. 31.24 relating to ageing of trade receivables.

2 Fixed Deposits include deposits of ₹ 1,660.57 Lakh (Previous Year: ₹ 973.72 Lakh) held as Margin Money against Bank Guarantee/Letter of credit with Client/Others on acount of Earnest Money Deposit/ Security Deposit/Departments/Regulators etc.

15	**Unamortised Expenses**				
	Quarry Development Expenditure				
	Opening for the year	1,896.13		1,977.46	
	Additions	219.93		187.49	
			2,116.06		2,164.95
	Less: Capitalised/Adjusted		218.81		268.82
	Total		**1,897.25**		**1,896.13**
16	**Inventories (As verified, valued and certified by the Management)**				
a)	Stores and Spares:				
	In stock	4,970.76		6,843.30	
	In transit	12.25	4,983.01	14.39	6,857.69
b)	Semi Finished Goods:				
	In stock	6,121.74		6,351.38	
	In transit	-	6,121.74	-	6,351.38
c)	Finished Goods:				
	In stock	1,093.09		1,015.92	
	In transit	5.69	1,098.78	7.75	1,023.67
d)	Raw Materials:				
	In stock	1,011.62		1,140.47	
	In transit	-	1,011.62	-	1,140.47
e)	Loose Tools:				
	In stock	0.40		0.60	
	In transit	-	0.40	-	0.60
f)	Packing Materials:				
	In stock	97.46		88.78	
	In transit	-	97.46	-	88.78

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
g)	Coal:				
	In stock	930.01		842.56	
	In transit	-	930.01	277.14	1,119.70
h)	Scrap:				
	In stock	276.27		213.15	
	In transit	-	276.27	-	213.15
	Sub total		**14,519.29**		**16,795.44**
	Less: Provision for diminution in the value of inventories		780.71		589.99
	Total		**13,738.58**		**16,205.45**

Note: * Includes realisable value of scrap ₹ 111.23 lacs for the capital project discarded during the year credited to CWIP. (Refer Note: 31.03)
Note-Refer Significant Accounting Policy No. 1.10 related to Valuation of Inventory.

17	**Trade Receivables** [1]				
a)	Outstanding for a period exceeding six months				
	Secured, Considered Good	-		-	
	Unsecured, Considered Good	120.95		120.30	
	Doubtful	-		-	
	Less: Allowances for bad and doubtful receivables	-	120.95	-	120.30
b)	Others				
	Secured, Considered Good	259.27		69.97	
	Unsecured, Considered Good	441.39		262.18	
	Doubtful	-		-	
	Less: Allowances for bad and doubtful receivables	-	700.66	-	332.15
	Total		**821.61**		**452.45**

Note: 1. Refer Note No. 31.25 relating to ageing of trade receivables.

18	**Cash and Bank Blances**				
a)	Cash and Cash Equivalents				
	Cash in hand		0.65		0.90
	Balance with Banks:				
	- In Current Account		563.07		561.48
	- In Fixed Deposits (having original maturity up to 3 months)		1,381.16		79.01
	Sub Total		**1,944.88**		**641.39**
b)	Other bank Balances				
	In Fixed Deposits* (with original maturity period more than three months but less than twelve months from reporting date)		29,092.58		22,331.02
	Sub Total		**29,092.58**		**22,331.02**
	Total		**31,037.46**		**22,972.41**

Note:

*Fixed Deposits include deposits of ₹ 637.03 Lakh (Previous Year: ₹ 1701.52 Lakh) held as Margin Money against Bank Guarantee/ Letter of credit with Client/Others on acount of Earnest Money Deposit/Security Deposit/Departments/Regulator etc.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
19	**Short-term Loans and Advances**		
a)	**Deposits: Central Excise**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	0.44	0.44
	Doubtful	17.53	17.53
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	17.53	17.53
	Sub Total	**0.44**	**0.44**
b)	**Deposits: Others**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	1,680.38	1,696.08
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**1,680.38**	**1,696.08**
c)	**Contractors & Suppliers**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	1,399.23	859.29
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**1,399.23**	**859.29**
d)	**Balance with Govt. Department**		
	Secured, Considered Good	924.92	533.91
	Unsecured, Considered Good	344.17	214.18
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**1,269.09**	**748.09**
e)	**Insurance and Other claims**		
	Secured, Considered Good	11.27	11.94
	Unsecured, Considered Good	106.38	278.44
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**117.65**	**290.38**
S. No.	**Particulars**	**As at March 31, 2026**	**As at March 31, 2025**
f)	**Loans & Advances to Employees**		
	Secured, Considered Good	2.21	3.72
	Unsecured, Considered Good	0.14	0.14
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**2.35**	**3.86**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
g)	**Excise Duty Relief Recoverable**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	27.55	27.55
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**27.55**	**27.55**
h)	**Recoverable from Employees**		
	Secured, Considered Good	9.63	13.99
	Unsecured, Considered Good	10.38	12.26
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**20.01**	**26.25**
i)	**Recoverable from Outside Parties**		
	Secured, Considered Good	1,038.60	0.70
	Unsecured, Considered Good	501.54	496.74
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**1,540.14**	**497.44**
	Total	**6,056.84**	**4,149.38**

20	**Other Current Assets**		
	Interest Accrued on Term Deposits	1,404.77	1,081.31
	Recoverable from outside parties		
	-Unsecured, Considered Good	1,420.38	1,454.98
	Total	**2,825.15**	**2,536.29**

21	**Other Income**		
	Rental Income	3,036.68	2,637.96
	Interest on:		
	- Fixed deposits with banks	2,212.64	2,000.03
	- Others	80.37	51.83
	Receipts from Township	50.74	47.43
	Excess Provision/Balances written back	386.41	5,520.21
	Miscellaneous Income	87.46	749.97
	Prior Period Income (Net) (Refer Note-28 B)	23.81	453.29
	Profit on sale of discarded Assets	1.41	-
	Total	**5,879.52**	**11,460.72**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
22	**Cost of Raw Materials Consumed**				
	Opening Balance	**1,140.47**		**992.16**	
	Acquisition during the year:				
	Limestone Raising, Quarrying & Transportation[1]	2,860.49		2,969.73	
	Other Raw Materials Purchased	2,075.81	6,076.77	1,885.12	5,847.01
	Less: Closing Stock		1,011.62		1,140.47
	Raw Materials Consumed*		**5,065.15**		**4,706.54**
	*Refer Note No. 30.9 for items wise consumptions				
(1)	**Limestone Raising, Quarrying & Transportation**				
	Limestone Raising & Payment to Contractors		758.06		828.27
	Employees Remuneration & Benefits				
	Salaries, Wages and Bonus	305.70		317.87	
	Gratuity paid	21.02		16.15	
	Benefits to Employees	0.02		0.03	
	Contribution to Provident Fund	26.31		27.11	
	Contribution to Pension Fund	2.91		3.45	
	Leave Encashment	13.26		11.34	
	Medical Expenses	3.47		3.99	
	Provision for Earned Leave	-	372.69	3.41	383.35
	Stores Consumed				
	Gross Amount	321.61		366.77	
	Less: Amount included under Repairs	187.63	133.98	187.98	178.79
	Power	62.28		78.15	
	Fuel	42.68		23.73	
	Rates and Taxes	3.38		10.33	
	Payment to Contract Labour	401.83		399.94	
	Royalty and Cess	847.77		760.37	
	Quarry Development Expenditure written off	218.81		268.82	
	Travelling Expenses	0.90		0.98	
	Insurance	0.86		0.61	
	Other Expenses	49.56	1,628.07	35.89	1,578.82
	Repairs				
	- Machinery	30.16		11.91	
	- Building	0.03		0.06	
	- Others	157.43	187.62	176.02	187.99
	Sub Total		**3,080.42**		**3,157.22**
	Less: Quarry Dev. Exp. transferred to Note No. 15		219.93		187.49
	Total		**2,860.49**		**2,969.73**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Year ended March 31, 2026		Year ended March 31, 2025	
23	**Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade**				
	Semi Finished Goods				
	- Opening Stock	6,351.38		7,129.33	
	- Closing Stock[1]	6,121.74	229.64	6,351.38	777.95
	Finished Goods				
	- Opening Stock	1,015.92		1,299.80	
	- Closing Stock	1,093.09	(77.17)	1,015.92	283.88
	Finished Goods in transit				
	- Opening Stock	7.75		26.07	
	- Closing Stock	5.69	2.06	7.75	18.32
	Scrap Stock				
	- Opening Stock	213.15		335.89	
	- Closing Stock	165.04	48.11	213.15	122.74
			202.64		**1,202.89**
	Less: Transfer to Exceptional Income (Refer Note No. 31.08 (ii)	220.87	220.87	-	-
	Total		**(18.23)**		**1,202.89**
	Note:				
	1. Comprises of:				
	Clinker	5,278.93		5,301.65	
	Other Semi Finished Goods	842.81	6,121.74	1,049.73	6,351.38
24	**Employee Benefits Expense**				
	Salary, Wages and Bonus		3,691.47		3,873.36
	Gratuity Paid		488.50		469.06
	Benefits to Employees		12.76		6.41
	Leave Encashment		396.27		384.68
	Contribution to Provident Fund		309.52		320.88
	Contribution to Pension Fund		24.93		27.06
	Medical Expenses		206.75		241.33
	Provision for Earned Leave		14.78		54.66
	Provision for Gratuity		35.29		32.77
	Staff Welfare Expenses		86.93		97.56
	Total		**5,267.20**		**5,507.77**
25	**Finance Cost**				
	Interest-Others		143.13		93.61
	Total		**143.13**		**93.61**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Year ended March 31, 2026		Year ended March 31, 2025	
26	**Depreciation and Amortisation Expense**				
	Depreciation/ Amortisation		1,406.53		1,363.30
	Sub Total		**1,406.53**		**1,363.30**
	Less: Depreciation transferred to IEDC		-		0.14
	Total		**1,406.53**		**1,363.16**
27	**Other Expenses**				
	Power	7,645.62		7,403.88	
	Coal	10,122.64		10,919.25	
	Fuel Oil	4.31		9.53	
	Rent	20.74		26.48	
	Rates & Taxes	224.37		185.15	
	Insurance	25.75	18,043.43	22.26	18,566.55
	Repairs & Maintenance				
	- Plant & Machinery	1,082.93		1,488.25	
	- Buildings	72.15		66.55	
	- Others	263.98	1,419.06	285.22	1,840.02
	Other Production Expenses		523.04		566.78
	Tools & Tackles Written off		0.20		0.32
	Travelling Expenses		83.80		93.91
	Selling Expenses				
	- Freight on Cement	1,449.64		1,878.86	
	- Handling Charges	30.54		64.66	
	- Sales Promotion & Publicity	24.61		61.93	
	- Other Selling Expenses	13.09	1,517.88	3.12	2,008.57
	Vehicle Running Expenses		19.38		25.26
	Auditors' Remuneration				
	- For Audit Fee	8.85		8.85	
	- For Reimbursement of Expenses	0.15		0.15	
	- In Other Capacity	1.86	10.86	1.86	10.86
	Cost Auditors' Remuneration				
	- For Audit Fee	1.15		1.15	
	- For Reimbursement of Expenses	-	1.15	-	1.15
	Subscription to CRI & Others		3.04		2.92
	Communication Expenses		13.72		16.00
	Printing & Stationery		17.08		19.61
	Legal & Professional Expenses		162.15		180.20
	Security Expenses		573.81		622.45

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Year ended March 31, 2026		Year ended March 31, 2025	
	Interest on deposits from Stockists/Others		0.08		4.97
	Miscellaneous Expenses		317.42		320.98
	Provision for diminution in value of limestone Inventories		197.26		-
	Payment to Contract Labour		1,697.00		1,764.38
	Expenses on closed project		11.53		11.91
	Provision for doubtful receivables & advances		-		458.66
	Corporate Social Responsibiity Expenses		25.98		31.45
	Consumption of Stores & Spare Parts:				
	- Gross Amount	1,777.44		1,769.10	
	- Less: Includes under Repair & Maintenance	1,061.38	716.06	1,158.42	610.68
	Packing Materials		1,046.98		1,017.40
	Sub Total		**26,401.01**		**28,175.03**
	Less: Expenses transferred to IEDC A/c				
	Power expenses		0.11		0.14
	Legal and Professional expenses		0.24		-
	Security expenses		11.16		10.49
	Miscellaneous expenses		0.02		1.14
	Total		**26,389.48**		**28,163.26**
28	**Exceptional, Extraordinary Items and Adjustment Relating to Past Years**				
28AA	**Exceptional Items**				
	Income:				
	Sale of Assets (Refer Note No. 31.08 (ii))		7,650.49		-
	Sale of Scrap (Refer Note No. 31.08 (iii))		585.09		
	Sub total		**8,235.58**		**-**
	Expenses:				
	Loss on Derecognition of CWIP (Refer Note No. 31.03)	2,414.01			
	Less: Recovery from Contractor as per Settlement (Refer Note No. 31.03)	1,323.16			-
	Sub total		**1,090.85**		**-**
	Net Exceptional Income		7,144.73		-
28AB	**Extraordinary Items**				
	Income:				
	Sub total		-		-
	Expenses:				
	Sub total		-		-
	Net Extraordinary Items Income/ (Expenses)		-		-

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Year ended March 31, 2026		Year ended March 31, 2025	
28B	**Prior Period Items**				
	Income:				
	Store & Spares, Materials, Depreciation and Others	43.96	43.96	479.18	479.18
	Total		**43.96**		**479.18**
	Expenses:				
	Rates & Taxes	-		2.44	
	Store & Spares, Materials, Depreciation and Others	20.15		23.45	
	Total		**20.15**		**25.89**
	Net Prior Period Income / (Expense)		**23.81**		**453.29**

28C Statement of Revenue & Expenses of Continuing and Discontinuing Operations

S. No.	Particulars	Continuing Operations		Discontinuing Operations		Total	
		Year eneded March 31, 2026	Year eneded March 31, 2025	Year eneded March 31, 2026	Year eneded March 31, 2025	Year eneded March 31, 2026	Year eneded March 31, 2025
A	**Revenue:**						
	Turnover (Net)	32,563.37	32,521.78	-	-	32,563.37	32,521.78
	Other Operating Revenue	132.83	159.55	-	-	132.83	159.55
	Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	18.23	(1,202.89)	-	-	18.23	(1,202.89)
	Total	**32,714.43**	**31,478.44**	**-**	**-**	**32,714.43**	**31,478.44**
B	**Expenses:**						
	Operating Expenses (including net of expenses/income allocated)	37,909.39	40,341.07	218.97	(600.34)	38,128.36	39,740.73
	Total	**37,909.39**	**40,341.07**	**218.97**	**(600.34)**	**38,128.36**	**39,740.73**
C	**Profit/(Loss) Before Interest & Tax from Operating Activities**	**(5,194.96)**	**(8,862.63)**	**(218.97)**	**600.34**	**(5,413.93)**	**(8,262.29)**
	Interest Expenses	114.83	65.34	28.30	28.27	143.13	93.61
D	**Profit/(Loss) Before Tax**	**(5,309.79)**	**(8,927.97)**	**(247.27)**	**572.07**	**(5,557.06)**	**(8,355.90)**
	Income Tax	-	-	-	-	-	-
E	**Profit/(Loss) from Operating Activities After Tax**	**(5,309.79)**	**(8,927.97)**	**(247.27)**	**572.07**	**(5,557.06)**	**(8,355.90)**
	Other Income	5,508.01	10,455.58	371.51	1,005.14	5,879.52	11,460.72
F	Exceptional Items: Income/ (Expenses)	-	-	7,144.73	-	7,144.73	-
G	Extraordinary Items- Income/ (Expenses)	-	-	-	-	-	-
H	**Net Profit / (Loss) from Operating Activities**	**198.22**	**1,527.61**	**7,268.97**	**1,577.21**	**7,467.19**	**3,104.82**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

29 Contingent Liabilities and Commitments (To the extent not provided for)

S. No.	Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
A)	**Contingent Liabilities**		
(i)	Claims against the company not acknowledged as debts		
a)	Income Tax Demand	174.71	178.79
b)	Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit etc.	994.50	590.42
c)	Bokajan & Silchar Plant Expansion Contract	504.73	11,513.00
d)	Arbitration Matter	11,408.16	703.46
e)	Tariff Minimum Charges in respect of Akaltara	1,151.50	1,151.50
f)	Power wheeling charges etc. in respect of Units	48,214.26	43,209.12
g)	Others	7,392.54	7,492.95
(ii)	Other money for which company is contingently liable	-	-
	Sub Total	**69,840.40**	**64,839.24**
B)	**Commitments**		
a)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts and not provided for	26.24	88.24
	Sub Total	**26.24**	**88.24**
	Total (A+B)	**69,866.64**	**64,927.48**

Note:

Effect for cases lying in various courts for compensation/ Promotion/claims of employees for service matters etc. has not been given in the Books of Accounts and disclosed as Contingent Liabilities as the amount thereof is unascertainable.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

30 Quantitative Details

S. No.	Particulars	Year ended March 31, 2026		Year ended March 31, 2025	
1	**Actual Production**				
	Portland Cement				
	- Ordinary	3,56,734.00	M Tonnes	3,57,965.00	M Tonnes
	- Pozzolana	3,18,186.00	M Tonnes	3,07,830.00	M Tonnes
		6,74,920.00	M Tonnes	6,65,795.00	M Tonnes
2	**Clinker (A pre cement stage material & not an additional product)**				
	- Own manufactured	5,62,420.00	M Tonnes	5,54,255.00	M Tonnes
	- Purchased	-	M Tonnes	-	M Tonnes
3	**Cement Despatches**	6,74,169.79	M Tonnes	6,72,639.57	M Tonnes

S. No.	Particulars	Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh	Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh
4	**Opening Stock**				
a)	Cement				
i)	Stock at Factory				
	- Cement OPC	14,578.90	713.92	17,208.92	790.47
	- Cement PPC	6,669.93	291.23	10,884.47	475.84
ii)	Stock at Dumps				
	- Cement OPC	110.15	5.25	491.85	25.27
	- Cement PPC	123.15	5.53	178.85	8.22
iii)	Stock in Transit				
	- Cement OPC	75.00	4.02	218.50	15.66
	- Cement PPC	75.00	3.73	334.50	10.41
iv)	Damaged Cement				
	- Cement OPC	595.60	-	595.60	-
	- Cement PPC	-	-	-	-
	Sub Total	**22,227.73**	**1,023.68**	**29,912.69**	**1,325.87**
b)	Clinker (Own manufactured)	1,72,877.61	5,301.65	2,12,215.33	6,328.71
	Clinker (Purchase)	-	-	-	-
	Sub Total	**1,72,877.61**	**5,301.65**	**2,12,215.33**	**6,328.71**
5	**Net Sales including self consumption/Transfer etc.**				
i)	Cement OPC	3,57,850.14	32,563.27	3,60,577.51	32,505.87
ii)	Cement PPC	3,16,317.65		3,12,044.42	
iii)	Cement used for testing	-	-	508.09	-
iv)	Cement shortage during transit	-	-	-	-
v)	Self Consumption OPC	-	-	79.75	3.86
vi)	Self Consumption PPC	2.00	0.10	270.20	12.05
		6,74,169.79	**32,563.37**	**6,73,479.97**	**32,521.78**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

S. No.	Particulars	Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh	Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh
6	**Closing Stock**				
a)	Cement				
i)	Stock at Factory				
	- Cement OPC	13,595.26	702.50	14,578.90	713.91
	- Cement PPC	8,558.98	385.21	6,669.93	291.23
ii)	Stock at Dumps				
	- Cement OPC	83.65	4.00	110.15	5.25
	- Cement PPC	29.45	1.38	123.15	5.53
iii)	Stock in Transit				
	- Cement OPC	-	-	75.00	4.02
	- Cement PPC	115.00	5.69	75.00	3.73
iv)	Damaged Cement				
	- Cement OPC	595.60	-	595.60	-
	- Cement PPC	-	-	-	-
	Sub Total	**22,977.94**	**1,098.78**	**22,227.73**	**1,023.67**
b)	Clinker (Own manufactured)	1,64,551.61	5,278.93	1,72,877.61	5,301.65
	Clinker (Purchase)	-	-	-	-
	Sub Total	**1,64,551.61**	**5,278.93**	**1,72,877.61**	**5,301.65**
7	**Others**				
i)	Clinker Sold as Scrap /Clinker discarded	-	-	12,166.72	91.73
	Total	**-**	**-**	**12,166.72**	**91.73**
8	**Clinker used for Cement Grinding**	**5,70,746.00**	**23,757.05**	**5,81,426.00**	**24,380.46**
9	**Raw Materials Consumed**				
i)	Limestone	8,19,807.00	2,903.91	8,02,509.65	2,754.04
ii)	Laterite	3,787.00	23.48	4,099.00	25.54
iii)	Iron Ore	17,735.00	479.28	15,466.00	422.30
iv)	Gypsum	18,178.00	506.93	17,052.00	509.64
v)	Shale	3,651.00	26.85	8,231.00	118.27
vi)	Fly Ash	87,245.00	1,110.02	68,868.00	854.41
vii)	Clinker (Purchase)	-	-	-	-
viii)	Burnt Clay	436.00	2.05	996.00	8.91
ix)	Others	28,568.00	12.63	23,085.00	13.43
	Total		**5,065.15**		**4,706.54**
10	**Value of Imports Calculated on CIF Basis in respect of:**				
i)	Raw Materials	-	-	-	-
ii)	Components and Spare Parts	-	-	-	-
iii)	Capital Goods	-	-	-	-
	Total		**-**		**-**
11	**Directly Imported and indigenously available Raw Materials, Spare parts consumed and the percentage of each to the total consumption :**				
	Directly Imported	0.57%	39.08	0.75%	48.79
	Indigenously Available	99.43%	6,803.51	99.25%	6,426.85
		100.00%	**6,842.59**	100.00%	**6,475.64**

31. Notes Forming Part of Financial Statements

31.01 The claims/ counter claims lodged by the Corporation for ₹ 7,089 lakh (Previous year ₹ 99,634.00 lakh) are under arbitration/ pending in various Courts etc., and the outcome will be known only on award / decree etc. Hence effects are not given in the Accounts.

31.02 During assessment u/s 143(3) of the Income tax Act 1961 for A.Y. 2018-19, Assessing Officer has made addition of ₹ 183.14, lakh to the returned income of the Corporation thereby raising a demand of ₹ 73.36 lakh. Aggrieved with the said order of assessment, Corporation has filed an Appeal u/s 246A of the Income tax Act and the same is shown in contingent liability in the Financial Statements.

31.03 The contract of Bokajan Expansion, including Silchar Unit, had been awarded to M/s Promac Engineering Industries Limited, Bangalore (Contractor) in the year 2010 for ₹ 18,208 lacs. In Silchar Unit case the learned arbitral tribunal has passed award against CCI dated 13.12.23, CCI has challenged award before Delhi High court which is pending adjudication.

In case of Bokajan Expansion project, pursuant to the arbitral award dated 22.04.2026 in favour of the Company and based on the technical evaluation carried out by an independent consultant and internal assessment, the management has decided to discontinue and abandon the proposed 1200 TPD Kiln Expansion Project. Accordingly, the related Capital Work in Progress of ₹ 2997.77 lacs has been reviewed for its recoverability. Assets identified as usable in existing operations amounting to ₹ 472.53 lacs and scrapable items with an estimated realizable value of ₹ 111.23 lacs have been retained for reclassification/disposal, as appropriate. The balance CWIP of ₹ 2414.01 lacs relating to non-usable equipment and incomplete civil structures has been charged off. The arbitral award and technical assessment, being events providing additional evidence of conditions existing at the balance sheet date, have been considered in the financial statements for the year ended 31 March 2026 in accordance with provisions of Accounting Standard -4 "Contingencies and Events occurring After the Balance Sheet date" The resultant net loss of ₹ 1090.85 lacs on derecognition of CWIP as discontinued operations after adjusting the recovery from contractor as per arbitration order of ₹ 1323.16 is disclosed separately as Exceptional item in the Statement of Profit & Loss.

31.04 Execution of title deeds for land of non operating units are under process as MHI has given the direction for disinvestment and disposal of land of these Non-operating Units.

Delhi Development Authority (DDA) allotted land measuring 20.94 acres of lease hold land to CCI for setting up of a Grinding Unit and Railway siding.

DDA vide their letter dated 11.04.2017, suo moto transferred CCI's Lease hold land measuring 14.20 acres meant for setting up the Grinding Unit to South Delhi Municipal Corporation (SDMC). The cost of land of 14.20 acres is now shown as 'Recoverable from outside parties' as the same is recoverable from SDMC/DDA. Further, MCD vide letter dated 22.04.2024 has communicated handing over 9 acres of MCD land situated at Firozpur Kalan (Faridabad) to CCI in lieu of 14.20 acres of land. The action in this regard is under progress. Remaining 6.74 acres of land allotted for construction of Railway sidings for CCI was given to Railways to construct the Railway siding. Pending Construction of the railway siding work, the land along with siding is not yet handed over to CCI. Northern railway vide letter dated 01.01.2024 directed Delhi Division and construction organisation and has sought details in order to decide on the matter of CCI claim.

31.05 Mining lease is deemed to have been granted for all the Govt. Company as per Mineral (Mining by Govt. Co.) Rules 2015 dated 03.12.2015. Accordingly, mining leases of CCI are deemed to have been granted and is still valid.

31.06 The acquisition of Government lands outside the CCI, Adilabad Township and

used as road from Pump house to National Highway No.7 measuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department. No accounting is made in respect of amount recoverable in account of acquisition and use of land.

31.07 The Office Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of ₹266.58 lakh excluding Electrical Installation of ₹5.70 lakh, is being amortized provisionally by way of depreciation, considering as a deemed owner.

31.08 i) A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25.04.1996. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 08.08.1996. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at seven units. MHI vide letter dated 09.02.2022 directed to sale plant and machinery, stores etc. of these non-operating units. Accordingly, Plant and machinery along with other assets of Aklatara, Charkhi Dadri, Kurkunta, Mandhar, Nayagaon & Nayagaon Expansion units were sold through M/s MSTC.

ii) In the case of the Nayagaon Unit, a tender for the sale of assets was floated through M/s MSTC, a Government of India enterprise, for the sale of Plant & Machinery along with dismantling, Stores & Spares on an "as is where is and clean sweep basis". The Company realized a sale consideration of ₹ 10,030.00 lakhs. After adjusting the Net Block of Fixed Assets of ₹ 655.52 lakhs, Stores & Spares of ₹1,365.42 lakhs, Capital Work-in-Progress (CWIP) of ₹ 15.33 lakhs, Semi - finished Goods ₹ 206.20 lakhs, Raw Materials of ₹ 22.08 lakhs, Scrap Stock of ₹ 14.66 lakhs and commission on sale amounting to ₹ 100.30 lakhs, the resultant net gain on sale of assets amounting to ₹ 7650.49 lakhs have been disclosed as an Exceptional Item in the Statement of Profit and Loss.

iii) In case of Kurkunta Unit, scrap sale of leftover material has been e-auctioned through MSTC for an amount ₹ 591.00 Lacs on "as is where is and clean sweep basis" and after adjusting commission on sales amounting to ₹ 5.91 lacs, resultant gain on sales amounting to ₹ 585.09 lacs has been disclosed as an exceptional item in the Statement of Profit and Loss account.

iv) Furthermore, pursuant to the outcome of MSTC E-Auction of Adilabad Unit on dated 03.03.2026 and as per the related tender's terms and conditions, sale of Plant & Machinery along with dismantling , stores and spares on "As is where is and clean sweep basis"" for an amount of ₹4360 lacs has been awarded to the Highest Bidder named M/s HR Commercials Pvt Ltd, Mumbai.

31.09 (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.

(ii) Plan Loan from Government of India since 1975 (interest free) amounting to ₹15,090.07 lakh (Previous year: ₹15,090.07 lakh) will be repaid from the sale proceeds of seven non-operating units as per the sanctioned scheme dated 03.05.2006 of Hon'ble BIFR. Further, interest accrued amount of ₹12,385.27 lakh on Non Plan Loan provided by Govt. of India has been freezed with effect from 01.04.2011. The Company is in default in towards repayment to this extent. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.

31.10 Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

Sl.	Unit Name	State	Discontinued from
i)	Mandhar	Chhattisgarh	06 June 1996
ii)	Charkhi Dadri	Haryana	14 August 1996
iii)	Akaltara	Chhattisgarh	09 December 1996
iv)	Nayagoan & Nayagaon Expansion	Madhya Pradesh	30 June 1997
v)	Kurkunta	Karnataka	01 November 1998
vi)	Adilabad	Telengana	05 November 1998
vii) a	Delhi Grinding Unit	Delhi	08 February 1999
vii) b	Bhatinda Grinding Unit	Punjab	Not Commissioned

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 and sanctioned scheme circulated on 03.05.2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure/sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of any potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

31.11 During implementation of Rehabilitation Scheme, Non-cumulative Preference Share of ₹35,543.25 lakh was issued on 22.03.2007 for seven years, further extension for reissue of Preference Share has been sought from the Ministry after the end of term, response in this regard is yet to be received.

31.12 Deferred Tax Assets/ Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realization of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.

31.13 For classification of liabilities into current and non-current, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.

31.14 Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under Accounting Standard-17 is not applicable.

31.15 During the year, Property, Plant and Equipment (PPE) items, other than township assets and land, pertaining to non-operating units having a Net Block of ₹ 685.53 lacs as at 1 April 2025, which were retired from active use and held for disposal, were transferred at their written down value to a separate head, "Assets Retired from Active Use and Held for Disposal", under the PPE schedule considering the directions of Ministry of Heavy Industries vide letter no. 1(1)/2017-PE-XII/CPSE-III dated 09.02.2022.

31.16 Book profit for the current financial year as per the provisions of Section 115JB of Income Tax Act, 1961 is liable to MAT and the said amount is shown under Current Tax Expenses and MAT credit entitlement as well. MAT Credit being a Deferred Tax Assets, is shown in Note No.14.

31.17 Expenditure in foreign currency for royalty, knowhow, professional, consultation fee, interest and other matters is Nil (Previous year Nil)

Earning in foreign currency is Nil (Previous year Nil)

31.18 As per the guidelines, 3rd Pay Revision for IDA employees has been issued by DPE on 29.05.2017. As per practice, the recommendation from 'Board of Directors' was sent to MHI for approval. The necessary approval from DHI was received and the same has been implemented. As per Presidential directives, Ministry has approved 3rd Pay revision for IDA employees w.e.f. April 01, 2023 without having arrears payable for earlier period. Contingent Liability amounting ₹ 1,986.00 lacs in this regard has been shown in Note No.32 considering the ongoing proceedings in the case being pursued by Employee Union in Hon'ble Delhi High Court.

31.19 In case of Kurkunta unit, a security deposit amount of ₹ 530 lacs pertains to PSN Medicare Private Limited (Bidder) is

forfeited and disclosed as income in the books of accounts during F.Y. 2024-25, for non-fulfilment of the obligations as per relevant clauses of the tender terms and conditions in this regard. Further during the year, company has sold the leftover material of the bidder for ₹ 591 lacs due to non fulfilment of obligations by the bidder & the same is accounted as exceptional income in the books of accounts net of commission amounting to ₹ 5.91 lacs.
The Bidder has invoked the arbitration clause under the contract, and same is pending disposal as of date. Contingent liability of ₹ 10,727.18 lacs is disclosed in the financial for the amount of claims filed by the bidder.

31.20 Details of provision as per Accounting Standard-29, Refer Note 6 & 9.

(₹ In Lakh)

Particulars	Opening Balance		Adjustment/Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Capital work-in-progress	10.57	10.57	-	-	-	-	10.57	10.57
Other Provisions	1829.14	4759.57	227.64	3290.89	199.87	360.46	1801.37	1829.14

31.21 Disclosure in respect of Micro and Small Enterprises as requried under Schedule-III of Companies Act, 2013 and MSMED Act, 2006.

(₹ In Lakh)

S. No	Description	Current Year	Previous Year
1	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	420.53	645.40
2	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year.	304.77	295.32
3	The amount of interest paid in terms of Section 16 of MSMED Act, 2006 , along with the amount of payment made to the supplier beyond the appointed day during the year.	-	-
4	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006.	-	-
5	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	9.45	9.45
6	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of MSMED Act, 2006.	304.77	295.32

31.22 Employee's Benefits as per Accounting Standard 15

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:

i) Provident Fund

The Corporation pays fixed contribution of Provident Fund (P.F.) at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation. As per actuary report fair value of plan assests of PF Trust is more than the present value of obligation. Accordingly no provision is required to be made in the company accounts.

ii) Gratuity

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Social Security Code, 2020. The liability for gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) Leave Encashment

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated Earned Leave (EL), Half Pay Leave (HPL) etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) Other Defined Retirement Benefits

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependents at the time of Superannuation. This is recognized in the Statement of Profit & Loss on the basis of actuarial valuation.

The summary of various defined benefits recognised in the Statement of Profit & Loss and Balance Sheet are as follows:

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss (₹ In Lakh)

Sl.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025
a)	Current Service Cost	110.84	104.91	100.95	111.13	0.71	0.76
b)	Interest Cost	140.23	164.04	104.90	116.04	0.87	0.94
c)	Net actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	95.92	(78.25)	(71.72)	130.87	(2.52)	(1.86)
d)	Expenses recognised in the Statement of Profit & Loss	346.99	190.69	134.13	358.04	(0.94)	(0.17)

B. Amounts recognized in Balance Sheet (₹ In Lakh)

Sl.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025
a)	Present value of obligation as at the end of the period	1,910.89	2,065.29	1,372.35	1,544.95	11.89	12.83
b)	Funded status/Difference	(1,910.89)	(2,065.29)	(1,372.35)	(1,544.95)	(11.89)	(12.83)
c)	Net asset/(Liability) recognised in Balance Sheet*	(1,910.89)	(2,065.29)	(1,372.35)	(1,544.95)	(11.89)	(12.83)

*Above balances do not inculde amount of gratuity liability of ₹ 113.35 lacs (P.Y. ₹ 113.35 lacs and earned leave liability of ₹ 14.74 lacs (P.Y. ₹ 14.74 lacs) for YRO unit of the company.

Cement Corporation of India Limited

C. Change in present value obligation

(₹ In Lakh)

Sl.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025
a)	Present value of obligation as at the beginning of the year	2,065.29	2,275.16	1,544.95	1,609.43	12.83	13.00
b)	Current Service Cost	110.84	104.91	100.95	111.13	0.71	0.76
c)	Interest Cost	140.23	164.04	104.90	116.04	0.87	0.94
d)	Benefits Paid	(501.39)	(400.56)	(306.72)	(422.53)	-	-
e)	Actuarial (Gain)/Loss on obligation	95.92	(78.25)	(71.72)	130.87	(2.52)	(1.86)
f)	Present value of obligation as at the end of the year	1910.89	2065.29	1372.35	1544.95	11.89	12.83

D. Amount for the current period

(₹ In Lakh)

Sl.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025
a)	Present value of obligation as at the end of the year	1,910.89	2,065.29	1,372.35	1,544.95	11.89	12.83
b)	Surplus/(Deficit)	(1,910.89)	(2,065.29)	(1,372.35)	(1,544.95)	(11.89)	(12.83)

E. Actuarial Assumptions

S. No.	Description	As at 31 March 2026		As at 31 March 2025	
i)	Retirement age	60 years		60 years	
ii)	Age	**Withdrawal Rate**	**%age**	**Withdrawal Rate**	**%age**
		Upto 30 years	0%	Upto 30 years	0%
		From 31 to 44 years	1%	From 31 to 44 years	1%
		Above 44 years	1%	Above 44 years	1%
iii)	Discounting rate	7.32%		6.79%	
iv)	Future salary increase	6.00%		6.00%	
v)	Expected return on Plan Assets	Nil		Nil	

31.23 Ageing Schedule of Trade payables in respect of Micro and Small Enterprises as required under Schedule-III of the Companies Act, 2013 and MSMED Act, 2006 & Other than Micro and Small Enterprises (Ref. Note No. 05 and 07 to Balance Sheet):

(₹ In Lakh)

S. No	Particulars					
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
i	**MSME**					
	- Current Year	331.69	0.18	2.95	54.86	389.68
	- Previous Year	500.10	59.58	-	54.86	614.54
ii	**Others**					
	- Current Year	1,465.88	277.08	73.52	2,016.79	3,833.28
	- Previous Year	1,511.60	106.19	114.88	2,420.07	4,152.74
iii	**Disputed dues - MSME**					
	- Current Year	-	-	30.85	-	30.85
	- Previous Year	-	30.85	-	-	30.85
iv	**Disputed dues - Others**					
	- Current Year	-	-	-	-	-
	- Previous Year	-	-	-	-	-
v	**TOTAL MSME**					
	- Current Year	331.69	0.18	33.80	54.86	420.53
	- Previous Year	500.10	90.42	-	54.86	645.39
	TOTAL Others					
	- Current Year	1,465.88	277.08	73.52	2,016.79	3,833.28
	- Previous Year	1,511.60	106.19	114.88	2,420.07	4,152.74

31.24 Ageing Schedule of Trade receivables outstanding (Ref. Note No. 14 to Balance Sheet):

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months-1year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i	**Undisputed Trade receivables -considered good**						
	- Current Year	-	-	-	-	-	-
	- Previous Year	-	-	-	-	-	-
ii	**Undisputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	- Current Year	-	-	-	-	1,514.52	1,514.52
	- Previous Year	-	-	-	-	1,514.52	1,514.52

Cement Corporation of India Limited

S. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months-1year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
iii	**Disputed Trade Receivables-considered good**						
	- Current Year	-	-	-	-	-	-
	- Previous Year	-	-	-	-	-	-
iv	**Disputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	- Current Year	-	-	-	-	-	-
	- Previous Year	-	-	-	-	-	-
v	**Less: Allowances for doubtful receivables**						
	- Current Year	-	-	-	-	1,514.52	1,514.52
	- Previous Year	-	-	-	-	1,514.52	1,514.52
vi	**Total**						
	- Current Year					-	-
	- Previous Year					-	-

31.25 Ageing Schedule of Trade receivables outstanding (Ref. Note No. 17 to Balance Sheet):

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months-1year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i	**Undisputed Trade receivables -considered good**						
	- Current Year	700.65	9.24	4.48	0.01	60.17	774.55
	- Previous Year	332.15	1.09	2.66	1.95	67.54	405.39
ii	**Undisputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	- Current Year	-	-	-	-	-	-
	- Previous Year	-	-	-	-	-	-
iii	**Disputed Trade Receivables-considered good**						
	- Current Year	-	-	-	-	47.06	47.06
	- Previous Year	-	-	-	-	47.06	47.06

Cement Corporation of India Limited

S. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months-1year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
iv	**Disputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	- Current Year	-	-	-	-	-	-
	- Previous Year	-	-	-	-	-	-
v	**Less: Allowances for bad and doubtful receivables**						
	- Current Year	-	-	-	-	-	-
	- Previous Year	-	-	-	-	-	-
vi	**Total**						
	- Current Year	700.65	9.24	4.48	0.01	107.23	821.61
	- Previous Year	332.15	1.09	2.66	1.95	114.60	452.45

31.26 Title deeds of Immovable Property not held in name of the Corporation as on 31.03.2026:

(₹ In Lakh)

S. No	Relevant line item in the Balance sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter / director or employee of promoter / director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
i	PPE	Land	5.57	PSEB (Gurunanak dev Thermal Power station bhatinda)	No	Since 1995	Deemed ownership with CCI
		Building :					
		Office Building	266.58	Standing Conference of Public Enterprise	No	Since 1988	Deemed ownership with CCI
ii	Investment property	Land					
		Building					
iii	PPE retired from active use and held for disposal	Land					
		Building					
iv	others						

Gross carrying value of land where title deeds are yet to be executed as per note 31.04 (PPE retired from active use and held for disposal) is yet to be asertain, except 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit).

Cement Corporation of India Limited

31.27 a) Ageing schedule of Capital-work-in progress as on 31.03.2026:

(₹ In Lakh)

S. NO.	CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
	- Current Year					
	Projects in progress:					
i	Pollution control equipment	0.80	495.49	156.21	34.30	686.80
ii	Energy efficient motor and other's	32.88	6.49	-	45.40	84.77
iii	Hot Air Duct	-	94.93	22.79	-	117.72
iv	Solar Power Plant	5.00	25.00	-	-	30.00
v	Electronic Packers in Packing Plant	85.00	-	-	-	85.00
	Projects temporarily suspended:					
i	Plant capacity expansion including grinding.	-	-	-	143.24	143.24
ii	Plant and equipments	-	-	-	285.00	285.00
	Total	**123.68**	**621.91**	**179.00**	**507.94**	**1,432.53**
	- Previous Year					
	Projects in progress:					
i	Coal Shed	642.82	-	-	-	642.82
ii	Pollution control equipment	495.49	156.21	34.30	-	686.00
iii	Energy efficient motor and other's	26.86	-	45.40	-	72.26
iv	Hot Air Duct	94.93	22.79	-	-	117.72
v	Solar Power Plant	25.00	-	-	-	25.00
	Projects temporarily suspended:					
i	Plant capacity expansion including grinding.	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	Plant and equipments	-	-	-	300.33	300.33
	Total	**1,285.09**	**179.00**	**79.70**	**3,441.32**	**4,985.12**

b) CWIP completion schedule for capital-work-in progress other than projects temporarily suspended, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan as on 31.03.2026:

(₹ In Lakh)

S. No	CWIP	To be completed in				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
	- Electronic Packers in Packing Plant					
	- Current Year	85.00	-	-	-	85.00
	- Previous Year	-	-	-	-	-

31.28 The provisions of clause (87) of section 2 of the Act read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 are not applicable to the Company as per Section 2(45) of the Companies Act, 2013.

31.29 The Company has not entered into any scheme of arrangement under sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013.

31.30 As per information available, there are no transactions with respect to struck off companies as mentioned under section 248 of the Companies Act 2013 or section 560 of the Companies Act 1956.

31.31 The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

31.32 Details of Benami Property Held viz. Year of acquisition, Amount, beneficiaries, Proceedings if any : Nil

31.33 Timely filing of statutory returns in case of borrowings from banks or Financial Institutions on the basis of security of current assets. : Not Applicable

31.34 The Company has not revalued any of its Property, plant and equipment and intangible assets in current year and previous year.

31.35 The Company has not advanced or loaned or invested any fund to any entity (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Company (Ultimate Beneficiaries). The Company has not received any fund from any party with the understanding that the Company shall whether, directly or indirectly lend or invest in other entities identified by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

31.36 The Company does not have any transaction which is not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961

31.37 Details of declaration of wilful defaults of corporation by any bank or Financial Insititutions. : Not Applicable

31.38 Details and reasons of charges or satisfaction yet to be registered with registrar of companies beyond statutory period.

(₹ In Lakh)

S. No	Charge Holder Name	Amount	Reason
i	SYNDICATE BANK	460.00	Vacation of charge pending.
ii	STATE BANK OF HYDERABAD	1,230.00	Vacation of charge pending.
iii	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	300.00	Vacation of charge pending.
iv	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	300.00	Vacation of charge pending.

Cement Corporation of India Limited

31.39 Key Financial Ratios:

S. No	Financial Ratios	Numerator/Denominator	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025	% Change	Explanation for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year.
i	Current Ratio	Current Assets/Current Liabilities	3.05	2.72	12.13%	
ii	Debt-Equity Ratio	Paid-up debt capital (Non current borrowings+Current borrowings)/Shareholder's Equity (Total Equity)	0.46	0.60	-23.33%	-
iii	Debt Service Coverage Ratio	Profit for the year+Finance costs+ Depreciation and amortiation expenses + Exceptional items/Finance Costs +lease payments + Scheduled principal repayments of non current borrowings	NA*	NA*	-	-
iv	Return on Equity Ratio	Profit for the year /Average Shareholder's Equity	25.75%	13.09%	96.66%	Increase in profit for the year.
v	Inventory turnover ratio	Revenue from operations/ Average Inventory	2.18	1.90	14.74%	-
vi	Trade Receivables turnover ratio	Revenue from operations/ Average trade receivables	51.33	68.05	-24.57%	
vii	Trade payables turnover ratio	Total Purchase/Operating expenses + Other expenses excluding non cash items) / Average Trade Creditors	8.30	9.87	-15.91%	
viii	Net capital turnover ratio	Revenue from Operations/ Working Capital+Current Maturities of Non current borrowings	0.89	1.12	-20.54%	-
ix	Net profit ratio	Profit / (Loss) after tax/ Revenue from Operations	22.84%	9.50%	140.39%	Increase in profit for the year.

S. No	Financial Ratios	Numerator/Denominator	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025	% Change	Explanation for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year.
x	Return on Capital employed	Earning Before interest and tax (EBIT)/ Capital Employed (Tangible net worth and total debt) - Deferred Tax Assets (net)	15.33%	7.46%	105.42%	Increase in profit for the year.
xi	Return on investment	Investment Income/ Average Investment	NA*	NA*	-	-

*Not disclosed as either Numerator is zero or Denominator is zero/negative.

31.40 Balances shown under advances, trade payables and trade receivables, deposits to and from parties and other liabilities etc. are subject to confirmation/ reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny for adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.

31.41 Mining lease of Tandur measuring Lime stone- 1516.07 acres is valid upto 31-03-2030. Renewal application for mining leases of Shale- 328.80 acres and Laterite- 102.32 acres are filed to Mining Department(Govt. of India Geology, Mines).

31.42 The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with M/s India Cements Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.

31.43 The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) as per Companies Act, 2013 is given below. The total amount spent is shown in Note No. 27.

(₹ In Lakh)

S. No	Charge Holder Name	Year Ended 31-03-2026	Year Ended 31-03-2025
i)	Average net profit of Corporation for last three years	1340.83	1645.91
ii)	Prescribed CSR Expenditure (2% of the above under Companies Act, 2013)	26.82	32.92
iii)	Surplus arising out of CSR projects	1.30	2.77
iv)	Shortfall from previous year	-	-
v)	Total CSR obligation for the year [(ii)+(iii) -(iv)]	25.52	30.15
vi)	Total amount spent during the year as given below [(vi)-(v)]	25.98	31.45
vii)	Set off available for succeeding years	0.46	1.30

Cement Corporation of India Limited

Details of the amount spent during the year

(₹ In Lakh)

Sl.	Particulars	Already paid		Yet to be paid		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	Construction/Acquisition of any assets	-	-	-	-	-	-
b)	On purposes other than above						
	(i) Promoting Education	18.29	18.50	-	-	18.29	18.50
	(ii) Promoting Health Care	2.71	3.25	-	-	2.71	3.25
	(iii) Eradicating extreme hunger and poverty	-	1.70			-	1.70
	(iv) Any other social expense	4.98	8.00			4.98	8.00
	Total	**25.98**	**31.45**	**-**	**-**	**25.98**	**31.45**

31.44 In accordance with Accounting Standard-18 'Related Party Disclosures' of the Companies (Accounting Standard) Rules 2021 as amended, it is certified by the Management that no Related Party Transactions have been made during the year. The details of remuneration paid to Key Managerial Personnel are given below:

(₹ In Lakh)

Sl.	Name of the Key Managerial Personnel	Designation	Year Ended 31-03-2026	Year Ended 31-03-2025
i)	Sh. Sanjay Banga	Chairman & Managing Director	61.47	55.37
ii)	Sh. Pradeep Kumar Chand	Director (Fin)	47.99	50.28
ii)	Sh. Balasugumar Daniel1	Director (Opns)	18.17	-
iii)	Sh. Ajay Kumar Sharma	Company Secretary	30.90	28.30

[1]Appointed as Director (Operation) with effect from 30th December 2025.

In addition, C&MD and full time Directors are also allowed to use company vehicle for non-duty journey upto 1,000 kms. per month on payment of ₹ 2,000/- per month.

31.45 The Earnings Per Share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 notified under Compnaies Act, 2013:

(₹ In Lakh)

Sl.	Particulars	Year Ended 31-03-2026	Year Ended 31-03-2025
a)	Net Profit after tax for the year (₹ Lakh)	7,467.19	3,104.82
b)	Less: Extraordinary (₹ Lakh)	-	-
c)	Less: Dividend on Non- Cumulative Preference Shares (₹ Lakh)	3.55	3.55
d)	Net Profit after tax attributable to Equity Share Holders (₹ Lakh)	7,463.64	3,101.27
e)	Number of Equity Shares outstanding during the year	45,59,749	45,59,749
f)	Face Value of Equity Share (₹)	1,000.00	1,000.00
g)	Basic Earnings Per Share (₹)	163.69	68.01
h)	Diluted Earnings Per Share (₹)	163.69	68.01

31.46 Figures of the previous year have been split up and regrouped, wherever necessary, so as to correspond to the current year figures.

For S K MEHTA & CO.
Chartered Accountants
FRN 000478N

Sd/-
(CA Jayant Kumar)
Partner
Membership No.518718

Date: 24.06.2026
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary)

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

No.DGA(P)/Rep/01-85/Acs-CCIL/2026-27/422

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (विद्युत)
नई दिल्ली-110002

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Power)
New Delhi-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Dated: 07/09/2026

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय:- 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मैं, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि ।

आशुतोष जोशी 7/9/2026

(आशुतोष जोशी)

महानिदेशक (विद्युत)

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel.: 011-23239213, 011-23239211, Email : pdaenergydl.cag@nic.in / dgaenergydl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 24 June 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2026 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

Cash Flow Statement as on 31st March 2026
Cash flow from Operating Activities: ₹(5,768.86 lakh)
Cash Flow from Investing Activities: ₹14,542.40 lakh
Cash Flow from Financing Activities: ₹(143.13 lakh)

Para 6 of Accounting Standard (AS) 3 Cash Flow Statements specifies that Cash equivalents are held for the purpose of meeting short-term cash commitments rather than for investment or other purposes. For an investment to qualify as a cash equivalent, it must be readily convertible to a known amount of cash and be subject to an insignificant risk of changes in value. Therefore, an investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity of, say, three months or less from the date of acquisition. Further, para 5.5 of AS 3 states that Investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents.

(i) The Company has disclosed in Note 14 that there has been increase by ₹2,323.41 lakh in fixed deposits having maturity period of more than 12 months as on 31 March 2026, however, the same have been disclosed in Cash Flow Statement under 'Changes in Other Assets' to calculate net cash flow from Operating activities. The same should have been disclosed separately under Cash Flow from Investing Activities as required under Para 5.5 of AS-3.

This has resulted in understatement of Cash Generated from Operating Activities and overstatement of Cash Flow from Investing Activities by ₹2,323.41 lakh.

(ii) In Note 18, the Company has disclosed that there has been increase by ₹6,761.56 lakh in the fixed deposits with original maturity period more than three months but less than twelve months. As such the said fixed deposits were not the Cash & Cash Equivalent and should have been disclosed under Investing Activities in the Cash Flow Statement.

However, the Company did not consider the cash outflow of ₹6,761.56 lakh arising from the increase in fixed deposits having original maturity of more than three months but up to twelve months under Cash Flow from Investing Activities.

This has resulted in overstatement of Net Cash Flow from Investing Activities and overstatement of closing Cash & Cash Equivalents by ₹6,761.56 lakh.

After considering the aforesaid cash outflow under investing activities, the Net Increase/Decrease in Cash and Cash Equivalents works out to ₹1,303.49 lakh instead of ₹8,065.05 lakh as reported by the Company.

(iii) It has been observed that the Company had included the fixed deposits having original maturity of more than three months but up to twelve months amounting to ₹22,331.02 lakh and ₹29,092.58 lakh for the year 2024-25 and 2025-26 respectively in the opening and closing balances of Cash and Cash Equivalents in the Cash Flow Statement. Consequently, the correct figures of opening and closing balances of Cash and Cash Equivalents after exclusion of above amount would be ₹641.39 lakh and ₹1,944.88 lakh respectively.

For and on behalf of the

Comptroller & Auditor General of India

(Ashutosh Joshi)

Director General of Audit (Power)

Place: New Delhi

Dated: 7/9/2026

Management Reply to Comments of the Comptroller and Auditor General of India

S. No.	COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026	MANAGEMENT REPLY COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026
i)	The Company has disclosed in Note 14 that there has been increase by ₹ 2,323.41 lakh in fixed deposits having maturity period of more than 12 months as on 31 March 2026, however, the same have been disclosed in Cash Flow Statement under 'Changes in Other Assets' to calculate net cash flow from Operating activities. The same should have been disclosed separately under Cash Flow from Investing Activities as required under Para 5.5 of AS-3. This has resulted in understatement of Cash Generated from Operating Activities and overstatement of Cash Flow from Investing Activities by ₹ 2,323.41 lakh.	The observation pertains to the classification and presentation of Fixed Deposits in the Cash Flow Statement prepared under Accounting Standard (AS) 3 – *Cash Flow Statements*. The matter is confined to the classification/presentation of cash flows and does not affect the recognition or measurement of any asset or liability in the Balance Sheet, profitability, net worth or the overall financial position of the Company. The Company acknowledges the observation and assures that the classification and presentation of Fixed Deposits will be reviewed and appropriately aligned with the requirements of AS 3 while preparing future financial statements. Further, with the applicability of Ind AS to the Company from FY 2026-27, the relevant classification, presentation and disclosures shall be made strictly in accordance with the applicable requirements of Ind AS.
ii)	In Note 18, the Company has disclosed that there has been increase by ₹ 6,761.56 lakh in the fixed deposits with original maturity period more than three months but less than twelve months. As such the said fixed deposits were not the Cash & Cash Equivalent and should have been disclosed under Investing Activities in the Cash Flow Statement. However, the Company did not consider the cash outflow of ₹ 6,761.56 lakh arising from the increase in fixed deposits having original maturity of more than three months but up to twelve months under Cash Flow from Investing Activities. This has resulted in overstatement of Net Cash Flow from Investing Activities and overstatement of closing Cash & Cash Equivalents by ₹ 6,761.56 lakh.	The observation pertains to the classification and presentation of Fixed Deposits in the Cash Flow Statement prepared under Accounting Standard (AS) 3 – *Cash Flow Statements*. The matter is confined to the classification/presentation of cash flows and does not affect the recognition or measurement of any asset or liability in the Balance Sheet, profitability, net worth or the overall financial position of the Company. The Company acknowledges the observation and assures that the classification and presentation of Fixed Deposits will be reviewed and appropriately aligned with the requirements of AS 3 while preparing future financial statements. Further, with the applicability of Ind AS to the Company from FY 2026-27, the relevant classification, presentation and disclosures shall be made strictly in accordance with the applicable requirements of Ind AS.

S. No.	COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026	MANAGEMENT REPLY COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026
	After considering the aforesaid cash outflow under investing activities, the Net Increase/ decrease in Cash and Cash Equivalents works out to ₹ 1,303.49 lakh instead of ₹ 8,065.05 lakh as reported by the Company.	
iii)	It has been observed that the Company had included the fixed deposits having original maturity of more than three months but up to twelve months amounting to ₹ 22,331.02 lakh and ₹ 29,092.58 lakh for the year 2024-25 and 2025-26 respectively in the opening and closing balances of Cash and Cash Equivalents in the Cash Flow Statement. Consequently, the correct figures of opening and closing balances of Cash and Cash Equivalents after exclusion of above amount would be ₹ 641.39 lakh and ₹ 1,944.88 lakh respectively.	The observation pertains to the classification and presentation of Fixed Deposits in the Cash Flow Statement prepared under Accounting Standard (AS) 3 – *Cash Flow Statements*. The matter is confined to the classification/presentation of cash flows and does not affect the recognition or measurement of any asset or liability in the Balance Sheet, profitability, net worth or the overall financial position of the Company. The Company acknowledges the observation and assures that the classification and presentation of Fixed Deposits will be reviewed and appropriately aligned with the requirements of AS 3 while preparing future financial statements. Further, with the applicability of Ind AS to the Company from FY 2026-27, the relevant classification, presentation and disclosures shall be made strictly in accordance with the applicable requirements of Ind AS.

Our Employees – Our Greatest Asset



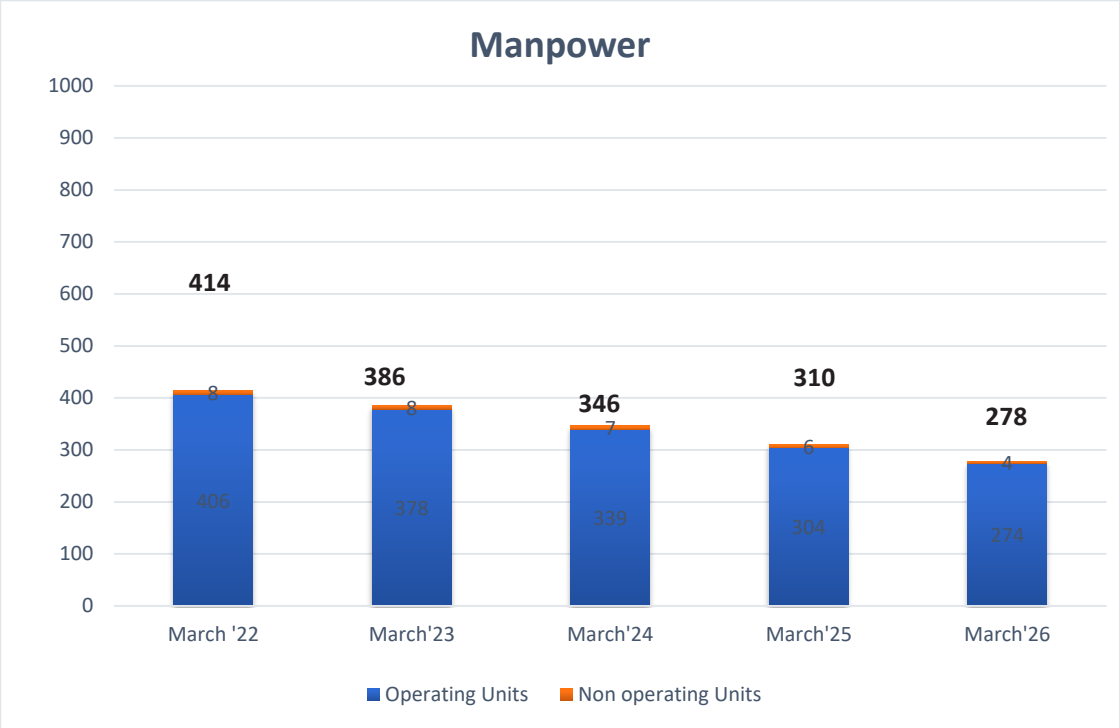
In today's dynamic and competitive business environment, a capable and committed workforce is fundamental to sustainable growth and organizational excellence. For over six decades, the Cement Corporation of India (CCI) has recognized its employees as its most valuable asset and has remained steadfast in its commitment to their well-being, professional development, and long-term growth. Through its people-centric approach, CCI continues to foster an inclusive, engaged, and high-performing workforce that strengthens the Corporation's resilience and supports the achievement of its strategic objectives.

Human resources continue to be a key strength of the Cement Corporation of India (CCI). The Corporation remains committed to fostering a productive, performance-oriented, and inclusive work environment through progressive HR policies and employee development initiatives. Despite a significant reduction in manpower over the years, CCI has sustained its profitability, reflecting enhanced operational efficiency and the dedication of its workforce. Guided by a strong organizational value system, the Corporation continues to promote accountability, collaboration, and continuous improvement, enabling employees to contribute effectively towards achieving its strategic and operational objectives.

In line with the Government of India's Mission Karmayogi initiative, CCI has encouraged employees to leverage the iGOT Karmayogi digital learning platform for continuous capacity building and professional development. CCI don't just manage talent; nurture it. Through virtual Knowledge Sharing Sessions and digital-first upskilling on iGOT Karmayogi, CCI actively invest in people—empowering them to grow as industry leaders while they build the foundation of our nation's infrastructure.

CCI's journey toward excellence has been driven by the strength and quality of its human resources, as reflected in its current manpower profile. Nearly, 79% of the workforce comprises technically and professionally qualified individuals, including degree or diploma holders and management graduates. The organization also benefits from a dynamic and productive age profile, with approximately 70 % of employees falling within the 25 to 50 age group-contributing to high energy, adaptability, and operational efficiency.

Year	Operating Units	Non operating Units	Total Manpower
March '22	406	8	414
March'23	378	8	386
March'24	339	7	346
March'25	304	6	310
March'26	274	4	278



Professional Profile

Sl. No.	Particulars	No. of Employees	
		As on 31.03.2025	As on 31.03.2026
1	PHDs	1	0
2	Post Graduate Engineers	2	2
3	Graduate Engineers	61	58
4	MBAs	17	14
5	Professional Diploma Holders	13	12
6	Post Graduate	14	15
7	CA/ICWA/SAS/ACS	5	4
8	Engineer Diploma Holders	30	29
9	Graduate	33	28
10	ITI Certificate Holders	68	59
11	Others	66	57
	Total	**310**	**278**

The Age wise and category wise distribution of employees as on 31.03.2026

Row Labels	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	Grand Total	Average Age
EXE.	9	30	24	11	13	21	108	45
SUP.	5	7	4	1	1	15	33	48
WORKER	16	33	31	18	9	30	137	45
Grand Total	**30**	**70**	**59**	**30**	**23**	**66**	**278**	**46**

Groups	REPRESENTATION OF SCs/ STs/OBCs. (AS ON 01/01/2026)				No. of appointments made during the calender year(Regular)									
					By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation / Absorption		
	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Group A-TOT	89	11	2	18	0	0	0	0	21	3	0	0	0	0
Group B-TOT	56	7	6	14	0	0	0	0	35	0	3	0	0	0
Group C-TOT	139	24	17	45	0	0	0	0	8	2	2	0	0	0
GROUP D-TOT	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**286**	**43**	**25**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**

	REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs. (AS ON 31/03/2026)				
Groups	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	PWD
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Group A-TOT	108	11	5	26	1
Group B-TOT	33	7	3	6	1
Group C-TOT	136	23	17	45	1
GROUP D-TOT	1	0	0	1	0
Total	**278**	**41**	**25**	**78**	**3**

NAME OF THE UNIT CCI LIMITED

Manpower strength of Physically Challanged employeess as on 01/01/2026

Group-wise manpower strength of Physically Challanged employees as on 01/01/2026

Groups	NUMBER OF EMPLOYEES (AS ON 01/01/2026)				DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR)							PROMOTION						
					NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)				NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)			
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH
Group A	89	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group B	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group C	138	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group D	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**286**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note:

i) VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)

ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)

iii) OH stands for orthopaedically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)

SALIENT FEATURES OF OUR UNITS

MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhillai Steel Plant.

	2025-26	2024-25	2023-24
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.80	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	46	503	4064

As per MHi directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2023-24

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

	2025-26	2024-25	2023-24
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	572	688	4703

As per MHi directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2023-24

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in difficult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighboring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from1st April, 1977.

	2025-26	2024-25	2023-24
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	1.08	0.98	1.18
Value of Production (in lakhs)	7104	6291	8391
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(966)	217	503

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transported by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

	2025-26	2024-25	2023-24
Installed capacity (in lakh tonnes)	2.48	2.48	2.48
Production (in lakh tonnes)	1.12	1.41	1.41
Value of Production (in lakhs)	6337	7558	8474
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(862)	182	109

NAYAGAON (Distt. Mandsaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from

1st March, 1982.

	2025-26	2024-25	2023-24
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹ in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	5034	63	(49)

Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU

	2025-26	2024-25	2023-24
Installed capacity (in lakh tonnes)	5.00	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	2505	23	(62)

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

	2025-26	2024-25	2023-24
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	322	245	504

As per MHi directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2022-23

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

	2025-26	2024-25	2023-24
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.74	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(24)	9	(43)

As per MHi directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2022-23

ADILABAD (Distt. Adilabad, Telengana)

This unit went into commercial Production from April, 1984

	2025-26	2024-25	2023-24
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(96)	47	(130)

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Telengana)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

	2025-26	2024-25	2023-24
Installed capacity (in lakh tonnes)	10.00	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	4.54	4.27	5.90
Value of Production (in lakhs)	19140	17470	27642
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	936	1129	(94)

NOTES

NOTES



विषय सूची

01 सांविधिक रिपोर्ट

अध्यक्ष का अभिभाषण 168
निदेशकों की रिपोर्ट 171
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण 217
निगम शासन पर रिपोर्ट 232
सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट 240
लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट 243

02 वित्तीय विवरणिका

वित्तीय विवरणिका 2025–26 270
नकदी प्रवाह विवरणिका 272
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 318

03 अतिरिक्त सूचना

हमारे कर्मचारी – हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति 323
हमारी इकाईयों की प्रमुख विर्षेशताएं 327

62वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्षीय अभिभाषण



अध्यक्ष का संदेश

सीमेंट उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में स्थापित सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) ने 60 से अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, यह कड़ी प्रतिस्पर्धी वाले बाजार में काम करता है और सीमेंट के निर्माण और बिक्री के कार्य में लगा एकमात्र केन्द्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। हम कई उद्योग चक्रों, सीमेंट प्रौद्योगिकी में तकनीकी विकास और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में कार्य करने वाले उपक्रम के साक्षी रहे हैं। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उत्तर, दक्षिण और पूर्व भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों को अपनी सेवा प्रदान करता आया है। भारतीय सीमेंट बाजार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के भारत के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और घरों, सड़कों, पुलों, बहुमंजिला इमारतों, बांधों और सुरंगों जैसी अनेक निर्माण गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सीमेंट भी महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है जिसे राष्ट्र निर्माण की रीढ़ कहा जा सकता है।

भारत लगभग 700 मिलियन टन प्रति वर्ष की वार्षिक सीमेंट उत्पादन स्थापित क्षमता के साथ चीन के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। हालाँकि प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत अभी भी विश्व औसत से कम है इसलिए उद्योग अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। सीसीआई की तीन प्रचालनरत इकाइयाँ हैं जो तेलंगाना के तांदूर, हिमाचल प्रदेश के राजबन और असम के बोकाजन में अवस्थित हैं। ये संयंत्र सत्तर और अस्सी के दशक में स्थापित किए गए थे।

वैश्विक दृष्टिकोण

वर्ष 2025 के आर्थिक परिदृश्य बात की जाए तो वैश्विक व्यापार में क्रमिक मंदी रही क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ नीतियों और भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं का दौर था। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, ठोस प्रौद्योगिकी और एआई–संबंधित निवेश के साथ–साथ उदार मौद्रिक नीतियों द्वारा विकास का समर्थन किया गया था। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा वर्ष 2025 के लिए वैश्विक जीडीपी विकास दर 3.2 प्रतिशत अनुमानित थी, जो वर्ष 2024 में दर्ज 3.3 प्रतिशत से थोड़ी कम थी। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं लगभग 1.5 प्रतिशत की दर से बढ़ीं, जबकि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ बढ़ीं। भू–राजनीतिक तनाव ने बाजार की अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया और प्रभाव के प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों के आकार के रूप में एक खंडित विश्व अर्थव्यवस्था ने और अधिक जटिलता उत्पन्न की। मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने पूरे विश्व के लिए विशेष रूप से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऊर्जा चुनौती पेश की।

वैश्वीकरण द्विपक्षीय व्यापार सौदों को बढ़ावा दे रहा है जो आज के वैश्विक व्यापार के तौर–तरीकों को बदल सकते

हैं। हालाँकि यह भारत को एक विश्वसनीय व्यवसाय और रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरने का अवसर भी प्रदान करता है।

भारतीय दृष्टिकोण

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष 2025–2026 वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 26) में अनुमानित 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मजबूत प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 24 –25 में दर्ज 7.1 प्रतिशत की वृद्धि से आगे निकल गया। 10.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ सबसे अधिक विस्तार विनिर्माण क्षेत्र हुई, जिसके पश्चात सेवा क्षेत्र (व्यापार, मरम्मत, होटल और परिवहन) में हुआ जो 11 प्रतिशत तक बढ़ गया।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 25–26 के दौरान जीएसटी सुधारों का साहसिक कदम भी उठाया, जिसमें निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रकार जोखिम भी भली भांति संतुलन स्थापित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप आगे सार्वजनिक निवेश भारतीय विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना रहेगा। व्यक्तिगत गृह निर्माण, विशेष रूप से घरेलू खपत, अभी भी समग्र सीमेंट खपत का लगभग दो तिहाई योगदान देता है।

वर्ष में व्यापार निर्णयों को प्रभावित करने के कारकों के रूप में टैरिफ के उपयोग भी देखा गया और देश ने ओमान और न्यूजीलैंड यूरोपीय संघ, यूके सहित विभिन्न देशों/क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए है। अमेरिका, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और इजरायल के साथ भी व्यापार वार्ता चल रही है।

निर्माण सामग्री उद्योग का एक अभिन्न अंग होने के कारण, सीमेंट को गति शक्ति, किफायती आवास और विभिन्न बुनियादी ढाँचा विस्तार परियोजनाओं जैसी विभिन्न सरकारी पहलों से लाभ होगा। जहाँ वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, भू–राजनीतिक तनाव और व्यापार बाधाओं/शुल्कों के कारण नकारात्मक जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं भारत की सुदृढ़ व्यापक आर्थिक बुनियाद, सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र, बढ़ता मध्यम वर्ग और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की स्थिति में रखती है।

आपकी कंपनी का कार्य–निष्पादन

सीसीआई का सबसे बड़ा दस लाख टन सीमेंट संयंत्र दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के तांदूर में अवस्थित है, जो सीमेंट अधिशेष क्षेत्र बना हुआ है। हमारे आसपास लगभग 35 मिलियन टन की वार्षिक सीमेंट उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, जिसमें से तीन संयंत्र तेलंगाना में ही अवस्थित हैं। भारतीय सीमेंट उद्योग में समेकन का चरण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी जारी रहा और इसका कीमतों पर सीधा असर पड़ा क्योंकि सीमेंट एक ब्रांडेड कमोडिटी है। इसने कई बाजारों में हमारी बिक्री क्षमता को भी प्रभावित किया। तथापि सीसीआई हमारे आस–पास के बाजारों में उपभोक्ताओं का पसंदीदा बना रहा, जो ब्रांड की ताकत और ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में बताता है। उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में कीमतें जबरदस्त दबाव में रहीं।

कुल मिलाकर वार्षिक सीमेंट उत्पादन की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 24–25 के दौरान 6.65 लाख मीट्रिक टन से मामूली रूप से बढ़कर वित्तीय वर्ष 25–26 के दौरान 6.75 लाख मीट्रिक टन हो गया। जबकि तांदूर और बोकाजन इकाइयों ने अपने सीमेंट उत्पादन में वृद्धि दर्ज की, संयंत्र और मशीनरी के क्षतिग्रस्त होने के कारण राजबन में गिरावट दर्ज की गई।

तथापि, एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए, हमने टंडूर इकाई से महाराष्ट्र और कर्नाटक के निकटवर्ती राज्यों में स्थित कंक्रीट स्लीपर संयंत्रों के लिए केवल कुछ सीमेंट कंपनियों द्वारा उत्पादित एक विशेष ग्रेड सीमेंट, आईआरएस टी–40 के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि की। इस सीमेंट का प्रति टन योगदान अन्य सीमेंट किस्मों की तुलना में बेहतर है। व्यापार खंड में हम पोर्टलैंड पॉजोलोना सीमेंट (पीपीसी) की बिक्री पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) भी सभी इकाइयों में उपलब्ध है।

वर्तमान वर्ष में कंपनी के वित्तीय मापदंडों में भी सुधार हुआ है, जिसमें निवल मूल्य में वित्तीय वर्ष 24–25 में 253 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 25–26 में 327 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान निवल लाभ में भी सुधार हुआ, जो 31 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़ हो गया। पीपीसी के उत्पादन पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के कारण, क्लिंकर सीमेंट प्रतिशत में वित्तीय वर्ष 24–24 में 87.33 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 25–26 में 84.56 प्रतिशत तक बढ़ा है। यह संगठन के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में की दृढ़ इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करता है।

भारत सरकार की ओर से तांदूर इकाई से मैत्रीपूर्ण द्वीपीय देश सेशेल्स के लोगों को उपहार के स्वरूप में, हमने विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट निर्यात किया। सीमेंट को कारखाने से कोंकोर रेक के माध्यम से भेजा गया था, जिसे बंदरगाह पर रखा गया और बाद में सेशेल्स के लिए आगे की यात्रा के लिए जहाज में भरा गया। इस खेप को माननीय प्रधानमंत्री श्री

नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान सेशेल्स को सौंपा था।

संयंत्र के भीतर रेलवे साइडिंग के लाभ का लाभ उठाते हुए, बोकाजन इकाई ने मणिपुर की सीमेंट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मणिपुर के खोंगसांग रेलवे स्टेशन को सीमेंट भेजा। इकाई सक्रिय रूप से पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रेलगाड़ियों के माध्यम से सीमेंट पहुंचाने पर भी विचार कर रही है।

विकास संबंधी पहलें

सीसीआई सीमेंट उत्पादन के कार्बन उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ता होने के बावजूद अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सीमेंट की तीनों इकाइयों में सौर संयंत्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राजबन और बोकाजन इकाइयों में एक–एक मेगावाट के सौर संयंत्र पहले से ही चालू हो चुक हैं, तांदूर इकाई में 6 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए प्रयास चल रहे हैं। राजबन और बोकाजन दोनों इकाइयों में अपशिष्ट ताप पुनः प्राप्ति प्रणाली चालू है। राजबन इकाई में एक इलेक्ट्रॉनिक पैकर स्थापित किया गया है और तांदूर इकाई में भी इसे स्थापित किया जा रहा है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

सीएसआर नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और इस नीति को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगम में लागू किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी आस–पास के समुदायों तक भी फैली हुई है जहां सीसीआई शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी विभिन्न बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है और हमारा भविष्य में भी सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़े मानवीय दृष्टिकोण को जारी रखने का प्रयास रहेगा।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कंपनी का मानना है कि कंपनी के सभी हितधारकों के साथ नैतिक और पारदर्शी व्यावसायिक प्रथाएं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानदंडों का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपकी कंपनी इसे आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। मुझे आपको यह बताते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आपकी कंपनी निगम शासन के संबंध में निरंतर ''उत्कृष्ट रेटिंग'' प्राप्त हो रही है।

आभार

आपका निरंतर सहयोग और विश्वास उत्कृष्टता के लिए नए प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और मैं, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, आपके और भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय को, हमारे सभी प्रयासों में उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं।

मैं सीसीआई के उत्पादों को निरंतर समर्थन देने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों, सीएजी, हमारे बैंकरों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, महानिदेशक लेखापरीक्षा (विद्युत) और अन्य सभी प्राधिकरणों और एजेंसियों के अपार सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं।

अंत में, मैं निगम के समग्र विकास और वृद्धि में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, भागीदारी और समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

आप सभी का पुनः धन्यवाद,,

जय हिंद,

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं: 09353339

दिनांक : 22.09.2026
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकगणों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मुझे 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ आपकी कंपनी की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।

1. वित्तीय कार्य–निष्पादन

गत वर्ष के आंकड़ों के साथ वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी का वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2025–26 को समाप्त वर्ष के लिए	वर्ष 2024–25 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रचालन से निवल आय	326.96	326.81
2	अन्य आय	58.80	114.61
3	मूल्यह्रास एवं ब्याज से भिन्न कुल आय	367.03	396.21
4	असाधारण आय / (व्यय)	71.44	0.00
5	पीबीडीआईटी	90.17	45.21
6	घटाएं: वित्तीय लागत	1.43	0.53
7	पीबीडीटी	88.74	44.68
8	घटाएं: मूल्यह्रास	14.06	13.63
9	कर पूर्व लाभ / (हानि)	74.67	31.05
10	घटाएं: आय कर	13.59	2.60
11	घटाएं: पूर्व के वर्षों का आय कर	3.63	-
12	जोडें: एमएटी क्रेडिट पात्रता	13.59	2.60
13	जोडें: पूर्व के वर्षों की एमएटी क्रेडिट पात्रता	3.63	-
14	करोपरांत निवल लाभ	74.67	31.05

2. लाभांश

कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान घाटा हुआ है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

3. कारोबारी प्रचालन और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा

आपके निदेशकगण वर्ष 2025–26 के दौरान किए गए कारोबारी प्रचालन का विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं:–

क. प्रचालन

(i) इकाइयों का कार्य–निष्पादन–

अत्यंत गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, सीसीआई ने कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की, तथापि बाजार के दबाव ने अंतिम सीमेंट उत्पादन को रोक दिया।

- **क्लिंकर उत्पादन:** वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल क्लिंकर उत्पादन 5,62,420 मीट्रिक टन था, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 में 5,54,255 मीट्रिक टन के सापेक्ष 8,165 मीट्रिक टन की वृद्धि प्रदर्शित करता है।
- **मालसूची अनुकूलन:** गत वित्तीय वर्ष की तुलना में क्लिंकर मालसूची स्तर में लगभग 8,326 मीट्रिक टन तक की कमी लाने में सफल रहे।
- **सीमेंट मूल्य युद्ध और मांग की बाधाएं:** उद्योग को स्थिर मांग और निजी खिलाड़ियों से कड़े प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण (मूल्य युद्ध) का सामना करना पड़ा। इस सुस्त मांग ने सीधे सीसीआई के संचालन को बाधित

किया, सीमेंट सिलोस लगातार भरे रहे, जिससे इकाइयों को जानबूझकर पीसने के कार्यों को धीमा या बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप अंतिम सीमेंट उत्पादन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से कम हो गया।

अलग–अलग और सामूहिक रूप से परिचालन इकाइयों की क्षमता का उपयोग सीमेंट (प्रतिशत), क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन में), और सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन में) इस प्रकार है –

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25			सीसीआई का सामूहिक उत्पादन	वित्तीय वर्ष 2025–26			सीसीआई का सामूहिक उत्पादन
	बोकाजन	राजबन	तांदूर		बोकाजन	राजबन	तांदूर	
	(मीट्रिक टन)	(मीट्रिक टन)	(मीट्रिक टन)	(मीट्रिक टन)	(मीट्रिक टन)	(मीट्रिक टन)	(मीट्रिक टन)	(मीट्रिक टन)
क्लिंकर उत्पादन	85250	119005	350000	554255	103100	94930	364390	562420
सीमेंट उत्पादन	97750	140775	427270	665795	108320	112080	454520	674920



माननीय मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी (भारी उद्योग मंत्रालय) श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीसीआई के साथ बैठक करते हुए





श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,सीसीआई तांदूर इकाई की प्रगति की समीक्षा करते हुए



श्री बालासुकुमार डेनियल, निदेशक (संचालन, सीसीआई तांदूर इकाई की प्रगति की समीक्षा करते हुए

(ii) गुणवत्ता –

सीसीआई विभिन्न प्रकार के सीमेंट जैसे पोर्टलैंड पॉजोलाना सीमेंट (पीपीसी), साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) का निर्माण विभिन्न ग्रेडों जैसे 43, 53 और 53एस (भारतीय रेलवे के लिए स्लीपरों के निर्माण हेतु विशेष ग्रेड सीमेंट) के साथ सुदृढ गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत सीसीआई सीमेंट के ब्रांड नाम से करता है।

परियोजनाओं की स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है:

क) बोकाजन विस्तार परियोजना की स्थिति

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रोमैक), बैंगलोर को कार्य आदेश संख्या 46/10/6(6)/10–एमएमओ/196 दिनांक 30.09.2010 के अंतर्गत बोकाजन इकाई को 1200 टीपीडी तक बढ़ाने के लिए दिनांक 24.09.2010 को 18 माह की पूर्णता अवधि पर 142.40 करोड़ रुपये की लागत पर कार्यादेश प्रदान किया गया था। यह परियोजना लगभग 7 वर्षों तक अधर में लटकी रही। अतः सीसीआई ने दिनांक 06.03.2019 को मैसर्स प्रोमैक के साथ यह संविदा समाप्त कर दी। मध्यस्थ अधिकरण का निर्णय सीसीआई के पक्ष में आया है।

ख) सिलचर ग्राइंडिंग इकाई की स्थिति

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रोमैक) को कार्य आदेश संख्या 47/10/6(7)/10–एमएमओ/206 दिनांक 30.09.2010 के अंतर्गत सिलचर (असम) में टर्नकी आधार पर 12 माह की पूर्णता अवधि पर 50 टीपीएच सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना के लिए 39.68 करोड़ रुपये मूल्य का कार्यादेश जारी किया गया था।संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन पर, सीसीआई ने दिनांक 06.03.2019 का यह कार्यादेश समाप्त कर दिया। सीसीआई ने मध्यस्थ आधिकरण के निर्णय को चुनौती दी है।

ग) तांदुर में प्रौद्योगिकी उन्नयन

1. गुणवत्ता को स्थिर करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कच्चे मिल और सीमेंट मिलों में शामिल रेसिपी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली।

2. स्थिर कैल्सीकरण और ईंधन दक्षता के लिए कैल्सीनर कोल पीआईडी नियंत्रण का एकीकरण।

3. बेहतर निगरानी और प्रचालन नियंत्रण के लिए भट्ठी, वीआरएम और सीमेंट मिल जैसे प्रमुख अनुभागों में प्रक्रिया मापदंडों के प्रावधान के साथ स्वचालन उन्नयन।

4. तापीय नुकसान और अनियोजित भट्ठी स्टॉपेज को कम करने के लिए मानक अपवर्तक सामग्री का अंगीकरण।

5. माल प्रेषण पर पैकिंग सटीकता बढ़ाने और सीमेंट के नुकसान को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पैकर खरीद की शुरूआत।

गैर–प्रचालनरत इकाइयों की निष्क्रिय परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का विवरण

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के पत्र संख्या 1(1)/2017–पीई–XII/सीपीएसई–III दिनांक 09.02.2022 के अनुसार, कंपनी ने एमएसटीसी द्वारा आयोजित खुली ई–नीलामी के माध्यम से ''जैसा है, जहाँ है'' के आधार पर अपने गैर–प्रचालनरत इकाइयों (एनओयू) की निष्क्रिय परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का कार्य आरंभ किया।

सभी सात (7) गैर–प्रचालनरत इकाइयों के लिए ई–नीलामी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है, और तदनुसार सभी सात एनओयू से धनराशि प्राप्त कर ली गई है। इन गैर–प्रचालनरत इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी, भंडार, स्पेयर, सिविल संरचनाओं और अन्य संपत्तियों की बिक्री और निपटान की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	इकाई की अवस्थिति	स्थिति
1	चरखी दादरी, हरियाणा	पूर्ण
2	अकलतरा, छत्तीसगढ़	
3	मंधार, छत्तीसगढ़	
4	कुरकुंटा, कर्नाटक	
5	भटिंडा, पंजाब	
6	नयागांव, मध्य प्रदेश	बिक्री आदेश जारी कर दिया गया है। निपटान कार्य चल रहा है।
7	आदिलाबाद, तेलंगाना	

गैर–प्रचालनरत इकाइयों की रेलवे साइडिंग का किराया

निष्क्रिय बुनियादी ढांचे का अभीष्ट उपयोग सुनिश्चित करने और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए, कंपनी ने अपनी गैर–प्रचालनरत इकाइयों (एनओयू) के अप्रयुक्त रेलवे साइडिंग को किराए पर दिया है। विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष के दौरान, सीसीआई के अकलतरा गैर–प्रचालनरत इकाई में रेलवे साइडिंग लाइन नंबर 1 का पहली बार व्यावसायिक रूप से उपयोग किया गया, जो निगम के निष्क्रिय बुनियादी ढांचे के मुद्रीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस पहल से आवर्ती गैर–प्रचालनरत आय की एक अतिरिक्त स्रोत उत्पन्न होने की उम्मीद है।

यह अकलतरा इकाई में रेलवे साइडिंग लाइन नंबर 3 के वाणिज्यिक उपयोग के माध्यम से पहले से ही उत्पन्न राजस्व के अतिरिक्त है। रेलवे साइडिंग लाइन नंबर 1 के मुद्रीकरण ने इकाई की राजस्व–उत्पादक क्षमता को और बढ़ाया है और इससे निगम की आवर्ती गैर–प्रचालनरत आय में सार्थक योगदान मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी ने मंधार, छत्तीसगढ़ में रेलवे साइडिंग के परिचालन के लिए निविदा को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया। वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर, मंधार रेलवे साइडिंग से आवर्ती गैर–प्रचालनरत आय का एक अतिरिक्त स्रोत मिलने की उम्मीद है, जिससे निगम के राजस्व आधार को और मजबूत किया जा सकेगा।

ख. लाभप्रदता

कंपनी ने गत वर्ष 31.05 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2025–26 के दौरान 74.67 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया।

ग. उद्योग की की मुख्य बातें और दृष्टिकोण बातें और दृष्टिकोण

भारत लगभग 700 मिलियन टन की कुल वार्षिक स्थापित क्षमता के साथ विश्व में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। उत्पादन चूना पत्थर के भंडार वाले राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में केंद्रित है। दक्षिण भारत में स्थापित क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा 32% है, इसके बाद उत्तर भारत में 20 प्रतिशत है।

केंद्रीय बजट 2026–27 में सड़कों, रेलवे, लॉजिस्टिक्स (मल्टी–मॉडल परिवहन सहित) और शहरी बुनियादी ढांचे में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने 6,000 किलोमीटर नेटवर्क को कवर करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है, और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) ने अगले पांच वर्षों में ₹ 102 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की है। चल रहे आवास उछाल, मजबूत ग्रामीण मांग (जो अब कुल सीमेंट खपत का लगभग एक तिहाई है), किफायती आवास योजनाओं, तेजी से शहरीकरण और विनिर्माण में वृद्धि के साथ, इन पहलों से सीमेंट की मांग में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।



श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, सीसीआई माननीय श्री प्रेम चंद्र मौर्य, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को सम्मानित करते हुए

सीमेंट की खपत को और बढ़ावा देने के लिए प्रमुख केंद्र सरकार की पहलें:

- पीएमएवाई शहरी 2.0, पांच वर्षों में एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए समर्थन को लक्षित करता है, जिसमें प्रति पात्र परिवार 2.50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता शामिल है। फरवरी 2026 में अतिरिक्त 2.88 लाख घरों को मंजूरी दी गई, जिससे कुल स्वीकृत घरों की संख्या 13.61 लाख हो गई।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके लिए केंद्रीय बजट 2026–27 में ग्रामीण आवास विकास के लिए 54,916.7 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- पीएम गति शक्ति योजना के तहत, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप 16.10 लाख करोड़ रुपये की 352 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है, साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50–वर्ष तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का 7,400 से 9,305 परियोजनाओं तक विस्तार।

बुनियादी ढांचे, आवास और लॉजिस्टिक्स पर सरकार के इस निरंतर ध्यान से समर्थित, भारतीय सीमेंट क्षेत्र मजबूत मध्यम अवधि की वृद्धि को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसमें प्रमुख अंतिम उपयोगकर्ता क्षेत्रों में मांग मजबूत रहने की संभावना है। निरंतर समेकन, राष्ट्रव्यापी क्षमता विस्तार, और हरित ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स दक्षता में बढ़ती निवेश से उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करने की उम्मीद हैय सीसीआई ने अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए अपनी बोकाजन और राजबन इकाइयों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की हैं।

देश का वार्षिक सीमेंट उत्पादन लगभग 490 मिलियन टन तक पहुंच गया, जबकि प्रति व्यक्ति खपत लगभग 290 किलोग्राम तक पहुंच गई – जो अभी भी विश्व औसत से काफी कम है, जो महत्वपूर्ण दीर्घकालिक दायरे को रेखांकित करता है। सीमेंट की कीमतें वित्तीय वर्ष 2025–26 की तुलना में मामूली रूप से अधिक थीं!तथापि, ईंधन और माल भाड़े की लागत में वृद्धि, विशेष रूप से पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से मुक्त नौवहन में व्यवधान के बीच, वित्तीय वर्ष 2026–27 में लाभप्रदता की प्रासंगिकता के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है।





श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, सीसीआई श्री हर्षवर्धन चौहान, औद्योगिक मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार से मुलाकात करते हुए

घ. कंपनी का प्रदर्शन

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 6.75 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बिक्री में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजबन इकाई में उत्पादन कुछ सप्ताहं तक बाधित रहा, क्योंकि यह खराब हो गया था। दक्षिण भारत उद्योग के लिए सबसे कम क्षमता उपयोग वाला क्षेत्र बना हुआ है, और इसके परिणामस्वरूप कमजोर मूल्य निर्धारण वातावरण के कारण तांदूर इकाई के करीब बाजारों में अधिक केंद्रित बिक्री हुई। बढ़ती ऊर्जा कीमतों ने इनपुट लागत में भी वृद्धि की है, जिससे इकाई की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है। कंपनी मिश्रित सीमेंट को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है, जो अधिक पर्यावरण के अनुकूल है।

ङ. विपणन और विपणन वातावरण

सीसीआई की तीन प्रचालन इकाइयां हैं, जो तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और असम में स्थित हैं। तांदूर इकाई एक मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक एकीकृत संयंत्र है, जबकि अन्य दो इकाइयां छोटी हैं लेकिन रणनीतिक रूप से स्थित हैं। तांदूर 100 किमी के दायरे में दस एकीकृत सीमेंट संयंत्रों के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी समूह के भीतर काम करता है, जो तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाजारों को सेवा प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। विगत दो वर्षों में विलय और अधिग्रहण के माध्यम से अखिल भारतीय समेकन ने सीमेंट की कीमतों पर और दबाव डाला है। हालांकि, सीसीआई, अपनी उपभोक्ता स्वीकृति और वरीयता के बल पर इन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है, और समेकन चरण समाप्त होने के बाद लाभान्वित होने के लिए खड़ा है। तांदूर में, कंपनी ने ओपीसी 53S को भी बढ़ावा दिया है, जो कर्नाटक और तेलंगाना में कंक्रीट–स्लीपर संयंत्रों में रेलवे स्लीपर के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला एक विशेष–ग्रेड सीमेंट है।

पूर्वोत्तर भारत में बाजार भी विकसित हो रहे हैं, जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय खिलाड़ी इस क्षेत्र में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं या अधिग्रहण की योजना बना रहे हैं। सीसीआई बोकाजन इकाई के भीतर एक रेलवे साइडिंग की उपलब्धता, हालांकि, प्रतिस्पर्धियों पर एक अलग लाभ प्रदान करती है, और इकाई अपने पड़ोसी बाजारों में मजबूत ग्राहक वरीयता का लाभ उठा रही हैं

सीसीआई राजबन, हालांकि उत्तराखंड सीमा के करीब, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसके प्रमुख बाजार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। इकाई ने हिमालय क्षेत्र में चल रहे बड़े पैमाने पर विकासात्मक और बुनियादी ढांचे के काम के बीच कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं को सीमेंट की आपूर्ति की है।

एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम में, सरकार ने सितंबर 2025 के दौरान सीमेंट पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया। यह विभेदक कर लाभ उपभोक्ताओं को पारित किया गया है, जिससे निर्माण गतिविधि को और बढ़ावा मिला है, और बिल्डरों, व्यक्तिगत गृह–निर्माताओं और बुनियादी ढांचा विकासकर्ताओं द्वारा समान रूप से पूरे उद्योग में अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में विपणन वातावरण चुनौतीपूर्ण रहने की उम्मीद है, समेकन चरण अभी समाप्त नहीं हुआ है और सीमेंट की कीमतें दबाव में बनी हुई हैं। सीसीआई इन चुनौतियों का सामना करने और उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली सीमेंट की पेशकश जारी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

वर्ष के दौरान, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत सरकार की ओर से सेशेल्स के लोगों को उपहार के रूप में विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से अपने तांदूर इकाई से 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट का निर्यात किया। सीमेंट को तांदूर से CONCOR रेक के माध्यम से भेजा गया, बंदरगाह पर संभाला गया और आगे के शिपमेंट के लिए जहाज पर लोड किया गया। खेप को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 26 जून को अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान सौंपा था।

4. पूंजी संरचना

इस वित्तीय वर्ष के दौरान निगम को भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में कंपनी की शेयर पूंजी 811.41 करोड़ रुपये थी, जिसमें 455.98 करोड़ रुपए की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी और 355.43 करोड़ रुपए के चुकता गैर–संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर सम्मिलित हैं।

5. मानव संसाधन प्रबंधन

अपनी स्थापना के 61 वर्षों की महत्वपूर्ण अवधि में सीसीआई अपनी सबसे बड़ी ताकत – अपने लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। कंपनी में समर्पित कार्यबल है जिसमें लगभग 278 नियमित कर्मचारी और 1,120 संविदा कर्मचारी सम्मिलित हैं, जो भिन्न–भिन कौशल, योग्यताएं और विशेषज्ञता रखते हैं।सीसीआई का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारी विकास कंपनी के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमुख संस्थानों के सहयोग से, कंपनी ज्ञान, तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और अपने कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर केंद्रित कार्यक्रम संचालित करती रहती है।



इकाइयों में सीसीआई स्थापना दिवस का समारोह





विकाराबाद जिला पुलिस प्रशासन, सीसीआई कर्मचारी, मजदूर और करनकोट के ग्रामीणों की उपस्थिति में सामुदायिक केंद्र तांदूर में सीसीआई जागरूकता कार्यक्रम और नेत्र जांच शिविर की झलकियाँ



निगम कार्यालय में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

6. औद्योगिक संबंधः

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–2026 के दौरान एक अनुकूल और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध माहौल को बढ़ावा दिया। सीसीआई ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी लागू श्रम कानूनों का भी पालन किया, जिसके परिणामस्वरूप श्रम विवादों के कारण मानव दिवसों का नुकसान नही हुआ। सीसीआई के पास विभिन्न स्तरों पर ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के साथ बातचीत और चर्चा के माध्यम से संरचित तरीके से समस्यायाओं का निवारण करने एक अच्छी प्रथा विद्यमान है।



श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, सीसीआई श्री आर. डी. नजीम, अपर मुख्य सचिव (उद्योग एवं परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार से मुलाकात करत हुए







सीसीआई की इकाइयों में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के दौरान सुरक्षा जागरूकता पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन जिसमें सामुदायिक सुरक्षा के लिए विभिन्न जीवन रक्षक उपायों को भी समझाया गया।



सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्यात किए गए 8500 मीट्रिक टन सीमेंट की खेप, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हिंद महासागर द्वीप राष्ट्र सेसल्स की अपनी हालिया यात्रा के दौरान सेसल्स की सरकार और जनता को सौंपी गई थी।

7. मानव संसाधन विकास:

स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से विकसित हो रहे युग में, काम अब केवल कार्यों को पूरा करने के बारे में नहीं है – यह सार्थक कर्मचारी अनुभव बनाने के बारे में है जो नवाचार, सहयोग और संगठनात्मक उत्कृष्टता को प्रेरित करता है। आधुनिक कार्यस्थलों में कर्मचारी अपेक्षाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें लचीलापन, कल्याण, विविधता, समानता, समावेश और निरंतर सीखने पर जोर दिया जा रहा है। इस परिवर्तन को पहचानते हुए, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) का मानव संसाधन विकास विभाग प्रगतिशील, लोगों पर केंद्रित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में हमेषा सबसे आगे रहा है जो निगम के मिशन, विजन और रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए कर्मचारियों को सशक्त बनाता है।

कार्यबल प्रबंधन के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए, सीसीआई ने अपने मानव संसाधन प्रथाओं को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। निगम ने ऑनलाइन भर्ती और ऑनलाइन प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली सहित प्रमुख मानव संसाधन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सुव्यवस्थित किया है, जिससे तेजी से, अधिक पारदर्शी और कुशल प्रतिभा अधिग्रहण और प्रदर्शन मूल्यांकन को सक्षम किया गया है। इन डिजिटल पहलों ने मैनुअल हस्तक्षेप को काफी कम कर दिया है, प्रसंस्करण समय को कम कर दिया है, सटीकता में सुधार किया है और समग्र कर्मचारी अनुभव को बढ़ाया है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से डेटा–आधारित निर्णय लेने की इच्छाषक्ति को भी मजबूत किया गया है और जवाबदेही और प्रदर्शन उत्कृष्टता की संस्कृति को मजबूत किया गया है।

यह मानते हुए कि मानव पूंजी सतत संगठनात्मक विकास की नींव है, सीसीआई निरंतर सीखने, कौशल वृद्धि और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से अपने कार्यबल के विकास में निवेश करना जारी रखता है। निगम कर्मचारियों को अपनी दक्षताओं को उन्नत करने, नवाचार को अपनाने और एक बदलते कारोबारी माहौल में चुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस तरह की पहल न केवल कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है, अपितु संगठनात्मक प्रदर्शन और दीर्घकालिक सफलता में भी योगदान करती है।

टीम वर्क को बढ़ावा देने, पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, मानव संसाधन विभाग नियमित रूप से कर्मचारी सहभागिता की एक विस्तृत श्रृंखला की पहल करता है। इनमें टीम निर्माण गतिविधियां, स्वच्छता पखवाड़ा (स्वच्छता अभियान), खेल प्रतियोगिताएं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह, राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस, सुरक्षा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस और विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं। इस तरह की पहल सहयोग को प्रोत्साहित करती है, कर्मचारी मनोबल को बढ़ाती है, संगठनात्मक मूल्यों को सुदृढ़ करती है और एक जीवंत और समावेशी कार्यस्थल बनाती है।

सीसीआई विभिन्न सामाजिक आउटरीच पहलों के माध्यम से कर्मचारी स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण पर भी महत्वपूर्ण जोर देता है। निगम नियमित रूप से अपने इकाई स्थानों में कर्मचारियों और स्कूल के छात्रों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, आस–पास के गांवों में चिकित्सा शिविर आयोजित करता है, और वंचित समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करता है। ये पहल कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति सीसीआई की प्रतिबद्धता और कार्यस्थल से परे सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के उसके प्रयास को दर्शाती हैं।





सीसीआई राजबन ने हर्षोल्लास के साथ अंबेडकर जयंतीमनाई। छोटे बच्चों को स्टेशनरी का सामान और लड्डू बांटे गए, जिसेबच्चों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया और इस प्रकार शिक्षा समानता और सामाजिक उत्थान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई







सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सभी 3 इकाइयों में योग दिवस पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया गया। कर्मचारियों और उनके परिवारों ने एक साथ योग सत्र में हिस्सा लिया, जिससे फिटनेस, माइंडफुलनेस और पारिवारिक जुड़ाव को बढ़ावा मिला।





निगम कार्यालय में होली मिलन





सीसीआई क्वारी दिल्लाई परबत चूना पत्थर खानों में परिवार के सदस्यों और सीसीआई बोकाजन इकाई के कर्मचारियों के बच्चों द्वारा आयोजित रंगारंग बिहू–2026 हर्षोल्लास से मनाया गया



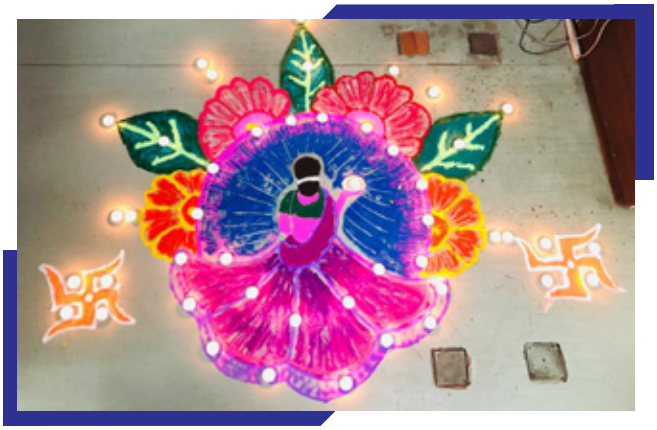


स्वच्छ भारत अभियान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के तहत निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन जिसमें रचनात्मक प्रविष्टियों में स्वच्छता और साफ–सफाई के महत्व पर प्रकाश डाला गया









निगम कार्यालय में रंगोली प्रतियोगिता के साथ दीपोत्सव

विशेष अभियान 5.0

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यालयों में स्वच्छता, दक्षता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान 5.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया। अभियान में कॉर्पोरेट कार्यालय और इकाइयों में स्वच्छता डॉ.ि व्स, व्यवस्थित रिकॉर्ड प्रबंधन, अप्रचलित रिकॉर्ड और स्क्रैप के निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया। कर्मचारियों ने स्वच्छता, पारदर्शिता और परिचालन दक्षता की संस्कृति को मजबूत करते हुए और अधिक संगठित, टिकाऊ और उत्पादक कार्यस्थल में योगदान करते हुए इस पहल में उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

विशेष अभियान 5.0 ने कार्यालय स्थानों को अनुकूलित करके कार्यस्थल दक्षता में सुधार, प्रशासनिक मामलों में लंबितता को कम करने और दिन–प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने पर भी जोर दिया। सतत प्रथाओं, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और कर्मचारी सहभागिता गतिविधियां आयोजित की गईं।

विशेष अभियान 5.0 का सफल कार्यान्वयन स्वच्छता, कार्य कुशलता और सुशासन के सिद्धांतों के प्रति सीसीआई के समर्पण को दर्शाता है।







विशेष अभियान–5.0 के हिस्से के रूप में, सीसीआई ने पुरानी फाइलों की सफाई और छंटाई सफलतापूर्वक की, जिससे स्वच्छता और दक्षता की भावना को बल मिला।

टीबी मुक्त भारत अभियान– 100 दिवसीय अभियान गांव गांव शहर शहर

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने तपेदिक उन्मूलन के भारत सरकार के मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सक्रिय रूप से टीबी मुक्त भारत अभियान– 100–कंल अभियान में भाग लिया। "गाँव गाँव, शहर शहर", अभियान के हिस्से के रूप में, टीबी की रोकथाम, शीघ्र निदान, समय पर उपचार और बीमारी से जुड़े कलंक को खत्म करने के महत्व पर कर्मचारियों और आस–पास के समुदायों को शिक्षित करने के लिए सीसीआई इकाइयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, सीसीआई इकाइयों ने टीबी रोगियों को टीबी पोषण किट वितरित किए, जिससे उनकी रिकवरी में सहायता करने और उपचार के पालन को बढ़ावा देने के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान की गई। ये पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता को मजबूत करने, सामुदायिक कल्याण का समर्थन करने और टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान करने के लिए सीसीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।



सीसीआई बोकाजन इकाईद्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवस अभियान के हिस्से के रूप में टीबी जागरूकता सत्र का आयोजन





सीसीआई तंदूर इकाई द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी रोगियों को 72 टीबी पोषण किट वितरित किए



सीसीआई राजबान इकाई द्वारा स्वास्थ्य लाभ और टीबी मुक्त समुदाय के लिए पौष्टिक भोजन के साथ उपचार का समर्थन करते हुए स्वास्थ्य केंद्रों तरुवाला और अजोली में टीबी रोगियों को पोषण टोकरी वितरित किए गए।

8. प्रशिक्षण और विकास

सीसीआई ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान संरचित प्रशिक्षण और विकास पहलों के माध्यम से कर्मचारी सीखने और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। कर्मचारियों की तकनीकी, प्रबंधकीय, व्यवहारिक और कार्यात्मक दक्षताओं को बढ़ाने के लिए कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के लिए भी नामांकित किया गया।

निरंतर स्व–शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, कर्मचारियों को आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर योग्यता–आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे वे डिजिटल शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल को उन्नत कर सकें।

इसके अलावा, सीसीआई ने कॉर्पोरेट कार्यालय, इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को शामिल करते हुए ज्ञान साझाकरण सत्रों का आयोजन किया ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं और कार्यात्मक विशेषज्ञता के आदान–प्रदान को सुविधाजनक बनाया जा सके, जिससे सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा मिले और संगठनात्मक प्रभावशीलता में सुधार हो।



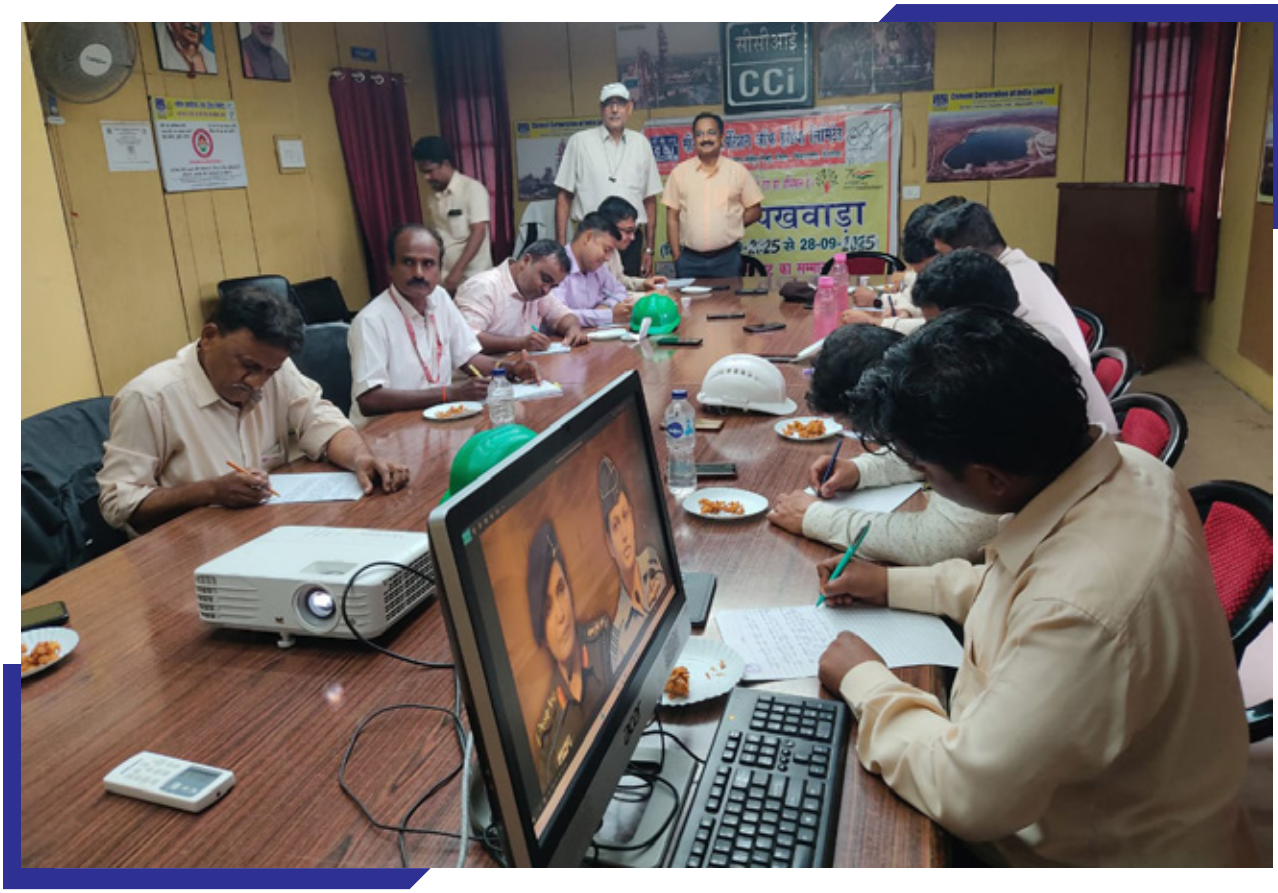
सीमेंट उत्पादन और इकाई के कामकाज की गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों का राजबन इकाई का अध्ययन दौरा

9. राजभाषा कार्यान्वयनः

निगम ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप हिंदी के प्रगामी प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया है। नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। निगम राजभाषा कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से सहभागिता करता है इसके अतिरिक्त निगम में दैनिक कार्यों में हिंदी के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है।



बोकाजन इकाई में आयोजित 'कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी का महत्व'' विषय पर निबंध प्रतियोगिता में कर्मचारीगण सहभागिता करते हुए



कर्मचारियों ने तांदूर इकाई में हिंदी चित्र वर्णन प्रतियोगिता में भाग लिया और हिंदी भाषा के बारे में अपने रचनात्मक विचार व्यक्त किए।



सीसीआई, निगम कार्यालय द्वारा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के प्रयास में एक समाचार पठन और हस्तलेखन प्रतियोगिता का आयोजन।



नगर राजभाषा कार्यान्वय समिति (नारकस), दिल्ली इकाई–2 के तत्वावधान में एसजेवीएन द्वारा आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिता में सीसीआई के अधिकरी पुरस्कार ग्रहण करते हुए

10. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वः

सीमेंट निर्माण के व्यवसाय के अलावा, सीसीआई का मुख्य उद्देश्य समुदाय को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करके समाज को कुछ वापस देना है जिसमें यह कार्य करता है। स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के संवर्धन और कौशल विकास के क्षेत्र में सीएसआर पहल आरंभ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, सीसीआई इकाइयों ने विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में योगदान दिया है, जिनमें शामिल हैं:

- सीसीआई, बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री द्वारा एक एक्वालक्स आरओ प्लांट, दो रेफ्रिजरेटर की स्थापना और मरीजों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराना।
- बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री द्वारा आपदा प्रबंधन सहायता और आपातकालीन बचाव सेवाओं के लिए एक यूबी 420 पदसिंजंइसम बचाव नाव की व्यवस्था।
- बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों (सुकाफा एमई स्कूल, सीसीआई एमई स्कूल, सरकारी ऊपरी ओके केहाई एलपी स्कूल, दिल्लाई और बोकाजन 2 मील एलपी स्कूल) के लिए पोषणयुक्त खाद्य पैकेट का वितरण।
- वर्ष 2025–26 के लिए, सीसीआई, बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री ने कौशल विकास कार्यशालाध्प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी योगदान दिया है।
- रोहिणी बे गांव में खानों के पास, मणिपुरी बस्ती हातीगढ़ में बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री के पास और एंगल स्टेशन के पास हबीबग बस्ती में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए।
- तांदूर सीमेंट फैक्ट्री द्वारा विभिन्न चिकित्सा शल्य चिकित्सा वस्तुओं जैसे बीपी मशीन विश्लेषक, ग्लूकोमीटर, स्टेथोस्कोप, वजन मशीन, मूत्र विश्लेषक, पैरा मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, नेबुलाइजर और ग्राम पंचायत आदि के लिए स्टील वस्तुओं सहित विभिन्न खेल वस्तुओं की स्थापना/व्यवस्था।
- तांदूर सीमेंट फैक्ट्री द्वारा 2 केंट आरओ की स्थापना और विभिन्न आरओ घटकों की व्यवस्था।
- तांडूर सीमेंट फैक्ट्री द्वारा नैतिक, शारीरिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए समर्पित अभिनव न्यास (जिसे अक्सर अभिनव भारत न्यास के नाम से जाना जाता है) में योगदान दिया।
- राजबन सीमेंट फैक्ट्री द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए जूते, स्टेशनरी आइटम और स्कूलों के लिए खेल आइटम के साथ ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन वर्दी की व्यवस्था की गई है, अर्थात सरकारी प्राथमिक विद्यालय मानल, सरकारी प्राथमिक विद्यालय कांदो, सरकारी प्राथमिक विद्यालय राजबन और सरकारी प्राथमिक विद्यालय बडवा।
- भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (निक्सय मित्र पहल) के तहत टीबी रोगियों को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए तांदूर सीमेंट फैक्ट्री द्वारा 72 टीबी किट का वितरण और राजबन क्षेत्र में 25 टीबी रोगियों के लिए 6 महीने के लिए पोषण टोकरी का वितरण।
- राजबन सीमेंट फैक्ट्री द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें राजबन इकाई के पास के गांवों के स्थानीय ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ–साथ छिछेटी पंचायत को निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गईं।







बोकाजन इकाई ने अपनी 2025–26 सीएसआर पहल के तहत आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। डीसी, बीटीसी अध्यक्ष, अग्निशमन और बचाव दल और मीडिया की उपस्थिति में, एक जीवन रक्षक नाव बोकाजन एडीसी उप–मंडल को सौंपी गई और शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं को स्वचालित व्हीलचेयर दी गई। खटाखाटी पुलिस स्टेशन को एक आरओ वाटर प्यूरीफायर और कूलर भी प्रदान किया गया





सीएसआर पहल के तहत सीसीआई तांदूर इकाई ने सरकारी जिला अस्पताल तंदूर को आवश्यक चिकित्सा उपकरण दान किए हैं, जिससे हमारे समुदाय के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा को सशक्त बनाया जा सके



सीसीआई लिमिटेड ने हमारे राजबन इकाई की खानों के पास गांव छछेती में स्वास्थ्य और आशा लाई, मुफ्त स्वास्थ्य शिविर टीबी जागरूकता शिविर और मुफ्त जागरूकता शिविर आयोजित किया





छोटी मुस्कान, बड़ा प्रभावः सीसीआई राजबन ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजबन के छात्रों को स्कूल की वर्दी, स्वेटर, जूते, बैग और खेल उपकरण वितरित किएजो सीसीआई की सीखने और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता हैं

11. महिला कल्याण:

कंपनी ने सक्रिय रूप से समानता की संस्कृति विकसित की है जो संगठन के सभी पहलुओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रेरित और समर्थन करती है।इस प्रगतिशील वातावरण ने परिवर्तनकारी मानसिकता को प्रोत्साहित किया है, जिससे महिलाओं को अधिक आत्मविश्वास और प्रभाव के साथ भूमिकाएं निभाने का अधिकार मिला है – जिससे वे अपने स्वयं के विकास और संगठन की वृद्धि में सार्थक योगदान दे रही हैं।निगम की सभी इकाइयों और कार्यालयों में महिला कर्मचारियों को सभी सांविधिक और अतिरिक्त लाभ समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। सीसीआई मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (2017 में संशोधित) के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ स्थायी और संविदा दोनों प्रकार की कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं, जिससे सभी पात्र महिला कर्मचारियों को व्यापक सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक समिति का गठन किया है।यह समिति यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान करने, कंपनी की नीतियों की समय–समय पर समीक्षा करने और कर्मचारियों को अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त, सीसीआई इकाइयों में समर्पित महिला क्लब हैं, जो महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक, मनोरंजक और कल्याणकारी गतिविधियों के आयोजन के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं।ये क्लब इकाई स्तर पर महिलाओं से जुड़ी चिंताओं का सक्रिय रूप से समाधान करते हैं और कंप्यूटर साक्षरता तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवा जैसे व्यावसायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। निगम महिला कर्मचारियों के समग्र कल्याण और विकास हेतु इन पहलों को सुगम बनाने के लिए ढाँचागत और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम (PoSH)

क. वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या– 00 (शून्य)

ख. वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या – 00 (शून्य)

ग. नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या – 00 (शून्य)





हमारे निगम कार्यालय में केक काटकर महिला दिवस मनाया गया। अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, श्री संजय बंगा ने महिला सशक्तिकरण पर प्रेरणादायक विचार साझा किए, समानता और प्रगति पर जोर दिया। हम एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे।

12. शिकायत निवारण तंत्र

एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली कर्मचारी संतुष्टि बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रचालनरत इकाइयों में एक मजबूत और उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है।

कर्मचारियों को वेतन, कार्य–स्थितियों, छुट्टियों, कार्य–आबंटन, कल्याणकारी सुविधाओं और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित किसी भी समय अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक शिकायत की प्रकृति के आधार पर, नामित समिति अक्सर अनौपचारिक और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से समय पर और विचारशील समाधान सुनिश्चित करती है।

सीसीआई की शिकायत निवारण प्रणाली व्यापक, सुव्यवस्थित और अनुकूलनीय है – जो कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

13. पारिश्रमिक नीति

सीसीआई में, अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य हितलाभ भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित हैं।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी अनुबंध में दी गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगम और प्रचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करके सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के भाग के रूप में किया जाता है।

16. कंपनी द्वारा अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहल पर विकसित और कार्यान्वित नीति का विवरण

आपकी कंपनी ने हमेशा अपने सीएसआर दर्शन के एक भाग के रूप में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है जिससे कारोबार और समाज विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। आपकी कंपनी ने गतिविधियों की रूपरेखा अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप बनाई है और विभिन्न पहलें आरंभ की हैं।

17. सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

1) सतर्कता जागरूकता पहल

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन सभी तीन परिचालन इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में 27 अक्तूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक किया गया था। इस सप्ताह के दौरान सभी तीन परिचालन इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकतम कर्मचारियों और जनता की भागीदारी को सामने लाने के लिए निबंध लेखन, वाद–विवाद, पोस्टर बनाना, नारा लेखन प्रतियोगिता आदि सम्मिलित थी।
- सभी तीन इकाइयों के आस–पास के गांवों में ''जागरूकता ग्राम सभा'' जैसे जागरूकता सत्र आयोजित किए गए और सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता के बारे में जनता को संवेदनशील बनाने के लिए संगोश्ठी/कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

2) सीवीसी– अनिवार्य अभियान

- सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप, 18 अगस्त 2025 से 17 नवंबर 2025 तक ––सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी'' विषय पर तीन महीने का अभियान चलाया गया जिसमें निम्नलिखित पर विशेष जोर दिया गयाः
  - लंबित शिकायतों का निपटान
  - लंबित मामलों का निपटान
  - क्षमता निर्माण कार्यक्रम
  - परिसंपत्ति प्रबंधन
  - डिजिटल पहल।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत, आचरण नियम और कार्यालय कार्य, साइबर स्वच्छता, खरीद और अनुबंध प्रबंधन, आरोप पत्र तैयार करना और सीटीई–प्रकार की गहन परीक्षाओं जैसे विषयों पर कार्यशालाएं और जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। कॉर्पोरेट कार्यालय के अधिकारियों ने शारीरिक रूप से भाग लिया, जबकि परिचालन इकाइयों ने वचुअल स्वरूप में सहभागिता की।

3. निवारक सतर्कता उपाय

- नियमित गतिविधियों में भ्रष्टाचार–प्रवण क्षेत्रों की पहचान, संवेदनशील पदों की मैपिंग, संवेदनशील पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों का समय–समय पर रोटेशन, आकस्मिक निरीक्षण, अचल संपत्ति रिटर्न की जांच और सहमत और ओडीआई सूचियों की तैयारी शामिल थी।

4. संपत्ति रिटर्न की जांच

- अनुपालन सुनिश्चित करने और अनियमितताओं का पता लगाने के लिए मानव संसाधन विभाग के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक संपत्ति रिटर्न के 20–30 प्रतिशत की त्रैमासिक आधार पर जांच की गई थी।

5. सीवीसी को रिपोर्ट करना

- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को प्रस्तुत की गई।



श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक–सीसीआई के साथ सीवीओ श्री पीयूष रंजन ने सर्तकता, क्षमता निर्माण और डिजिटल पहलों पर 3 माह #VAW2025 का अभियान का शुभारंभ किया। इस वर्ष का विषय ''सतर्कता – हमारी साझा जिम्मेदारी'' था



बोकाजन इकाई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान

18. ई–खरीद / सत्यनिष्ठा अनुबंध

संगठन में ई–प्रोक्योरमेंट सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। मेसर्स एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र), नई दिल्ली, GeM पोर्टल के अलावा ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए सेवा प्रदाता है, जहाँ सरकारी नीतियों के अनुसार खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त 50,000/– (पचास हजार) रुपये से अधिक की निविदाएं एनआईसी/जीईएम पोर्टल पर जारी ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं।

निगम में सत्यनिष्ठा अनुबंध लागू कर कर दिया गया है। एक आईईएम 10 लाख रुपये से अधिक की सभी निविदाओं के लिए सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। आईईएम द्वारा नियमित रूप से सत्यनिष्ठा अनुबंध समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।





श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, सीसीआईने सीवीओ श्री पीयूष रंजन के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई

19. एमएसएमई खरीद

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और कंपनी के लिए विकास के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। सभी खरीद गतिविधियों में भारत सरकार की एमएसएमई नीति का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से की गई खरीद कुल खरीद मूल्य का 80 प्रतिशत रही है, जो एमएसएमई नीति के तहत अनिवार्य 25 प्रतिशत खरीद की आवश्यकता से कहीं अधिक है। इसमें महिला MSM उद्यमियों से की गई खरीद, MSME से हुई कुल खरीद का 3.60 प्रतिशत रही है, जो 3 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है। एमएसएमई के सभी भुगतान तय समय–सीमा (45 दिन) के अंदर जारी किए जा रहे हैं और सीसीआई में एमएसएमई से जुड़ा कोई भी भुगतान बकाया या रुका हुआ नहीं है। इसकी जानकारी हर महीने एमएसएमईसमाधान पोर्टल पर भी दी जाती है। एमएसएमई समाधान पोर्टल पर एमएसएमई वेंडर्स की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है, जो यह दर्शाताा है कि एमएसएमई को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है।

सरकार एमएसएमई संबंध पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई की खरीद की प्रगति पर भी नजर रख रही है, जहाँ हर महीने के डेटा का विश्लेषण किया जाता है। एससी/एसटी और महिला से संबंधित एमएसएमई से होने वाली खरीद पर भी नजर रखी जा रही है और खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नियमित रूप से वेंडर मीट आयोजित की जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर एमएसएमई वेंडरों को सीसीआई की निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही सीसीआई की निविदाओं में एससी/एसटी और महिला एमएसएमई वेंडरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।



सीसीआई ने एमएसएमई और संपूर्ण भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण सीमेंट की आपूर्ति के लिए एनएसआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं

20. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

अपने कारोबार का सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, और अच्छे कॉर्पोरेट के लिए जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करना शामिल है। कंपनी में मुख्य रूप से निम्नलिखित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है:–

. स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा।

बाहरी आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति खुली निविदा/सूचीबद्धता के आधार पर लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा और कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद की जाती है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों वाली रिपोर्टें समय–समय पर कंपनी के प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और इस प्रकार नियंत्रण को मजबूत किया जाता है।

कंपनी में प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न संहिताएं, नियमावलियों और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय विद्यमान हैं, जो सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को कवर करते हैं, जैसे विपणन नियमावली, खरीद और कामकाज नियमावली, सामग्री, स्टोर, लेखा और व्यक्तिगत नियमावली आदि। विपणन नियमावलीका अद्यतन किया गया है और प्रबंधन ने बेहतर जांच और नियंत्रण के लिए समय–समय पर अन्य सभी मैनुअल को अद्यतन करने के लिए कदम उठाए हैं।

21. ऋण, गारंटी या निवेशों का ब्यौरा

वर्ष 2025–26 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई सरकारी ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया है।

22. लेखापरीक्षकों और प्रेक्टिस करनेवाले कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई अर्हताओं, छिपावों, प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

23. संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं या करारों का ब्यौरा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत यथा परिभाषित संबधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा या करार नहीं किए गये थे।

24. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति:

सीसीआई केन्द्र सरकार का सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) है जहां निदेशकों की नियुक्ति, उनको देय पारिश्रमिक और भत्तों से संबंधित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

25. वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरणी के सार इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। वार्षिक विवरणी का सार कंपनी की वेबसाइट https://www.cciltd.in/page. php?id=29 पर भी उपलब्ध है।

26. समीक्षाधीन वर्ष में आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में बोर्ड की सात (7) बैठकें अर्थात् 09.04.2025, 23.05.25, 17.07.2025, 01.08.2025, 09.10.2025, 02.12.2025 एवं 20.02.2026 को आयोजित की।

27. प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और यह कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

28. निदेशकों के उत्तरदायित्व का कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड एतद्द्वारा अपने उत्तरदायित्व का कथन प्रस्तुत करता है:–

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया था और साथ ही सामग्री प्रेषण के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें सतत रूप से लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकसम्मत हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे लाभकारी कारबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किये हैं तथा

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किये जानेवाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ कंपनी द्वारा अपने कारोबारके सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी सपंत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना,

लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी शामिल है।

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली विकसित की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

29. अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई अनुशंगी, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी नहीं है।

30. जमाएं

कंपनी ने वर्ष 2025–26 के दौरान न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

31. निदेशकगण

वर्ष 2025–26 के दौरान निम्नलिखित निदेशकगण नियुक्त हुए/पद से मुक्त हुए:

- श्री प्रेम चंद्र मौर्य, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय ने अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में दिनांक 17.07.2025 से बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री बालासुगुमार डेनियल ने दिनांक 30.12.2025 से निदेशक (प्रचालन) के रूप में बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को श्री अरुण कुमार सरकार, उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 16.03.2026 सीसीआई के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री अरुण कुमार सरकार उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय दिनांक 16.03.2026 से कंपनी के बोर्ड से अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के पद से मुक्त हो गएं। कंपनी उनके कंपनी से जुड़े रहने के दौरान उनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।
- डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय दिनांक 14.07.2025 से कंपनी के बोर्ड से अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के पद से मुक्त हो गईं। कंपनी उनके कंपनी से जुड़े रहने के दौरान उनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।

32. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

समीक्षाधीन अवधि यानी 2025–26 के दौरान बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अधीन स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की जा सकी।

वेबसाइट विकास, ई–प्रोक्योरमेंट, ई–ऑफिस, ईआरपी, ऑनलाइन बिक्री मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रोविडेंट फंड मॉड्यूल, ऑनलाइन मुकदमेबाजी पोर्टल आदि।

वेबसाइट विकास:

कंपनी के बारे में नवीनतम अपडेट और जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर एक्सेस की जा सकती है: जिसमें कंपनी प्रोफाइल,, संगठनात्मक इतिहास, विजन एंड मिशन, वार्षिक रिपोर्ट, नवीनतम निविदाएं, फोटो गैलरी, संयत्र/सीसीआई कार्यालय, एचआरएम/एचआरडी आदि शामिल हैं।

ई–खरीद पोर्टल:

सीसीआई वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की खरीद के लिए जेम (गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस) पोर्टल का उपयोग कर रहा है। तथापि, जेम पोर्टल पर उपलब्धता न होने की स्थिति में भारत सरकार जीईपीएनआईसी सीपीपी ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उपयोग किया जाता है। जीईपीएनआईसी ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल एक सुरक्षित और पारदर्शी खरीद प्रणाली है।

ई–ऑफिस पोर्टल:

फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रबंधित करने के लिए सीसीआई ई–ऑफिस 2020 से लागू है। इससे भौतिक फाइलों की आवश्यकता समाप्त हो गई और प्रोसेसिंग में विलंब अब कम हो गया है।

ई–मेल:

सीसीआई इलेक्ट्रॉनिक मेल की बेहतर सुरक्षा के लिए एनआईसी (भारत सरकार) ई–मेल सेवाओं का उपयोग कर रहा है। ईमेल.जीओवी.इन में पोर्टल का उपयोग ईमेल तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है, जिसमें दोहरी प्रमाणीकरण सुविधा है।

ईआरपी:

सभी इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में एसएपी बिजनेस वन ईआरपी प्रणाली का सुचारू रूप से उपयोग किया जा रहा है। सर्वर एमईआईटीवाई (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से लिए गए हैं, जो सूचीबद्ध क्लाउड सेवा प्रदाता (सीएसपी) हैं। एसएपी ईआरपी प्रणाली में आने वाले बैंक भुगतानों की स्वचालित पोस्टिंग को सक्षम करने के लिए एकीकृत एसबीआई के सीएमपी ई–संग्रह एपीआई।

ऑनलाइन बिक्री मॉड्यूल:

डीलर ऐप के कार्यान्वयन के लिए अभ्यास शुरू किया गया है, जिसमें डीलर सीधे सीसीआई सीमेंट संयंत्रों से सीमेंट की खरीद के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है।

ऑनलाइन भविष्य निधि मॉड्यूल:

सीसीआई कर्मचारी की सुविधा के लिए पीएफ ऑनलाइन मॉड्यूल का उपयोग कर रहा है।

ऑनलाइन प्रदर्शन मूल्यांकन पोर्टल:

ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का उपयोग पारदर्शिता और मूल्यांकन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है।

ऑनलाइन मुकदमेबाजी पोर्टल:

त्वरित कार्रवाई और स्थिति की निगरानी के लिए सभी कानूनी मामलों की स्थिति की निगरानी के लिए ऑनलाइन मुकदमेबाजी पोर्टल प्रणाली आरंभ की गई है।

33. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का अक्षरशः क्रियान्वयन करने का सदैव प्रयास किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 5 और धारा 19(1) के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किए हैं। कंपनी के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

एक विशेष आरटीआई कॉर्नर विकसित किया गया है जिसका लिंक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राधिकरणों, जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी का विवरण भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

34. विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्ययः

समय–समय पर विभिन्न पक्षकार हमसे निर्यात संबंधी पूछताछ करते रहे हैं। हमारे संयंत्रों के समुद्री बंदरगाहों से दूर के स्थानों पर होने के कारण, संयंत्रों से निकटवर्ती समुद्री बंदरगाहों तक अंतर्देशीय माल भाड़ा अधिक पड़ता है। इसी कारण हमारे एफओबी मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। निर्यात के मोर्चे पर कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि उचित अवसर मिलने पर इसका लाभ उठाया जा सके। सीमेंट का पूरा उत्पादन घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है।

35. लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2025–26 के लिए मैसस एस के मेहता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को प्रधान सांविधिक लेखापरीक्षक एवं राजबल तथा गैर प्रचालनरत इकाईयों के लिए शाखा लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था और मैसर्स एम बोरारएंड कंपनी एवं मैसर्स तुकाराम एंड कंपनी को शाखा लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं तत्संबंधी उत्तर एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

लागत लेखापरीक्षक

वर्ष 2025–26 के लिए मैसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स को निगम का मुख्य लागत लेखापरीक्षक के अलावा राजबन का लागत लेखापरीक्षक, नियुक्त किया गया था। बोकाजन इकाई के लिए मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी एवं तांदूर इकाई के लिए मैसर्स एस ढल एंड कंपनी को लागत लेखाकार नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपंनी (प्रंबधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स अमित अग्रवाल एडं एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनुबंध के रूप में संलग्न है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संबंध में, आपके निदेशकों ने निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है:

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन का प्रत्युत्तर – वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने के लिए एमआर 3

टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अधीनयथापेक्षित विभिन्न समितियों का उचित संयोजन नहीं है। तथापि, बोर्ड के अनुमोदनसे, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारी उद्योग मत्रालय को विभिन्न पत्र भेजे गए हैं।	समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीसीआई के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं क्योंकि दोनों पूर्व स्वतंत्र निदेशकों डॉ. रवींद्र शिवशंकर अरली और डॉ. मंजू बघेल का कार्यकाल 01.11. 2024 से समाप्त हो गया था। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। तथापि, समय–समय पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं।

36. लेखापरीक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण और सतर्कता तंत्र प्रदान करना

विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गठित लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित हैं:

क. श्री प्रेम चन्द्र मौर्य, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – अध्यक्ष

ख. श्री अरुण कुमार सरकार, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) सदस्य

ग. श्री प्रदीप कुमार चंद, निदेशक (वित्त) –सदस्य

कंपनी की सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। कंपनी ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं। कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी सीधी पहुंच प्रदान की है, जो कंपनी की सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अधीन कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों की रिपोर्टिंग पर सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.cciltd.inij भी उपलब्ध है।

श्री अरुण कुमार सरकार, उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय और सीसीआई बोर्ड से अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकारद्वारा नामित) के पद से दिनांक 16.03.2026 से मुक्त होने कारण लेखा परीक्षा समिति प्रभावी नहीं है।

37. आभार

निदेशक मंडल भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से आपके निगम को प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन और रेल मंत्रालय, पीईएसबी, वित्तीय संस्थानों, बैंकरों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों द्वारा दिये गये समर्थन और सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। हम सीसीआई के उत्पादों को निरंतर भारी समर्थन देने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण मैसर्स एस के मेहता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और महानिदेशक लेखापरीक्षा (विद्युत) के भी आभारी हैं। निदेशकगण निगम के कर्मचारियों के समर्पण के लिए हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं: 09353339

दिनांक : 22.09.2026
स्थान : नई दिल्ली

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(3) के अंतर्गतयथापेक्षित निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विवरण।

क. ऊर्जा संरक्षण

I. ऊर्जा संरक्षण के प्रति उठाए गए कदम अथवा प्रभाव

- पीएच पंखे मोटर के लिए वीएफडी पैनल (250 किलोवाट) की स्थापना।
- प्रीहीटर पंखे के लिए 185 किलोवाट के ऊर्जा दक्ष मोटर की स्थापना।
- बीकेओ में पावर फैक्टर को 0.95 से 0.97 तक और टीडीओ में पावर लॉस को कम करने के लिए 0.993 से 0.997 तक सुधारने के लिए एचटी एपीएफसी पैनल की स्थापना।
- पुरानी सीमेंट मिल एचटी मोटर को नई ऊर्जा कुशल मोटर से बदलना जिससे बिजली की खपत कम हो।
- सीआरडी प्रणाली के स्थान पर एलएस स्टैकर के लिए नई ड्रेग श्रृंखला रेट्रोफिटिंग की स्थापना एवं शुरुआत।

II. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

- आरईएससीओ मॉडल के तहत 1 मेगावाटपावर सौर ऊर्जा संयंत्र को सीसीआई–राजबन इकाई में चालू किया गया है। 2025–26 के दौरान संयंत्र ने 11,36,700 किलोवाट घंटे सौर ऊर्जा उत्पन्न की।
- आरईएससीओ मॉडल के अंतर्गत 1 मेगावाटपावर सौर ऊर्जा संयंत्र सीसीआई–बोकाजन में चालू किया गया है।
- सी.सी.आई.–तांदूर में 6 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।
- भट्ठी के प्रकाश के दौरान डीजल के विकल्प के रूप में पेट्रो–पॉलिमर ईंधन का उपयोग।

III. ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

सीसीआई ने दक्षता में सुधार और नुकसान को कम करने के उद्देष्य से विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को करने के लिए 35.64 लाख रुपये का निवेश किया गया है।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन के प्रति किए गएप्रयास:

1. बारिश के दौरान कोयले को गीला होने से रोकने, कोयले के नुकसान को कम करने और बेहतर दहन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए यार्ड में एक कोयला शेड की स्थापना।
2. दोनों भट्टियों के लिए ईएसपी के स्थान पर नए पीजेबीएच (पल्स जेट बैग हाउस) की स्थापना।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ

(क) थर्मल प्लांट के अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग के लिए फ्लाई ऐश की मात्रा बढ़ाने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए डॉ. वाई फ्लाई ऐश फीडिंग सिस्टम की स्थापना

(ख) वीसीबी, एवीआर आदि की स्थापना जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग ने संयंत्र के संचालन में सुधार किया और बदले में उत्पादकता में वृद्धि की।

(iii)आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के आरंभ से गणना करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): शून्य

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौराः लागू नहीं

(ख) आयात का वर्षः लागू नहीं

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से समावेशित हो गई हैः लागू नहीं

(घ) यदि पूर्णतः समावेशित नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहां समावेशन नहीं हुआ है, तथा उसके कारणय तथाः लागू नहीं

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्ययः लागू नहीं

(क) इकाई वार कुल ऊर्जा खपत और उत्पादन की प्रति इकाई ऊर्जा खपतः–

1) विद्युत	यूओएम	बोकाजन	राजबन	तांदूर
क) खरीद				
1) इकाई	किलोवाट	17362652	14650006	54944400
2) कुल राशि	लाख रुपये में	1548.73	1387.49	4598.74
3) दर प्रति किलोवाट	रुपये प्रति किलोवाट	8.92	9.47	8.37
ख) स्वयं का उत्पादन				
डीजल उत्पादन द्वारा				
1) इकाई	किलोवाट	शून्य	12080	शून्य
2) डीजल की कुल खपत	लीटर	शून्य	4471	शून्य
3) डीजल ऑयल प्रति लीटर इकाई	किलोवाट प्रति लीटर	शून्य	2.70	शून्य
4) प्रति इकाई लागत	रुपये प्रति किलोवाट	शून्य	32.91	शून्य
सौर ऊर्जा द्वारा				
1) इकाई	किलोवाट	290400	1191523	53850.00
2) कुल राशि	लाख रुपये में		54.60	
2) कोयला				
खपत की मात्रा	मीट्रिक टन	25927	22584	100137
कुल लागत	लाख रुपये में	1779.64	1815.24	6527.77
औसत दर	रुपये प्रति मीट्रिक टन	6864.00	8037.70	6518.84
3) प्रति इकाई उत्पादन पर खपत				
1) विद्युत (टाउनशिप सहित पैक किए गये सीमेंट)	किलोवाट मीट्रिक टन	156.13	137.52	125.02
2) बुक किया गया कोयला (क्लिंकर उत्पादन का प्रतिशत)	%	25.147	23.79	27.48
3) कोयला (यूएचवी)	किलो सेल्सियस प्रति किलो कोयला	4700	4024	3281





बोकाजन इकाई में बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता में सहभागिता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन

अनुबंध क

सीएसआर संबंधी कार्यकलाप

1. सीसीआई की सीएसआर एवं स्थिरता नीति की परिकल्पना ''स्थायी आधार पर, अधिमानतः उन परियोजना क्षेत्रों में जहां यह संचालित हो रही है, जनमानस और हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाकर अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की प्रतिबद्धता'' के रूप में की गई है।

   सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थिरता नीतियां और गतिविधियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की सातवीं अनुसूची और भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सुझाई गई क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के साथ एकीकृत करउनके अनुरूपबनाता हैं।

2*. (i) निवल मूल्य–252.66 करोड़ रुपये

(ii) टर्नओवर–325.22 करोड़

(iii) निवल लाभ–31.05 करोड़

(iv) सीएसआर प्रयोज्यता का शुद्ध लाभ – 5 करोड़ से अधिक करने वाले मापदंड

(*विवरण वर्ष 2024–25 के अनुसार हैं।)

3. (क)(i) क्या सीएसआर समिति गठित की गई है– हां (पहले सीएसआर समिति गठित की गई थी, तथापि, दिनांक 01.11.2024 से दोनों स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत, सीएसआर समिति भी प्रभावी नहीं रही)

(ii)सीएसआर समिति में निदेशकों की संख्या–**शून्य**

(iii) वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या–**शून्य**

क्र.सं.	डीआईएन	निदेशक का नाम	संवर्ग	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थिति रही
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--

(ख) (i) क्या कंपनी की कोई वेबसाइट है –जी, हाँ।

(ii) यदि हाँ, तो वेब–लिंक उपलब्ध कराएं – https://www.cciltd.in

(iii) क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित का प्रकटन किया गया है:

- सीएसआर समिति के संघठक–जी, नहीं।
- सीएसआर नीति –जी, हाँ।
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ–जी, हाँ।

(ग) (i) क्या सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किया जाता है, यदि लागू हो –लागू नहीं।

(ii) यदि हां, तो क्या इसका प्रकटन बोर्ड रिपोर्ट में किया गया है–लागू नहीं।

(iii) यदि कोई हो तो वेब–लिंक उपलब्ध कराएं–लागू नहीं।

(घ) (i) क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में कोई राशि सेट ऑफ के लिए उपलब्ध है? जी, हा।

(ii) यदि हां, तो ब्यौरा दें:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में सेट–ऑफ की राशि, यदि कोई हो (रुपये में)	शेषराशि (रुपये में)
1.	2022.23	..	..	..
2.	2023.24	..	..	..
3.	2024.25	1,29,918	1,29,918	..
	योग	..	..	..

4. (क) क्या कंपनी ने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूरी कर ली है –जी, हाँ।

(ख) यदि नहीं, तो वित्तीय वर्षों की संख्या बताएँ निगमन के बाद से पूरा हुआ –लागू नहीं।

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए निवललाभ एवं अन्य विवरण :

क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)		
		वित्तीय वर्ष–1 (2022–23)	वित्तीय वर्ष–2 (2023–24)	वित्तीय वर्ष–3 (2024–25)
1.	कर पूर्व लाभ	95.29	95.05	31.05
2.	धारा 198 के अधीन संगणित निवल लाभ	13.55	(4.37)	31.05
3.	सीएसआर नीति नियमावली 2014 के नियम 2(1)(एच) के अनुसार समायोजित कुल राशि	0	0	0
4.	धारा 135 (2–3) के लिए कुल निवल लाभ	13.55	(4.37)	31.05

(घ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ –1341 लाख रुपय

5. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत–26.82 लाख रुपये

(ख) विगत वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से सृजित अधिशेष, यदि कोई है –शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए सैट ऑफ की जाने योग्य राशि, यदि कोई हो–1,29,918 रुपये

(घ)वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (5क+5ख+5ग) –25,52,082 रुपये

6. (क) क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की जा चुकी है –जी, हां।

ख) यदि हां, तो सीएसआर राशि किस पर खर्च की गई है :

- चालू परियोजनाएँ–लागू नहीं।
- चालू परियोजनाओं से भिन्न–जी, हां।
- दोनों (चालू और चालू परियोजनाओं से भिन्न)–लागू नहीं
- वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	प्रोजेक्ट आईडी	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (मास)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की विधि– प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम सेकार्यान्वयन की विधि	
					राज्य	जिला				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
							योग	..			

(i) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से भिन्न अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से भिन्न परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की विधि– प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम सेकार्यान्वयन की विधि	
				राज्य	जिला			सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1	अनुसूची VII (i)	स्वास्थ्य और पोषण	जी, हां	तेलंगाना	के.वी.रंगारेड्डी	12,39,813	सीधे	..	..
2	अनुसूची VII (i)	स्वास्थ्य और पोषण इत्यादि	जी, हां	असम	कार्बी आंगलोंग	2,81,751	सीधे	..	..
3	अनुसूची VII (ii)	व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	जी, हां	असम	कार्बी आंगलोंग	1,02,000	सीधे	..	..
4	अनुसूची VII (xii)	राहत सहित आपदा प्रबंधन	जी, हां	असम	कार्बी आंगलोंग	2,14,455	सीधे	..	..
5	अनुसूची VII (i)	स्वास्थ्य और पोषण	जी, हां	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	2,71,127	सीधे	..	..
6	अनुसूची VII (ii)	शिक्षा को बढ़ावा देना	जी, हां	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	4,89,350	सीधे	..	..
					योग	**25,98,496**			

(ग) प्रशासनिक उपरिव्यय के अंतर्गत व्ययित राशि –शून्य

(घ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्ययित राशि, यदि कोई हो–शून्य

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि –25,98,496 रुपये

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित राशि/(अधिक) 5(घ)–. 6(ङ),चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित –(46414 रुपये)

(छ) धारा 135(6) के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर लेखा में अंतरणा हेतु योग्य राशि (समायोजन से पूर्व) – शून्य

(ज) वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची VII में विनिर्दिश्ट निधि में अंतरित की जाने योग्य राशि (यदि वित्त वर्ष के लिए कुल अव्ययित राशि चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित राशि से अधिक है) –शून्य

7. वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के अंतरण के विवरण :

(क) अव्ययित सीएसआर राशि में धारा 135(6) के अनुसार अंतरण

अव्ययित सीएसआर लेखा में अंतरित की जाने वाली राशि	अव्ययित सीएसआर लेखा में वास्तव में अंतरित की गई राशि	अंतरण की तिथि	कमी, यदि कोई हो
..	..	..	..

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरण

अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाल राशि	अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित की गई वास्तविक राशि	अंतरण की तिथि	कमी, यदि कोई हो
..	..	..	..

8. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं : लागू नहीं

9. क्या पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की कोई अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष में खर्च की गई है : जी,नहीं

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

क्र. सं	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर लेखा में अंतरित राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर लेखा में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(5) के क्षित्तीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की योग्य शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि		
1	2022-23	--	--	--	--	--	--	--
2	2023-24	--	--	--	--	--	--	--
3	2024-25	--	--	--	--	--	--	--

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

चालू परियोजनाओं की संख्या : लागू नहीं

क्र.सं.	प्रोजेक्ट आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ की गई	वित्तीय वर्ष के आरंभ में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खच की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (रुपये में)	पूर्ण हो चुकी/ चालू परियोजना की स्थिति
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--

(ग) (i) विगत तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित अव्ययित राशि से वित्तीय वर्ष में क्या कोई नई सीएसआर परियोजना संचालित की गई है : जी, नहीं।

(ii) यदि हां, तो नई सीएसआर परियोजना(ओं) की प्रकृति है:

- चालू परियोजना : लागू नहीं।
- चालू परियोजना(ओं) से भिन्न– लागू नहीं।
- दोनों (चालू और चालू परियोजनाओं से भिन्न) – लागू नहीं।

(iii) वित्तीय वर्ष में नई चालू सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का विवरण:

चालू परियोजनाओं की संख्या : लागू नहीं।

क्रसं	प्रोजेक्ट आईडी	वह वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	परिया. जना का नाम	स्थ. ानीय क्षेत्र (हाँद नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (मास)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	काया. न्वयन की विधि–सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम सेक. र्यान्वयन की विधि	
						राज्य	जिला				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1	..	..	..	..	..	..	..			..	..	..
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
								योग				

(iv) वित्तीय वर्ष में चालू परियोजनाओं से भिन्न नई परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का विवरण चालू परियोजनाओं से भिन्न अन्य की संख्या : लागू नहीं।

क्रसं	वह वित्तीय वर्ष जिससे नई प. रियोजना संबंधि ात है	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	परिया. जना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँद नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (मास)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन की विधि– प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	क्र.सं.	
					राज्य	जिला				नाम	राज्य
1	..	..	..	..	..	..			..	..	..
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
							योग				

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि से कोई पूंजीगत परिसंत्ति का सृजन अथवा अधिग्रहण किया गया है : जी, नहीं।

यदि हां, तो सृजित/अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्ति की संख्या दर्ज करें: लागू नहीं।

क्र.सं.	संपत्ति या परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण ख्संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित,	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड	सृजन की तिथि	सीएसआर की खर्च की गई राशि	संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी या पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
			योग				

ह/–
(प्रदीप कुमार चंद)
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण

सीमेंट अवसंरचना की आधारभूत मजबूती प्रदान करने वाली कड़ी है और अवसंरचना की स्थायित्व प्रगति की स्थायित्व कर निर्धारण करती है। जैसे–जैसे भारत तीव्र गति से निर्माण कर रहा है, आपकी कंपनी इस यात्रा में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पीढ़ियों से निर्माणकर्ता शहरों और समुदायों में विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए आपकी कंपनी के गुणवत्तापूर्ण सीमेंट पर भरोसा करते आए हैं। भारत की अवसंरचना विकास की कहानी अभी निरंतर आगे बढ़ रही है और इसमें दीर्घकालिक विकास की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं। वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों के साथ, टिकाऊ और मजबूत निर्माण सामग्री की मांग लगातार बढ़ती रहेगी। इस मांग को पूरा करने के लिए कंपनी को बदलते बाजार रुझानों का पूर्वानुमान लगाने, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित प्रतिक्रिया देने तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

एक सतत दृष्टिकोण के लिए ऊर्जा के स्रोत, सामग्री की संरचना और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में नवाचार आवश्यक है। इसी के अनुरूप, कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाई है, मिश्रित सीमेंट के उपयोग को प्रोत्साहित किया है तथा अपने परिचालन में तापीय दक्षता में सुधार किया है, जिससे विकास को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ संतुलन बिठाया जा सके। इस संदर्भ में, सतत प्रगति केवल उत्सर्जन में कमी तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें दशकों तक उपयोग के दौरान उत्पाद के जीवन–चक्र के प्रदर्शन को भी शामिल किया जाता है जिसमें आर्थिक चक्रों, बदलते मांग पैटर्न तथा निरंतर विकसित हो रही जलवायु परिस्थितियों के बीच भी उसका प्रदर्शन बना रहे।

विनिर्माण का भविष्य मानव पूंजी और औद्योगिक क्षमता, दोनों पर समान रूप से निर्भर करेगा, जिसमें सुरक्षा संस्कृति और नेतृत्व भी शामिल हैं। जैसे–जैसे विकसित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत की अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएँ अधिक उन्नत और जटिल होती जा रही हैं, कंपनी की प्रतिबद्धता समय की कसौटी पर खरा उतरने वाले सीमेंट के उत्पादन पर दृढ़ता से केंद्रित है। इसके लिए कंपनी की आईएसओ–प्रमाणित इकाइयों में उत्पादन के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता को समाहित किया गया है।

वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पश्चिम एशिया तथा रूस–यूक्रेन क्षेत्र में बढ़ते भू–राजनीतिक तनाव से प्रभावित रहा, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता रही तथा विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में ईंधन, लॉजिस्टिक्स और अन्य इनपुट लागतों पर निरंतर मुद्रास्फीतिकारी दबाव बना रहा। यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहने की संभावना है। अतः उत्पादन लागत में होने वाली अस्थिरता को कम करने के लिए प्रचालन दक्षता के माध्यम से लागत अनुकूलन कंपनी की प्रमुख प्राथमिकताओं में बना हुआ है। मांग की बात की जाए तो, सीमेंट पर जीएसटी में कमी के साथ–साथ अवसंरचना, आवास, राजमार्गों, माल ढुलाई गलियारों, मेट्रो नेटवर्क, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और औद्योगिक गलियारों में निरंतर सार्वजनिक निवेश ने क्षेत्र की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है।

कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान संरचनात्मक अवसरों और अल्पकालिक अस्थिरता का मिला–जुला परिदृश्य देखने को मिला। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के अनिश्चितताओं से जूझने के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मजबूत घरेलू खपत, तीव्र शहरीकरण और निरंतर सार्वजनिक निवेश से विकास की गति को समर्थन मिल रहा है, जिससे ऐसी टिकाऊ मांग का आधार तैयार हो रहा है, जिसमें सीमेंट राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत साधन बना हुआ है। नीतिगत सुधारों के समर्थन तथा हरित प्रौद्योगिकियों की ओर निरंतर बढ़ते रुझान के साथ, भारतीय सीमेंट क्षेत्र और उसमें आपकी कंपनी, दोनों ही देश की दीर्घकालिक अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आने वाले वर्षों में सतत विकास को सक्षम बनाने के लिए मजबूत स्थिति में हैं।

चेतावनी कथन

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और प्राक्कलनों का वर्णन करने वाले इस ''प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण'' में दिए गए कथन लागू सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अर्थ में आशावादी और प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियां और अन्य कारकों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणमों से भिन्न हो सकते हैं।



करनकोट चूना पत्थर खदान ने 40वी खान सुरक्षा सप्ताह (डीजीएमएस हैदराबाद) में तीन पुरस्कार प्राप्त किए

वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक लेखाओं पर दिनांक 24–06–2026 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निर्धारित टिप्पणियों पर प्रबंधन के प्रत्युत्तर इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
1	संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर क) कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के स्वामित्व और पट्टा विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित है और गैर–प्रचालनरत इकाइयों में रखे भूमि के संबंध में भूमि विवरण समाशोधन के अधीन हैं। इसके अलावा, डीडीए ने 11 अप्रैल 2017 को स्वतः संज्ञान लेते हुए 14.20 एकड़ जमीन एसडीएमसी को हस्तांतरित कर दी थी, जिसकी कीमत 321.29 लाख रुपये है और इसे ''बाहरी पक्षों से वसूली योग्य'' दर्शाया गया है। एमसीडी ने दिनांक 22.04.2024 के पत्र के माध्यम से 14.20 एकड़ भूमि के बदले में फिरोजपुर कलां (फरीदाबाद) में स्थित एमसीडी की 9 एकड़ भूमि कंपनी को सौंपने की सूचना दी है, जिसका कब्जा अभी तक लंबित है। इसके अलावा, साइडिंग निर्माण के लिए रेलवे को दी गई 6.74 एकड़ जमीन का भौतिक कब्जा अभी तक कंपनी को नहीं सौंपा गया है।उत्तर रेलवे ने दिनांक 01.01.2024 के पत्र के माध्यम से दिल्ली मंडल और निर्माण संगठन को निर्देश दिया है और सीसीआई के दावे के मामले पर निर्णय लेने के लिए विवरण मांगा है। (वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पण संख्या31.04 देखें)। उपरोक्त मामलों के परिणाम लंबित रहने के कारण, वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका। ख) सीसीआई के आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक 32 गुंटा लंबाई की सड़क के रूप में सरकारी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के कारण वसूली योग्य राशि का कोई लेखा–जोखा नहीं रखा गया है, जिसके हस्तांतरण आदेश की प्रतीक्षा है। (वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पण संख्या 31.06 देखें)। वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	क) स्थिति का टिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 04 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है। ख) स्थिति का टिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 06 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	ग) गैर–प्रचालनरत इकाइयों मंधार, चरखी दादरी, अकालतारा, नयागांव और नयागांव विस्तार, दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई, कुरकुंटा, आदिलाबाद, भटिंडा ग्राइंडिंग इकाई (सामूहिक रूप से ''गैर–प्रचालनरत इकाइयां'' के रूप में संदर्भित) में रखे संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर वस्तुओं की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट चालू वर्ष और पिछले वर्ष में संचालित नहीं की गई है, जिसका अवमूल्यन मूल्य 2127.20 लाख रुपये (फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के संबंध में 1441.67 लाख रुपये सहित) है और और 31 मार्च, 2026 तक चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए 285.00 लाख रुपये निवल बही मूल्य है। इसके अभाव में, हम वित्तीय विवरणिकाओं में दर्शाए गए ऐसे मदों के भौतिक अस्तित्व और वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।	ग) आदिलाबाद इकाई को छोड़कर सभी गैर–प्रचालनरत इकाइयों के सभी संयंत्र एवं मशीनरी, कच्चा माल, भंडार और चूना पत्थर को छोड़कर अन्य पुर्जे एमएसटीसी ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेचे गए हैं। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भौतिक मूल्यांकन अर्थात आंतरिक सीसीआई समिति मूल्यांकन, स्वतंत्र सरकारी मूल्यांकनकर्ता, और सीधे मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए सीलबंद लिफाफे में मूल्यांकन किया गया है। सभी इकाइयों में केवल टाउनशिप, गैर–संयंत्र भवन और चूना पत्थर ही उपलब्ध है।
	घ) विभिन्न गैर–प्रचालनरत इकाइयों में धारित पट्टाधृत भूमि, जिसका 31 मार्च, 2026 तक 324.82 लाख रुपये का अवमूल्यन मूल्य है, के लिए चालू वर्ष में परिशोधन व्यय नहीं दर्शाया गया है। हमारी राय में, यह लेखा मानक (एएस)–10 ''संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर'' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, यह देखते हुए कि ऐसी भूमि आज तक बिक्री/निपटान के लिए नहीं रखी गई है। वर्तमान वर्ष और पूर्व वर्षों के लिए परिशोधन न दर्शाये जाने के कारण वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	घ) स्थिति का टिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 15 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।
	ङ) गैर–प्रचालनरत इकाइयों की कुछ फ्रीहोल्ड भूमि के संबंध में, कंपनी ने पूर्व के वर्षों में 146.07 लाख रुपये के परिशोधन व्यय का प्रावधान किया है। पूर्व के वर्षों में फ्रीहोल्ड भूमि पर ऐसे परिशोधन व्यय के प्रावधान का आधार और औचित्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी भूमि के स्वत्त्वाधिकार विलेख सहित समुचित विवरण के अभाव में, वित्तीय विवरणिकाओं पर वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	ङ) कंपनी द्वारा अंगीकृत लेखाकरणसमाधान एक वर्ष–विनिर्दिष्ट लेखांकरण समायोजन नहीं है। यह कंपनी द्वारा निरंतर पालन की जाने वाली महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुसार है और इसके वार्षिक वित्तीय विवरणिकाओं के भाग के रूप में अनुमोदित है। महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 1.05 में इसे पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है।
	च) राजबन इकाई में लेखाओं में पूंजीकृत की जा रही वर्ष के दौरान प्रतिस्थापित की गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की मदों के पूंजी अवयन के लिए लेखाकरण नहीं किया जा रहा है। प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों के अवमूल्यन मूल्य को न दर्शाये जाने के कारण वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	च) इसे नोट कर लिया गया है और इकाई स्तर पर आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, की जाएगी।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	छ) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने सूचित किया है कि कंपनी की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुसार, उत्खनन विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत अधिभार हटाने की लागत को उत्खनन विकास गतिविधि के माध्यम से उजागर कुल चूना पत्थर/शेल भंडार के संबंध में निकाले गए चूना पत्थर/शेल की मात्रा के आधार पर परिशोधित किया जाना अपेक्षित है। तथापि, वर्ष के दौरान, इकाई ने उत्खनन विकास व्यय को उत्खनन विकास कार्य द्वारा उजागर कुल भंडार के संबंध में वर्ष के दौरान निकाली गई मात्रा के बीच संबंध स्थापित किए बिना, चूना पत्थर और शेल के लिए पूंजीगत लागत का परिशोधन क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत दर्शाया है। तदनुसार, लेखाकरण नीति और लागू लेखाकरण ढांचे का अनुपालन स्थापित नहीं किया जा सका।	छ) स्थिति का महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या1. 11'':अपरिशोधित व्यय'' में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।
2	**चालू पूंजीगत कार्य** दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई में पूंजीगत योजना के लिए 285.00 लाख रुपये का पूंजीगत कार्य लंबे समय से लंबित है, जिसे छोड़ दिया गया है। ऐसी परिसंपत्तियों के नवीनतम वसूली योग्य मूल्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध न होने के कारण, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इस संबंध में मूल्य में हानि के लिए कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।	स्थिति काटिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 04 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।
3	मालसूचियां क)राजबन इकाई में रखे 259.32 लाख रुपये मूल्य के उन भंडारों और अतिरिक्त वस्तुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिन्हें तीन वर्षों से अधिक समय से स्थानांतरित नहीं किया गया है। ऐसी वस्तुओं की विस्तृत समीक्षा और विश्लेषण के अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इस संबंध में मूल्य में हानि के लिए वित्तीय विवरणिकाओं में कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। ख)31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार राजबन इकाई में रखे 2059.61 लाख रुपये के क्लिंकर तथा 614.75 लाख रुपये के अर्ध–तैयार मालसूची उचित रूप से टैग या लेबल नहीं किया गया है और अधिकांश स्टॉक खुले मैदान में बिखरा पड़ा है, जिससे नुकसान/क्षति हो रही है और परिणामस्वरूप, हम इस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं कि 31 मार्च, 2026 तक उक्त मालसूची के मूल्य में कोई गिरावट आई है।	क) सभी संबंधित मदें प्रयोग करने योग्य हैं और उनका मूल्य है जो उनके उपयोग के संदर्भ में कम नहीं हुआ है। ख) इसे नोट कर लिया गया है और इकाई स्तर पर आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, की जाएगी।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	ग) कंपनी की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुसार, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे का मूल्य भारित–औसत लागत विधि का उपयोग करके निकाला जाना चाहिए। तथापि, विभिन्न मालसूची श्रेणियों में नमूना लेनदेन के हमारे सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि एसएपी प्रणाली भारित–औसत दरों से अलग दरों पर सामग्री संबंधी मुद्दों का मूल्यांकन कर रही थी। इसके अलावा, कुछ भंडार और अतिरिक्त पुर्जे को कई लेखाकरण अवधियों में उपयोग के लिए स्टैंड–बाय मद के रूप में रखा जा रहा है और लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार लेखाकरण मानक 10 के अनुसार भंडार और अतिरिक्त पुर्जे मालसूची या संपत्ति, संयत्र और उपस्कर के रूप में उनके उचित वर्गीकरण के संबंध में मूल्यांकन की आवश्यकता है। तांदूर इकाई के लेखा परीक्षकों ने बताया है कि तांदूर वाईआरओ इकाई से संबंधित भंडार और अतिरिक्त पुर्जे को मालसूची के अधीन मान्यता दी गई है, जिसमें वर्ष के दौरान कोई खपत दर्ज नहीं की गई है, जो उनकी वसूली की अपेक्षा और मालसूची के रूप में निरंतर वर्गीकरण को इंगित करता है। उपरोक्त मामलों का वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, काआकलन नहीं किया जा सका।	ग) इसे नोट कर लिया गया है और इकाई स्तर पर आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, की जाएगी।
	घ) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि मालूसची की कुछ मदें लंबे समय से एक ही स्थान पर हैं। 50,000 से अधिक मूल्य के अलग–अलग मूल्य और 174.49 लाख तक की कुल मालसूची की मदों की राशि आठ से अधिक वर्षों तक एक जगह में पड़ी माना गया था। ऐसी मालसूची का निरंतर प्रतिधारण उन सामग्रियों के संचय को इंगित करता है जिनका उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वे मालसूची की ऐसी मात्रा का पता लगाने में असमर्थ हैं जिसके लिए प्रावधान, अवमूल्यन या निपटान किया जाना अपेक्षित हों।	घ) इसे नोट कर लिया गया है और इकाई स्तर पर आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, की जाएगी।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
4	**निवेश** कंपनी ने आंध्र प्रदेश गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के माध्यम से 227.96 लाख रुपये का निवेश किया है। 31 मार्च, 2021 के बाद की अवधि के लिए निवेशित कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। नवीनतम वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरण की उपलब्धता के अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं कि 31 मार्च, 2026 तक ऐसे निवेश के मूल्य में कोई हानि हुई है।	एएस–13 के पैरा 17 के अनुसार, ''दीर्घावधिक निवेशों को आमतौर पर लागत पर दर्शाया जाता है। तथापि, जब अस्थायी के अलावा, दीर्घावधिक निवेश के मूल्य में गिरावट आती है, तो गिरावट को पहचानने के लिए वहन राशि कम हो जाती है'' एपीजीपीसीएल ने अपने वित्तीय विवरणिकाओं को चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किया है, और निदेशक मंडल ने कथन किया है कि कंपनी की निवल संपत्ति धनात्मक बनी हुई है और उसे गैस आवंटन की बहाली पर संचालन के पुनरुद्धार की उम्मीद है। हम प्रत्येकतुलन पत्र की तारीख पर इसकी समीक्षा करेंगे और तदनुसार एएस–13 के लागू पैरा का अनुपालन करेंगे।
5	**व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय, जमा और अन्य देयताएं** क) व्यापारिक प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापारिक देय, पक्षकारों को और पक्षकारों से जमा राशियाँ तथा अन्य देयताएँ पुष्टि और समाशोधन के अधीन हैं। शेष राशि के समाशोधन/पुष्टि न होने से उद्भूत वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका। (वित्तीय विवरणिकाओं के लिए टिप्पण सं. 31.40 देखें)	क) स्थिति का टिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 40 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।
	ख) गैर–प्रचालनरत इकाइयों में 1072.47 लाख रुपये, राजबन इकाई में 146.36 लाख रुपये और निगम कार्यालय में 31.66 लाख रुपये की कुछ वसूली योग्य शेष राशि बकाया है, जो लंबे समय से वसूल/समायोजित नहीं हुई है और ऐसी बकाया राशि की कोई पुष्टि/समाशोधन नहीं हुआ है। इसके अभाव में, हम ऐसी राशियों की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	ख)स्थिति काटिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 40 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।
	ग) खनन संबंधी देय और न्यूनतम खनन किराये से भिन्न अविवादित सांविधिकदेयों पर 31 मार्च 2026 तक देय ब्याज के लिए प्रावधान लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं किए गए हैं। इन अविवादित बकाया राशि पर अपेक्षित प्रावधानों की मात्रा का आकलन नहीं किया जा सकाचूंक कंपनी के पास संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं। प्रबंधन इस संबंध में संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से ब्याज में छूट की अपेक्षा कर रहा है।इसके अतिरिक्त, आदिलाबाद इकाई के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए संपत्ति कर का प्रावधान नहीं किया गया है जो प्रबंधन की राय में देय नहीं है। विस्तृत जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	ग) इसे नोट कर लिया गया है और इकाई स्तर पर आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, की जाएगी।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	घ) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उक्त अधिनियम में निर्धारित तिथियों के बाद कुछ राशि देय है। तथापि, इकाई 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष की लेखा बहियों में ब्याज की गणना और प्रावधान नहीं कर रही है, सिवाय उन पक्षकारों के जो बीआईएफआर के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।	घ)स्थिति काटिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 21 एवं 23 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है। इसके अलावा ये संबंधित कार्यादेशों और निविदा दस्तावेजों में प्रदान की गई शर्तों के अनुसार विवादित बकाया और/या रोकी गई भुगतानों के कारण हैं, जिन पर दोनों पक्षकारों द्वारा विधिवत सहमति व्यक्त की गई है और इसलिए ये राशियां एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवादों/मुद्दों के समाधान के लिए भुगतान के लिए बकाया नहीं हैं।
	ङ) तांदूर इकाई में, 334.08 लाख रुपये के दीर्घकालिक व्यापारिक देयों के वर्गीकरण के संबंध में, इकाई के शाखा लेखा परीक्षक को यह बताने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि वित्तीय विवरणिकाओं में इसे दीर्घकालिक के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है, साथ ही प्रत्येक पक्षकार के लिए भुगतान की नियत तिथि भी नहीं बताई गई है। विस्तृत जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	ङ) योग्यता की समीक्षा की जाएगी और इकाई स्तर पर इसका समधान का लिया जाएगा। अपेक्षित कार्रवाई उत्तरवर्ती वर्ष में की जाएगी।
	च) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि व्यापार प्राप्य की उम्र और ग्राहकों से बाहरी शेष की संपुष्टि के संबंध में पर्याप्त सहायक दस्तावेज सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तदनुसार, वे स्वतंत्र रूप से प्राप्य बकाया शेष की सटीकता, वर्गीकरण और वसूली की पुष्टि करने में असमर्थ हैं, और वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन वर्तमान में नहीं किया जा सका।	च) योग्यता का उत्तारवर्ती वर्ष एनओयू स्तर पर ध्यान रखा जाएगा।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	छ) वर्ष के दौरान, कंपनी ने करकुटा इकाई के बोलीदाता को मूल रूप से आवंटित स्क्रैप सामग्री की बिक्री के लिए 591.00 लाख रुपये की आय दर्शाई है, जिसे बोलीदाता द्वारा नहीं उठाया गया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, प्रतिफल की प्राप्ति के बदले में सामग्री का स्वामित्व बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया गया था। बोलीदाता ने मध्यस्थता खंड को लागू किया है और कंपनी पर विभिन्न दावे किए हैं और मामला वर्तमान में निपटान के लिए लंबित है। मामले के न्यायनिर्णयन में लंबित होने के परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन वर्तमान में नहीं किया जा सका।	छ) स्थिति का टिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 19 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।
	ज) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि कुछ व्यापार देय शेष राशि 3 से 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया है। इन देनदारियों की निरंतर वैधता का मूल्यांकन करने के लिए समय–समय पर प्रबंधन मूल्यांकन के अभाव में, वे वित्तीय विवरणिकाओं में उनकी निरंतर मान्यता की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं या वित्तीय विवरणिकाओं पर संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।	ज) योग्यता की समीक्षा की जाएगी और इकाई स्तर पर इसका समधान का लिया जाएगा। अपेक्षित कार्यवाई उत्तरवर्ती वर्ष में की जाएगी।
	झ) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि, लेखाकरण मानक (एएस) 29 – ''प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां'' के अधीन, प्रावधान दायित्व के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित होने चाहिए और समय–समय पर समीक्षा के अधीन होने चाहिए। तथापि, सूचना और स्पष्टीकरण के अभाव में, वे टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं कि वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान एएस 29 के प्रावधानों का अनुपालन करने के अनुरूप हैं या नहीं।	झ) योग्यता की समीक्षा की जाएगी और इकाई स्तर पर इसका समधान का लिया जाएगा। अपेक्षित कार्यवाई उत्तरवर्ती वर्ष में की जाएगी।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	ञ) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि, व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची 17.91 लाख रुपये के बकाया प्राप्य को दर्शाती है जो तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं। चूंकि पक्षकार–वार विवरण और इन शेष राशि की वसूली की संपुष्टि करने वाले सहायक रिकॉर्ड लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसलिए वे यह आकलन करने में असमर्थ हैं कि क्या संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार प्राप्य और वर्ष के लिए लाभ पर कोई प्रभाव यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।	ञ) योग्यता की समीक्षा की जाएगी और इकाई स्तर पर इसका समधान का लिया जाएगा। अपेक्षित कार्रवाई उत्तरवर्ती वर्ष में की जाएगी।
	ट) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि, व्यापार देय राशि की एजिंग अनुसूची से पता चलता है कि अन्य श्रेणी के अधीन 22.16 लाख रुपये की कुल व्यापार देय राशि तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च 2026 तक बकाया रही है। इन शेष राशि के लंबे समय तक निपटान न होने से बकाया देनदारियों की विस्तृत समीक्षा और समाशोधन की अपेक्षा दर्शाती है। पक्षकार–वार विवरण, संपुष्टिकरण और ऐसी पुरानी बकाया शेष राशि से संबंधित सहायक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, वे इन देनदारियों की पूर्णता, सटीकता और निरंतर वैधता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।	ट) योग्यता की समीक्षा की जाएगी और इकाई स्तर पर इसका समधान का लिया जाएगा। अपेक्षित कार्रवाई उत्तरवर्ती वर्ष में की जाएगी।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	ठ) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 31 मार्च 2026 तक 2265.77 लाख रुपये तक की वसूली योग्य अल्पकालिक ऋण और अग्रिम में ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं से 919.27 लाख रुपये और बाहरी पक्षकारों से 1056.59 लाख रुपये की वसूली शामिल है। पक्षकार–वार विवरण, संपुष्टिकरण, एजिंग विश्लेषण और इन शेष राशि की प्रकृति और वसूली की पुष्टि करने वाले सहायक रिकॉर्ड लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए और वित्तीय विवरणिकाओं में भी इनका प्रकटन नहीं किया गया। पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, वे इन शेष राशि के अस्तित्व, सटीकता और पुनर्प्राप्ति को सत्यापित करने में असमर्थ हैं या यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि संदेहास्पद अग्रिम/वसूली के लिए कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित है या नहीं। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।	ठ) योग्यता की समीक्षा की जाएगी और इकाई स्तर पर इसका समधान का लिया जाएगा। अपेक्षित कार्रवाई उत्तरवर्ती वर्ष में की जाएगी।
	ड) राजबन इकाई में कोल कंपनी को विक्रेताओं को अग्रिम में 97.33 लाख रुपये का अग्रिम शामिल है जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया है जिसके लिए शेष राशि की संपुष्टि/समाशोधन नहीं किया गया है। बकाया शेष राशि के समाशोधन/संपुष्टि के अभाव में, हम वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई प्रभाव, यदि कोई हो, कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	ड) स्थिति काटिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 40 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
6	**आयकर** क) कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं में 4011.74 लाख रुपये की राशि एमएटी क्रेडिट पात्रता की राशि परिसंपत्ति के रूप में दर्शाई है। प्रबंधन की राय में, इसे भविष्य में सामान्य आय देनदारियों के सापेक्ष उपयोग किया जाएगा।तथापि, इस बात के निर्णायक प्रमाण के अभाव में कि कंपनी पर्याप्त आयकर योग्य लाभ प्राप्त करेगी एवं आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट समयावधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी हम ऐसी एमएटी क्रेडिट पात्रता की पहचान की वसूली और परिणामी उपयुक्तता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तदनुसार, हम वित्तीय विवरणिकाओं में इस परिसंपत्ति के वहन मूल्य के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	क) स्थिति काटिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 16 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।
	ख) आयकर विभाग से आयकर रिफंड के लिए17.88 लाख रुपयेा वसूल की जानी है जो पर्याप्त समय से बकाया है। उक्त राशि की वसूली और वसूली के संबंध में पर्याप्त सहायक साक्ष्य के अभाव में, हम वित्तीय विवरणिकाओं में इसकी निरंतर मान्यता की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणिकाओं पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।	ख) संबंधित राशि आयकर विभाग द्वारा पुराने आयकर निर्धारण के कारण रोकी गई है। इसके रिफंड के लिए आवश्यक आवेदन पहले ही फाइलकर दिए गए हैं।
7	**शेयर पूंजी** कंपनी ने 22 मार्च, 2007 को भारत सरकार को 7 (सात) वर्षों के लिए 35543.25 लाख रुपये मूल्य के 1,000/– रुपये मूल्य के 3554325 गैर–संचयी मोचनीय अधिमाानी शेयर जारी किए थे। निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त अधिमानी शेयरों का मोचन 22 मार्च, 2014 से पहले किया जाना था और इनका मोचन निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं किया गया।प्रबंधन ने सूचित किया है कि अधिमानी शेयरों के पुनः निर्गम की अवधि बढ़ाने के लिए मंत्रालय से आगे की कार्रवाई हेतु निदेश देने का अनुरोध किया गया है तथा इस संबंध में अभी तक मंत्रालय का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पण सं. 31.11 देखें)।	स्थिति काटिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 11 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
8	**आकस्मिक देयताएं** क) आकस्मिक देयता राशि में 2364.04 लाख रुपये के कुछ विवादित मामले सम्मिलित हैं, जिनमें मध्यस्थता/निचले न्याायलयों में कंपनी के विरुद्ध निर्णय दिया गया था और जिनके विरुद्ध कंपनी ने उच्च न्यायालयों में अपील दायर की है और इन मामलों के विरुद्ध, कंपनी ने उच्च न्यायालयों/पक्षकारों के पास 1402.33 लाख रुपये की राशि जमा की है/प्रावधान किया है।प्रबंधन की राय में, जो कानूनी दृष्टिकोण से समर्थित है, कंपनी उच्च न्यायालय में अनुकूल निर्णय की अपेक्षा कर रही है और तदनुसार, ऐसे विवादित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे मामलों के अंतिम निर्णय तक, वित्तीय विवरणिकाओं पर इनके प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका। (ख) पर्याप्त दस्तावेज के अभाव में, हम गैर–प्रचालनरत इकाइयों से संबंधित चालू और विगत वित्तीय वर्ष में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई 5100.35 लाख रुपये की राशि के कुछ विवादित मामलों की सत्यता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।	क) स्थिति का महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या सुसंगगत बिंदु संख्या 16 एवं टिप्पण संख्या 01 एवं 29 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है। ख) स्थिति का महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या सुसंगगत बिंदु संख्या 16 एवं टिप्पण संख्या 01 एवं 29 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
9	**वस्तु एवं सेवा कर** क) राजबन इकाई के संबंध में वित्तीय विवरणिकाओं में दर्शाई गई जीएसटी क्रेडिट और नकद शेष और जीएसटी पोर्टल में दर्शाई गई राशि का समाशोधन नहीं किया गया है। समाशोधन के अभाव में, वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।	क) योग्यता की समीक्षा की जाएगी और इकाई स्तर पर इसका समधान का लिया जाएगा। अपेक्षित कार्रवाई उत्तरवर्ती वर्ष में की जाएगी।
	ख) वर्ष के लिए राजबन इकाई की लेखा बहियों में दर्शाई गई राशि के साथ जीएसटी पोर्टल में दर्शाई गई इनपुट टैक्स क्रेडिट का समाशोधन नहीं किया गया है। समाशोधन के अभाव में, वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।	ख) योग्यता की समीक्षा की जाएगी और इकाई स्तर पर इसका समधान का लिया जाएगा। अपेक्षित कार्रवाई उत्तरवर्ती वर्ष में की जाएगी।
	ग) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि इकाई ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए जीएसटीआर–9 (वार्षिक विवरणी) दाखिल किया है, तथापि, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए जीएसटीआर–9ग (समाशोधन विवरणी) दाखिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, जीएसटीआर–9 और जीएसटीआर–9गवित्तीय वर्ष 2023–24 और वित्तीय वर्ष 2024–25 की विवरणी भी दाखिल नहीं किए गए हैं जो सीजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित है। इसके अलावा, जीएसटी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 के लिए जीजीएसआर– 9ग (समाशोधन विवरणी) दाखिल नहीं करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 125 के अधीन शास्ति लगाने का प्रस्ताव है। उक्त नोटिस के अनुसार, उपरोक्त अनुपालन न किए जाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 50,000 की शास्तिका प्रस्ताव किया गया है। तथापि लेखा परीक्षा की तारीख तक प्रबंधन द्वारा उक्त नोटिस के संबंध में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया है।नोटिसों के कोई प्रत्युत्तर के अभाव में और सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 125 के अधीन प्रस्तावित शास्ति पर विचार करते हुए, कंपनी को जीएसटी अधिकारियों द्वारा न्यायनिर्णयन से उद्भूत होने वाली किसी भी अन्य परिणामी देनदारियों के अलावा 2.50 लाख रुपये की कुल शास्ति का सामना करना पड़ सकता है।	ग) इसे नोट कर लिया गया है और जीएसटी अधिनियम, 2017 का अनुपालन करने से संबंधित आवश्यक विवरणी दाखिल करने के लिए इकाई स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	इसके अलावा, वार्षिक विवरणी भरने और लेखा बहियों के साथ कारोबार, कर देयता और इनपुट कर क्रेडिट के समाशोधन के अभाव में, वित्तीय विवरणिकाओं पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।	
	घ) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि जीएसटीआर– 2ख के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और जीएसटीआर– 3ख में उपलब्ध आईटीसी के बीच अंतर है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में, जीएसटीआर– 2ख के अनुसार आईटीसी क्रेडिट 85.10 लाख रुपये से अधिक है, वित्तीय वर्ष 2024–25 में, जीएसटीआर– 3ठ के अनुसार आईटीसी क्रेडिट10.98 लाख रुपये से अधिक है और वित्तीय वर्ष 2025–26 में, जीएसटीआर– 3ख के अनुसार आईटीसी क्रेडिट 10,00 लाख रुपये से अधिक है। जीएसटीआर–2ख के अनुसार उपलब्ध आईटीसी और जीएसटीआर–3ख में उपलब्ध आईटीसी के बीच उपरोक्त अंतरों को स्पष्ट करने का समाशोधन उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे समाशोधन और सहायक रिकार्ड के अभाव में, वे वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आईटीसी के उपलब्ध न होने और वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 के दौरान आईटीसी के अधिक उपलब्ध होने के कारणों का पता नहीं लगा सके। इसके परिणामस्वरूप विभेदक आईटीसी की शुद्धता और स्वीकार्यता का पता नहीं लगाया जा सका।	घ) इसे नोट कर लिया गया है और जीएसटी अधिनियम, 2017 का अनुपालन करने के लिए इकाई स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।
	(ङ) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वित्तीय विवरणिकाओं के अनुसार कारोबार, जीएसटीआर– 3खविवरणी में दर्शाए गए कारोबार से 486.10 लाख रुपये (बहियों के अनुसार कारोबार 6906.42 लाख रुपये और जीएसटीआर– 3ख 7392.52 लाख रुपये) से भिन्न है। समाशोधन विवरणिका और पर्याप्त सहायक रिकॉर्ड के अभाव में, राजस्व मान्यता की शुद्धता और वित्तीय विवरणिकाओं पर परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	ङ) इसे नोट कर लिया गया है और जीएसटी अधिनियम, 2017 का अनुपालन करने के लिए इकाई स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>योग्यता का आधार</th><th>प्रबंधन का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>च) यह देखा गया कि कुछ स्थानों के संबंध में पिछले वर्षों के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार जीएसटीआर–9 (वार्षिक विवरर्ण) और जीएसटीआर 9ग समाशोधन विवरणी) दाखिल नहीं की गई है:
<table>
<tr><th>राज्य / स्थान</th><th>जीएसटीआर–9 विवरणी दाखिल नहीं किए जाने का वर्ष</th><th>जीएसटीआर–9गविवरणी दाखिल नहीं किए जाने का वर्ष</th></tr>
<tr><td>उत्तराखंड</td><td>लागू नहीं</td><td>2017-18 से 2024-25 के सिवाय 2022-23</td></tr>
<tr><td>दिल्ली</td><td>लागू नहीं</td><td>2017-18 से 2020-21</td></tr>
<tr><td>छत्तीसगढ़</td><td>2020-21</td><td>2017-18 से 2021-22</td></tr>
<tr><td>हरियाणा</td><td>2020-21</td><td>2017-18 से 2022-23</td></tr>
<tr><td>पंजाब</td><td>2020-21</td><td>2018-19 से 2021-22</td></tr>
</table>
इसके अलावा, वार्षिक विवरणी और समाशोधन विवरणिका के अभाव में, कारोबार, कर देयता और इनपुट कर क्रेडिट के लेखा बहियों के साथ समाशोधन, यदि कोई हो, का वित्तीय विवरणिकाओं पर परिणामी प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।</td><td>च) इसे नोट कर लिया गया है और जीएसटी अधिनियम, 2017 का अनुपालन करने के लिए इकाई स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>रॉयल्टी व्यय
खदानों से निकाले गए चूने के पत्थर की मात्रा और राजबन इकाई के संबंध में वर्ष के दौरान भुगतान की गई रॉयल्टी की मात्रा के बीच समाशोधन उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अभाव में, हम वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</td><td>रॉयल्टी का भुगतान केवल उत्खनित चूना पत्थर के लिए किया जा रहा है। यह विभागाध्यक्ष, खान की सिफारिश पर किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>अन्य
वर्ष 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित विसंगतियों के प्रभाव पर लंबित समाशोधन के कारण विचार नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका। (वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पण संख्या 31.42 देखें)।

योग्य राय के आधार में उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में, वित्तीय विवरणिकाओं पर उनके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।?</td><td>स्थिति काटिप्पण संख्या 31 में संगत बिंदु संख्या 42 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।</td></tr>
</table>

निगम शासन पर रिपोर्ट

1. शासन संहिता पर कंपनी का दर्शन

निगम शासन के संबंध में कंपनी का दृश्टिकोण सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय विवेक, ग्राहकों की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता में विश्वास करना है। सीसीआई की कार्यप्रणाली उन दिशानिर्देशों पर आधारित है जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाते हैं और सीसीआई को सभी हितधारकों अर्थात शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों, भारत सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी एजेंसियों/विभागों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्य बढ़ाने में एक लंबा सफर तय करना है।

2. निदेशक मंडलः

i. निदेशक मंडल का संघटन : बोर्ड का गठन

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। बोर्ड में 3 निदेशकों से कम और 12 से अधिक नहीं होंगे।

ii. बोर्ड की संरचना

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार सीसीआई के बोर्ड में पांच (5) निदेशक थे जिनमें से तीनकार्यकारी निदेशक और दो अंशकालिक शासकीय निदेशक हैं जो प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित हैं।

निदेशकों के नाम और संवर्ग, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक और पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में उनकी उपस्थिति सहित निदेशक पद और समिति (लेखा परीक्षा समिति) के पदों की संख्या तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1 : निदेशकों की श्रेणियां और उनके द्वारा धारित निदेशक पद और समिति

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	वार्षिक सामान्य बैठक (09.10.2025 को आयोजित) में उपस्थिति	31.03.2026की स्थिति के अनुसार निदेशकता की संख्या (सीसीआई सहित)	31.03.2026की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या
कार्यकारी निदेशकः						
1.	श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	7	7	जी, हां	3	शून्य
2.	श्री प्रदीप कुमार चंद, निदेशक (वित्त)	7	7	जी, हां	1	शून्य
3.	श्री बालासुगुमार डेनियल, निदेशक (प्रचालन)** (दिनांक 30.12.2025 से)	1	1	लागू नहीं	1	शून्य

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	वार्षिक सामान्य बैठक (09.10.2025 को आयोजित) में उपस्थिति	31.03.2026की स्थिति के अनुसार निदेशकता की संख्या (सीसीआई सहित)	31.03.2026की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या
			सरकार द्वारा नामित निदेशक			
4.	श्री प्रेम चंद्र मौर्य*** (दिनांक 17.07.2025 से)	5	5	लागू नहीं	7	शून्य
5.	डॉ. रेणुका मिश्रा (दिनांक 14.07.2025 तक)	2	2	लागू नहीं	10	शून्य
6.	श्री अरुण कुमार सरकार (दिनांक 16.03.2026 तक)	7	7	जी, हां	2	शून्य
7.	डॉ. रेणुका मिश्रा**** (दिनांक 16.03.2026 से)	0	0	लागू नहीं	5	शून्य

*भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 7–19/1/2024–पीई–ट दिनांक 21 मई, 2025 के अनुसार, श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड/साम्भर साल्ट्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का पदभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 21.05.2025, अपराह्न एचएसएल/एसएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर लिया है।

**भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 01.12.2025 के आदेश सं. 1(5)/2019–पीई–XII/सीपीएसई–III द्वारा श्री बालासुगुमार डेनियल, मुख्य महाप्रबंधक, प्रभारी (कार्य), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को CCI लिमिटेड के निदेशक (प्रचालन) के रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात 31.07.2029 दिसंबर, 2025 (पूर्वाह्न) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया है। श्री बालासुगुमार डेनियल ने दिनांक 30 दिसंबर, 2025 (पूर्वाह्न) से CCI लिमिटेड के निदेशक (प्रचालन) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

***श्री प्रेम चंद्र मौय, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को दिनांक 17.07.2025 से सीसीआई के निदेशक मंडल में अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकारद्वारा नामित) के रूप में नियुक्त किया गया है। वे डॉ. रेणुका मिश्रा,, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर कार्य करेंगे।

****डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को दिनांक दिनांक 16.03.2025 से सीसीआई के निदेशक मंडल में अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में नियुक्त किया गया। वे भारी श्री अरुण कुमार सरकार, उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर कार्य करेंगी।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में बोर्ड की सात (7) बैठकें अर्थात् 09.04.2025, 23.05.25, 17.07.2025, 01.08.2025, 09.10.2025, 02.12.2025 एवं 20.02.2026 को आयोजित की।

iii. निदेशक मंडल/समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची के मदों की सूची का निर्धारण और चयनः

- निदेशक मंडल/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उचित नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक मंडल समिति की बैठकों की तारीख और स्थान विनिश्चित करते हैं। बैठक के दौरान सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्यों के बीच विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक बयान अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। जब अत्यावश्यक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है, तो बैठकें कम समय की पूर्व सूचना पर बुलाई जाती हैं या अधिनियम या इसके लेखों में उल्लिखित लागू प्रावधानों के सम्यक अनुपालन में परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- जहां कहीं किसी दस्तावेज को उसकी गोपनीय प्रकृति के कारण एजेंडा नोट्स में संलग्न करना व्यावहारिक नहीं है, या विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक मदों के कागजात बैठक में पटल पर रखे जाते हैं।
- कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत कार्यसूची कागजात परिचालित किये जाते हैं।
- निदेशक मंडल/समितियों की बैठकों में वित्त, संचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित मामलों पर प्रस्तुतीकरण दिया जाता है ताकि सदस्यों को जब भी अपेक्षित हो, सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।
- कंपनी की सभी जानकारी तक निदेशक मंडल के सदस्यों की पूरी पहुंच है। निदेशक मंडल ऐसे किसी भी मुद्दे की संस्तुति करने के लिए भी स्वतंत्र है जिसे वह एजेंडा में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। निदेशक मंडल द्वारा चर्चा की जा रही वस्तुओं के लिए अतिरिक्त सूचनाउपलब्ध कराने के लिए, जब भी अपेक्षित हो, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बुलाया जाता है।

iv. निदेशक मंडल/समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेखनः

प्रत्येक निदेशक मंडल/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तक में विधिवत दर्ज किया जाता है। निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के सदस्यों के बीच उनकी संपुष्टि के लिए आगामी निदेशक मंडल बैठक में परिचालित किया जाता है। निदेशक मंडल की उप–समिति के कार्यवृत्त भी जानकारी के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

v. अनुवर्ती तंत्र

निदेशक मंडल/समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)को एटीआर एजेंडा प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रभावी अनुवर्ती, समीक्षा और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।

vi. अनुपालन

हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एजेंडा नोट्स तैयार करते समय कानून, नियमों और दिशानिर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का पालन हो। कंपनी, कंपनी अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों और विभिन्न कानूनों के अंतर्गत विभिन्न अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है। निदेशक मंडल को अपेक्षित सूचना नियमित रूप से निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाती हैः–

- समझौता ज्ञापन (एमओयू), बड़ी संविदाएं प्रदान करने की सूचना।
- लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस, और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो तात्विक से महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं।
- प्रमुख निवेश, अनुशंगी कंपनियों का गठन, संयुक्त उद्यम और कार्यनीतिक गठबंधन।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/फर्मों आदि में उनके द्वारा अधिग्रहित निदेशकों और समिति पदों के बारे में अभिरुचि का प्रकटीकरण।
- कानून और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मदें।
- संविधिक प्रावधानों का त्रैमासिक अनुपालन प्रमाण पत्र।
- निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर वांछित अन्य विषय।

vii. गैर–कार्यकारी निदेशकों का मुआवजा और प्रकटन:

कंपनी सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं करती है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों को प्रति निदेशक मंडल बैठक 15,000/–(पंद्रह हजार रुपये मात्र) और समिति की बैठकों के लिए 12,000/–(बारह हजार रुपये मात्र) की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

viii. निदेशक मंडल द्वारा अन्य कंपनियों की समिति में धारित निदेशक पद और सदस्यता (31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	संवर्ग	अन्य कंपनियों में निदेशक पद/ प्रकटीकरण (2025–26)
	कार्यकारी निदेशक		
1.	श्री संजय बंगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यकारी निदेशक	1. हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड 2. सांभर साल्ट्स लिमिटेड
2.	श्री प्रदीप कुमार चंद निदेशक (वित्त)	कार्यकारी निदेशक	शून्य
3.	श्री बालासुगुमार डेनियल, निदेशक (प्रचालन (दिनांक 30.12.2025 से)	कार्यकारी निदेशक	शून्य
	सरकार द्वारा नामित निदेशक		
4.	श्री प्रेम चंद्र मौर्य (दिनांक 17.07.2025 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	एचएमटी लिमिटेड एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड एचएमटी वॉचेज लिमिटेड एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
4.	डॉ. रेणुका मिश्रा (दिनांक 14.07.2025 तक) एवं (दिनांक 16.03.2026 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड 2. नेपा लिमिटेड 3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड 4. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

ix. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीआई अपने निदेशक मंडल के सदस्यों को सीसीआई की रूपरेखा, व्यवसाय आदि के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए पहल करता है। सीसीआई के प्रबंधन द्वारानिदेशकों को समय–समय पर सीसीआई के कामकाज से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती है।

x. आचार संहिता

कंपनी अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने और सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के प्रति कटिबद्ध है। यह पुष्टि की जाती है कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वर्ष 2025–26 के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

xi. जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण के लिए नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक एकीकृत हिस्सा है और कारपोरेट और प्रचालनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करके सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जाता है।

3. लेखा परीक्षा समिति

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक विद्यमान नहीं हैं। तदनुसार, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया:–

1) श्री प्रेम चन्द्र मौर्य, निदेशक (सरकार द्वारा नामित)– अध्यक्ष

2) श्री अरुण कुमार सरकार, निदेशक (सरकार द्वारा नामित)–सदस्य

3) श्री प्रदीप कुमार चंद, निदेशक (वित्त)– सदस्य

श्री अरुण कुमार सरकार, उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय और सीसीआई के निदेशक मंडल से अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकारद्वारा नामित) के पद से दिनांक 16.03.2026 से कार्यमुक्त होने कारण लेखा परीक्षा समिति प्रभावी नहीं है।

लेखा परीक्षा समिति के पास कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगम शासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियां, भूमिका और विचारार्थ विर्षय होते हैं।

वर्ष 2025–26 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की दिनांक 01.08.2025 और 09.10.2025 को दो बैठकें आयोजित की गईं जिनमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति
1. श्री प्रेम चन्द्र मौय	2	2
2. श्री अरुण कुमार सरकार	2	2
3. श्री प्रदीप कुमार चंद	2	2

4. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को देय पारिश्रमिक और भत्ते और उनकी नियुक्ति/अनुबंध की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि, लोक उद्यम विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक सीपीएसई अंशकालिक गैर–शासकीय निदेशक की अध्यक्षता में एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जो कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन नीति निर्धारित करेगी।

स्वतंत्र निदेशकों के अभाव के कारण कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

निदेशकागणों/केएमपी को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण:

कंपनी के निदेशकगणों/केएमपी को वर्ष 2025–26 के लिए प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण नीचे दिए गए हैं:–

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	नाम	डीए और एचआरए सहित वेतन	अन्य हितलाभ	कार्य–निष्पादन प्रोत्साहन	अनुलाभ की राशि	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	पीएफ और अन्यनिधि में अंशदान	कुल
1.	श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	36.09	10.26	0	10.48	0.32	4.33	61.48
2.	श्री प्रदीप कुमार चंद, निदेशक (वित्त)	31.26	6.22	0	6.02	0.73	3.75	47.99
3.	श्री बालासुगुमार डेनियल, निदेशक (प्रचालन (दिनांक 30.12.2025 से)	14.29	2.40	0	0	0.05	1.44	18.18
4.	श्री अजय कुमार शर्मा, कंपनी सचिव	22.32	5.92	0	0	0.21	2.45	30.90
	कुल	**103.96**	**24.80**	**0**	**16.50**	**1.31**	**11.97**	**158.54**

5. निगमितसामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का होना अपेक्षित है।तथापि, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक विद्यमान नहीं है। अतः सीएसआर समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

6. हितधारक संबंध समिति

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गैर–सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और इसकी संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के महामहिम राष्ट्रपति और उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास निहित है। इस प्रकार ऐसी किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

7. अनुषंगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई अनुशंगी कंपनी नहीं है।

8. वार्षिक सामान्य बैठक

विगत तीन वर्षो की वार्षिक सामान्य बैठक के विवरण निम्नानुसार हैं:–

एजीएम	59वीं एजीएम	60वीं एजीएम	61वीं एजीएम
तारीख एवं समय	29 सितंबर, 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे	25अक्तूबर, 2024 अपराह्न 04:00 बजे	09अक्तूबर, 2025 अपराह्न 04:00 बजे
स्थान	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
पारित किए गए विशेष संकल्प	जी नहीं	जी, हां	जी नहीं

9. प्रकटन

I. संबंधित पक्षकार लेनदेनः

कंपनी ने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया प्रकटन) के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जिनका कंपनी के साथ संभावित हित निहित हो।

II. विधिक अनुपालनः

कंपनी ने मई 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमशासन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाए हैं।

निदेशक मंडल के लिए संविदात्मक दायित्वों के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किए गए खर्च के अलावा कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं किया है।

III. लेखाकरण समाधानः

कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार वित्तीय विवरण के लिए अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई टिप्पणियों और पर्यवेक्षणों के अधीन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखाकरण मानकों का पालन किया।

IV. राष्ट्रपति के निर्देशः

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान महामहिम राष्ट्रपति का कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उद्योग एवं भारी मंत्रालय ने दिनांक 01.09.2023 को वेतन संशोधन को दिनांक 01.01.2017 से काल्पनिक रूप से और 01.04.2023 से वास्तविक रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रपति निदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश (महामहिम राष्ट्रपति निर्देश) को लागू कर दिए गए हैं।

10. सतर्कता

सीसीआई, एक पीएसयू होने के नाते, कंपनी के अभिलेख भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा और सतर्कता द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं। सीसीआई में सीवीओ की अध्यक्षता में सर्तकता विभाग विद्यमान है।

11. संचार के माध्यम

कंपनी के वार्षिक वित्तीय निश्पादन कंपनी की वेबसाइट www.cciltd.in पर डाले जाते हैं। कंपनी समय–समय पर

कारपोरेट संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों और क्रियाकलापों पर आधिकारिक समाचार वेसाइट पर भी डालती है।

12. सचेतक नीति

कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या नीति के उल्लंघन के बारे में चिंता की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कर्मचारियों की सीएमडी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति तक सीधी पहुंच है जो कंपनी की सचेतक नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.cciltd.in पर भी उपलब्ध है।

13. अनुपालन प्रमाण पत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित निगम शासन की शर्तों के साथ उनकी टिप्पणियों और पर्यवेक्षण के अधीन अनुपालन की पुष्टि करने वाला मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, व्यवसायरत कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, इसके साथ संलग्न है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं: 09353339

दिनांक : 22.09.2026
स्थान : नई दिल्ली

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
कार्यालय : एच–63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092, भारत
फोन : +91–11–49423788, 43019289, मोबाइलः 91–9811272307
ईमेल : mitagcs@gmail.com; amit2ks@yahoo.com

कारपोरेट शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर–5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7–लोधी रोड
नई दिल्ली– 110003
सीआईएनःयू74899डीएल1965जीओआई004322

हमने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए कारपोरेट शासन पर दिषानिर्देष, 2010 मूल रूप से दिनांक 22.06.2007 को जारी अधिसूचना सं. 18(8)/2005–जीएम देखें, एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, मई, 2010 को यथा संशोधित जारी उसके अंतर्गत उल्लखित अनुलग्नक (इसमें 'दिषानिर्देष' के रूप में संदर्भित) के दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर–5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है, द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच निगमित शासन की उपरोक्त उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनसुार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर उपर्युक्त डीपीई दिशा निर्देषों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

क. कंपनी में लेखा परीक्षा एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का समुचित संघटन विद्यमान नहीं है।

हम आगे कथन करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

कृते अमित अग्रवाल एंड
एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

सीएस अमित अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: एफ5311,
सी.पी. सं.:3647
यूडीआईएनःएफ005311एच000949265

स्थानः दिल्ली
दिनांक : 27.07.2026

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निगमित शासन पर प्रमाणपत्र के अंतर्गत पर्यवेक्षण पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निगमित शासन पर प्रमाणपत्र मेसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, व्यवसायरत कंपनी सचिव, नई दिल्ली से प्राप्त किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ''कंपनी में लेखा परीक्षा एवं नामांकन पारिश्रमिक समिति का का समुचित संघटन विद्यमान नहीं है।''। इस संबंध में, प्रबंधन का प्रत्युत्तरइस प्रकार है:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीसीआई के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक कार्यरत नहीं हैं चूंकि दोनों पूर्व स्वतंत्र निदेशकों डॉ. रवींद्र शिवशंकर अरली और डॉ. मंजू बघेल का कार्यकाल दिनांक 01.11.2024 से समाप्त हो गया है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों विद्यमान न होने के कारण लेखा परीक्षा समिति एवं नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को समय–समय पर अनुरोध पत्र भेजे गए हैं।

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
कार्यालय : एच–63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092, भारत
फोन : +91–11–49423788, 43019289, मोबाइल: 91–9811272307
ईमेल :mitagcs@gmail.com; amit2ks@yahoo.com

प्रपत्र सं. एमआर–3

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में,

सेवा में,
सदस्यगण
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर–5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7–लोधी रोड
नई दिल्ली– 110003
सीआईएन:यू74899डीएल1965जीओआई004322

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

हमने **सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (इसके पश्चात 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उचित कारपोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस रीति में की गई थी जो हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर हमारा मत व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करे।

कंपनी का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव और कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की पहचान, निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया की स्थापना और रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व कथन

हमारा उत्तरदायित्व केवल परीक्षण के आधार पर अनुपालन की जांच और सत्यापन करना है और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है। जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

बाध्यताएं

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ मिथ्याकथन या तात्विक गैर–अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा सुनियोजित और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा यथा निर्धारित सचिवीय लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई हो।

इसके अलावा, हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त कंपनी आदि पर लागू कानूनों से संबंधित कार्यवृत्तों, दस्तावेजों, पंजिकाओं, अन्य अभिलेखों और विवरणी सहित सचिवीय अभिलेख की जांच करते हुए सचिवीय लेखापरीक्षा की है। प्रबंधन ने पुष्टि की है कि हमें प्रस्तुत किए गए अभिलेख सत्य और सही हैं। हमने कुछ क्षेत्रों के लिए कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर भी भरोसा किया है, जिसके लिए भौतिक सत्यापन की आवश्यकता होती है।

मत का आधार

हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं, सचिवीय लेखापरीक्षा मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लागू और उपयुक्त थे। कुछ मामलों में सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं। हम यह भी मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

सचिवीय रिकॉर्ड और उसके अनुपालन पर रिपोर्ट

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए ई–प्रपत्रों और विवरणी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और इसके अतिरिक्त कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार,, कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को समाहित करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उस सीमा तक, जिस सीमा तक इसके उपरांत किए गए प्रतिवेदन की रीति में और अधीन समुचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र विद्यमान हैं:

हमने **31 मार्च, 2026** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **मैसर्स सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं,, फाइल किए गए ई–प्रपत्रों और विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक

(iii) अन्य लागू कानून विशेष रूप से कंपनी पर अर्थात्:

क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952
ख) उपदान संदाय अधिनियम, 1972
ग) न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम, 1948
घ) प्रसूति प्रसुविधा लाभ अधिनियम, 1961
ङ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम), 2013
च) बोनस संदाय अधिनियम, 1965
छ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
ज) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अपने कर्मचारियों के लिए पीएफ प्रयोजनों के लिए सृजित
झ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
ञ) खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक अधिनियम, 2011
ट) कारखाना अधिनियम, 1948
ठ) रिक्ति की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959
ड) मजदूरी संदाय अधिनियम
ढ़) कर्मकार और मुआवजा अधिनियम
ण) उपदान अधिनियम
त) समान पारिश्रमिक अधिनियम
थ) औद्योगिक विवाद अधिनियम
ध) बाल नियोजन अधिनियम
न) भारतीय स्टाम्प अधिनियम
प) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972

तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विनियमों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे क्योंकि खंड (I) कंपनी ने निगमन के बाद से कोई एफडीआई और ईसीबी नहीं लिया गया है और निम्नलिखित (II) और (III) खंड के लिए कंपनी असूचीबद्ध कंपनी है। इस प्रकार, इन खंडों के संबंध में टिप्पणी करना अपेक्षित नहीं है:

I. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक।

II. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित नियम, विनियम और दिशानिर्देश।

III. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीयन करार।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन निम्नलिखित अवलोकन के अधीन किया है:

क. कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 178 के अधीन यथापेक्षित विभिन्न समितियों का समुचित संघटन विद्यमान नहीं है।तथापि, बोर्ड की स्वीकृति से, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को अनेक पत्र भेजे गए हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत रूप से किया गया है, जिसमें उपरोक्त के सिवाय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यकारी निदेशक, गैर–कार्यकारी निदेशकों एवं महिलाओं निदेशकों के साथ–साथ स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संघटन में अधिमनयम के उपबंधों के अनुपालन में बदलाव किए गए थे। तथापि कंपनी के निदेशक मंडल का संघटन में स्वतंत्र निदेशकों की ऐसी संख्या विद्यमान नहीं थी जो डीपीई के दिशानिर्देशों के अधीन यथापेक्षित हैं जिसके लिए कंपनी ने उक्त की नियुक्ति के संबंध में अपने प्रशासनिक मंत्रालय को नियमित तौर पत्र लिखे।

सभी निदेशकों को बोर्ड मीटिंग की अनुसूचियों का पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडे एवं एजेंडे पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पूर्व भेजे गए थे, और बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

इसके अलावा, कंपनी पर 4 शुल्क हैं जो कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रपत्र 17 (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रपत्र सीएचजी–4) फाइल न करने के कारण एमसीए पोर्टल पर दिखाए गए हैं, तथापि संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थानों के साथ एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के अनुसार वर्षों पहले इनका भुगतान कर दिया गया था।

निर्णय बहुमत के आधार पर लिया गया है जबकि संतुष्ट न होने वाले सदस्यों के विचारों को नोट किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों के रखरखाव की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि यह अन्य अभिहित पेशेवर द्वारा की गई सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा की समीक्षा के अधीन है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त निर्दिश कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई ऐसी विशिष्ट घटनाएं/कारपोरेट कार्रवाई नहीं हुई, जिसका कंपनी के कार्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ा हो।

कृते अमित अग्रवाल एंड
एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)
सीएस अमित अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: एफ5311,
सी.पी. सं.:3647
यूडीआईएन:एफ005311एच000949111

स्थान: दिल्ली
दिनांक : 27.07.2026

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2026 को तुलन पत्र और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि, नकदी प्रवाह विवरण एवं वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां की गई हैं जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात वित्तीय विवरणिका के रूप में संदर्भित) का सारांश शामिल है, जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा चार इकाइयां (तंदूर वाईआरओ, बोकाजन और सिलचर ग्राइंडिंग इकाई) की लेखापरीक्षा की गई हैं।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्य मत हेतु आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरणिका कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना इस रीति में देती है जो 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार इकाई के कार्यों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ व हानि और उसके नकदी प्रवाह के संबंध में कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2021 यथा संशोधित एवं भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप अपेक्षित है तथा सही और निश्पक्ष दृश्टिकोण देते हैं।

योग्य मत हेतु आधार

1) <u>संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर</u>

क) कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के स्वामित्व और पट्टा विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित है और गैर–प्रचालनरत इकाइयों में रखे भूमि के संबंध में भूमि विवरण समाशोधन के अधीन हैं।

इसके अलावा, डीडीए ने 11 अप्रैल 2017 को स्वतः संज्ञान लेते हुए 14.20 एकड़ जमीन एसडीएमसी को हस्तांतरित कर दी थी, जिसकी कीमत 321.29 लाख रुपये है और इसे ''बाहरी पक्षों से वसूली योग्य'' दर्शाया गया है। एमसीडी ने दिनांक 22.04.2024 के पत्र के माध्यम से 14.20 एकड़ भूमि के बदले में फिरोजपुर कलां (फरीदाबाद) में स्थित एमसीडी की 9 एकड़ भूमि कंपनी को सौंपने की सूचना दी है, जिसका कब्जा अभी तक लंबित है।

इसके अलावा, साइडिंग निर्माण के लिए रेलवे को दी गई 6.74 एकड़ जमीन का भौतिक कब्जा अभी तक कंपनी को नहीं सौंपा गया है। उत्तर रेलवे ने दिनांक 01.01.2024 के पत्र के माध्यम से दिल्ली मंडल और निर्माण संगठन को निर्देश दिया है और सीसीआई के दावे के मामले पर निर्णय लेने के लिए विवरण मांगा है। (वित्तीय विवरणिकाओंकी टिप्पण संख्या31.04 देखें)। उपरोक्त मामलों के परिणाम लंबित रहने के कारण, वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।

ख) सीसीआई के आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक 32 गुंटा लंबाई की सड़क के रूप में सरकारी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के कारण वसूली योग्य राशि का कोई लेखा–जोखा नहीं रखा गया है, जिसके हस्तांतरण आदेश की प्रतीक्षा है। (वित्तीय विवरणिकाओंकी टिप्पण संख्या 31.06 देखें)। वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

ग) गैर–प्रचालनरत इकाइयों मंधार, चरखी दादरी, अकालतारा, नयागांव और नयागांव विस्तार, दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई, कुरकुंटा, आदिलाबाद, भटिंडा ग्राइंडिंग इकाई (सामूहिक रूप से ''गैर–प्रचालनरत इकाइयां'' के रूप में संदर्भित) में रखे संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर वस्तुओं की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट चालू वर्ष और पिछले वर्ष में संचालित नहीं की गई है, जिसका अवमूल्यन मूल्य 2127.20 लाख रुपये (फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के संबंध में 1441.67 लाख रुपये सहित) है और और 31 मार्च, 2026 तक चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए 285.00 लाख रुपये निवल बही मूल्य है। इसके अभाव में, हम वित्तीय विवरणिकाओं में दर्शाए गए ऐसे मदों के

भौतिक अस्तित्व और वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।

घ) विभिन्न गैर–प्रचालनरत इकाइयों में धारित पट्टाधृत भूमि, जिसका 31 मार्च, 2026 तक 324.82 लाख रुपये का अवमूल्यन मूल्य है, के लिए चालू वर्ष में परिशोधन व्यय नहीं दर्शाया गया है। हमारी राय में, यह लेखा मानक (एएस)–10 ''संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर'' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, यह देखते हुए कि ऐसी भूमि आज तक बिक्री/निपटान के लिए नहीं रखी गई है। वर्तमान वर्ष और पूर्व वर्षों के लिए परिशोधन न दर्शाये जानेके कारण वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

ङ) गैर–प्रचालनरत इकाइयों की कुछ फ्रीहोल्ड भूमि के संबंध में, कंपनी ने पूर्व के वर्षों में 146.07 लाख रुपये के परिशोधन व्यय का प्रावधान किया है। पूर्व के वर्षों में फ्रीहोल्ड भूमि पर ऐसे परिशोधन व्यय के प्रावधान का आधार और औचित्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी भूमि के स्वत्त्वाधिकार विलेख सहित समुचित विवरण के अभाव में, वित्तीय विवरणिकाओं पर वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

च) राजबन इकाई में लेखाओं में पूंजीकृत की जा रही वर्ष के दौरान प्रतिस्थापित की गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की मदों केपूंजी ह्रास के लिए लेखाकरण नहीं किया जा रहा है। प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों के अवमूल्यनमूल्य को न दर्षाय जाने के कारण वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

छ) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने सूचित किया है कि कंपनी की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुसार, उत्खनन विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत अधिभार हटाने की लागत को उत्खनन विकास गतिविधि के माध्यम से उजागर कुल चूना पत्थर/सेल भंडार के संबंध में निकाले गए चूना पत्थर/सेल की मात्रा के आधार पर परिशोधित किया जाना अपेक्षित है। तथापि, वर्ष के दौरान, इकाई ने उत्खनन विकास व्यय को उत्खनन विकास कार्य द्वारा उजागर कुल भंडार के संबंध में वर्ष के दौरान निकाली गई मात्रा के बीच संबंध स्थापित किए बिना, चूना पत्थर और सेल के लिए पूंजीगत लागत का परिशोधन क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत दर्शाया है। तदनुसार, लेखाकरण नीति और लागू लेखाकरण ढांचे का अनुपालन स्थापित नहीं किया जा सका।

2) चालू पूंजीगत कार्य

दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई में पूंजीगत योजना के लिए 285.00 लाख रुपये का पूंजीगत कार्य लंबे समय से लंबित है, जिसे छोड़ दिया गया है। ऐसी परिसंपत्तियों के नवीनतम वसूली योग्य मूल्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध न होने के कारण, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इस संबंध में मूल्य में हानि के लिए कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

3) मालसूचियां

क) राजबन इकाई में रखे 259.32 लाख रुपये मूल्य के उन भंडारों और अतिरिक्त वस्तुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिन्हें तीन वर्षों से अधिक समय से स्थानांतरित नहीं किया गया है। ऐसी वस्तुओं की विस्तृत समीक्षा और विश्लेषण के अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इस संबंध में मूल्य में हानि के लिए वित्तीय विवरणिकाओं में कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

ख) 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार राजबन इकाई में रखे 2059.61 लाख रुपये के क्लिंकर तथा 614.75 लाख रुपये के अर्ध–तैयार मालसूची उचित रूप से टैग या लेबल नहीं किया गया है और अधिकांश स्टॉक खुले मैदान में बिखरा पड़ा है, जिससे नुकसान/क्षति हो रही है और परिणामस्वरूप, हम इस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं कि 31 मार्च, 2026 तक उक्त मालसूची के मूल्य में कोई गिरावट आई है।

ग) कंपनी की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुसार, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे का मूल्य भारित–औसत लागत विधि का उपयोग करके निकाला जाना चाहिए। तथापि, विभिन्न मालसूची श्रेणियों में नमूना लेनदेन के हमारे सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि एसएपी प्रणाली भारित–औसत दरों से अलग दरों पर सामग्री संबंधी मुद्दों का मूल्यांकन कर रही थी।

इसके अलावा, कुछ भंडार और अतिरिक्त पुर्जे को कई लेखाकरण अवधियों में उपयोग के लिए स्टैंड–बाय मद के रूप में रखा जा रहा है और लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार लेखाकरण मानक 10 के अनुसार भंडार और अतिरिक्त

पुर्जेमालसूची या संपत्ति, संयत्र और उपस्कर के रूप में उनके उचित वर्गीकरण के संबंध में मूल्यांकन की आवश्यकता है।

तांदूर इकाई के लेखा परीक्षकों ने बताया है कि तांदूर वाईआरओ इकाई से संबंधित भंडार और अतिरिक्त पुर्जे को मालसूची के अधीन मान्यता दी गई है, जिसमें वर्ष के दौरान कोई खपत दर्ज नहीं की गई है, जो उनकी वसूली की अपेक्षा और मालसूची के रूप में निरंतर वर्गीकरण को इंगित करता है।

उपरोक्त मामलों का वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।

घ) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि मालूसची की कुछ मदें लंबे समय से एक ही स्थान पर हैं। 50,000 से अधिक मूल्य के अलग–अलग मूल्य और 174.49 लाख तक की कुल मालसूची की मदों की राशि आठ से अधिक वर्षों तक एक जगह में पड़ी माना गया था। ऐसी मालसूची का निरंतर प्रतिधारण उन सामग्रियों के संचय को इंगित करता है जिनका उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वे मालसूची की ऐसी मात्रा का पता लगाने में असमर्थ हैं जिसके लिए प्रावधान, अवमूल्यन या निपटान किया जाना अपेक्षित हों।

4) <u>निवेश</u>

कंपनी ने आंध्र प्रदेश गैस पावर कॉर्पोरेषन लिमिटेड के इक्विटी षेयरों के माध्यम से 227.96 लाख रुपये का निवेश किया है। 31 मार्च, 2021 के बाद की अवधि के लिए निवेशित कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। नवीनतम वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरण की उपलब्धता के अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं कि 31 मार्च, 2026 तक ऐसे निवेश के मूल्य में कोई हानि हुई है।

5) <u>व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय, जमा और अन्य देयताएं</u>

क) व्यापारिक प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापारिक देय, पक्षकारों को और पक्षकारों से जमा राशियाँ तथा अन्य देयताएँ पुष्टि और समाशोधन के अधीन हैं। शेष राशिके समाशोधन/पुष्टि न होने से उद्भूत वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका। (वित्तीय विवरणिकाओं के लिए टिप्पण सं. 31.40 देखें)

ख) गैर–प्रचालनरत इकाइयों में 1072.47 लाख रुपये, राजबन इकाई में 146.36 लाख रुपये और निगम कार्यालय में 31.66 लाख रुपये की कुछ वसूली योग्य शेष राशि बकाया है, जो लंबे समय से वसूल/समायोजित नहीं हुई है और ऐसी बकाया राशि की कोई पुष्टि/समाशोधन नहीं हुआ है। इसके अभाव में, हम ऐसी राशियों की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ग) खनन संबंधी देय और न्यूनतम खनन किराये से भिन्न अविवादित सांविधिक देयों पर 31 मार्च 2026 तक देय ब्याज के लिए प्रावधान लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं किए गए हैं। इन अविवादित बकाया राशि पर अपेक्षित प्रावधानों की मात्रा का आकलन नहीं किया जा सकाचूंक कंपनी के पास संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं। प्रबंधन इस संबंध में संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से ब्याज में छूट की अपेक्षा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आदिलाबाद इकाई के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए संपत्ति कर का प्रावधान नहीं किया गया है जो प्रबंधन की राय में देय नहीं है। विस्तृत जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

घ) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उक्त अधिनियम में निर्धारित तिथियों के बाद कुछ राशि देय है। तथापि, इकाई 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष की लेखा बहियों में ब्याज की गणना और प्रावधान नहीं कर रही है, सिवाय उन पक्षकारों के जो बीआईएफआर के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।

ङ) तांदूर इकाई में, 334.08 लाख रुपये के दीर्घकालिक व्यापारिक देयों के वर्गीकरण के संबंध में, इकाई के शाखा लेखा परीक्षक को यह बताने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि वित्तीय विवरणिकाओं में इसे दीर्घकालिक के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है, साथ ही प्रत्येक पक्षकार के लिए भुगतान की नियत तिथि भी नहीं बताई गई है। विस्तृत जानकारी के अभाव

में, वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

च) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि व्यापार प्राप्य की उम्र और ग्राहकों से बाहरी शेष की संपुष्टि के संबंध में पर्याप्त सहायक दस्तावेज सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तदनुसार, वे स्वतंत्र रूप से प्राप्य बकाया शेष की सटीकता, वर्गीकरण और वसूली की पुष्टि करने में असमर्थ हैं, और वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन वर्तमान में नहीं किया जा सका।

छ) वर्ष के दौरान, कंपनी ने करकुटा इकाई के बोलीदाता को मूल रूप से आवंटित स्क्रैप सामग्री की बिक्री के लिए 591.00 लाख रुपये की आय दर्शाई है, जिसे बोलीदाता द्वारा नहीं उठाया गया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, प्रतिफल की प्राप्ति के बदले में सामग्री का स्वामित्व बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया गया था। बोलीदाता ने मध्यस्थता खंड को लागू किया है और कंपनी पर विभिन्न दावे किए हैं और मामला वर्तमान में निपटान के लिए लंबित है। मामले के न्याय निर्णयन में लंबित होने के परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन वर्तमान में नहीं किया जा सका।

ज) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि कुछ व्यापार देय शेष राशि 3 से 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया है। इन देनदारियों की निरंतर वैधता का मूल्यांकन करने के लिए समय–समय पर प्रबंधन मूल्यांकन के अभाव में, वे वित्तीय विवरणिकाओं में उनकी निरंतर मान्यता की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं या वित्तीय विवरणिकाओं पर संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।

झ) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि, लेखाकरण मानक (एएस) 29 –''प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां'' के अधीन, प्रावधान दायित्व के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित होने चाहिए और समय–समय पर समीक्षा के अधीन होने चाहिए। तथापि, सूचना और स्पष्टीकरण के अभाव में, वे टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं कि वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान एएस 29 के प्रावधानों का अनुपालन करने के अनुरूप हैं या नहीं।

ञ) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि, व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची 17.91 लाख रुपये के बकाया प्राप्य को दर्शाती है जो तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं। चूंकि पक्षकार–वार विवरण और इन शेष राशि की वसूली की संपुष्टि करने वाले सहायक रिकॉर्ड लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसलिए वे यह आकलन करने में असमर्थ हैं कि क्या संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार प्राप्य और वर्ष के लिए लाभ पर कोई प्रभाव यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।

ट) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि, व्यापार देय राशिकी एजिंग अनुसूची से पता चलता है कि अन्य श्रेणी के अधीन 22.16 लाख रुपये की कुल व्यापार देय राशि तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च 2026 तक बकाया रही है। इन शेष राशि के लंबे समय तक निपटान न होने से बकाया देनदारियों की विस्तृत समीक्षा और समाशोधन की अपेक्षा दर्शाती है।

पक्षकार–वार विवरण, संपुष्टिकरण और ऐसी पुरानी बकाया शेष राशि से संबंधित सहायक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, वे इन देनदारियों की पूर्णता, सटीकता और निरंतर वैधता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।

ठ) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 31 मार्च 2026 तक2265.77 लाख रुपये तक की वसूली योग्य अल्पकालिक ऋण और अग्रिम में ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं से 919. 27 लाख रुपये और बाहरी पक्षकारों से 1056.59 लाख रुपये की वसूली शामिल है। पक्षकार–वार विवरण, संपुष्टिकरण, एजिंग विष्लेशण और इन शेष राशि की प्रकृति और वसूली की पुष्टि करने वाले सहायक रिकॉर्ड लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए और वित्तीय विवरणिकाओं में भी इनका प्रकटन नहीं किया गया।

पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, वे इन शेष राशि के अस्तित्व, सटीकता और पुनर्प्राप्ति को सत्यापित करने में असमर्थ हैं या यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि संदेहास्पद

अग्रिम/वसूली के लिए कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित है या नहीं। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।

ड) राजबन इकाई में कोल कंपनी को विक्रेताओं को अग्रिम में 97.33 लाख रुपये का अग्रिम शामिल है जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया है जिसके लिए शेष राशि की संपुष्टि/समाशोधन नहीं किया गया है। बकाया शेष राशि के समाशोधन/संपुष्टि के अभाव में, हम वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई प्रभाव, यदि कोई हो, कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

6) आयकर

क) कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं में 4011.74 लाख रुपये की राशि एमएटी क्रेडिट पात्रता की राशि परिसंपत्ति के रूप में दर्शाई है। प्रबंधन की राय में, इसे भविष्य में सामान्य आय देनदारियों के सापेक्ष उपयोग किया जाएगा। तथापि, इस बात के निर्णायक प्रमाण के अभाव में कि कंपनी पर्याप्त आयकर योग्य लाभ प्राप्त करेगी एवं आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट समयावधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी हम ऐसी एमएटी क्रेडिट पात्रता की पहचान की वसूली और परिणामी उपयुक्तता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तदनुसार, हम वित्तीय विवरणिकाओं में इस परिसंपत्तिके वहन मूल्य के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ख) आयकर विभाग से आयकर रिफंड के लिए 17.88 लाख रुपयो वसूल की जानी है जो पर्याप्त समय से बकाया है। उक्त राशि की वसूली और वसूली के संबंध में पर्याप्त सहायक साक्ष्य के अभाव में, हम वित्तीय विवरणिकाओं में इसकी निरंतर मान्यता की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणिकाओं पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।

7) शेयर पूंजी

कंपनी ने 22 मार्च, 2007 को भारत सरकार को 7 (सात) वर्षों के लिए 35543.25 लाख रुपये मूल्य के 1,000/– रुपये मूल्य के 3554325 गैर–संचयी मोचनीय अधिमाानी शेयर जारी किए थे। निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त अधिमानी शेयरों का मोचन 22 मार्च, 2014 से पहले किया जाना था और इनका मोचन निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं किया गया। प्रबंधन ने सूचित किया है कि अधिमानी शेयरों के पुनः निर्गम की अवधि बढ़ाने के लिए मंत्रालय से आगे की कार्रवाई हेतु निदेश देने का अनुरोध किया गया है तथा इस संबंध में अभी तक मंत्रालय का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पण सं. 31.11 देखें)।

8) आकस्मिक देयताएं

क) आकस्मिक देयता राशि में 2364.04 लाख रुपये के कुछ विवादित मामले सम्मिलित हैं, जिनमें मध्यस्थता/निचने न्याायलयों में कंपनी के विरुद्ध निर्णय दिया गया था और जिनके विरुद्ध कंपनी ने उच्च न्यायालयों में अपील दायर की है और इन मामलों के विरुद्ध, कंपनी ने उच्च न्यायालयों/पक्षकारों के पास 1402.33 लाख रुपये की राशि जमा की है/प्रावधान किया है। प्रबंधन की राय में, जो कानूनी दृष्टिकोण से समर्थित है, कंपनी उच्च न्यायालय में अनुकूल निर्णय की अपेक्षा कर रही है और तदनुसार, ऐसे विवादित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे मामलों के अंतिम निर्णय तक, वित्तीय विवरणिकाओं पर इनके प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।

(ख) पर्याप्त दस्तावेज के अभाव में, हम गैर–प्रचालनरत इकाइयों से संबंधित चालू और विगत वित्तीय वर्ष में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई 5100.35 लाख रुपये की राशि के कुछ विवादित मामलों की सत्यता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

9) वस्तु एवं सेवा कर

क) राजबन इकाई के संबंध में वित्तीय विवरणिकाओं में दर्शाई गई जीएसटी क्रेडिट और नकद शेष और जीएसटी पोर्टल में दर्शाई गई राशि का समाशोधन नहीं किया गया है। समाशोधन के अभाव में, वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।

ख) वर्ष के लिए राजबन इकाई की लेखा बहियों में दर्शाई गई राशि के साथ जीएसटी पोर्टल में दर्शाई गई इनपुट टैक्स क्रेडिट का समाशोधन नहीं किया गया है। समाशोधन के अभाव में, वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।

ग) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि इकाई ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए जीएसटीआर–9 (वार्षिक विवरणी) दाखिल किया है, तथापि, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए जीएसटीआर–9ग (समाशोधन विवरणी) दाखिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, जीएसटीआर–9 और जीएसटीआर–9गवित्तीय वर्ष 2023–24 और वित्तीय वर्ष 2024–25 की विवरणी भी दाखिल नहीं किए गए हैं जो सीजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित है। इसके अलावा, जीएसटी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 के लिए जीजीएसआर– 9ग (समाशोधन विवरणी) दाखिल नहीं करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 125 के अधीन शास्ति लगाने का प्रस्ताव है। उक्त नोटिस के अनुसार, उपरोक्त अनुपालन न किए जाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 50,000 की शास्तिका प्रस्ताव किया गया है। तथापि लेखा परीक्षा की तारीख तक प्रबंधन द्वारा उक्त नोटिस के संबंध में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया/प्रस्तुत नहींकिया गया है।नोटिसों के कोई प्रत्युत्तर के अभाव में और सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 125 के अधीन प्रस्तावित शास्ति पर विचार करते हुए, कंपनी को जीएसटी अधिकारियों द्वारा न्यायनिर्णयन से उद्भूत होने वाली किसी भी अन्य परिणामी देनदारियों के अलावा 2.50 लाख रुपये की कुल शास्ति का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा, वार्षिक विवरणी भरने और लेखा बहियों के साथ कारोबार, कर देयता और इनपुट कर क्रेडिट के समाशोधन के अभाव में, वित्तीय विवरणिकाओं पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।

घ) बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि जीएसटीआर– 2ख के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और जीएसटीआर– 3ख में उपलब्ध आईटीसी के बीच अंतर है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में, जीएसटीआर–2ख के अनुसार आईटीसी क्रेडिट 85.10 लाख रुपये से अधिक है, वित्तीय वर्ष 2024–25 में, जीएसटीआर– 3ठ के अनुसार आईटीसी क्रेडिट 10.98 लाख रुपये से अधिक है और वित्तीय वर्ष 2025–26 में, जीएसटीआर– 3ख के अनुसार आईटीसी क्रेडिट 10,00 लाख रुपये से अधिक है।

जीएसटीआर–2ख के अनुसार उपलब्ध आईटीसी और जीएसटीआर–3ख में उपलब्ध आईटीसी के बीच उपरोक्त अंतरों को स्पष्ट करने का समाशोधन उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे समाशोधन और सहायक रिकार्ड के अभाव में, वे वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आईटीसी के उपलब्ध न होने और वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 के दौरान आईटीसी के अधिक उपलब्ध होने के कारणों का पता नहीं लगा सके। इसके परिणामस्वरूप विभेदक आईटीसी की शुद्धता और स्वीकार्यता का पता नहीं लगाया जा सका।

बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वित्तीय विवरणिकाओं के अनुसार कारोबार, जीएसटीआर– 3खविवरणी में दर्शाए गए कारोबार से 486.10 लाख रुपये (बहियों के अनुसार कारोबार 6906.42 लाख रुपये और जीएसटीआर– 3ख 7392.52 लाख रुपये) से भिन्न है। समाशोधन विवरणिका और पर्याप्त सहायक रिकॉर्ड के अभाव में, राजस्व मान्यता की शुद्धता और वित्तीय विवरणिकाओं पर परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

ङ) यह देखा गया कि कुछ स्थानों के संबंध में पिछले वर्षों के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार जीएसटीआर–9 (वार्षिक विवरर्ण) और जीएसटीआर 9ग समाशोधन विवरणी) दाखिल नहीं की गई है:

राज्य/स्थान	जीएसटीआर–9 विवरणी दाखिल नहीं किए जाने का वर्ष	जीएसटीआर –9ग विवरणी दाखिल नहीं किए जाने का वर्ष
उत्तराखंड	लागू नहीं	2017-18 से 2024-25 सिवाय 2022-23
दिल्ली	लागू नहीं	2017-18 से 2020-21
छत्तीसगढ़	2020-21	2017-18 से 2021-22

हरियाणा	2020-21	2017-18 से 2022-23
पंजाब	2020-21	2018-19 से 2021-22

इसके अलावा, वार्षिक विवरणी और समाशोधन विवरणिका के अभाव में, कारोबार, कर देयता और इनपुट कर क्रेडिट के लेखा बहियों के साथ समाशोधन, यदि कोई हो, का वित्तीय विवरणिकाओं पर परिणामी प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।

10) रॉयल्टी व्यय

खदानों से निकाले गए चूने के पत्थर की मात्रा और राजबन इकाई के संबंध में वर्ष के दौरान भुगतान की गई रॉयल्टी की मात्रा के बीच समाशोधन उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अभाव में, हम वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

11) अन्य

वर्ष 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विर्षेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित विसंगतियों के प्रभाव पर लंबित समाशोधन के कारण विचार नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणिकाओं पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका। (वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पण संख्या 31.42 देखें)।

योग्य राय के आधार में उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में, वित्तीय विवरणिकाओं पर उनके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण (एसए) के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लेख किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ–साथ उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वह हमारे मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम वित्तीय विवरण में निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

1. क) कंपनी को माननीय बीआईएफआर के पत्र संख्या 501/96–बीईएनसीएच IV एसओएल दिनांक 08.08.96 के माध्यम से रुग्ण कंपनी घोषित किया गया था। माननीय बीआईईएफआर ने दिनांक 21–03–2006 को की गई अपनी सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईईएफआर द्वारा दिनांक 03–05–2006 को परिचालित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के निपटान और 3 प्रचालन संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 गैर प्रचालनरत संयंत्रों को बंद करने/बेचने की परिकल्पना की गई थी। स्वीकृत योजना के अनुसार 7 इकाइयों को बंद कर दिया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 09.02.2022के पत्र के माध्यम से इन गैर–प्रचालनरत इकाइयों के संयंत्र और मीनरी, स्टोर आदि को बेचने का निर्देश दिया। तदनुसार, अकालतारा, चरखी दादरी, कुरकुंटा और मंधार इकाइयों की संयंत्र, मीनरी तथा अन्य परिसंपत्तियां मैसर्स एमएसटीसी के माध्यम से बेची जा चुकी हैं (वित्तीय विवरणा की टिप्पण संख्या 31.08;i) देखें)

ख) नयागांव इकाई के मामले में, संयंत्र और मशीनरी की बिक्री के लिए निविदा, भारत सरकार के उद्यम मेसर्स एमएसटीसी के माध्यम से ''जैसा है, जहाँ है'' और ''क्लीन स्वीप'' आधार पर विघटन, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे के साथ जारी की गई थी। कंपनी को 10,030.00 लाख रुपये की बिक्री प्रतिफल प्राप्त हुई। 655.52 लाख रुपये की निश्चित परिसंपत्तियों के निवल ब्लॉक, 1,365.42 लाख रुपये के भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, 15.33 लाख रुपये चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूपी), 206.20 लाख रुपये के अर्ध–तैयार माल, 22.08 लाख रुपये के कच्चे माल, 14.66 लाख रुपये

के स्क्रैप स्टॉक और बिक्री पर कमीशन 100.30 लाख रुपये की राशि को समायोजित करने के पश्चात, परिसंपत्तियों की बिक्री पर 7650.49 लाख रुपये के परिणामी निवल लाभ को लाभ –हानि विवरणिका में असाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है (वित्तीय विवरणिका की टिप्पण संख्या 31.08 (ii) देखें)

ग) कुरकुंटा इकाई के मामले में, बचे हुए सामग्री की बिक्री को मेसर्स एमएसटीसी के माध्यम से ''जैसा है, जहाँ है'' और ''क्लीन स्वीप'' आधार पर 591.00 लाख रुपये की राशि के लिए ई–नीलामी की गई है और बिक्री पर कमीशन समायोजित करने के पश्चात 5.91 लाख रुपये, बिक्री पर 585.09 लाख रुपयेके परिणामी लाभ को लाभ –हानि विवरणिका मेंअसाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है (वित्तीय विवरणिका की टिप्पण संख्या 31.08 (iii) देखें)

घ) बोकाजन विस्तार परियोजना के मामले में, कंपनी के पक्ष में दिनांक 22.04.2026 के मध्यस्थता के निर्णय के अनुसार और एक स्वतंत्र सलाहकार और आंतरिक मूल्यांकन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन ने प्रस्तावित 1200 टीपीडी भट्ठी विस्तार परियोजना को बंद करने और छोड़ देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 2997.77 लाख रुपये की संबंधित चालू पूंजीगत कार्य की वसूली के लिए समीक्षा की गई है। 472.53 लाख रुपये के मौजूदा प्रचालन में उपयोग योग्य के रूप में मानी गई परिसंपत्तियां और 111.23 लाख रुपये के अनुमानित प्राप्य मूल्य वाली स्क्रैपेबल वस्तुओं को पुनर्वर्गीकरण/निपटान के लिए रखा गया है। उपयोग में न आने वाले उपस्करों और अधूरे सिविल ढांचों से संबंधित 2414.01 लाख रुपये की शेष राशि को बट्टे खाते में दर्शाया गया है। 1323.16 लाख रुपये के मध्यस्थता आदेश के अनुसार संविदाकार से वसूली को समायोजित करने के पश्चात सीडब्ल्यूआईपी की पुनःमान्यता पर 1090.85 लाख रुपये की परिणामी निवल हानि को लाभ–हानि विवरणिका में असाधारण मद के रूप में अलग से दर्शाया गया है। (वित्तीय विवरणिका की टिप्पण संख्या– 31.03 देखें)।

ङ) कंपनी की सात उत्पादन इकाइयाँ हैं, जिनका प्रचालन वर्ष 1996 से वर्ष 1999 के बीच बंद कर दिया गया था और भटिंडा (पंजाब) में एक ग्राइंडिंग इकाई है, जिसे चालू नहीं किया गया। प्रबंधन के अनुसार, अधिनियम के तहत अधिसूचित लेखा मानक–28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की हानि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपेक्षित वसूली योग्य मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक है। (वित्तीय विवरण कीटिप्पण–31.10 देखें)।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणिकाओं और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक भी सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है, जो हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारी मत में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाएं पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणिकाओं के साथ भौतिक रूप से या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त सूचना हमारे ज्ञान में असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का तात्विक मिथ्याकथन है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रबंधन एवं शासन के उन व्यक्तियों का उत्तरदायित्व जिन्हें प्रभार दिया गया है

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण

देते हैं, जिसमें यथा संशोधित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखाकरण मानक भी सम्मिलित हैं। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव, लेखाकरण नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन, उपयोग, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, और सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समये निदेशक मंडल कंपनी की लाभकारी कारबार वाले संस्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने यथा लागू प्रकटीकरण, लाभकारी कारबार वाले संस्थान से संबधित मामलों और लेखाकरण में लाभकारी कारबार वाले संस्थान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी के या तो परिसमापन या प्रचालन बंद करने आशय नहीं करता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के संबंध में उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समग्र रूप से तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारे मत शामिल हैं। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा तात्विक मिथ्या कथन मौजूद होने पर सदैव उसका पता लगाएगी। मिथ्याकथन धोखाधड़ी से या त्रुटिवश हो सकते हैं और यदि, अलग–अलग या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त अपेक्षा होती है तो इन्हें तात्विक माना जाता है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाए रखते हैं, हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणिकाओं के तात्विक नित्य कथन के जोखिम का पता लगाना और उसका निर्धारण करना चाहे यह कपट या त्रुटि, डिजाइन के कारण हो और इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और समुचित हो फुल शष्प किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप तांत्रिक विद्या कथन का पता ना लगाने का जोखिम उच्च जोखिम से अधिक है जो किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप होता है क्योंकि किसी कपट में मिलीभक्त, कपट, जानबूझकर भूल, मिथ्या कथन या आंतरिक नियंत्रण को और प्रभावी करना सम्मिलित होता है।
- आंतरिक नियंत्रण पर एक समझ प्राप्त करना जो ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन करने के लिए सुसंगत हैं जो परिस्थितियों में समुचित हो। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अनुसार हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदाई हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का और लेखाकरण आकलनों की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनो का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन के चालू समुत्थान के आधार पर उपयुक्तता का निष्कर्ष और अभी प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई तांत्रिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की चालू संविधान के आधार पर योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण आक्षेप करती है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, हमसे हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है जो एक कल वित्तीय विवरणिकाओं में प्रकटन से संबंधित है, या यदि ऐसा प्रकट अपर्याप्त है तो हमारे मत को अंतरित किया जाना है। हमारे निष्कर्ष हमारी

लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि भावी घटनाएं या स्थितियां कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

- वित्तीय विवरणिकाओं जिसके अंतर्गत प्रकटन है के समग्र प्रस्तुतीकरण ढांचे और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन और क्या वित्तीय विवरण किए गए संभावनाओं को और घटनाओं को ऐसी रीति में दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुतीकरण हासिल किया जा सके।

वित्तीय विवरणिकाओं में नित्य कथनों की मात्रा व्यष्टिक रूप से यह समग्र रूप से तात्विक है, इस बात को संभाव्या बनाती है कि वित्तीय विवरणिकाओं की युक्ति युक्त सूचना रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। हम गुणात्मक तत्वों और गुणात्मक कारकों पर (प) हमारी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करनेय और (पप) वित्तीय विवरणिकाओं में पहचाने गए मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संपर्क करते हैं जिनके ऊपर अन्य विर्षयों के साथ लेखा परीक्षा के योजना बनाए गए इसको और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी है जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है कि प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व है।

हम उनको, जो प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं जो हमने सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ स्वतंत्रता के संबंध में तैयार किया है और हम उनके साथ सभी नातेदारी और अन्य विर्षयों के साथ संपर्क करते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रभाव पड़ता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षोपाय करते हैं।

अन्य मामले

1. हमने कंपनी के वित्तीय विवरणिकाओं में शामिल 4 (चार) इकाइयों के वित्तीय विवरणिकाओं की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणिकाओं/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार कुल 32860.35 लाख रुपये की परिसंपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 28782.34 लाख रुपये की कुल आय शामिल है। इन वित्तीय विवरणिकाओं की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक इन इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित और कंपनी की बहियों और अभिलेखों के ऐसी जाच के आधार पर जैसा हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर 'अनुबंध क' में, विवरण देते हैं।

2. हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक जारी निदेशों/उप–निदेशों पर अधिनियम की धारा 143 (5) के निबंधनानुसार, कंपनी के बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांच जो हमने उचित समझी, के आधार पर और हमें प्रदान की सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार 'अनुबंध ख' में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि

   क) हमने वह सब सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अधीन रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3के (अप) में वर्णित मामलों को छोड़कर, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं जहां तक उन बहियों की हमारी जाच से प्रतीत होता है

   ग) हमारी राय में, उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों का कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

घ) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी की इकाइयों के लेखाओं पर रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा उचित रूप से कार्यवाही की गई है।

ङ) योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

च) योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

छ) सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ज) लेखाओं के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित योग्यताएं योग्य राय के आधार पैराग्राफ में और अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन रिपोर्टिंग पर उपरोक्त पैराग्राफ (ख) में वर्णित हैं और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अधीन रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ (अप) में भी वर्णित हैं।

झ) वित्तीय विवरणिकाओं के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया 'अनुबंध ग'में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी यह रिपोर्ट वित्तीय विवरणिकाओं के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक संशोधित राय व्यक्त करती है।

ञ) सरकारी कंपनी होने के नाते कारपोरेट कार्यमंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ट) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. आकस्मिक देनदारियों से संबंधित पैराग्राफ के तहत योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरण की टिप्पण संख्या 29 देखें।

ii. कंपनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घावधिक संविदाएं नहीं हैं जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियां होती।

iii. ऐसी कोई धनराशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और नियम क प्रांसगिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी कोई निवेशक षिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।

iv. क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखाओं के टिप्पण में दर्शाई गई सूचना के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यो) अथवा संस्था(ओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश अथवा उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या

संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तमज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखाओं के टिप्पण में दर्शाई गई सूचना के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति यासंस्था (संस्थाओ) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्तपोषण पार्टी) शामिल हैं, कोई भी निधिप्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहेलिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, किकंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषणपक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्व ारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी तथा

ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे उन्हें विश्वास हो कि उप–खण्ड (iv)(क) और (ii)(ख) के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत कथन निहित है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया है या घोषणा नहीं की है।

ii. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा बहियों का अनुरक्षण करने में लेखाकरण सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए वर्ष कार्य कर रहा था।

हमारीलेखारीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने रिकॉर्ड रखने की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को सुरक्षित रखा है।

कृते एस.के. मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 00478N

ह/–
जयंत कुमार
पार्टनर
सदस्यता सं.518718
यूडीआईएनः 26518718डीपीडीजेटीएल7943
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 जून, 2026

अनुबंध–'क'

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपार्ट के 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाआएं' पर रिपोर्ट' के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

i) क) अपनी संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

क. कंपनी ने गैर प्रचालनरत इकाइयों (आदिलाबाद, अकालतारा, चरखी दादरी, कुरकुंटा, मंधार, नयागांव और भटिंडा ग्राइंडिंग इकाई) को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले अभिलेख उचित रूप से अनुरक्षित किए गए हैं।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाले अभिलेख उचित रूप से अनुरक्षित किए गए हैं।

ख) जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा अंगीकृत चरणबद्ध सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का भौतिक सत्यापन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोकाजन, सिलचर, राजबन और तांदूर में स्थित इकाइयों के लिए उचित अंतराल पर सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में इकाइयों के आकार और उनकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। गैर प्रचालनरत इकाइयों (आदिलाबाद, अकालतारा, चरखी दादरी, कुरकुंटा, मंधार, नयागांव और भटिंडा ग्राइंडिंग इकाई) के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कारों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियां भौतिक नहीं थीं और उनका लेखाबहियों में उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया है।

ग) अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय उन गैर प्रचालनरत इकाइयों के जहाँ अचल संपत्तियों से संबंधित उचित विवरण उपलब्ध नहीं हैं और इसके अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इन इकाइयों के पास फ्रीहोल्ड भूमि के मामले में उचित स्वामित्व विलेख हैं और लीजहोल्ड भूमि के संबंध में वैध पट्टा विलेख हैं। अन्य मामलों का विवरण, जहाँ कंपनी की भूमि और अन्य संपत्तियों के निम्नलिखित स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं हुए हैं, (वित्तीय विवरणिका की की टिप्पणसं 31.26 देखें)

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	सकल रखाव मूल्य (लाख रुपये में)	जिसके नाम पर धारित है	क्याप्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हैं	धारण अवधि – जहां उपयुक्त हो, वहां सीमा सीमा उपदर्शित करें	कंपनी के नाम पर न धारित किए जाने का कारण
1.	भटिंडा में भूमि	5.57	पीएसईबी (गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन भटिंडा)	नहीं	वर्ष 1985 से	सीसीआई के पास मानद स्वामित्व
2.	मुख्यालय भवन	266.58	सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन	नहीं	वर्ष 1988 से	सीसीआई के पास मानद स्वामित्व

इसके अलावा, तांदूर इकाई के संबंध में, इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट दी है कि 628 एकड़ और 31 गुंटा के संबंध में भूमि और भवन के स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं हैं।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर या अमूर्त आस्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(प)(घ) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निशेध अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई या लंबित नहीं है।

ii) मालसूची के संबंध में:

(क) जैसा कि हमें बताया गया है, बोकाजन, राजबन और तांदूर स्थित इकाइयों के लिए प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया था, सिवाय इसके कि राजबन और तांदूर इकाइयों में अनुरक्षित भंडार और पुर्जों की मालसूची का भौतिक सत्यापन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान गैर प्रचालनरत इकाइयों (आदिलाबाद, अकालतारा, कुरकुंटा, मंधार, और नयागांव) में पड़ी मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

हमारी राय में, इकाइयों के आकार और उनके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मालसूची के ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है और प्रबंधन द्वारा ऐसे सत्यापन का कवरेज और प्रक्रियाएँ उचित हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है और जहाँ भौतिक सत्यापन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भौतिक स्टॉक और बही रिकॉर्ड के बीच सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई जो मालसूची के प्रत्येक वर्ग के कुल योग में 10 प्रतिषत से अधिक थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी के पास चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृत कार्यशील पूँजी सीमा नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, या ऋण या अग्रिम राशि, प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत, प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)() से (च) के प्रावधानों के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किए गए निवेशों के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अधीनआने वाले पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है, या कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

v) कंपनी ने जमा राशि या जमा मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते।

vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, जहाँ भी लागू हो, कंपनी द्वारा अनुरक्षित लागत रिकार्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मानना है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत रिकार्ड अनुरक्षित किए गए हैं और जहाँ भी लागू हो, उन्हें अनुरक्षित किया गया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए इन रिकार्डों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

vii) सांविधिक बकाया के संबंध में:

(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी नियमित रूप से निर्विवाद वैधानिक बकाया राशिजमा कराती है, जिसमें माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य कोई भी सांविधिक बकाया राशि शामिल है, जो नीचे बताए गए मामलों को छोड़कर, उचित प्राधिकरण के पास जमा कराती है।

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक निम्नलिखित तालिका को छोड़कर कोई भी अविवादित सांविधिक बकाया राशि, ऐसी नहीं थी

जो उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी:

संविधि का नाम	देय का स्वरूप	राशि (लाख रुपये में)	अवधि जिससे राशिसंबंधित है*	नियत तारीख*	भुगतान की तिथि*	टिप्पणी, यदि कोई हो*
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)	खनन किराया	37.10				
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)	रॉयल्टी	774.33				
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)	अधिभार और अतिरिक्त कर	4.18				
	पथ कर	4.92				
	वृत्ति कर	3.08				
छत्तीसगढ़ प्रवेष कर, 1976	प्रवेश कर	12.08				
	प्रवेश कर	1.69				
छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1,279.45				
हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	240.39				
हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	0.66				
मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम	बिक्री कर	2.04				
	उपकर	16.79				
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	0.59				
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णउपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952)	भविष्य निधि एवं पेंशन	28.84				
छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	जीएसटी	6.32				
योग		**2412.46**				

*कंपनी के पास उपलब्ध आवश्यक जानकारी/उचित रिकॉर्ड के अभाव में, आईसीएआई द्वारा जारी कंपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट आदेश (सीएआरओ) 2020 पर मार्गदर्शी टिप्पण की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक विवरण इस खंड के अधीन प्रदान नहीं किया गया है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कुछ विवादित निम्नलिखित सांविधिकदेयहैं जो 31 मार्च 2026 तक जमा नहीं किए गए हैं:

संविधि का नाम #	देय का स्वरूप	सकल विवादित राशि (लाखारुपये में)	विरोध/ अपील के अधीन जमा की गई राशि (लाखा रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है (वर्ष)	वह फोरम जहाँ विवाद लंबित है#	टिप्पणी , यदि कोई हो #
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	184.24		2009	संबंधित राज्यों के न्यायालय	
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	107.29	-			
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधिनियम	सेवा कर	33.75		2016	अपीलीय आधिकरण	
वाणिज्यिक कर विभाग, तेलंगाना	बिक्री कर	8.98	-		उच्च न्यायालय, तेलंगाना	
छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित बिक्री कर अधिनियम,	बिक्री कर	184.72	-			
वाणिज्यिक कर विभाग – तेलंगाना	बिक्री कर	120.33		1985-86	उच्च न्यायालय, तेलंगाना	
हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	13.21	2.59	2007-08 & 2008-09		
कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1.77				
असम बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1961	बिक्री कर	174.24				
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	84.56	84.56	AY-2006-07	कर निर्धारण अधिकारी	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	73.36	73.36	AY-2018-19	सीआईटी (ए)	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	16.80			कर निर्धारण अधिकारी	विभिन्न वर्षों की टीडीएस मांग
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	0.76			आयकर आयुक्त	
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2.29	-			

संविधि का नाम #	देय का स्वरूप	सकल विवादित राशि (लाखारुपये में)	विरोध/ अपील के अधीन जमा की गई राशि (लाखा रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है (वर्ष)	वह फोरम जहाँ विवाद लंबित है#	टिप्पणी , यदि कोई हो #
जीएसटी अधिनियम, 2017	जीएसटी	58.08		2024	सहायक आयुक्त कार्यालय	जानकारी के अभाव में हम मांग की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
जीएसटी अधिनियम, 2017	जीएसटी	6.36	-	2017-18 & 2019-20		
जीएसटी अधिनियम, 2017	जीएसटी	408.52		2019-20		विवादित मामला, कंपनी द्वारा विधिक सहारा लेने के अधीन
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)	रॉयल्टी	56.87	-			
	नाला कर	51.13	-			
	पंचायत कर	6.02	-			
	संपत्ति कर	290.04	-			
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम	ईएसआई	36.92	-			
नगरपालिका प्राधिकरण	नगरपालिका कर	111.16				
नगरपालिका प्राधिकरण	नगरपालिका कर	187.84				
कुल योग		**2219.24**	**160.51**			

कंपनी द्वारा अपेक्षित जानकारी/उचित अभिलेखों के अभाव में, आईसीएआई द्वारा जारी कंपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट आदेश (सीएआरओ) 2020 पर मार्गदर्शी टिप्पण के अनुसार आवश्यक विवरण उपलब्ध कराए गए सीमा तक प्रदान किए गये हैं।

इसके अलावा, सिलचर इकाई के संबंध में, शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि विभिन्न विभागों से विभिन्न कर निर्धारण आदेशों की अनुपलब्धता के कारण वे विवादित देयता की सटीक राशि का आकलन नहीं कर सके।

viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कर निर्धारण में किसी भी ऐसे लेनदेन को अभ्यर्पित या प्रकट नहीं किया है, जो पहले लेखा बहियों में आय के रूप में नहीं दर्शाया गया था। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (अपपप) के प्रावधानों के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण की मूल राशि और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक की है, जिसका विवरण नीचे इस प्रकार है –

ऋण प्रतिभूतिं सहित उधार की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	देय तिथि को अप्रदत्त राशि	मूलधनया ब्याज	विलंबित या अप्रदत्त दिनों की संख्या	टिप्पणी
ब्याज मुक्त ऋण	भारत सरकार	15,090.07	मूलधन	वर्ष 2011 से अर्थात 5478 दिन	अप्रदत्त
गैर योजना ऋण	भारत सरकार	12,385 .27	ब्याज	वर्ष 2011 से अर्थात 5478 दिन	अप्रदत्त
योग		**27,475.34**			

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(पग)(ग) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्ड की समग्र जाँच के अनुसार, वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई गई। तदनुसार, आदेश के खंड 3(पग) (घ) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएंकंपनी पर लागू नहीं होती।

(ङ) कंपनी की कोई अनुशंगी कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(पग) (ङ) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

(च) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(पग) (च) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएंकंपनी पर लागू नहीं होती।

x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव याआरभिकसार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखत सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ग) (क) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएंकंपनी पर लागू नहीं होती।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंषिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमानी आबंटन या निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ग) (ख) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

xi) (क) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की बहियों और रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई भी भौतिक धोखाधड़ी का मामला संज्ञान में नहीं आया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(ख) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अधीन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को सचेतक शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(ग) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं है क्योंकि आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xiii) हम दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188,जहां भी लागू है के अनुपालन में हैं और वित्तीय विवरणिका में लेखाकरण मानक (एएस) के अधीन यथापेक्षित प्रकटीकरण किया गया है।

xiv) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के पास अपने कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा वर्ष के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv) कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद संवयवहार नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के अधीन पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (क) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ख) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (ख) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के प्रावधान रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होते।

(घ) हमारी राय में, समूह के अधीन कोई मूल निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि मूल निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित है)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के प्रावधान रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होते।

xvii) कंपनी की लेखा बहियों और रिकार्डं की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को इस वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvii) के प्रावधान रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होते।

xviii)वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होते।

xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियाँ कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दी जाएंगी।

xx) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन खर्च किया है और ऐसी कोई भी राशि नहीं है जिसका अंतरण अधिनियम की धारा 135(5) और 135(6) के अनुसार किया जाना हो।

कृते एस.के. मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 00478N

ह/–
जयंत कुमार
पार्टनर
सदस्यता सं.518718
यूडीआईएनः 26518718डीपीडीजेटीएल7943
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 जून, 2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट काअनुबंध–'ख'

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के ''अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट''खंड के अधीन पैराग्राफ 2 में संदर्भित।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश	निदेशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर
1	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात के हितलाभ के लिए कंपनी द्वारा या न्यासों के माध्यम से सीधे किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अनुद्धृत दोनों का उचित मूल्यांकन का आकलन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखाकरण मानक के साथ निरंतरता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृश्टिकोण, इसकी तर्कसंगतता और लागू नियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, किसी भी भौतिक विचलन या मिथ्या कथन की रिपोर्ट करेगा।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हमने पाया कि कंपनी ने सेवानिवृत्ति के पश्चात के कर्मचारी हितलाभं के लिए कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया है। कंपनी ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात के भविष्य निधि दायित्वों के वित्तपोशण के लिए भविष्य निधि (पीएफ) न्यास के माध्यम से उद्धृत और अनुद्धृत प्रतिभूतियों में निवेश किया है। हमने पीएफ न्यास द्वारा अंगरकृत मूल्यांकन पद्धति और ऐसे निवेशों से संबंधित सहायक दस्तावेजों की समीक्षा की है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, न्यास द्वारा अपनाई गई लेखाकरण नीतियों के अनुसार पीएफ न्यास निवेशों का मूल्यांकन लागत के अनुसार किया गया है और इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के अंत में पीएफ दायित्वों की राशि से निवेश का उचित मूल्य अधिक है। हमारी राय में, अंकीगृत की गई मूल्यांकन पद्धति उचित है और लेखाकरण मानकों (एएस) के अनुरूप है। इसके अलावा, हमारी जांच के आधार पर, निवेश का मूल्यांकन दृश्टिकोण उचित है और यह लागू नियमों का अनुपालन करते हैं। इसके अलावा, कंपनी ने सेवानिवृत्ति के पश्चात के अन्य कर्मचारी हितलाभ दायित्वों के प्रशासन या निवेश के लिए कोई अन्य न्यास नहीं बनाया है।
2	क्या कंपनी के पास सभी लेखाकरण लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हां, तो क्या कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ–साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण इस प्रणाली और नियंत्रणों की समीक्षा, वर्ष में कम से कम एक बार की आवृत्ति पर सर्ट–इन द्वारा सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों द्वारा की गई है और यदि कोई भौतिक विसंगतियां पाई गई हैं, तो उन्हें उचित रूप से रिपोर्ट किया गया है? लेखा प्रणाली के बाहर लेखा लेनदेन की प्रोसेसिंग के लेखा की अखंडता पर वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ वित्तीय निहितार्थों की भी रिपोर्ट की जा सकती है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन को संसाधित करने की एक प्रणाली है। तथापि, निम्नलिखित लेनदेन एकीकृत एसएपी प्रणाली के बाहर संसाधित किए जाते हैं: मालसूची मूल्यांकन और लागत आवंटन। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास की गणना। ये प्रक्रियाएं एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग करके एसएपी सिस्टम के बाहर की जाती हैं, और सारांशित परिणाम मैनुअल जर्नल प्रविष्टियों के माध्यम से एसएपी सिस्टम में दर्ज किए जाते हैं। हमें सूचित किया जाता है कि वर्ष के दौरान, सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों द्वारा कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ–साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आईटी प्रणाली और नियंत्रणों की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार सी.ई.आर.टी.आई. एन. द्वारा सूचीबद्ध की गई है।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश	निदेशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विषिश्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धन का लेखाकरण लागू लेखाकरण मानकों या मानदंडों के अनुसार किया गया था और क्या प्राप्त धन का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या अनुदान पर अर्जित ब्याज का लेखाकरण अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है। विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विषिश्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि(अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है, इसके अलावा ऐसी कोई धनराशि(अनुदान/सब्सिडी आदि) नहीं है जो रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विषिश्ट योजनाओं के लिए प्राप्य है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी निधि (अनुदान/सब्सिडी आदि) पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया जाता है।
4	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हां, (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति को वैष्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान की है और क्या इसका उचित मूल्यांकन किया गया है??	हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है और किसी भी जोखिम को कम करने के लिए वैष्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करते हुए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की कोई बैठक नहीं हुई। तदनुसार, हमारी राय में, वर्ष के दौरान प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की व्यवस्थित रूप से समीक्षा, मूल्यांकन और निगरानी नहीं की गई है। हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी डेटा संपत्ति की पहचान नहीं की है इस प्रकार यह मूल्यांकन के अधीन नहीं हैं।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश	निदेशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर
5	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी–आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों पर प्रकाश डालें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने आम तौर पर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारतीय रिजर्व बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीईआरटी–आईएन के नियमों और विनियमों के प्रावधानों का पालन किया है, जहां भी लागू हो, सिवाय इसके कि क) वर्ष के दौरान, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में नहीं थी जो इस प्रकार हैं 1) कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। 2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के पास 15 जुलाई, 2025 से 15 मार्च, 2026 की अवधि के लिए बोर्ड में न्यूनतम एक महिला निदेशक नहीं कार्यरत थी। 3) कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और धारा 135 के तहत अपेक्षित नामांकन और पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति विद्यमान नहीं थी। 4) लेखाकरण सॉफ्टवेयर में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 का अनुपालन नहीं होना पाया गया है जो डेटाबेस स्तर पर किए गए परिवर्तनों के लिए ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम नहीं है, जैसा कि इस रिपोर्ट में ''अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाएं'' शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 3(के)(वी) में बताया गया है।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश	निदेशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर
		ख) कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षा समिति के गठन और पारिश्रमिक समिति नहीं रखने से संबंधित सार्वजनिक उद्यम विभाग के निगम शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सेबी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एस.के. मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः **00478N**

ह/–
जयंत कुमार
पार्टनर
सदस्यता सं.**518718**
यूडीआईएनः **26518718डीपीडीजेटीएल7943**
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः **24 जून, 2026**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–'ग'

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के ''अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट''खंड के अधीन पैराग्राफ 3(i) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 क खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपारेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पत्तियों केसंरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और पहचान करने समीचीन लेखाकरण नीतियों केचयन और इन्हें लागू करने ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणप्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, जैसा कि अधिनियमके अधीन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित किएजाने के लिए मानद, लेखा परीक्षा पर मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी दोनों आंतरिक नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू और दों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं,के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम इस बारे में, कि क्या वित्तीयरिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए और यदि ऐसा है तो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऐसेनियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचालित थे, औचित्यपूर्ण आष्वस्ति प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे और लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करेंगे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इनकी प्रचानिक प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियां निष्पादित करना निहित था। वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीयनियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का बोध प्राप्त करना, इस जोखिम काआकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण दुर्बलता विद्यमान थी, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण कीप्रभावोत्पादकता को प्रचालित करना और इसके आरेखन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक की निर्णय पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणओं के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन का आकलन शामिल है, चाहे वह प्रवंचना से हुआ हो या त्रुटि से।

हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षा संबंधी मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। वित्तीय विवरणिकाओं के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विस्तार में, सटीक और निश्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं

कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान, (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की प्राप्य और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुपयुक्त प्रबंधन अधिरोहण की संभावना सम्मिलित है, से त्रुटि या प्रवंचना की वजह से, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है औरइसका परिचयन नहीं हो सकता है। साथ ही, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की भविष्य कीअवधियों पर प्रत्याशाएं स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकती हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर का क्षय हो सकता है।

योग्य राय का आधार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2026 तक निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

सम्पत्ति, संयत्र तथा उपस्कर

1. प्रबंधन द्वारा चालू वर्ष और पिछले वर्ष में गैर–प्रचालनरत इकाइयों में रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर मदों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट नहीं की है।

2. गैर प्रचालनरत इकाइयों में स्थित अचल संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व विलेख/पट्टा विलेख से संबंधित उचित रिकॉर्ड का अनुरक्षणसमुचित ढंग से नहीं किया गया है।

3. तांदूर इकाई और गैर–प्रचालनरत इकाइयों के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक जानकारी और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्षाने वाले उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किए गये हैं।

मालसूचियां

1. गैर प्रचालनरत इकाइयों में पड़ी हुई मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जिसे पिछले कई वर्षों से बहियों में आगे बढ़ाया गया है और साथ ही, राजबन और तांदूर इकाई में रखे गए स्टोर और स्पेयर्स के भौतिक सत्यापन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अलावा, गैर प्रचालनरत इकाइयों में रखी गई मालसूची का उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किया गया है।

2. राजबन इकाई में रखे गए क्लिंकर के अर्ध–तैयार स्टॉक पर उचित लेबल या टैग नहीं लगाया गया है और प्रमुख स्टॉक खुले मैदान में बिखरे पड़े हैं, जिससे नुकसान/क्षय हो रहा है।

3. कंपनी ने मालसूची की मात्रा और मूल्यांकन के लिए निरंतर, प्रणाली अधारित प्रक्रिया का अनुरक्षण नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप भारित औसत लागत के साथ प्रणालीगत असंगतता और एसएपी उत्पन्न और प्रबंधन मूल्यांकन के बीच अंतर के समाशोधन के लिए मैनुअल इयर–इंड जर्नल वाउचर पर भरोसा किया गया है।

सांविधिक देय

1. अविवादित वैधानिक बकाया राशिके लिए उचित रिकॉर्ड जैसे भुगतान की देय तिथि, भुगतान न करने के कारण और यथा लागू देय ब्याज/जुर्माना राशि, उपलब्ध नहीं हैं।

2. गैर प्रचालनरत इकाइयों में विवादित सांविधिक देय जैसे विवाद का वर्ष, फोरम जहां विवाद लंबित हैं, सकल विवादित राशि और विवाद के अधीन प्रदत्त राशिआदि के लिए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किए गए हैं।

3. सिलचर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि विभिन्न विभागों से विभिन्न कर निर्धारण आदेश उपलब्ध न होने के कारण वे विवादित देयता की सटीक राशि का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं।

4. राजबन इकाई के संबंध में वित्तीय विवरणिकाओं में दर्शाई गई राशि जीएसटी क्रेडिट और नकद शेष और जीएसटी पोर्टल में दर्शाई गई राशि का समाशोधन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

5. राजबन और बोकाजन इकाइयों की लेखा बहियों में दर्शाई गई राशि के साथ जीएसटी पोर्टल में दर्षाय गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का समाशोधन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

6. बोकाजन इकाई द्वारा जीएसटीआर–9गविवरणी (समाशोधन विवरणिका) वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए और जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9गविवरणी वित्तीय वर्ष 2023–24 और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए दाखिल नहीं किया गया है जो कानून के अधीन अपेक्षित हैं।

7. पूर्व के वर्षों में कतिपय स्थानों में जीएसटीआर 9 विवरणी (वार्षिक विवरणी) और जीएसटीआर 9ग विवरणी (समाशोधन विवरणिका) दाखिल नहीं किए गए हैं जो कानून के अधीन अपेक्षित हैं।

अन्य

1. व्यापार प्राप्यों, ऋणों और अग्रिमों, व्यापार देय, पक्षकारों को और पक्षकारों से जमा तथा अन्य देयताओं के संबंध में शेष राशि की पुष्टि और समाशोधन प्राप्त करने की प्रणाली में काफी सुधार की आवश्यकता है।

2. गैर–प्रचालनरत इकाइयों में आकस्मिक देयताओं के लिए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किए गए हैं।

3. बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि पक्षकार–वार विवरण, संपुश्टिकरण, एजिंग विष्लेशण और इकाई में वसूल किए जा सकने वाले शेष राशिकी प्रकृति और वसूली की संपुष्टि करने वाले सहायक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।

4. तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि इकाई ने प्राप्य के लिए पर्याप्त एजिंग और वसूली योग्य का समुचित ढंग से अनुरक्षण नहीं किया है।

5. तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि इकाई ने एफडीआर शर्तों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों का अनुरक्षण नहीं किया है, उत्पाद शुल्क/बिक्री कर दावा समर्थन भी शेल खदान सक्रिय पट्टा समझौते उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

योग्य राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर योग्य राय अनुच्छेद के आधार में वर्णित भौतिक कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पण में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रहे थे।

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है और इन भौतिक कमजोरियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणिकाओं पर योग्य राय जारी की है।

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावोत्पादकता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित इकाइयों/शाखाओं से संबंधित है, शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते एस.के. मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 00478N

ह/–
जयंत कुमार
पार्टनर
सदस्यता सं.518718
यूडीआईएनः 26518718डीपीडीजेटीएल7943
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 जून, 2026

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार
इक्विटी एवं देनदारियां			
शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	02	81,140.74	81,140.74
(ख) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	03	(48,407.36)	(55,874.55)
		32,733.38	**25,266.19**
गैर चालू देनदारियां			
(क) दीर्घावधिक उधारियां	04	15,090.07	15,090.07
(ख) अन्य दीर्घावधिक उधारियां	05	16,335.83	15,822.09
(ग) दीर्घावधिक प्रावधान	06	3,154.30	3,400.92
		34,580.20	**34,313.08**
चालू देनदारियां			
(ख) व्यापार संदेय			
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय	07	417.76	627.94
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न अन्य लेनदारों का कुल बकाया देय	07	2,960.30	3,525.52
(ख) अन्य चालू देनदारियां	08	11,220.09	10,609.93
(ग) अल्पावधिक प्रावधान	09	3,250.35	2,279.57
		17,848.50	**17,042.96**
योग		**85,162.08**	**76,622.23**
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्ति			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	10A	16,827.23	17,043.10
(ii) अमूर्त परिसंपत्ति	10B	38.78	39.92
(iii) चल रहे पूंजीगत कार्य	11	1,432.53	4,985.12
(ख) गैर चालू निवेश	12	227.98	227.98
(ग) दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम	13	1,321.02	1,281.00
(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	14	8,937.65	4,833.00
(ङ) अपरिशोधित व्यय	15	1,897.25	1,896.13
		30,682.44	**30,306.25**
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूचियां	16	13,738.58	16,205.45
(ख) कारोबारी प्राप्य	17	821.61	452.45
(ग) नकद और नकद समतुल्य	18	31,037.46	22,972.41
(घ) अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	19	6,056.84	4,149.38
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	20	2,825.15	2,536.29
		54,479.64	**46,315.98**
योग		**85,162.08**	**76,622.23**

महत्वपूर्णलेखाकरण नीतियां एवं वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पण उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियां इस तुलन पत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। **1 से 31**

यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते एस के मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः. 000478एन

ह/–
(सीए जयंत कुमार)
पार्टनर
सदस्यता सं.518718

दिनांकः 24/06/2026
स्थानः नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09353339

ह/–
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/–
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 09711963

ह/–
(सईद शारिक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ–हानि विवरण (₹ लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
आय			
I **प्रचालनों से राजस्व**			
(क) उत्पादों की बिक्री		32,563.37	32,521.78
(ख) अन्य प्रचालनरत राजस्व		132.83	159.55
प्रचालनों से कुल राजस्व		**32,696.20**	**32,681.33**
II **अन्य आय**	**21**	5,879.52	11,460.72
कुल आय		**38,575.72**	**44,142.05**
व्यय			
(क) उपभोग की गई सामग्रियों की लागत	**22**	5,065.15	4,706.54
(ख) तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन, चल रहे कार्य एवं बिक्री माल	**23**	(18.23)	1,202.89
	24	5,267.20	5,507.77
(ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय	**25**	143.13	93.61
(घ) वित्तीय लागत	**26**	1,406.53	1,363.16
(ङ) अन्य व्यय	**27**	26,389.48	28,163.26
कुल व्यय		**38,253.26**	**41,037.23**
अपवादात्मक/असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ		**322.46**	**3,104.82**
असाधारण मदें आय/(व्यय)	**28AA**	7,144.73	-
असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ		**7,467.19**	**3,104.82**
असाधारण मदें आय/(व्यय)	**28 AB**	-	-
कर पूर्व लाभ		**7,467.19**	**3,104.82**
कुल व्यय			
चालू कर		1,359.20	259.62
पूर्व वर्षों के कर संबंधी व्यय		362.99	-
घटाएं: एमएटी क्रेडिट पात्रता		(1,359.20)	(259.62)
घटाएं: पूर्व वर्षों के एमएटी क्रेडिट पात्रता		(362.99)	-
चालू प्रचालनों से लाभ		198.22	1,527.61
रोके गए प्रचालनों से लाभ	**28C**	7,268.97	1,577.21
रोके गए प्रचालनों के कर संबंधी व्यय		-	-
रोके गए प्रचालनों से लाभ (करोपरांत)		7,268.97	1,577.21
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		**7,467.19**	**3,104.82**
प्रति शेयर आय (रुपये में)	**31.45**		
(1000 रुपये प्रति इक्विटी शेयर मान मूल्य)			
आधारिक		**163.69**	**68.01**
घटाया गया		**163.69**	**68.01**
महत्वपूर्णलेखाकरण नीतियां एवं वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पण	**1 से 31**		

उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियां इस तुलन पत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते एस के मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः. 000478एन

ह/–
(सीए जयंत कुमार)
पार्टनर
सदस्यता सं.518718

दिनांकः 24/06/2026
स्थानः नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09353339

ह/–
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/–
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 09711963

ह/–
(सईद शारिक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख रुपये में)

विवरण		प्रचालनरत		अप्रचालनरत		कुल	
		31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
क.	**प्रचालनरत गतिविधियों से नकदी प्रवाहः**						
	कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	198.22	1,527.60	7,268.97	1,577.22	7,467.19	3,104.82
	समायोजनः						
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1,406.53	1,349.41	-	13.89	1,406.53	1,363.30
	वित्तीय लागत	114.83	65.34	28.30	28.27	143.13	93.61
	मूल्यह्रास प्रतिलेखन	-	(131.33)	-	(137.76)	-	(269.09)
	ब्याज एवं अन्य आय	(5,171.67)	(4,526.39)	(296.22)	(691.74)	(5,467.89)	(5,218.13)
	संपत्ति, संयत्र और उपकरण के निस्तारण पर लाभ	(1.41)	-	-	-	(1.41)	-
	चूना पत्थर की सूची के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान निवेश की बिक्री पर लाभ		-	197.26	-	197.26	-
	आवश्यक नहीं रहे प्रतिलेखन के प्रति प्रावधान	(311.12)	(5,481.77)	(75.29)	(38.44)	(386.41)	(5,520.21)
	संदेहास्पद प्राप्यों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	458.66	-	-	-	458.66
	अपलिखित अपरिशोधित व्यय	218.81	268.82	-	-	218.81	268.82
	असाधारण (आय)/व्यय	-	-	(7,144.73)	-	(7,144.73)	-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनरत लाभ	**(3,545.81)**	**(6,469.66)**	**(21.71)**	**751.44**	**(3,567.52)**	**(5,718.22)**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तनः						
	व्यापार देयों में बढ़/(घट)	(299.34)	(446.15)	(476.06)	476.04	(775.40)	29.89
	अन्य देनदारियों में बढ़/(घट)	409.80	2,389.17	1,100.51	(1,907.79)	1,510.31	481.38
	प्रावधानों में बढ़/(घट)	(304.01)	(2,558.84)	(50.76)	(825.23)	(354.77)	(3,384.07)
	व्यापार प्राप्यों में घट/बढ़)	(369.16)	(403.08)	-	-	(369.16)	(403.08)
	मालसूचियों में घट/बढ़)	772.48	1,978.88	1,608.36	4.78	2,380.84	1,983.66
	ऋण एवं अग्रिमों में बढ़/(घट)	(1,793.50)	32.95	(153.98)	(194.49)	(1,947.48)	(161.54)
	अन्य परिसंपत्तियों में घट/बढ़)	(2,416.83)	1,536.49	(8.92)	(84.77)	(2,425.75)	1,451.72
	खर्च किया गया अपरिशोधित व्यय	(219.93)	(187.49)	-	-	(219.93)	(187.49)
	प्रचालनों से सृजित नकदी	**(7,766.30)**	**(4,127.73)**	**1,997.44**	**(1,780.02)**	**(5,768.86)**	**(5,907.75)**
	करो का संदाय (निवल)	(565.36)	(438.92)	-	-	(565.36)	(438.92)
	प्रचालनरत गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(8,331.66)**	**(4,566.65)**	**1,997.44**	**(1,780.02)**	**(6,334.22)**	**(6,346.67)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः**						
	संपत्ति, संयत्र और उपकरण का क्रय	(638.66)	(2,109.24)	(5.34)	-	(644.00)	(2,109.24)
	ब्याज एवं अन्य आय	4,848.21	4,580.05	296.22	829.49	5,144.43	5,409.54
	चल रहे पूंजीगत कार्य	(188.90)	(577.77)	(0.00)	183.19	(188.90)	(394.58)
	संपत्ति, संयत्र और उपकरण की प्राप्तियां	2.09	-	10,228.78	(137.75)	10,230.87	(137.75)
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी	**4,022.74**	**1,893.04**	**10,519.66**	**874.93**	**14,542.40**	**2,767.97**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहः**						
	समादत्त ब्याज एवं अन्य उधारी लागत	(114.83)	(65.34)	(28.30)	(28.27)	(143.13)	(93.61)
	इकाइयों के बीच अंतरित निधि	12,492.25	(933.66)	(12,492.25)	933.66	-	-
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी	**12,377.42**	**(999.00)**	**(12,520.55)**	**905.39**	**(143.13)**	**(93.61)**
	नकद एवं नकद समतुल्य में निवल बढ़/(घट)	**8,068.50**	**(3,672.61)**	**(3.45)**	**0.30**	**8,065.05**	**(3,672.31)**
	प्रारंभिक नकदी एवं बैंक शेष	22,947.84	26,620.45	24.57	24.27	22,972.41	26,644.72
	अंतिम नकदी एवं बैंक शेष	**31,016.34**	**22,947.84**	**21.12**	**24.57**	**31,037.46**	**22,972.41**

टिप्पणः

1 अंतिम नकदी एवं बैंक शेष मिलाकर शेषः

(₹ लाख रुपये में)

विवरण	प्रचालनरत		अप्रचालनरत		कुल	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
नकदी (टिप्पण संख्या 18 देखें)	0.62	0.87	0.03	0.03	0.65	0.90
बैंक में शेषः						
चालू खाते (टिप्पण संख्या 18 देखें)	541.98	536.94	21.09	24.54	563.07	561.48
.जमा खाते (टिप्पण संख्या 18 देखें)	30,473.74	22,410.03	-	-	30,473.74	22,410.03
योग	**31,016.34**	**22,947.84**	**21.12**	**24.57**	**31,037.46**	**22,972.41**

2 उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरणिका केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (लेखाकरण मानक), नियम, 2006 के अधीन लेखाकरण मानक 3 'नकदी प्रवाह विवरणिका' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार की गई है।

3 सावधि जमा में 637.03 रुपये (गत वर्ष 1701.52 रुपये) की जमा राशि शामिल है, जो बयाना राशि जमा/प्रतिभूति जमा/विभागों/नियामकों आदि के लेखा में ग्राहक/अन्य के पास बैंक गारंटी/साख पत्र के सापेक्ष मार्जिन मनी के रूप में रखी गई है।

4 अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, जब भी अपेक्षित हो, अपने स्वयं के नकद संसाधनों से पूर्ति किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

5 गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते एस के मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः. 000478एन

ह/–
(सीए जयंत कुमार)
पार्टनर
सदस्यता सं.518718

दिनांकः 24/06/2026
स्थानः नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09353339

ह/–
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/–
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 09711963

ह/–
(सईद शारिक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पण

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पण

01 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

01.01 तैयारी का आधार

निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है, ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रावधान के साथ पठित लागू लेखाकरण मानकों के अनुपालन में, बीमांकिक आधार पर, ऐतिहासिक लागत परिपारटी के अंतर्गत तैयार की गई हैं।

(क) रेलवे और बीमा दावों के अतिरिक्त अन्य परिसमाप्त क्षतियों/दंडों/दावों की वसूली पर लेखांकित जाता है और विविध आय में सम्मिलित किया जाता है।

(ख) स्टोर एवं स्पेयर्स के अधिशेष/धीमी गति से चलने वाली/न चलने वाली वस्तु आदि पर लाभ/हानि, यदि कोई हो, को उस वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है जिस वर्ष में उनका निस्तारण किया जाता है।

01.02 प्राक्कलन का उपयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन को जहाँ कहीं आवश्यक हो, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरण की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और उस अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशिको प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में परिणाम आते हैं।

01.03 प्रचालन चक्र

सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित कंपनी के प्रचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्ति और देनदारियों के चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ अपने प्रचालन चक्र को बारह महीने के रूप में आकलन किया गया है।

01.04 राजस्व की मान्यता

''राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक उसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा।

(क) "माल की बिक्री

बिक्री तब मानी जाती है जब स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ क्रेता को अंतरित कर दिए जाते हैं और कंपनी अंतरित माल पर उस सीमा तक कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रखती जो आमतौर पर स्वामित्व से जुड़ी होती है। राजस्व की मान्यता रिटर्न, छूट और रियायत आदि को घटाकर की जाती है, और इसमें माल एवं सेवा कर भी शामिल नहीं होता है।''

(ख) "सेवाओं की बिक्री

प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब संबंधित पक्षकारों के साथ कारारों/व्यवस्थाओं के आधार पर सेवा प्रदान की जाती है।''

(ग) "अन्य आय

ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में तथा लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है।"

01.05 भूमि और परिशोधन

(क) राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि का मूल्यांकन अंकित लागत पर या इसके अधिग्रहण पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

(ख) खदान में उत्खनन पट्टे के अधीन फ्री होल्ड भूमि और 99 वर्ष से कम के पट्टे वाले भूमि पट्टे पर संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर परिशोधन किया जाता है।

01.06 निवेश

(क) दीर्घावधिक निवेश का उल्लेख लागत पर किया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

(ख) चालू निवेश का उल्लेख सबसे कम लागत और उद्धृत/उचित मूल्य पर किया जाता है। गैर–उद्धृत चालू निवेश का उल्लेख लागत पर किया जाता है।

01.07 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण या उत्पादन के कारण होने वाली उधार लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जो अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है।अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

01.08 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और अमूर्ति संपत्ति

(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का विवरण अधिग्रहण लागत पर, संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हो, को घटाकर दिया गया है। लागत में क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु कोई अन्य देय लागत शामिल है।

(ख) अमूर्त आस्तियों का विवरण अधिग्रहण लागत पर, संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हो, को घटाकर दिया जाता है। लागत में क्रय मूल्य और आस्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर होने वाला कोई अन्य देय व्यय शामिल होता है।

01.09 मूल्यह्रास/परिशोधन

(क) मूल्यह्रास का प्रावधान परिसंपत्ति के पूर्ण रूप से तैयार होने और उपयोग के लिए उपलब्ध होने के बाद किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और लागत का 95 प्रतिशत परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन के दौरान बट्टे खाते में डाला जाता है।

(ख) वर्ष के दौरान जोड़ी गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास उनके पूंजीकृत किए जाने की तारीख से और उन्हें त्यागने/बेचने/ध्वस्त करने/नष्ट करने की तिथि के यथानुपात दर्शाया जाता है।

(ग) कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति जिसका लिखित मूल्य वर्ष के आरंभ में 5000/– रुपये या उससे कम है, उसका वर्ष के दौरान अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखे बिना पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है क्योंकि इसे महत्वहीन माना जाता है।

(घ) वर्ष के दौरान खरीदी गई 5000/– रुपये तक की किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को सकल ब्लॉक में ले जाया जाता है और उसी वर्ष पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

(ङ) पट्टाकृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

(च) अमूर्त संपत्तियों को उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर निम्नलिखित रूप से परिशोधित किया जाता है:

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पांच साल की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

01.10 मालसूचियां

(क) भंडारपुर्जे और कच्चा माल, जैसा कि नीचे (ख) में दर्शाया गया है, का उल्लेख भारित औसत लागत पर किया जाता है। अप्रचलित/अनुपयोगी भंडार और पुर्जे जब अवधारित किए जाते हैं, तो उन्हें स्क्रैप के रूप में माना जाता है और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ख) क्लिंकर और अन्य अर्द्ध–तैयार माल का उल्लेख वर्क बैक फॉर्मूले के आधार पर इकाई की भारित औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर किसर जाता है। हालांकि, नकारात्मक मूल्यांकन के मामले में इसका उल्लेख शून्य मूल्य पर किया जाता है।

(ग) कारखानों/परियोजनाओं में तैयार माल/माल के ढेरों में या माल के मार्गस्थ ढेर का उल्लेख इकाई भारित औसत लागत या वसूली योग्य मूल्य से कम पर किया जाता है। विभिन्न ढ़रों पर पड़े तैयार माल के मूल्य में दरों तक बिक्री व्यय में शामिल भाड़ा भी शामिल होता है।

(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न स्क्रैप मदों की कुल मात्रा का मूल्यांकन संबंधित मदों के लिए नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार उपलब्ध दरों के अनुसार किया जाता है। हालांकि, जहां पहली बार स्क्रैप से उत्पन्न होने या पहले निपटान नहीं होने के कारण ऐसी कोई दरें उपलब्ध न हों तो मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ ऐसे स्क्रैप मद के निपटान के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य अंगीकृत किया जाता है।

(ङ) ढीले उपकरण और रस्से तीन वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

01.11 अपरिशोधित व्यय

(क) पूर्वेक्षण और बोरिंग पर व्यय को अशोधित व्यय माना जाता है तथा इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन में आने के तीन से पांच वर्ष बाद इसे काट लिया जाता है।

(ख) खदानों में ओवरबर्डन आदि को हटाने पर किया गया व्यय, जिसका उपयोग सड़कें बिछाने, स्टॉकयार्ड, क्रषर रैंप आदि जैसे पूंजीगत कार्यों के लिए किया जाता है, पूंजीकृत किया जाता है। उपरिभार आदि को हटाने पर किए गए शेष व्यय को प्रारंभ में ''अपरिशोधित व्यय'' माना जाता है और उस अवधि में दर्शाया जाता है, जिसके लिए खदान विकास से निकला चूना पत्थर दोहन के लिए उपलब्ध रहता है।

(ग) किराये के भवनों में आंतरिक विभाजन और अन्य फिक्सचर की लागत स्थापना के वर्ष में ही सीधे काट ली जाती है, लेकिन यदि लागत एक लाख रुपये से अधिक है, तो उसे अशोधित व्यय के रूप में माना जाता है और तीन से पांच वर्षों में काट लिया जाता है।

घ) किसी इकाई के व्यावसायिक उत्पादन आरंभ होने के बाद, हाई–क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया का प्रारंभिक पूर्ण प्रभार अषोधित व्यय माना जाता है और तीन वर्षों की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। हालाँकि, क्षतिपूर्ति प्रभार लाभ–हानि विवरण में जोड़े जाते हैं।

ङ) यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए कोई अप्रयुक्त अनुदान/सब्सिडी नहीं है, तो वीआरएस भुगतान से संबंधित अंतिम लाभ, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ महीने के वेतन या सेवा की शेष अवधि के वेतन के बराबर, जो भी कम हो और नोटिस अवधि के वेतन के बराबर, व्यक्ति की शेष सेवा अवधि के दौरान या अधिकतम 5 वर्षों की अवधि में, जो भी कम हो, स्थगित और भारमुक्त कर दिए जाएँगे। हालाँकि, 01/04/2003 को या उसके बाद वीआरएस/वीएसएस पर किए गए किसी भी व्यय को व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी, जब वह उसी वर्ष में पूरी तरह से व्यय और भारमुक्त हो।

01.12 पूर्वावधि मदें

किसी विशेष वर्ष से संबंधित व्यय/प्राप्तियाँ, जो लेखाबंदी होने के पश्चात, अर्थात् कट–ऑफ तिथि के बाद ध्यान में आती हैं, अगले वर्ष के व्यय/प्राप्ति के संबंधित शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की जाती हैं। यदि राशि 10,00/– से अधिक है, तो उनका वित्तीय विवरणिकाओं में पूर्वावधि मदों के रूप में प्रकटन किया जाता है।

01.13 आय पर कर

चालू कर और आस्थगित कर सहित अवधि के लिए कर व्यय को वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) निर्धारित करने में सम्मिलित किया जाता है।

क) वर्तमान आयकर के लिए प्रावधान, लागू दोहरे कराधान परिहार करार के प्रावधानों पर विचार करने के बाद आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ख) कर योग्य आय और लेखा आय के बीच ''समय के अंतर'' से उदभूत आस्थगित कर का निर्धारण, कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है जो तुलन पत्र की तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हो चुके हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक आगे ले जाया जाता है जहाँ तक यह यथोचित/वस्तुतः निश्चित हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकती है।

(ग) एमएटी क्रेडिट पात्रता को मान्यता दी जाती है और उसे उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है, जहां तक यह यथोचित/वस्तुतः निश्चित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके सापेक्ष एमएटी क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है।

01.14 विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन का लेखा–जोखा

(क) विदेशी मुद्रा लेनदेन प्रारंभिक तौर पर लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। लेनदेन के निपटान पर, विदेशी मुद्रा लेनदेन पर प्राप्त लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरणिका में मान्यता दी जाती है।

(ख) वर्ष के अंत में निपटान न किए गए विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को वर्ष के अंत में विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाता है। उस पर उत्पन्न विनिमय दर के अंतर को लाभ और हानि विवरणिका में मान्यता दी जाती है।गैर–मौद्रिक मदें, जो विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत पर आगे बढ़ाए जाते हैं, उन्हें लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

01.15 सरकारी अनुदान/सब्सिडी

(क) विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सब्सिडी को संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से उनके बही मूल्य निकालने में घटाया जाता है। जहां विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित

अनुदान परिसंपत्ति की पूरी या वस्तुतः पूरी लागत के बराबर होता है वहां परिसंपत्ति का मूल्यांकन अंकित मूल्य पर या इसके अधिग्रहण/स्थापना पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुदान, परिवहन सब्सिडी और अन्य राजस्व अनुदान संबंधित व्यय से काटे जाते हैं।

(ग) केंद्रीय निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्राप्त सरकारी अनुदान, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए केंद्र सरकार के प्रोत्साहन में शामिल हैं और राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य समान अनुदान, जहां उनके संबंध में आमतौर पर कोई पुनर्भुगतान की उम्मीद नहीं है, अनुदान को पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में माना जाता है।

(घ) ऊपर विनिर्दिष्ट से अन्य, पूंजी/राजस्व अनुदान/सब्सिडी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक –12 के अनुसार लेखाबद्ध किए जाते हैं।

01.16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(क) प्रावधानों को उन देनदारियों के लिए मान्यता दी जाती है जिन्हें पर्याप्त मात्रा में प्राक्कलन लगाकर आंकलित जा सकता है, यदिः

(i) कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है,

(ii) दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की अपेक्षा की जाती है और

(iii) दायित्व की राशिका विश्वसनीय रूप से प्राक्कलन किया जा सकता है।

ख) आकस्मिक देयता का खुलासा निम्नलिखित मामलों में किया जाता हैः

(i) किसी भूतकालीन घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब यह सम्भावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी।

(ii) संभावित दायित्व, जब तक कि निपटान में बहिर्वाह की संभावना दूर न हो।

(ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणिकाओं में न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

01.17 परिसंपत्तियों की क्षीणता

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि क्या किसी परिसंपत्ति/नकदी उत्पादक इकाई के क्षतिग्रस्त होने का कोई संकेत मौजूद है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो लेखा पुस्तकों में क्षतिग्रस्तता हानि दर्ज की जाती है, अर्थात वह राशिजिससे किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशिउसकी वसूली योग्य राशिसे अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्तियों के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, होती है।

01.18 कंपनी के दावे

(क) जहां खाते में भुगतान प्राप्त हुआ है वहां बीमा दावों को सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर और/या दर्ज किए गए दावों के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथापि, जहां 31 मार्च तक हुई हानि की घटनाओं के लिए सर्वेक्षक की रिपोर्ट लेखाबंदी से पूर्व प्राप्त नहीं होती है, उसके प्रभाव का प्रकटीकरण लेखाओं पर टिप्पण के रूप में किया जाता है।

(ख) रेलवे के दावों को दर्ज करने पर लेखाबद्ध किया जाता है।

01.19 जमा कार्य

चल रहे जमा कार्यों के संबंध में, इसे निगम के चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में माना जाता है और निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को स्वामित्व के हस्तांतरण और पूंजीकृत होने पर जमा कार्य में आनुपातिक रूप से जोड़ा जाता है।

01.20 कर्मचारी हितलाभ

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान और कंपनी की अपनी ही उपदान योजना का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

(ख) सेवारत कर्मचारियों के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर भुनाया जा सकने वाले अर्जित छुट्टी /अर्ध वेतन छुट्टी आदि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

(ग) सेवानिवृत्ति पर गृहनगर की यात्रा पर व्यय के लिए प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(घ) भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन योजना में अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और इसे लाभ–हानि विवरणिका में दर्शाया जाता है।

(ङ) बोनस के लिए देनदारी का प्रावधान मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधानों के अनुसार इकाईवार आधार पर किया जाता है, न कि संपूर्ण निगम के रूप में। निगम कार्यालय के लिए बोनस की देनदारी का प्रावधान उस दर पर किया जाता है जो अन्य इकाइयों के लिए प्रावधान किए गए बोनस की दरों का औसत होता है।

(च) बीमांकिक मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

01.21 डिबेंचर के मोचन पर प्रीमियम

डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम को लाभ हानि विवरणिका/ आईईडीसी लेखा में ऐसी समान किश्तों में लगाया जाता है जो उस वर्ष से आरंभ होने वाली डिबेंचर की अवधि होती है जिसमें डिबेंचर आवंटित किए जाते हैं।

01.22 पूर्वदत्त व्यय

बाद के वर्ष (वर्षों) के अग्रिम में किए गए 10,000/– या उससे कम राशि के व्यय के प्रत्येक मामले को चालू वर्ष के व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

01.23 अशोध्य और संदिग्ध प्राप्यों/ऋणों/अग्रिमों आदि का लेखाकरण

(क) संदिग्ध प्राप्यों/ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब उन्हें वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है लेकिन वसूली की संभावना बनी रहती है।

(ख) राशियां तब बट्टे खाते में डाली जाती हैं, जब वसूली के प्रयास या तो विधिक प्रक्रिया के कारण विफल हो जाते हैं या जहां यह माना जाता है कि मुकदमेबाजी माना जाता है, फलदायी नहीं होगी और वसूली संभव नहीं है।

01.24 इंटर यूनिट/जोन/निगम कार्यालय अंतरण

(क) इकाइयों द्वारा अंतरित तैयार माल का मूल्यांकन आरंभ में प्रेषण योजना दरों पर किया जाता है और फिर बेची गई मात्रा का जोनों द्वारा वास्तविक निवल वसूली योग्य मूल्य पर निपटारा किया जाता है।

(ख) स्थायी परिसंपत्तियों के इंटर यूनिट/जोन/निगम कार्यालय अंतरण आदि को बही मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है।

(ग) क्लिंकर के इंटर यूनिट अंतरण को उसकी वसूली योग्य दरों पर (सीमेंट से वर्क बैक मेथड द्वारा) लेखाबद्ध किया जाता है और इसकी मार्गस्थ हानि को प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा लागत में समावेषित किया जाता है।

(घ) इंटर यूनिट/जोन/निगम कार्यालय की शेष राशि का नियमित रूप से समाशोधन किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि प्राप्त की जाती है।

01.25 व्यय का वर्गीकरण

(क) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय, जिसमें स्टोर और स्पएर्स की लागत सम्मिलित है, को छोड़कर, जैसा कि नीचे (ख) में दिखाया गया है, लाभ हानि विवरण में दर्शाये जाते हैं।

(ख) स्टोर और स्पेयर्स की लागत सहित संपत्ति, संयत्र और उपस्करं की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय, जो मौजूदा परिसंपत्तियों से भविष्य के लाभ इसके निष्पादन के पहले से निर्धारित मानक (जैसे क्षमता में वृद्धि) से अधिक बढ़ाते हैं, को पूंजीकृत किया जाता है।

(ग) वेतन और मजदूरी:

संयंत्र और मशीनरी, भवन आदि की मरम्मत और रखरखाव पर होने वाले वेतन और मजदूरी को सीधे वेतन और मजदूरी लेखा में प्रभारित किया जाता है।

(घ) अन्य फुटकर व्यय:

पार्कों पर व्यय, वृक्षारोपण और तंबू और तिरपाल आदि की खरीद को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

01.26 मौजूदा संयंत्र से सटे क्षेत्र की विस्तार परियोजनाओं/नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय

मौजूदा संयंत्रों द्वारा किए गए प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर होने वाले सामान्य खर्च को मौजूदा संयंत्रों से सटे विस्तार परियोजना/नई परियोजनाओं के लिए नहीं दर्शाया जाता है।

01.27 निगम कार्यालय व्यय का आवंटन

निगम कार्यालय का निवल राजस्व व्यय/आय को प्रबंधन द्वारा उनके सर्वोत्तम मूल्यांकन और निर्णय के अनुसार विभिन्न इकाइयों या परियोजनाओं से संबंधित संभावित लाभों या संबंधित अनुमानों के आधार पर निर्माणाधीन सभी इकाइयों और परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है।

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार
02	**शेयर पूंजीप्राधिकृत**		
	1000/– रुपये मूल्य के 50,00,000 (31 मार्च, 2025: 50,00,000) इक्विटी शेयर	50,000.00	50,000.00
	1000/– रुपये मूल्य के 40,00,000 (31 मार्च, 2025: 40,00,000) अधिमानी शेयर	40,000.00	40,000.00
	योग	**90,000.00**	**90,000.00**
	निर्गमित, अभिदत्त एवं समादत्त		
	1000/– रुपये मूल्य के पूर्णतया समादत्त 45,59,749 (31 मार्च, 2025: 45,59,749) इक्विटी शेयर	45,597.49	45,597.49
	1000/– रुपये मूल्य के पूर्णतया समादत्त 35,54,325 (31 मार्च, 2025: 35,54,325) अधिमानी शेयर	35,543.25	35,543.25
	योग	**81,140.74**	**81,140.74**

02.1 बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतया समादत्त या वर्तमान वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए नकद प्राप्त किए बिना अनुबंधों के अनुसार पूर्णतया समादत्त या वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या शून्य है।

02.2 शेयरों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी में इक्विटी शेयर और 1000/– रुपये प्रति शेयर के सममूल्य वाले 0.01 प्रतिशत गैर–संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर के रूप में संदर्भित दो वर्ग हैं। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। अधिमानी शेयरधारक केवल अपने अधिमानी शेयरों से जुड़े अधिकारों को सीधे प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने का पात्र है।

02.3 बकाया शेयरों की संख्या का समाशोधन

	31 मार्च, 2026		31 मार्च, 2026	
इक्विटी शेयर	**शेयरों की संख्या**	**राशि(लाख रुपये में)**	**शेयरों की संख्या**	**राशि(लाख रुपये में)**
वर्ष के आरंभ में शेष	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49
जोड़ें: निर्गमित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49

0.01 प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर	**शेयरों की संख्या**	**राशि(लाख रुपये में)**	**शेयरों की संख्या**	**राशि(लाख रुपये में)**
वर्ष के आरंभ में शेष	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25
जोड़ें: निर्गमित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

02.4 निगम में 5 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

	31 मार्च, 2026		31 मार्च, 2025	
शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
इक्विटी शेयर:				
भारत सरकार	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01 प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर:				
भारत सरकार	3,554,325	100%	3,554,325	100%

02.5 निगम में प्रवर्तकों की शेयरधारिता का विवरण:

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर	31 मार्च, 2026			31 मार्च, 2025		
प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
इक्विटी शेयर:						
भारत सरकार	4,559,749	100%	0%	4,559,749	100%	0%
0.01 प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर:						
भारत सरकार	3,554,325	100%	0%	3,554,325	100%	0%

टिप्पण:

वित्तीय वर्ष 2025–26 और 2024–25 के दौरान निगम में प्रवर्तकों की प्रतिशत शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 0.01 प्रतिशत गैर–संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयरों से संबंधित टिप्पण संख्या 31.11 देखें।

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार
03	**आरक्षित एवं अधिशेष**		
	लाभ–हानि विवरण में अधिशेष / (घाटा)		
	वर्ष के आरंभ में शेष	(55,874.55)	(58,979.37)
	जोड़ें: वर्ष हेतु निवल लाभ / (हानि)	7,467.19	3,104.82
	वर्ष के अंत में शेष	**(48,407.36)**	**(55,874.55)**
04	**दीर्घावधिक उधारियां**		
	अप्रतिभूत:		
	भारत सरकार से ब्याज मुक्त योजना ऋण	15,090.07	15,090.07
	योग	**15,090.07**	**15,090.07**
	टिप्पण:टिप्पण संख्या 31.09 देखें।		
05	**अन्य दीर्घावधिक देनदारियां**		
	व्यापार संदेय1 एवं 2		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय	2.77	17.46
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न अन्य लेनदारों का कुल बकाया देय	872.98	627.22
	प्राप्त की गई प्रतिभूति एवं धरोहर राशि	2,515.48	2,322.43
	ग्राहकों से अग्रिम	32.94	30.61
	संदेय जीएसटी / बिक्री कर	0.20	0.20
	उधारियों–सरकारी ऋण पर उपचित एवं देय ब्याज 3	12,385.27	12,385.27
	अन्य संदेय	526.19	438.90
	योग	**16,335.83**	**15,822.09**

टिप्पण:

1. व्यापार संदेय की आयु से संबंधित टिप्पण संख्या 31.23 देखें।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधीन यथापेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पण संख्या 31.21 देखें।
3. टिप्पण संख्या 31.09 देखें।

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार
06	**दीर्घावधिक प्रावधान**		
	कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
	उपदान	1,549.80	1,700.32
	अर्जित छुट्टी	1,123.19	1,254.45
	पूंजीगत कार्य हेतु प्रावधान	10.57	10.57
	अन्य प्रावधान	470.74	435.58
	योग	**3,154.30**	**3,400.92**
07	**व्यापार देय 1 एवं 2**		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय	417.76	627.94
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न अन्य लेनदारों का कुल बकाया देय	2,960.30	3,525.52
	योग	**3,378.06**	**4,153.46**

टिप्पणः

1. व्यापार संदेय की आयु से संबंधित टिप्पण संख्या 31.23 देखें।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधीन यथापेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पण संख्या 31.21 देखें।

08	**अन्य चालू देनदारियां**		
	ग्राहकों से अग्रिम	1,278.50	1,207.09
	प्राप्त की गई प्रतिभूति एवं धरोहर राशि	1,923.33	1,186.71
	संदेय जीएसटी/बिक्री कर	813.57	861.68
	संदेय विद्युत बकाया	852.00	799.69
	कर्मचारियों का बकाया	642.30	495.57
	संदेय रॉयल्टी	84.71	82.90
	अन्य संदेय	5,625.68	5,976.29
	योग	**11,220.09**	**10,609.93**
09	**अल्पावधिक प्रावधान**		
	कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधानः		
	उपदान	474.44	478.32
	अर्जित छुट्टी	263.90	305.24
	अन्य प्रावधान	1,330.63	1,393.56
	बोनस	7.96	7.96
	कराधान के लिए प्रावधान (समादत्त करों का निवल)	1,173.42	94.49
	योग	**3,250.35**	**2,279.57**

10क: सम्पत्ति, संयत्र तथा उपस्कर

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	सकल ब्लॉक / मूल लागत				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन / समायोजन	अपमार्जन / समायोजन	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन / समायोजन	अपमार्जन / समायोजन	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार
		(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क) + (ख) - (ग)	(ङ)	(च)	(छ)	(झ) = (ङ) + (च) - (छ)	(ञ) = (घ) - (झ)	(ट) = (क) - (ङ)
क)	**संकर्म**										
1	फ्री होल्ड भूमि	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85
2	पट्टाधृत भूमि	2,003.78	-	-	2,003.78	1,440.06	14.26	-	1,454.32	549.46	563.72
3	सड़क एवं पुलिया	903.79	-	296.09	607.70	820.15	12.31	281.72	550.74	56.96	83.64
4	संयत्र भवन	6,800.84	-	3,810.18	2,990.66	6,455.10	4.19	3,634.16	2,825.13	165.53	345.74
5	गैर संयत्र भवन	711.14	-	220.46	490.68	537.19	4.80	172.63	369.36	121.32	173.95
6	जल आपूर्ति, जल निकास एवं सीवरेज	994.33	-	631.27	363.06	870.08	1.76	605.90	265.94	97.12	124.25
7	रेलवे साइडिंग	4,999.41	2.99	682.98	4,319.42	2,314.02	222.10	653.00	1,883.12	2,436.30	2,685.39
8	विद्युत संस्थापन	2,781.98	10.82	733.70	2,059.10	1,816.15	126.92	710.22	1,232.85	826.25	965.83
9	संयत्र एवं मशीनरी	49,090.50	1,767.57	18,235.61	32,622.46	39,114.49	941.09	17,503.96	22,551.62	10,070.84	9,976.01
10	हवाई रज्जु मार्ग	730.62	-	-	730.62	673.56	2.34	-	675.90	54.72	57.06
11	रेलवे रॉलिंग स्टॉक	348.41	-	101.95	246.46	333.99	-	99.85	234.14	12.32	14.42
12	खदान उपस्कर	1,399.34	-	751.91	647.43	1,334.27	3.41	720.26	617.42	30.01	65.07
13	वाहन	268.96	20.33	57.94	231.35	230.09	5.43	55.63	179.89	51.46	38.87
14	कार्यालय उपस्कर	405.74	2.90	38.22	370.42	370.43	12.62	37.72	345.33	25.09	35.31
15	फर्नीचर एवं फिक्सचर	207.94	12.10	43.48	176.56	191.92	3.85	43.38	152.39	24.17	16.02
16	विविध उपस्कर	849.48	20.39	221.14	648.73	688.94	31.95	210.36	510.53	138.20	160.54
17	5000 रुपये तक की लागत वाले संयत्र एवं मशीनरी	61.55	0.63	3.50	58.68	61.55	0.63	3.50	58.68	-	-
	संकर्म का योग	**73,894.73**	**1,837.73**	**25,828.43**	**49,904.03**	**57,398.06**	**1,387.66**	**24,732.29**	**34,053.43**	**15,850.60**	**16,496.67**

	विवरण	सकल ब्लॉक/मूल लागत				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन/ समायोजन	अपमार्जन/ समायोजन	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन/ समायोजन	अपमार्जन/ समायोजन	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार
		(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क) + (ख) - (ग)	(ङ)	(च)	(छ)	(झ) = (ङ) + (च) - (छ)	(ञ) = (घ) - (झ)	(ट) = (क) - (ङ)
ख)	**टाउनशिप**										
1	फ्री होल्ड भूमि	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72
2	पट्टाधृत भूमि	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33
3	सड़क एवं पुलिया	39.01	-	27.32	11.69	37.07	0.15	25.97	11.25	0.44	1.94
4	आवासीय एवं कल्याण भवन	1,743.45	-	995.98	747.47	1,290.97	7.12	759.32	538.77	208.70	452.48
5	जल आपूर्ति, जल निकास एवं सीवरेज	185.35	-	138.38	46.97	157.21	0.87	133.18	24.90	22.07	28.14
6	विद्युत संस्थापन	39.96	-	33.38	6.58	38.96	-	32.64	6.32	0.26	1.00
7	वाहन	98.62	-	37.46	61.16	86.32	1.53	35.80	52.05	9.11	12.30
8	कार्यालय उपस्कर	3.83	-	3.55	0.28	3.75	0.01	3.56	0.20	0.08	0.08
9	फर्नीचर एवं फिक्सचर	16.48	-	9.78	6.70	15.20	-	9.78	5.42	1.28	1.28
10	विविध उपस्कर	16.15	-	3.89	12.26	14.99	0.05	3.89	11.15	1.11	1.16
	टाउनशिप का योग	**2,191.22**	**-**	**1,249.74**	**941.48**	**1,644.79**	**9.73**	**1,004.14**	**650.38**	**291.10**	**546.43**
1	सक्रिय उपयोग से हटाई गई एवं निपटारे के लिए धृत परिसंपत्ति	-	685.53	-	685.53	-	-	-	-	685.53	-
	संकर्मएवं टाउनशिप का योग	**76,085.95**	**2,523.26**	**27,078.17**	**51,531.04**	**59,042.85**	**1,397.39**	**25,736.43**	**34,703.81**	**16,827.23**	**17,043.10**
	गत वर्ष	**74,374.46**	**1,934.27**	**222.78**	**76,085.95**	**58,176.25**	**1,355.21**	**488.60**	**59,042.85**	**17,043.10**	

10ख: अमूर्त परिसम्पत्तियां

	विवरण	सकल ब्लॉक / मूल लागत				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन / समायोजन	अपमार्जन / समायोजन	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन / समायोजन	अपमार्जन / समायोजन	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार
		(क)	(ख)	(ग)	(घ) त्र (क) . (ख) .(ग)	(ङ)	(च)	(छ)	(झ) त्र (ङ) (च) . (छ)	(ञ) त्र (घ) . (झ)	(ट) त्र (क) . (ङ)
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	48.80	8.00	-	56.80	8.88	9.14	-	18.02	38.78	39.92
	योग	**48.80**	**8.00**	**-**	**56.80**	**8.88**	**9.14**	**-**	**18.02**	**38.78**	**39.92**
	गत वर्ष	**1.90**	**46.90**	**-**	**48.80**	**0.79**	**8.09**	**-**	**8.88**	**39.92**	

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार
11	**चल रहे पूँजीगत कार्य**				
	यांत्रिक परमर्शी सेवा	249.10	-	124.12	124.98
	सिविल अभियांत्रिकी कार्य	2,038.27	-	1,217.56	820.71
	प्रतीक्षित प्रतिस्थापन सहित संयत्र एवं मशीनरी	2,834.83	188.90	2,399.81	623.92
	संयत्र एवं मशीनरी का प्रतिस्थापन व्यय	0.54	-	-	0.54
	प्रासंगिक व्यय जिनका आबंटन किया जाना है	138.19	-	-	138.19
	अन्य	160.16	-	-	160.16
	उप योग	**5,421.09**	**188.90**	**3,741.49**	**1,868.50**
	अनुपयोगी सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान	435.97	-	-	435.97
	योग	**4,985.12**	**188.90**	**3,741.49**	**1,432.53**

टिप्पणः सीडब्ल्यूआईपीसे संबंधित आयु के संबंध में टप्पण संख्या 31.27 देखें।

	विवरण	की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य	की स्थिति के अनुसार बही मूल्य	की स्थिति के अनुसार बही मूल्य	की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य	की स्थिति के अनुसार बही मूल्य	की स्थिति के अनुसार बही मूल्य
		31-03-2026	31-03-2026	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2025	31-03-2025
12	**गैर चालू निवेश (गैर व्यापार)**						
क	**लागत पर इक्विटी शेयर (पूर्णतया समादत्त): उद्धरित**						
i)	आंध्रा सीमेंट कं. लि. (पूर्व में 'आंध्रा सीमेंट कं. लि.) के 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 31 इक्विटी शेयर एनएसई में जिनका बाजार मूल्य 40.79 रुपये प्रति शेयर है। (गत वर्ष48.88 रुपये प्रति शेयर)	0.01		*	0.02		*
ii)	एसीसी सीमेंट लि.के 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 280 इक्विटी शेयर (180 बोनस शेयर सहित) एनएसई में जिनका बाजार मूल्य 1,254.60 रुपये प्रति शेयर है। (नीचे टिप्पण 1) (गत वर्ष 1,942.65रुपये प्रति शेयर)	3.51		0.01	5.44		0.01
	उप योग			**0.01**			**0.01**
ख	**लागत पर इक्विटी शेयर (पूर्णतया समादत्त): अनुद्धृत**						
i)	असम बंगाल सीमेंट कं. लि. का 10 रुपये का 1 इक्विटी शेयर(नीचे टिप्पण 2)			*			*
ii)	जयपुर उद्योग लि. के 10 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 79 इक्विटी शेयर			0.01			0.01
iii)	स्टोन वैली सीमेंट कं. लि. के 5 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 40 इक्विटी शेयर			*			*
iv)	ए पी गैस पॉवर कारपोरेटषन लि. के 2315520 बोनस शेयर सहित 10 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 55,31,250 इक्विटी शेयर		322.00			322.00	
	घटाएं: 1,34,000 बोनस शेयर सहित बेचे गये 16,10,680 शेयर		94.04			94.04	

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

विवरण		की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य	की स्थिति के अनुसार बही मूल्य	की स्थिति के अनुसार बही मूल्य	की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य	की स्थिति के अनुसार बही मूल्य	की स्थिति के अनुसार बही मूल्य
		31-03-2026	31-03-2026	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2025	31-03-2025
	21,81,520 बोनस शेयर सहित शेष 39,20,570 शेयर			227.96			227.96
	उप योग			**227.97**			**227.97**
	योग (क+ख)			**227.98**			**227.98**
(i)	**कुल उद्धृत निवेश**						
	लागत			0.02			0.02
	बाजार मूल्य	3.52			5.45		
(ii)	**कुल अनुद्धृत निवेश**						
	लागत			227.96			227.96
(iii)	**योग**			Nil			Nil

टिप्पण:

1) 100 रुपये प्रति शेयर के 28 शेयरों से परिवर्तित। नए शेयर प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
2) शेयर अभी निगम के नाम में अंतरित किए जाने हैं।

* राशि 0.01 लाख रुपये से कम है।

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार
13	**दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम**		
क)	**अग्रिम पूंजी**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	207.20	207.20
	संदिग्ध	18.59	18.59
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	18.59	18.59
	उप योग	**207.20**	**207.20**
ख)	**संविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	365.31	326.62
	संदिग्ध	496.74	496.74
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	496.74	496.74
	उप योग	**365.31**	**326.62**
ग)	**सरकारी विभागों में शेष**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.38	0.38
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	
	संदिग्ध	151.20		151.20	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	151.20		151.20	
	उप योग		**0.38**		**0.38**
घ)	**बीमा एवं अन्य दावे**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	8.76		7.52	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	7.78		11.41	
	संदिग्ध	134.01		134.01	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	134.01		134.01	
	उप योग		**16.54**		**18.93**
ङ)	**कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	संदिग्ध	3.53		3.53	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	3.53		3.53	
	उप योग		**-**		**-**
च)	**वसूली योग्य दावे – रेलवे**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	13.44		13.44	
	संदिग्ध	406.06		406.06	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	406.06		406.06	
	उप योग		**13.44**		**13.44**
छ)	**वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	संदिग्ध	132.38		132.38	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	132.38		132.38	
	उप योग		**-**		**-**
ज)	**कर्मचारियों से वसूली योग्य**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.97		0.05	
	संदिग्ध	7.94		7.94	

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	7.94		7.94	
	उप योग		**0.97**		**0.05**
ञ)	**बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	717.18		714.38	
	संदिग्ध	949.52		949.52	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	949.52		949.52	
	उप योग		**717.18**		**714.38**
ञ)	**जांच लंबित होने से कमी, हानियां**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	संदिग्ध	589.52		589.52	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	589.52		589.52	
	उप योग		**-**		**-**
	योग		**1,321.02**		**1,281.00**
14	**अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां**				
	दीर्घावधिक व्यापार प्राप्य[1]				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	संदिग्ध	1,514.52		1,514.52	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	1,514.52		1,514.52	
	उप योग		**-**		**-**
	जमा: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-		-	
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	23.47		23.47	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	संदिग्ध	0.02		0.02	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	0.02		0.02	
	उप योग		**23.47**		**23.47**
	जमाएं: अन्य	-		-	
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.03		0.03	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,190.40		1,053.45	
	संदिग्ध	54.78		54.78	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	54.78		54.78	
	उप योग		**1,190.43**		**1,053.48**

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

	ऋणों एवं अग्रिमों पर उपचित एवं देय ब्याज			
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	2.09		2.09	
	संदिग्ध	-		-	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-		-	
	उप योग		**2.09**		**2.09**
	रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाराशियाँ[2]		3,534.13		1,210.72
	अग्रिम कर (प्रावधान का निवल)		175.79		253.69
	एमएटी क्रेडिट पात्रता		4,011.74		2,289.55
	योग		**8,937.65**		**4,833.00**

टिप्पण:

1. व्यापार प्राप्यों की आयु के संबंध में टिप्पण संख्या 31.24 देखें।
2. सावधि जमा में 1,660.57 रुपये (गतवर्ष 973.72 रुपये) की जमा राशि शामिल है, जो बयाना राशि जमा/प्रतिभूजि जमा/विभागों/नियामकों आदि के लेखा में ग्राहक/अन्य के पास बैंक गारंटी/साख पत्र के सापेक्ष मार्जिन मनी के रूप में रखी गई है।

15	**अपरिशोधित व्यय**			
	उत्खनन विकास पर व्यय			
	वर्ष के आरंभ में	1,896.13		1,977.46	
	परिवर्धन	219.93		187.49	
			2,116.06		2,164.95
	घटाएं: पूंजीकृत/समायोजित		218.81		268.82
	योग		**1,897.25**		**1,896.13**

16	**मालसूचियां (प्रबंधन द्वारा यथा सत्यापित, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)**				
क)	स्टोर एवं स्पेयर्स:				
	स्टॉक में	4,970.76		6,843.30	
	मार्गस्थ	12.25	4,983.01	14.39	6,857.69
ख)	अर्द्ध तैयार माल				
	स्टॉक में	6,121.74		6,351.38	
	मार्गस्थ	-	6,121.74	-	6,351.38
ग)	तैयार माल:				
	स्टॉक में	1,093.09		1,015.92	
	मार्गस्थ	5.69	1,098.78	7.75	1,023.67
घ)	कच्चा माल				
	स्टॉक में	1,011.62		1,140.47	
	मार्गस्थ	-	1,011.62	-	1,140.47
ड)	खुले औजार				
	स्टॉक में	0.40		0.60	
	मार्गस्थ	-	0.40	-	0.60

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	
च)	पैकिंग सामग्री				
	स्टॉक में	97.46		88.78	
	मार्गस्थ	-	97.46	-	88.78
छ)	कोयला:				
	स्टॉक में	930.01		842.56	
	मार्गस्थ	-	930.01	277.14	1,119.70
ज)	स्क्रैप:				
	स्टॉक में	276.27		213.15	
	मार्गस्थ	-	276.27	-	213.15
	उप योग		**14,519.29**		**16,795.44**
	घटाएं: मालसूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		780.71		589.99
	योग		**13,738.58**		**16,205.45**

टिप्पण:इसमें सीडब्ल्यूआईपीं को क्रेडिट किए गए वर्ष के दौरान परित्यक्तपूंजी परियोजना के लिए 111.23 लाख रुपये के स्क्रैप का वास्तविक मूल्य शामिल है। (टिप्पण: 31.03 देखें)

टिप्पण: मालसूची का मूल्यांकन करने से संबंधित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 1.10 देखें।

17	**व्यापार प्राप्य [1]**				
क)	छः माह से अधिक अवधि से बकाया				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	120.95		120.30	
	संदिग्ध	-		-	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	120.95	-	120.30
ख)	अन्य				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	259.27		69.97	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	441.39		262.18	
	संदिग्ध	-		-	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	700.66	-	332.15
	योग		**821.61**		**452.45**

टिप्पण: व्यापार प्राप्यों की आयु के संबंध में टिप्पण संख्या 31.24 देखें।

18	**नकदी एवं बैंक शेष**				
क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य				
	हाथ में नकदी		0.65		0.90
	हाथ में चैक				
	बैंक में शेष:		563.07		561.48
	सावधि जमा		1,381.16		79.01
	(मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने तक)				
	उप योग		**1,944.88**		**641.39**

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार
ख)	अन्य बैंक शेष सावधि जमा' (मूल परिपक्वता अवधि रिपोर्टिंग तिथि से तीन महीने से अधिक किंतु बारह महीने से कम)	29,092.58	22,331.02
	उप योग	**29,092.58**	**22,331.02**
	योग	**31,037.46**	**22,972.41**

टिप्पण:

सावधि जमा में 637.03 लाख रुपये (गत वर्ष 1701.52 लाख रुपये) की जमा राशि सम्मिलित है, जो ग्राहक/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा/विभागों/विनियामकों आदि के लेखा में बैंक गारंटी/साख पत्र के सापेक्ष मार्जिन मनी के रूप में धारित है।

19	**अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम**		
क)	**जमा: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.44	0.44
	संदिग्ध	17.53	17.53
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	17.53	17.53
	उप योग	**0.44**	**0.44**
ख)	**जमा: अन्य**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,680.38	1,696.08
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
	उप योग	**1,680.38**	**1,696.08**
ग)	**संविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,399.23	859.29
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
	उप योग	**1,399.23**	**859.29**
घ)	**सरकारी विभागों में शेष**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	924.92	533.91
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	344.17	214.18
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
	उप योग	**1,269.09**	**748.09**

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार
ङ)	**बीमा एवं अन्य दावे**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	11.27	11.94
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	106.38	278.44
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
	उप योग	**117.65**	**290.38**
च)	**कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	2.21	3.72
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.14	0.14
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
	उप योग	**2.35**	**3.86**
छ)	**कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	27.55	27.55
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
	उप योग	**27.55**	**27.55**
ज)	**कर्मचारियों से वसूली योग्य**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	9.63	13.99
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	10.38	12.26
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
	उप योग	**20.01**	**26.25**
झ)	**बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,038.60	0.70
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	501.54	496.74
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
	उप योग	**1,540.14**	**497.44**
	योग	**6,056.84**	**4,149.38**

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	
20	**अन्य चालू परिसंपत्तियां**				
	सावधि जमा पर उपचित ब्याज		1,404.77		1,081.31
	बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य अप्रतिभूत, अच्छे माने गए		1,420.38		1,454.98
	योग		**2,825.15**		**2,536.29**
21	**अन्य आय**				
	संपत्ति से किराया		3,036.68		2,637.96
	ब्याज				
	बैंक में सावधि जमा		2,212.64		2,000.03
	अन्य		80.37		51.83
	टाउनशिप से प्राप्तियां		50.74		47.43
	आधिक्य प्रावधान/प्रतिलिखित शेष		386.41		5,520.21
	विविध आय		87.46		749.97
	पूर्वावधि आय (निवल) (टिप्पण संख्या–28ख देखें)		23.81		453.29
	परित्यक्त संपत्ति की बिक्री पर लाभ		1.41		-
	योग		**5,879.52**		**11,460.72**
22	**उपभुक्त कच्चे माल की लागत**				
	प्रारंभिक शेष	**1,140.47**		**992.16**	
	वर्ष के दौरान अधिग्रहण:				
	चूने पत्थर का उत्थापन, उत्खनन एवं ढुलाई[1]	2,860.49		2,969.73	
	अन्य कच्चे माल की खरीदी	2,075.81	6,076.77	1,885.12	5,847.01
	घटाए:अंतिम स्टॉक		1,011.62		1,140.47
	उपभुक्त कच्चा माल'		**5,065.15**		**4,706.54**
	'मद–वार उपभोग के लिए टिप्पणी संख्या 30.9 देखें।				
(1)	**चूना पत्थर का उत्थापन, उत्खनन एवं ढुलाई**				
	चूना पत्थर का उत्थापन एवं संविदाकारों को संदाय		758.06		828.27
	कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ				
	वेतन, मजदूरी एवं बोनस	305.70		317.87	
	समादत्त उपदान	21.02		16.15	
	कर्मचारियों को हितलाभ	0.02		0.03	
	भविष्य निधि में अंशदान	26.31		27.11	
	पेंशन निधि में अंशदान	2.91		3.45	
	छुट्टी नकदीकरण	13.26		11.34	
	चिकित्सा व्यय	3.47		3.99	
	अर्जित छुट्टी हेतु प्रावधान	-	372.69	3.41	383.35
	उपभुक्त भंडार				
	सकल राशि	321.61		366.77	
	घटाएं: मरम्मत में सम्मिलित राशि	187.63	133.98	187.98	178.79

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	
	बिजली	62.28		78.15	
	ईंधन	42.68		23.73	
	दर एवं कर	3.38		10.33	
	संविदा श्रमिकों को भुगतान	401.83		399.94	
	रॉयल्टी एवं उपकर	847.77		760.37	
	अपलिखित उत्खनन विकास व्यय	218.81		268.82	
	यात्रा व्यय	0.90		0.98	
	बीमा	0.86		0.61	
	अन्य व्यय	49.56	1,628.07	35.89	1,578.82
	मरम्मत				
	मशीनरी	30.16		11.91	
	भवन	0.03		0.06	
	अन्य	157.43	187.62	176.02	187.99
	उप योग		**3,080.42**		**3,157.22**
	घटाएं: उत्खनन विकास व्यय, टिप्पण संख्या 15 में अंतरित		219.93		187.49
	योग		**2,860.49**		**2,969.73**
23	**तैयार माल, चल रहे कार्य एवं बिक्री माल की मालसूचियों में परिवर्तन**				
	अर्द्ध तैयार माल				
	प्रारंभिक स्टॉक	6,351.38		7,129.33	
	अंतिम स्टॉक	6,121.74	229.64	6,351.38	777.95
	तैयार माल				
	प्रारंभिक स्टॉक	1,015.92		1,299.80	
	अंतिम स्टॉक	1,093.09	(77.17)	1,015.92	283.88
	मार्गस्थ तैयार माल				
	प्रारंभिक स्टॉक	7.75		26.07	
	अंतिम स्टॉक	5.69	2.06	7.75	18.32
	स्क्रैप स्टॉक				
	प्रारंभिक स्टॉक	213.15		335.89	
	अंतिम स्टॉक	165.04	48.11	213.15	122.74
			202.64		**1,202.89**
	घटाएं: अपवादात्मक आय में अंतरित (टिप्पण संख्या 31.08 (ii) देखें।	220.87	220.87	-	-
	योग		**(18.23)**		**1,202.89**
	टिप्पण:				
	1. सम्मिलित:				
	क्लिंकर	5,278.93		5,301.65	
	अन्य अर्द्ध तैयार माल	842.81	6,121.74	1,049.73	6,351.38

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	
24	**कर्मचारी हितलाभ व्यय**				
	वेतन, मजदूरी एवं बोनस	3,691.47		3,873.36	
	समादत्त उपदान	488.50		469.06	
	कर्मचारियों को हितलाभ	12.76		6.41	
	छुट्टी नकदीकरण	396.27		384.68	
	भविष्य निधि में अंशदान	309.52		320.88	
	पेशन निधि में अंशदान	24.93		27.06	
	चिकित्सा व्यय	206.75		241.33	
	अर्जित छुट्टी हेतु प्रावधान	14.78		54.66	
	उपदान हेतु प्रावधान	35.29		32.77	
	कर्मचारी कल्याण व्यय	86.93		97.56	
	योग	**5,267.20**		**5,507.77**	
25	**वित्तीय लागत**				
	ब्याज–अन्य	143.13		93.61	
	योग	**143.13**		**93.61**	
26	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**				
	मूल्यह्रास / परिशोधन	1,406.53		1,363.30	
	उप योग	**1,406.53**		**1,363.30**	
	घटाए:आईईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास	-		0.14	
	योग	**1,406.53**		**1,363.16**	
27	**अन्य व्यय**				
	बिजली	7,645.62		7,403.88	
	कोयला	10,122.64		10,919.25	
	ईंधन तेल	4.31		9.53	
	किराया	20.74		26.48	
	दर एवं कर	224.37		185.15	
	बीमा	25.75	18,043.43	22.26	18,566.55
	मरम्मत एवं रखरखाव				
	संयत्र एवं मशीनरी	1,082.93		1,488.25	
	भवन	72.15		66.55	
	अन्य	263.98	1,419.06	285.22	1,840.02
	अन्य उत्पादन व्यय		523.04		566.78
	अपलिखत उपकरण एवं रस्से		0.20		0.32
	यात्रा व्यय		83.80		93.91
	बिक्री व्यय				
	सीमेंट पर भाड़ा	1,449.64		1,878.86	

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	
	चढ़ाई–उतराई खर्चे	30.54		64.66	
	बिक्री संवर्धन एवं प्रचार	24.61		61.93	
	अन्य बिक्री व्यय	13.09	1,517.88	3.12	2,008.57
	वाहन परिचालन व्यय		19.38		25.26
	. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक				
	लेखापरीक्षा हेतु	8.85		8.85	
	व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	0.15		0.15	
	अन्य क्षमता में	1.86	10.86	1.86	10.86
	लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की लागत				
	लेखापरीक्षा हेतु	1.15		1.15	
	व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	-	1.15	-	1.15
	सीआरआई एवं अन्यों को अभिदान		3.04		2.92
	संचार व्यय		13.72		16.00
	मुद्रण एवं स्टेशनरी		17.08		19.61
	विधिक एवं वृत्ति व्यय		162.15		180.20
	सुरक्षा व्यय		573.81		622.45
	स्टॉकिस्टों/अन्य से जमा पर ब्याज		0.08		4.97
	विविध व्यय		317.42		320.98
	संविदा श्रमिकों को भुगतान		197.26		-
	संविदा श्रमिकों को भुगतान		1,697.00		1,764.38
	बंद परियोजना पर व्यय		11.53		11.91
	संदिग्ध प्राप्यों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान		-		458.66
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		25.98		31.45
	भंडार एवं पुर्जों की खपतः				
	सकल राशि	1,777.44		1,769.10	
	घटाएं: मरम्मत एवं रखरखाव सहित	1,061.38	716.06	1,158.42	610.68
	पैकिंग सामाग्री		1,046.98		1,017.40
	उप योग		**26,401.01**		**28,175.03**
	घटाएं: आईईडीसी के खाते में अंतरित				
	बिजलीव्यय		0.11		0.14
	विधिक एवं वृत्तिक व्यय		0.24		-
	प्रतिभूति व्यय		11.16		10.49
	विविध व्यय		0.02		1.14
	योग		**26,389.48**		**28,163.26**

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

28 अपवादात्मक, असाधारण मदें एवं गत वर्षों से संबंधित समायोजन

28AA	**अपवादात्मक मदें**				
	आय:				
	परिसंपत्तियों की बिक्री (टिप्पण संख्या 31.08 (ii) देखें।)		7,650.49		-
	स्क्रैप की बिक्री (टिप्पण संख्या 31.08 (iii) देखें।)		585.09		
	उप योग		**8,235.58**		**-**
	व्यय:				
	सीडब्ल्यूआईपी को मान्यता न देने पर हानि (टिप्पण संख्या 31.03 देखें।)	2,414.01			
	घटाएं: संविदाकार से निपटारे के अनुसार वसूली (टिप्पण संख्या 31.03 देखें।)	1,323.16			-
	उप योग		**1,090.85**		**-**
	निवल अपवादात्मक आय		7,144.73		-
28AB	**असाधारण मदें**				
	आय:				
	उप योग		-		-
	व्यय:				
	उप योग		-		-
	निवल असाधारण मदों पर आय / (व्यय)		-		-
28B	**पूर्वावधि मदें**				
	आय:				
	स्टोर और स्पेयर्स, सामग्री, मूल्यह्रास और अन्य	43.96	43.96	479.18	479.18
	योग		**43.96**		**479.18**
	व्यय:				
	दर एवं कर	-		2.44	
	स्टोर और स्पेयर्स, सामग्री, मूल्यह्रास और अन्य	20.15		23.45	
	योग		**20.15**		**25.89**
	निवल पूर्वावधि आय / (व्यय)		**23.81**		**453.29**

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

(राशि ₹ लाख में)

28 प्रचालन एवं अप्रचालन के राजस्व एवं व्यय की विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्रचालित		अप्रचालित		कुल	
		31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
क	**राजस्वः**						
	टर्नओवर (निवल)	32,563.37	32,521.78	-	-	32,563.37	32,521.78
	अन्य प्रचालन राजस्व	132.83	159.55	-	-	132.83	159.55
	तैयार माल, चल रहे कार्य और बिक्री हेतु तैयार मालसूचियों में परिवर्तन	18.23	(1,202.89)	-	-	18.23	(1,202.89)
	योग	**32,714.43**	**31,478.44**	**-**	**-**	**32,714.43**	**31,478.44**
ख	**व्ययः**						
	प्रचालन व्यय (व्यय/आबंटित आय का निवल योग सहित)	37,909.39	40,341.07	218.97	(600.34)	38,128.36	39,740.73
	योग	**37,909.39**	**40,341.07**	**218.97**	**(600.34)**	**38,128.36**	**39,740.73**
ग	**प्रचालन गतिविधियों से ब्याज एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)**	**(5,194.96)**	**(8,862.63)**	**(218.97)**	**600.34**	**(5,413.93)**	**(8,262.29)**
	ब्याज पर व्यय	114.83	65.34	28.30	28.27	143.13	93.61
घ	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**	**(5,309.79)**	**(8,927.97)**	**(247.27)**	**572.07**	**(5,557.06)**	**(8,355.90)**
	आय कर	-	-	-	-	-	-
ड	**प्रचालन गतिविधियों से करोपरांत लाभ/(हानि)**	**(5,309.79)**	**(8,927.97)**	**(247.27)**	**572.07**	**(5,557.06)**	**(8,355.90)**
	अन्य आय	5,508.01	10,455.58	371.51	1,005.14	5,879.52	11,460.72
च	अपवादात्मक मदें – आय/(व्यय)	-	-	7,144.73	-	7,144.73	-
छ	असाधारण मदें– आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-
ज	**प्रचालन गतिविधियों से निवल लाभ/(हानि)**	**198.22**	**1,527.61**	**7,268.97**	**1,577.21**	**7,467.19**	**3,104.82**

29 आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न किए जाने की सीमा तक)

क)	**आकस्मिक देनदारियां**		
(i)	कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है।		
क)	आय कर मांग	174.71	178.79
ख)	तांदूर एवं बोकाजन इकाई आदि से बिक्री कर की मांग	994.50	590.42
ग)	बोकाजन एवं सिलचर संयत्र विस्तार संविदा	504.73	11,513.00
घ)	मध्यस्थता मामले	11,408.16	703.46
ड)	अकलतारा के संबंध में न्यूनतम टेरिफ प्रभार	1,151.50	1,151.50
च)	इकाईयों के संबंध में विद्युत ह्वीलिंग प्रभार	48,214.26	43,209.12
छ)	अन्य	7,392.54	7,492.95
(ii)	ऐसी अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	-	-
	उप योग	**69,840.40**	**64,839.24**
ख)	**प्रतिबद्धताएं**		
क)	पूंजीगत लेखाओं में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	26.24	88.24
	उप योग	**26.24**	**88.24**
	योग (क+ख)	**69,866.64**	**64,927.48**

टिप्पण:

विभिन्न न्यायालयों में कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित मुआवजे/पदोन्नति/दावों आदि के लंबित मामलों का प्रभाव लेखा बहियों में नहीं दिया गया है चूंकि तत्संबंधी राशिका आकलन नहीं किया जा सका।

30 मात्रात्मक विवरण

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	
1	**वास्तविक उत्पादन**				
	पोर्टलैंड सीमेंट				
	.साधारण	3,56,734.00	मीट्रिक टन	3,57,965.00	मीट्रिक टन
	.पोजोलाना	3,18,186.00	मीट्रिक टन	3,07,830.00	मीट्रिक टन
		6,74,920.00	मीट्रिक टन	6,65,795.00	मीट्रिक टन
2	**क्लिंकर (सीमेंट तैयार होने से पूर्व की सामग्री न कि अतिरिक्त उत्पाद)**				
	स्वयं का विनिर्माण	5,62,420.00	मीट्रिक टन	5,54,255.00	मीट्रिक टन
	.खरीदी	-	मीट्रिक टन	-	मीट्रिक टन
3	**सीमेंट का प्रेषण**	6,74,169.79	मीट्रिक टन	6,72,639.57	मीट्रिक टन

क्र.सं.	विवरण	मात्रा मीट्रिक टन में	मूल्य लाख रुपये में	मात्रा मीट्रिक टन में	मूल्य लाख रुपये में
4	**प्रारंभिक स्टॉक**				
क)	सीमेंट				
i)	फैक्ट्री में स्टॉक				
	सीमेंट ओपीसी	14,578.90	713.92	17,208.92	790.47
	सीमेंट पीपीसी	6,669.93	291.23	10,884.47	475.84
ii)	डंप में स्टॉक				
	सीमेंट ओपीसी	110.15	5.25	491.85	25.27
	सीमेंट पीपीसी	123.15	5.53	178.85	8.22
iii)	मार्गस्थ स्टॉक				
	सीमेंट ओपीसी	75.00	4.02	218.50	15.66
	सीमेंट पीपीसी	75.00	3.73	334.50	10.41
iv)	क्षतिग्रस्त सीमेंट				
	सीमेंट ओपीसी	595.60	-	595.60	-
	सीमेंट पीपीसी	-	-	-	-
	उप योग	**22,227.73**	**1,023.68**	**29,912.69**	**1,325.87**
ख)	क्लिंकर (स्वयं का विनिर्माण)	1,72,877.61	5,301.65	2,12,215.33	6,328.71
	क्लिंकर (खरीद)	-	-	-	-
	उप योग	**1,72,877.61**	**5,301.65**	**2,12,215.33**	**6,328.71**
5	**स्वयं के उपभोग/अंतरण इत्यादि सहित निवल बिक्री**				
i)	सीमेंट ओपीसी	3,57,850.14	32,563.27	3,60,577.51	32,505.87
ii)	सीमेंट पीपीसी	3,16,317.65		3,12,044.42	
iii)	परीक्षण हेतु प्रयुक्त सीमेंट	-	-	508.09	-
iv)	मार्गस्थ होने के दैरान सीमेंट की कमी	-	-	-	-
v)	ओपीसी का स्वयं का उपभोग	-	-	79.75	3.86
vi)	पीपीसी का स्वयं का उपभोग	2.00	0.10	270.20	12.05
		6,74,169.79	**32,563.37**	**6,73,479.97**	**32,521.78**

क्र.सं.	विवरण	मात्रा मीट्रिक टन में	मूल्य लाख रुपये में	मात्रा मीट्रिक टन में	मूल्य लाख रुपये में

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

6	**अंतिम स्टॉक**				
क)	सीमेंट				
i)	फैक्ट्री में स्टॉक				
	सीमेंट ओपीसी	13,595.26	702.50	14,578.90	713.91
	सीमेंट पीपीसी	8,558.98	385.21	6,669.93	291.23
ii)	डंप में स्टॉक				
	सीमेंट ओपीसी	83.65	4.00	110.15	5.25
	सीमेंट पीपीसी	29.45	1.38	123.15	5.53
iii)	मार्गस्थ स्टॉक				
	सीमेंट ओपीसी	-	-	75.00	4.02
	सीमेंट पीपीसी	115.00	5.69	75.00	3.73
iv)	क्षतिग्रस्त सीमेंट				
	सीमेंट ओपीसी	595.60	-	595.60	-
	सीमेंट पीपीसी	-	-	-	-
	उप योग	**22,977.94**	**1,098.78**	**22,227.73**	**1,023.67**
b)	क्लिंकर (स्वयं का विनिर्माण)	1,64,551.61	5,278.93	1,72,877.61	5,301.65
	क्लिंकर (खरीद)	-	-	-	-
	उप योग	**1,64,551.61**	**5,278.93**	**1,72,877.61**	**5,301.65**
7	**अन्य**				
i)	स्क्रैप के रूप में बेचा गया/ परित्यक्त क्लिंकर	-	-	12,166.72	91.73
	योग	**-**	**-**	**12,166.72**	**91.73**
8	**सीमेंट की ग्राइंडिंग हेतु प्रयुक्त क्लिंकर**	**5,70,746.00**	**23,757.05**	**5,81,426.00**	**24,380.46**
9	**उपभोग कच्चा माल**				
i)	चूना पत्थर	8,19,807.00	2,903.91	8,02,509.65	2,754.04
ii)	लैटराइट	3,787.00	23.48	4,099.00	25.54
iii)	लौह अयस्क	17,735.00	479.28	15,466.00	422.30
iv)	जिप्सम	18,178.00	506.93	17,052.00	509.64
v)	शैल	3,651.00	26.85	8,231.00	118.27
vi)	फ्लाई ऐश I	87,245.00	1,110.02	68,868.00	854.41
vii)	क्लिंकर (खरीद)	-	-	-	-
viii)	जली हुई मिट्टी	436.00	2.05	996.00	8.91
ix)	अन्य	28,568.00	12.63	23,085.00	13.43
	योग		**5,065.15**		**4,706.54**
10	**निम्नलिखित के संबंध में सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातित माल का मूल्य**				
i)	कच्चा माल	-	-	-	-
ii)	संघटक एवं पुर्जे	-	-	-	-
iii)	पूंजीगत माल	-	-	-	-
	योग		**-**		**-**
11	**सीधे आयातित एवं स्वदेशी उपलब्ध कच्चे माल, पुर्जे जिसका उपभोग किया गया एवं प्रत्येक के कुल खपत का प्रतिशतः**				
	सीधे आयातित	0.57%	39.08	0.75%	48.79
	स्वदेशी उपलब्धता	99.43%	6,803.51	99.25%	6,426.85
		100.00%	**6,842.59**	100.00%	**6,475.64**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31. वित्तीय विवरणिकाओं का हिस्सा बनने वाले टिप्पण

31.01 निगम द्वारा 7,089 लाख रुपये (गत वर्ष 99,634.00 लाख रुपये) के दावे विभिन्न न्यायालयों आदि में मध्यस्थता के अंतर्गत/लंबित हैं और इसके परिणाम केवल निर्णय/डिक्री आदि पर ज्ञात हो पाएंगे। इसलिए लेखाओं में इसका प्रभाव नहीं दर्शाया गया है।

31.02 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के अधीन वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कर निर्धारण के दौरान, कर निर्धारण अधिकारी ने निगम की रिटर्न की गई आय में 183.14 लाख रुपये की वृद्धि की, जिससे 73.36 लाख रुपये की मांग उद्भूत हुई। उक्त कर निर्धारण आदेश से व्यथित होकर, निगम ने आयकर अधिनियम की धारा 246क के अधीन अपील दायर की है और इसे वित्तीय विवरणिकाओं में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

31.03 सिलचर इकाई सहित बोकाजन विस्तार का ठेका मेसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैंगलोर (संवदाकारा) को वर्ष 2010 में 18,208 लाख रुपये में कार्यादेश दिया गया था। मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कार्य आदेश के अनुसार मध्यस्थता खंड को रद्द कर दिया। सीसीआई ने ठेकेदार के 11,513.00 लाख रुपये के दावे के सापेक्ष 93,013.28 लाख रुपये में सिलचर सहित बोकाजन विस्तार कार्य के न किए जाने के कारण हुए नुकसान/क्षति के लिए भी प्रतिदावा दायर किया। पक्षकार को जारी कार्य आदेश रद्द कर दिया गया है। सिलचर इकाई मामले में विद्वान मध्यस्थ अधिकरण ने सीसीआई के विरुद्ध दिनांक 13.12.23 को निर्णय पारित किया है, सीसीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णय को चुनौती दी है, जिस पर अभी निर्णय नहीं आया है।

बोकाजन विस्तार परियोजना के मामले में, कंपनी के पक्ष में 22.04.2026 की मध्यस्थता के निर्णय के अनुसार और एक स्वतंत्र सलाहकार और आंतरिक मूल्यांकन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन ने प्रस्तावित 1200 टीपीडी भट्ठी विस्तार परियोजना को बंद करने और त्यागने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 2997.77 लाख रुपये की संबंधित चालू पूंजीगत कार्य की वसूली के लिए समीक्षा की गई है। 472.53 लाख रुपये के मौजूदा प्रचालन में उपयोग योग्य के रूप में पहचानी गई परिसंपत्तियां और 111.23 लाख रुपये के अनुमानित प्राप्य मूल्य वाली स्क्रैपेबल वस्तुओं को यथोचित पुनर्वर्गीकरण/निपटारे के लिए रखा गया है। उपयोग में न आने वाले उपस्कर और अधूरे सिविल ढांचों से संबंधित 2414.01 लाख रुपये की शेष राशिको बट्टे खाते में डाल दिया गया है। मध्यस्थता निर्णय और तकनीकी मूल्यांकन, जो तुलन पत्र की तारीख पर मौजूद स्थितियों के अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करने वाली घटनाएं हैं, को लेखांकन मानक –4 ''तुलन पत्र की तारीख के पश्चात होने वाली घटनाएं और आकस्मिकताएं'' के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणिकाओं में दर्शाया गया है। मध्यस्थता आदेश के अनुसार ठेकेदार से प्राप्त 1323.16 रुपये की वसूली को समायोजित करने के पश्चात, सीडब्ल्यूपीके अप्रचालरत के रूप में मान्यता न देने पर 1090.85 रुपये की परिणामी निवल हानि को लाभ और हानि विवरिण्का में असाधारण मद के रूप में अलग से दर्शाया गया है।

31.04 गैर–प्रचालनरत इकाइयों की भूमि के लिए स्वामित्व विलेखों का निष्पादन प्रक्रियाधीन है क्योंकि एमएचआई ने इन गैर–प्रचालनरत इकाइयों की भूमि के विनिवेश और निपटान के लिए निर्देश दिए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ग्राइंडिंग यूनिट और रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए सीसीआई को 20.94 एकड़ लीज भूमि आवंटित की।

डीडीए ने 11.04.2017 को अपने पत्र द्वारा सीसीआई की 14.20 एकड़ लीज भूमि, जो ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए थी, स्वत संज्ञान लेते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को हस्तांतरित कर दी। 14.20 एकड़ भूमि की कीमत अब ''बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य'' के रूप में दर्शायी गई है, क्योंकि यह एसडीएमसी/डीडीए से वसूली योग्य है। इसके अलावा, एमसीडी ने 22.4.2024 को अपने पत्र द्वारा 14.20 एकड़ भूमि के बदले में फिरोजपुर कलां (फरीदाबाद) स्थित एमसीडी की 9 एकड़ भूमि सीसीआई को सौंपने की सूचना दी है। इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। सीसीआई के लिए रेलवे साइडिंग के निर्माण

हेतु आवंटित शेष 6.74 एकड़ भूमि रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे को दे दी गई। उत्तर रेलवे ने दिनांक 01.01.2024 के पत्र द्वारा दिल्ली डिवीजन और निर्माण संगठन को निदेष दिया है और सीसीआई के दावे के मामले पर निर्णय लेने के लिए विवरण मांगा है।

31.05 खनिज (सरकारी कंपनियों द्वारा खनन) नियम, 2015, दिनांक 03.12.2015 के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों को खनन पट्टे प्रदान किए गए माने जाएँगे। तदनुसार, सीसीआई के खनन पट्टे प्रदान किए गए माने जाएँगे और अभी भी मान्य हैं।

31.06 सीसीआई, आदिलाबाद टाउनषिप के बाहर सरकारी भूमि का अधिग्रहण और पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक सड़क के रूप में उपयोग की जाने वाली 32 गुंटा भूमि जिसके लिए राजस्व विभाग से अलगाव आदेश की प्रतीक्षा है।भूमि के अधिग्रहण और उपयोग से संबंधित वसूली योग्य वाली राशिके संबंध में लेखाकरण नहीं किया गया है।

31.07 स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली स्थित कार्यालय भवन, जिसकी लागत 266.58 लाख रुपये है, जिसमें 5.70 लाख रुपये की विद्युत स्थापना शामिल नहीं है, को मान्य स्वामी मानते हुए मूल्यह्रास के माध्यम से अनंतिम रूप से परिशोधित किया जा रहा है।

31.08 i) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (एसपी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अधीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को पत्र संख्या एसईसी 84ध्96/513 दिनांक 25.04.1996 द्वारा एक प्रतिनिर्देष भेजा गया था। कंपनी को माननीय बीआईएफआर के पत्र संख्या 501/96–बेंच प्ट एसओएल दिनांक 08.08.1996 के माध्यम से रुग्ण घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने 21.03.2006 को हुई अपनी सुनवाई में मेसर्स आईएफसीआई (ओए) द्व ारा तैयार और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत योजना माननीय बीआईएफआर द्वारा 03.05. 2006 को प्रसारित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के निपटान और 3 प्रचालनरत संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 गैर–प्रचालनरत संयंत्रों को बंद करनेध्बेचने की परिकल्पना की गई थी। स्वीकृत योजना के अनुसार, सात इकाइयों को बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 09.02.2022 के पत्र द्वारा इन निश्क्रिय इकाइयों के संयंत्र एवं मशीनरी, भंडार आदि को बेचने का निर्देष दिया है। तदनुसार, अकलतरा, चरखी दादरी, कुरकुंटा, मंधार इकाइयों के संयंत्र एवं मशीनरी सहित अन्य परिसंपत्तियों को मेसर्स एमएसटीसी के माध्यम से बेचा गया।

ii) नयागांव इकाई के मामले में, संयंत्र और मशीनरी की बिक्री के लिए निविदा, भारत सरकार के उद्यम मेसर्स एमएसटीसी के माध्यम से ''जैसा है, जहाँ है और क्लीन स्वीप आधार'' पर डिसमेंटलिंग, भंडार और स्पेयर के साथ जारी की गई थी। कंपनी को 10,030.00 लाख रुपये का बिक्री प्रतिफल प्राप्त हुआ। 655.52 लाख रुपये की निश्चित परिसंपत्तियों के षुद्ध ब्लॉक, 1,365.42 लाख रुपये के स्टोर और स्पेयर्स, 15.33 लाख रुपये केचालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूपी),206.20 लाख रुपये के अध र्–तैयार माल,22.08 लाख रुपये के कच्चे माल,14.66 लाख रुपये के स्क्रैप स्टॉक और बिक्री पर कमीषन 100.30 लाख रुपये के समायोजन के पश्चात, परिसंपत्तियों की बिक्री पर परिणामी निवल लाभ 7650.49 लाख रुपये को लाभ और हानि विवरिणका में असाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है।

iii) कुरकुंटा इकाई के मामले में, बचे हुए सामग्री की स्क्रैप बिक्री को मेसर्स एमएसटीसी के माध्यम से 591.00 लाख रुपये के लिए ''जैसा है, जहां है और क्लीन स्वीप आधार'' पर ई–नीलामी की गई है और बिक्री पर कमीषन को समायोजित करने के पश्चात 5.91 लाख रुपये की बिक्री पर 585.09 लाख रुपये परिणामी लाभ को लाभ और हानि विवरिणका में असाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है।

iv) इसके अलावा, दिनांक 03.03.2026 को आदिलाबाद इकाई की मेसर्स एमएसटीसी ई–नीलामी के परिणाम के अनुसार और संबंधि ात निविदा के नियमों और निवेश के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी की बिक्री के साथ–साथ डिसमेंटलिंग, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स को ''जैसा है, जहाँ है और क्लीन स्वीप आधार''

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

पर 4360 लाख रुपये की राशिके लिए उच्चतम बोली लगाने वाले मेसर्स एचआर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को प्रदान किया गया है।

31.09 (i) ऋणदाताओं, राज्य सरकारों, अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों के संबंध में राहत और रियायतों पर उचित रूप से तब विचार किया जाएगा जब ऐसे भुगतान किए जाएंगे और ऐसी रियायतें/राहतें यथास्थिति, बिना किसी आकस्मिकता के निश्चित हो जाएंगी या इसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा।

(ii) माननीय बीआईएफआर की दिनांक 03.05.2006 की स्वीकृत योजना के अनुसार, भारत सरकार से 1975 से प्राप्त 15,090.07 लाख रुपये (गत वर्ष 15,090.07 लाखरुपये) की कुल योजना ऋण राशिका भुगतान सात गैर–प्रचालनरत इकाइयों की बिक्री से प्राप्त राशि से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए गैर–प्रचालनरत ऋण पर अर्जित 12,385.27 लाख रुपये की ब्याज राशि को 01.04.2011 से रोक दिया गया है। कंपनी इस सीमा तक चुकौती में चूक कर चुकी है। ब्याज का भुगतान गैर–प्रचालनरत इकाइयों की बिक्री से प्राप्त राशिसे किया जाएगा।

31.10 निम्नलिखित इकाइयों में प्रत्येक इकाई के सामने उल्लिखित तिथियों से उत्पादन बंद कर दिया गया है:

क्र. स.	इकाई का नाम	राज्य	बंद होने की तिथि
i)	मंधार	छत्तीसगढ़	06 जून, 1996
ii)	चरखीदादरी	हरियाणा	14 अगस्त, 1996
iii)	अकलतारा	छत्तीसगढ़	09 दिसंबर, 1996
iv)	नया गांव, नया गांव विस्तार	मध्य प्रदेश	30 जून, 1997
v)	कुरकुन्टा	कर्नाटक	01 नवंबर, 1998
vi)	अदिलाबाद	तेलंगाना	05 नवंबर, 1998
vii) क	दिल्ली सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट	दिल्ली	08 फरवरी, 1999
vii) ख	भटिंडा ग्राईडिंग यूनिट	पंजाब	चालू नहीं किया गया

आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार मसौदा पुनरुद्धार योजना (डीआरएस) को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 21–03–2006 को हुई सुनवाई में अनुमोदित किया गया था और स्वीकृत योजना दिनांक 03–05–2006 को परिचालित की गई थी, जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के निपटान और बंद करने/उपरोक्त 7 अप्रचालरत इकाइयों की बिक्री की परिकल्पना की गई थी। उक्त योजना में उल्लिखित उपरोक्त 7 इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक है। इसी तरह, बोकाजन, राजबन और तंदूर इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से कहीं अधिक होने की उम्मीद है। इसलिए, किसी भी संभावित हानि का कोई संकेत नहीं है। इस प्रकार लेखाओं में हानि के लिए प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

31.11 पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के दौरान, 22.03.2007 को सात वर्षों के लिए 35,543.25 लाख रुपये का गैर–संचयी अधिमानी शेयर जारी किया गया था, अवधि समाप्त होने के बाद अधिमनी शेयर को पुनः निर्गमित करने के लिए मंत्रालय से आगे विस्तार मांगा गया है, इस संबंध में प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

31.12 आस्थगित कर परिसंपत्ति/देनदारियों को आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य अवधि के भीतर आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता के अभाव में मान्यता नहीं दी जाती है।

31.13 देनदारियों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के लिए, इसकी प्रकृति के अलावा स्वीकृत योजना में निहित शर्तों को ध्यान में रखा गया है।

31.14 निगम के व्यवसाय की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लेखा मानक–17 के अधीन रिपोर्टिंग खंड कपंनी पर लागू नहीं होता।

31.15 अप्रैल 2025 को 685.53 लाख रुपये, जो सक्रिय उपयोग से हटा दिए गए थे और निपटान के लिए रखे गए थे, उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय के पत्र संख्या 1(1)/2017–PE-XII/CPSE.III दिनांक 09.02.2022 के निर्देषों पर पीपीई अनुसूची के अधीन एक अलग शीर्षक, ''सक्रिय उपयोग से हटाई गईऔर निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्ति'' में उनके अवमूल्यन मूल्य पर अंतरितकिया गया है।

31.16 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के प्रावधानों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष का बही लाभ एमएटी के अधीन है और उक्त राशि को वर्तमान कर व्यय और एमएटी क्रेडिट पात्रता के

अंतर्गत भी दर्शाया गया है। एमएटी क्रेडिट एक आस्थगित कर परिसंपत्ति होने के कारण, टिप्पण संख्या 14 में दर्शाया गया है।

31.17 रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, पेशेवर, परामर्श शुल्क, ब्याज और अन्य मामलों के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय 0 लाख रुपये (गत वर्ष 0 लाख रुपये) विदेशी मुद्रा में आय 0 लाख रुपये (गत वर्ष 0 लाख रुपये)

31.18 दिशानिर्देशों के अनुसार, आईडीए कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन डीपीई द्वारा 29.05. 2017 को जारी किया गया है। प्रथा के अनुसार, 'निदेशक मंडल' की सिफारिश को गृह मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। डीएचआई से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुआ और इसे लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति के निदशों के अनुसार, मंत्रालय ने आईडीए कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन संशोधन को 01 अप्रैल, 2023 से पहले की अवधि के लिए देय बकाया के बिना मंजूरी दे दी है। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में कर्मचारी संघ द्वारा चलाए जा रहे मामले में चल रही कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए 1,986. 00 लाख रुपये की आकस्मिक देयता को टिप्पण संख्या 32 में दर्शाया गया है।

31.19 कुरकुंटा इकाई के मामले में, पीएसएन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड (बोलीदाता) से संबंधित 530 लाख रुपये की प्रतिभूत जमा राशिजब्त कर ली गई है और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान लेखा बहियों में आय के रूप में दर्शायी गई है, क्योंकि इस संबंध में निविदा के नियमों और निवेश के प्रासंगिक खंडों के अनुसार दायित्वों को पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी ने बोलीदाताद्वारा दायित्वों को पूरा न करने के कारण बोलीदाता की शेष सामग्री को 591 लाख रुपये में बेच दिया है और 5.91 लाख रुपये केनिवल कमीशन को लेखा बही में असाधारण आय के रूप में दर्शाया गया है। बोलीदाता ने अनुबंध के अधीन मध्यस्थता खंड का उपयोग किया है, और इसका निपाटारा अभी तक नहीं हुआ है। बोलीदाता द्वारा किए गए दावों की राशि के लिए 10,727.18 लाख रुपये को वित्तीय विवरणिका में आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।

31.20 लेखांकन मानक–29 के अनुसार प्रावधान का विवरण, टिप्पण संख्या 6 एवं 10 देखें।

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान समायोजन / प्रदत्त		वर्ष के दौरान परिवर्धन		अंतिम शेष	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
चल रहे पूंजीगत कार्य	10.57	10.57	-	-	-	-	10.57	10.57
अन्य प्रावधान	1829.14	4759.57	227.64	3290.89	199.87	360.46	1801.37	1829.14

31.21 कंपनी अधिनियम, 2013 और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की अनुसूची–III के अधीन यथापेक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	लेखांकन वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल राशि	420.53	645.40
2	लेखांकन वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त राशि पर ब्याज	304.77	295.32
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार प्रदत्त ब्याज की राशि	-	-

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
4	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए किंतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधीन निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना, बकाया और देय ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद प्रदत्त)	-	-
5	वर्ष के दौरान उपचित ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया राशि	9.45	9.45
6	बाद के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से छोटे उद्यमों को उपरोक्त बकाया ब्याज का वास्तव में प्रदत्त किया जाता है।	304.77	295.32

31.22 लेखाकरण मानक 15 के अनुसार कर्मचारी के हितलाभ

निगम ने कर्मचारी हितलाभ नीचे दिए गए विवरण में लेखांकन मानक 15 अंगीकृत किया है –

i) भविष्य निधि

निगम एक अलग ट्रस्ट को पूर्व–निर्धारित दरों पर भविष्य निधि (पीएफ) के निश्चित अंशदान का भुगतान करता है जो धन को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। ट्रस्ट को ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना आवश्यक है। भविष्य निधि ट्रस्ट की हानि, यदि कोई हो, निगम वहन करता हैं

ii) उपदान

निगम की एक परिभाषित उपदान योजना है। उपदान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी उपदान पाने का हकदार है। उपदान के लिए देनदारी को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iii) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण उन पात्र कर्मचारियों को देय होता है, जिन्होंने अर्जित छुट्टी (ईएल), अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) आदि संचित की है। छुट्टी नकदीकरण के प्रति देनदारी को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iv) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ

निगम में अधिवर्शिता के समय कर्मचारियों और आश्रितों के लिए गृह नगर में बंदोबस्त कीयोजना है। इसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

लाभ–हानि विवरण और तुलन पत्र में माने गए विभिन्न परिभाषित हितलाभों का सारांश इस प्रकार है:

क. लाभ–हानि विवरणिका में माना गया व्यय (राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025
क)	वर्तमान सेवा लागत	110.84	104.91	100.95	111.13	0.71	0.76
ख)	ब्याज लागत	140.23	164.04	104.90	116.04	0.87	0.94
ग)	अवधि में मानी गई निवल बीमांकिक (वृद्धि) / हानि	95.92	(78.25)	(71.72)	130.87	(2.52)	(1.86)
घ)	लाभ–हानि विवरण में माना गया व्यय	346.99	190.69	134.13	358.04	(0.94)	(0.17)

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ख.तुलन पत्र में मानी गईराशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025
क)	अवधि के अंत की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,910.89	2,065.29	1,372.35	1,544.95	11.89	12.83
ख)	वित्तपोषण की स्थिति / अंतर	(1,910.89)	(2,065.29)	(1,372.35)	(1,544.95)	(11.89)	(12.83)
ग)	तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्ति / (देनदारी)'	(1,910.89)	(2,065.29)	(1,372.35)	(1,544.95)	(11.89)	(12.83)

'उपरोक्त शेष राशि में उपदान की वाईआरओ इकाई बकाया राशि 113.35 रुपये (गत वर्ष 113.35 रुपये) और अर्जित अवकाश 14.74 रुपये (गत वर्ष 14.74 रुपये, जो बीमांकिक के अंतर्गत कवर नहीं होता है) सम्मिलित नहीं है।

ग. दायित्व का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025
क)	वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,065.29	2,275.16	1,544.95	1,609.43	12.83	13.00
ख)	ब्याज लागत	110.84	104.91	100.95	111.13	0.71	0.76
ग)	वर्तमन सेवा लागत	140.23	164.04	104.90	116.04	0.87	0.94
घ)	प्रदत्त हितलाभ	(501.39)	(400.56)	(306.72)	(422.53)	-	-
ङ)	दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	95.92	(78.25)	(71.72)	130.87	(2.52)	(1.86)
च)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1910.89	2065.29	1372.35	1544.95	11.89	12.83

घ. चालू अवधि के लिए राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025
क)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,910.89	2,065.29	1,372.35	1,544.95	11.89	12.83
ख)	अधिशेष / (घाटा)	(1,910.89)	(2,065.29)	(1,372.35)	(1,544.95)	(11.89)	(12.83)

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ङ बीमांकिक अनुमान

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	
i)	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष		60 वर्ष	
ii)	आयु	वापसी दर	प्रतिशत	वापसी दर	प्रतिशत
		30 वर्ष तक	0%	30 वर्ष तक	0%
		31 वर्ष से 44 वर्ष तक	1%	31 वर्ष से 44 वर्ष तक	1%
		44 वर्ष से ऊपर	1%	44 वर्ष से ऊपर	1%
iii)	मितीकाटा दर	7.32%		6.79%	
iv)	भावी वेतन वृद्धि	6.00%		6.00%	
v)	योजनागत परिसंपत्तियों का अपेक्षित प्रतिलाभ	शून्य		शून्य	

31.23 कंपनी अधिनियम, 2013 और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 और सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भिन्न अन्य के अनुसूची के अधीन यथापेक्षितसूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में व्यापार संदायकी आयु निर्धारण अनुसूची (तुलन पत्र की टिप्पण संख्या 05 और 07 देखें):

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण					
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i	**एमएसएमई**					
	–चालू वर्ष	331.69	0.18	2.95	54.86	389.68
	–गत वर्ष	500.10	59.58	-	54.86	614.54
ii	**अन्य**					
	–चालू वर्ष	1,465.88	277.08	73.52	2,016.79	3,833.28
	–गत वर्ष	1,511.60	106.19	114.88	2,420.07	4,152.74
iii	**विवादित देय– एमएसएमई**					
	–चालू वर्ष	-	-	30.85	-	30.85
	–गत वर्ष	-	30.85	-	-	30.85
iv	**विवादित देय– अन्य**					
	–चालू वर्ष	-	-	-	-	-
	–गत वर्ष	-	-	-	-	-
v	**कुल एमएसएमई**					
	–चालू वर्ष	331.69	0.18	33.80	54.86	420.53
	–गत वर्ष	500.10	90.42	-	54.86	645.39
	कुल अन्य					
	–चालू वर्ष	1,465.88	277.08	73.52	2,016.79	3,833.28
	–गत वर्ष	1,511.60	106.19	114.88	2,420.07	4,152.74

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31.24 व्यापार प्राप्य बकाया की आयु निर्धारण अनुसूची (तुलन पत्र की टिप्पण संख्या 14 देखें):

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	संदाय की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 मास से कम	6 मास – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i	**अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया**						
	–चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	–गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
ii	**अविवादित व्यापार प्राप्य –संदिग्ध माना गया**						
	–चालू वर्ष	-	-	-	-	1,514.52	1,514.52
	–गत वर्ष	-	-	-	-	1,514.52	1,514.52
iii	**विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया**						
	–चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	–गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
iv	**विवादित व्यापार प्राप्य –संदिग्ध माना गया**						
	–चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	–गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
v	**घटाएं: विवादित प्राप्यों के लिए अनुमतियां**						
	–चालू वर्ष	-	-	-	-	1,514.52	1,514.52
	–गत वर्ष	-	-	-	-	1,514.52	1,514.52
vi	**कुल**						
	–चालू वर्ष					-	-
	–गत वर्ष					-	-

31.25 व्यापार प्राप्य बकाया की आयु निर्धारण अनुसूची (तुलन पत्रकीटिप्पण संख्या 17 देखें):

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	संदाय की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 मास से कम	6 मास – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i	**अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया**						
	–चालू वर्ष	700.65	9.24	4.48	0.01	60.17	774.55
	–गत वर्ष	332.15	1.09	2.66	1.95	67.54	405.39

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्र. सं.	विवरण	संदाय की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 मास से कम	6 मास – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
ii	**अविवादित व्यापार प्राप्य –संदिग्ध माना गया**						
	–चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	–गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
iii	**विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया**						
	–चालू वर्ष	-	-	-	-	47.06	47.06
	–गत वर्ष	-	-	-	-	47.06	47.06
iv	**विवादित व्यापार प्राप्य –संदिग्ध माना गया**						
	–चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	–गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
v	**घटाएं: विवादित प्राप्यों के लिए अनुमतियां**						
	–चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	–गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
vi	**कुल**						
	–चालू वर्ष	700.65	9.24	4.48	0.01	107.23	821.61
	–गत वर्ष	332.15	1.09	2.66	1.95	114.60	452.45

31.26 व्यापार प्राप्य बकाया की आयु निर्धारण अनुसूची (तुलन पत्र की टिप्पण संख्या 17 देखें):

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल रखाव मूल्य	जिसके नाम पर स्वामित्व विलेख है	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित की गई है	कंपनी के नाम पर धारित न किए जाने का कारण
i	पीपीई	भूमि	5.57	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन भटिंडा)	नही	1995 से	सीसीआई के पास मान्य स्वामित्व
		भवन:					
		कार्यालय भवन	266.58	सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन	नही	1988 से	सीसीआई के पास मान्य स्वामित्व

क्र. सं.	तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल रखाव मूल्य	जिसके नाम पर स्वामित्व विलेख है	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित की गई है	कंपनी के नाम पर धारित न किए जाने का कारण
ii	संपत्ति मे निवेश	भूमि					
		भवन					
iii	पीपीई को सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया और निपटान धारित	भूमि					
		भवन					
iv	अन्य						

टिप्पण संख्या 31.04 (पीपीई को सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया है और निपटान के लिए रखा गया है) के अनुसार भूमि का सकल रखाव मूल्य, जहां अभी तक स्वामित्व विलेख निष्पादित नहीं किया गया है, 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट) को छोड़कर, का आकलन अभी नहीं किया जा सका है।

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31.27 क) 31.03.2026 तक चल रहे कार्य की आयु निर्धारण अनुसूची:

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	सीडब्यूआईपी	अवधि जब सीडब्यूआईपी में अवधि से राशिहै				कुल
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	.चालू वर्ष					
	चल रही परियोजनाएं					
i	प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर	0.80	495.49	156.21	34.30	686.80
ii	ऊर्जा दक्ष मोटर और अन्य	32.88	6.49	-	45.40	84.77
iii	गर्म हवा वाहिनी	-	94.93	22.79	-	117.72
iv	सौर ऊर्जा संयंत्र	5.00	25.00	-	-	30.00
v	पैकिंग संयत्र में इलैक्ट्रोनिक पैकर्स	85.00	-	-	-	85.00
	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
i	ग्राइंडिग सहित संयंत्र क्षमता विस्तार	-	-	-	143.24	143.24
ii	संयंत्र और उपस्कर	-	-	-	285.00	285.00
	योग	**123.68**	**621.91**	**179.00**	**507.94**	**1,432.53**
	.पूर्व वर्ष					
	चल रही परियोजनाएं					
i	कोल शेड	642.82	-	-	-	642.82
ii	प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर	495.49	156.21	34.30	-	686.00
iii	ऊर्जा दक्ष मोटर और अन्य	26.86	-	45.40	-	72.26
iv	गर्म हवा वाहिनी	94.93	22.79	-	-	117.72
v	सौर ऊर्जा संयत्र	25.00	-	-	-	25.00
	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					
i	ग्राइंडिग सहित संयंत्र क्षमता विस्तार	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	संयंत्र और उपस्कर	-	-	-	300.33	300.33
	योग	**1,285.09**	**179.00**	**79.70**	**3,441.32**	**4,985.12**

ख) अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाओं के अलावा, चल रहे पूंजीगत कार्यों के लिए सीडब्ल्यूआईपी समापन अनुसूची, जिनकी पूर्णता में देरी हो चुकी है या जिनकी लागत 31.03.2026 की स्थिति के अनुसरा मूल योजना की तुलना में अधिक हो चुकी है:

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	सीडब्यूआईपी	अवधि जिसमें पूरा किया जाएगा				कुल
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	पैकिंग संयत्र में इलैक्ट्रोनिक पैकर्स					
	.चालू वर्ष	85.00	-	-	-	85.00
	. गत वर्ष	-	-	-	-	-

31.28 31.28 कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिशेध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के उपबंध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते।

31.29 कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अधीन इंतजाम की किसी योजना में प्रवष्टि नहीं हुई।

31.30 उपलब्ध सूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अधीन उल्लिखित बंद कंपनियों के संबंध में कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

31.31 कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कारोबार या निवेश नहीं किया है।

31.32 बेनामी संपत्ति का विवरण अर्थात अधिग्रहण का वर्ष, राशि, लाभार्थी, कार्यवाही यदि कोई हो: शून्य

31.33 चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के मामले में सांविधिक विवरणी समय पर फाइल करना: लागू नहीं

31.34 कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष में अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

31.35 कंपनी ने किसी भी संस्था (मध्यस्थ) को इस समझ के साथ कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेशत नहीं किया है कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी ने किसी भी पक्षकार से इस समझ के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।

31.36 कंपनी का ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो लेखा बहियों में अभिलिखित न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पणकिया हो या प्रकट किया गया हो।

31.37 किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा निगम की जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम की घोषणा का विवरण: लागू नहीं

31.38 संविधिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने वाले शुल्कों या ऋणमुक्ति का विवरण और कारण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	प्रभारी धारक का नाम	राशि	कारण
i	सिंडिकेट बैंक	460.00	प्रभार खाली करना लंबित है।
ii	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,230.00	प्रभार खाली करना लंबित है।
iii	भारतीय जीवन बीमा निगम	300.00	प्रभार खाली करना लंबित है।
iv	भारतीय सामान्य बीमा निगम	300.00	प्रभार खाली करना लंबित है।

31.39 प्रमुख वित्तीय अनुपात:

क्र. सं.	वित्तीय अनुपात	गणक / भाजक	31.03.2026 को वर्ष समाप्त	31.03.2025 को वर्ष समाप्त	परिवर्तन का प्रतिशत	''पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण''
i	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियां / चालू दायित्व	3.05	2.72	12.13%	

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्र. सं.	वित्तीय अनुपात	गणक / भाजक	31.03.2026 को वर्ष समाप्त	31.03.2025 को वर्ष समाप्त	परिवर्तन का प्रतिशत	"पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण"
ii	ऋण इक्विटी अनुपात	समादत्त ऋण पूंजी (गैर–चालू उधार. चालू उधार) / शेयरधारक की इक्विटी (कुल इक्विटी)	0.46	0.60	-23.33%	-
iii	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	वर्ष के लिए लाभ. वित्तीय लागत. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय. असाधारण मदें / वित्तीय लागत. पट्टा भुगतान. गैर–चालू उधारों की अनुसूचित मूलधन चुकौती	लागू नही'	लागू नही'	-	-
iv	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	वर्ष के लिए लाभ / औसत शेयरधारक इक्विटी	25.75%	13.09%	96.66%	वर्ष के दौरान लाभ में वृद्धि
v	मालसूची टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व / औसत मालसूची	2.18	1.90	14.74%	-
vi	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व / औसत व्यापार प्राप्य	51.33	68.05	-24.57%	
vii	व्यापार संदाय टर्नओवर अनुपात	कुल खरीद / प्रचालन व्यय. अन्य व्यय (गैर–नकद मदों को छोड़कर) / औसत व्यापार लेनदार	8.30	9.87	-15.91%	
viii	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व / कार्यशील पूंजी गैर–चालू उधारों की चालू परिपक्वता	0.89	1.12	-20.54%	-
ix	निवल लाभ अनुपात	करोपरांत लाभ / (हानि) / प्रचालन से राजस्व	22.84%	9.50%	140.39%	वर्ष के दौरान लाभ में वृद्धि
x	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर पूर्व आय (ईबीआईटी) / नियोजित पूंजी (मूर्त निवल संपत्ति और कुल ऋण) – आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	15.33%	7.46%	105.42%	वर्ष के दौरान लाभ में वृद्धि
xi	निवेश पर प्रतिफल	निवेश आय / औसत निवेश	लागू नही'	लागू नही'	-	-

*इसका प्रकटन नहीं किया गया है क्योंकि या तो गणक शून्य है या भाजक शून्य / ऋणात्मक है।

31.40 अग्रिम, व्यापारिक देय और व्यापारिक प्राप्य, पक्षकारों को और उनसे जमा राशि और अन्य देनदारियों आदि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, संपुष्टि/समाशोधन के अधीन हैं। इनमें समायोजन की संवीक्षा हेतु लंबित कुछ पुराने शेष भी शामिल हैं। इसके पूरा होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

31.41 चूना पत्थर (1516.07 एकड़) के तांदूर खनन पट्टे की वैधता 31–03–2030 तक है। शेल (328.80 एकड़) और लैटेराइट (102.32 एकड़) के खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु आवेदन खनन विभाग (भारत सरकार, भूविज्ञान, खान) को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

31.42 एसबीआई कैप्स, मर्चेंट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विर्षेष लेखा परीक्षक ने येरगुंटला इकाई के संबंध में समझौता ज्ञापन/बिक्री करार की शर्तों के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के साथ समाशोधन और पुष्टि होने तक, बिक्री की तिथि पर अर्जित आवश्यक देनदारियों को पहले ही लेखाओं में शामिल कर लिया गया है।

31.43 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अधीन विभिन्न गतिविधियों पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है। कुल खर्च की गई राशि टिप्पण संख्या 27 में दर्शाई गई है।

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	प्रभारी धारक का नाम	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
i)	पिछले तीन वर्षों में निगम का औसत निवल लाभ	1340.83	1645.91
ii)	निर्धारित सीएसआर व्यय (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन उपरोक्त का 2 प्रतिशत)	26.82	32.92
iii)	सीएसआर परियोजनाओं से उदभूत अधिशेष	1.30	2.77
iv)	गत वर्ष के सापेक्ष कमी	-	-
v)	वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ii)+(iii)-(iv)]	25.52	30.15
vi)	वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि नीचे दी गई है	25.98	31.45
vii)	आगामी वर्षों के लिए उपलब्धसेट ऑफ	0.46	1.30

वर्ष के दौरान खर्च की गई राशिका विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	पहले से ही समादत्त		अभी तक समादत्तनहीं		कुल	
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
क)	कोईपरिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
ख)	उपरोक्त से भिन्न अन्य उद्देश्यों पर						
	(i)शिक्षा को बढ़ावा देना	18.29	18.50	-	-	18.29	18.50
	(ii)स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	2.71	3.25	-	-	2.71	3.25
	(iii) अत्यधिक भुखमरी और गरीबी का उन्मूलन	-	1.70			-	1.70
	(iv)कोई अन्य सामाजिक व्यय	4.98	8.00			4.98	8.00
	योग	**25.98**	**31.45**	**-**	**-**	**25.98**	**31.45**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31.44 कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के लेखा मानक–18 ''संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण'' के अनुसार, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के दौरान कोई संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया गया है। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पदनाम	31–03–2026 को वर्ष समाप्त	31–03–2025 को वर्ष समाप्त
i)	श्री संजय बंगा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	61.47	55.37
ii)	श्री प्रदीप कुमार चंद	निदेशक (वित्त)	47.99	50.28
ii)	श्री बालासुगुमार डेनियल1	निदेशक (प्रचालन)	18.17	-
iii)	श्री अजय कुमार शर्मा	कंपनी सचिव	30.90	28.30

दिनांक 30 दिसंबर, 2025 से निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्ति।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को भी 2,000 रुपये प्रति माह के भुगतान पर 1,000 किलोमीटर तक की गैर–ड्यूटी यात्रा के लिए कंपनी वाहन का उपयोग करने की अनुमति है।

31.45 कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अधिसूचित लेखांकन मानक–20 के अनुसार कंपनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) इस प्रकार है:

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के लिए करोपरांत निवल लाभ (लाख रुपये)	7,467.19	3,104.82
ख)	घटाएं: असाधारण मदें (लाख रुपये)	-	-
ग)	घटाएं: गैर–संचयी अधिमानी शेयरों पर लाभांश (लाख रुपये)	3.55	3.55
घ)	इक्विटी शेयर धारकों के संबंध में करोपरांत निवल लाभ (लाख रुपये)	7,463.64	3,101.27
ङ)	वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	45,59,749	45,59,749
च)	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (रुपये)	1,000.00	1,000.00
छ)	प्रति शेयर मूल आय (रुपये)	163.69	68.01
ज)	प्रति शेयर घटी आय (रुपये)	163.69	68.01

31.46 जहां भी आवश्यक हुआ गत वर्षों के आंकड़ों को विभाजित और पुनर्समूहित किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप रखा जा सके।

कृते एस के मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः. 000478एन

ह/–
(सीए जयंत कुमार)
पार्टनर
सदस्यता सं.518718

दिनांकः 24/06/2026
स्थानः नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09353339

ह/–
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 09711963

ह/–
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/–
(सईद शारिक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

No.DGA(P)/Rep/01-85/Acs-CCIL/2026-27/422

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (विद्युत)
नई दिल्ली-110002

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Power)
New Delhi-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Dated: 07/09/2026

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय:- 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मैं, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि ।

आशुतोष जोशी
7/9/2026

(आशुतोष जोशी)

महानिदेशक (विद्युत)

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel.: 011-23239213, 011-23239211, Email : pdaenergydl.cag@nic.in / dgaenergydl@cag.gov.in

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अधीन, अधिनियम की 143(10) धारा के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा तैयार दिनांक दिनांक 24 जून, 2026 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया हैं

मैंने भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरी संज्ञान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले संज्ञान में आए जो अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी राय में वित्तीय विवरणिकाओं और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ बनाने के लिए आवश्यक हैं:

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणिका

प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाहः (₹ 5.768.86 लाख)

निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः ₹ 14.542.40 लाख

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाहः (₹ 143.13 लाख)

i. कंपनी ने टिप्पण 14 में दर्शाया है कि 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 12 माह से अधिक परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा में ₹ 2,323.41 लाख की बढ़ोतरी हुई है। तथापि प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह की गणना करने के लिए इन्हें नकदी प्रवाह विवरणिका में ''अन्य आस्तियों में परिवर्तन'' के अंतर्गत दर्शाया गया है। एएस–3 के पैरा 5.5 की अपेक्षानुसार, इसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाना चाहिए था।

   इसके परिणामस्वरूप प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी में ₹ 2,323.41 लाख का कम उल्लेख हुआ है जबकि निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह इतनी ही राषि का अधिक उल्लेख हुआ है।

ii. टिप्पण 18 में, कंपनी ने दर्शाया है कि तीन माह से अधिक लेकिन बारह माह से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा में ₹ 6,761.56 लाख की वृद्धि हुई है। इस प्रकार उक्त सावधि जमा नकदी और नकदी समतुल्य नहीं थे और उन्हें नकदी प्रवाह विवरणिका में निवेश गतिविधियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था।

तथापि, कंपनी ने निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेकिन बारह माह तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा में वृद्धि से उत्पन्न ₹ 6,761.56 लाख के नकदी बहिर्वाह पर विचार नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह में ₹ 6,761.56 लाख का अधिक उल्लेख हुआ है जबकि अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य में इतनी ही राषि का अधिक उल्लेख हुआ है।

निवेश गतिविधियों के अंतर्गत उपरोक्त नकदी बहिर्वाह पर विचार करने के पश्चात, कंपनी द्वारा नकदी और नकदी समतुल्य में रिपोर्ट किए गए ₹ 8,065.05 लाख के बजाय ₹ 1,303.49 लाख में निवल वृद्धि/कमी बैठती है।

iii. यह पाया गया है कि कंपनी ने नकदी प्रवाह विवरणिका में वर्ष 2024–25 एवं वर्ष 2025–26 के नकदी और नकदी समतुल्य के आरंभिक शेष और अंतिम शेष में क्रमशः ₹ 22,331.02 लाख और ₹ 29,092.58 लाख की तीन माह से अधिक लेकिन बारह माह तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा को शामिल किया था। इसलिए उपरोक्त राशि को निकालकर नकदी और नकदी समतुल्य के आरंभिक शेष और अंतिम शेष के सही आंकड़े क्रमशः ₹ 641.39 लाख और ₹ 1,944.88 लाख होंगे।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

हस्ता/–
(आशुतोष जोशी)
लेखा महानिदेशक (विद्युत)

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 07 सितंबर, 2026

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर

क्र.सं.	मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर
i)	कंपनी ने टिप्पण 14 में दर्शाया है कि 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार 12 माह से अधिक परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा में ₹ 2,323.41 लाख की बढ़ोतरी हुई है। तथापि प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह की गणना करने के लिए इन्हें नकदी प्रवाह विवरणिका में ''अन्य आस्तियों में परिवर्तन'' के अंतर्गत दर्शाया गया है। एएस–3 के पैरा 5.5 की अपेक्षानुसार, इसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी में ₹ 2,323.41 लाख का कम उल्लेख हुआ है जबकि निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह इतनी ही राषि का अधिक उल्लेख हुआ है।	यह टिप्पणी लेखाकरण मानक (एएस) 3 – 'नकदी प्रवाह विवरणिका' के अंतर्गत तैयार किए गए नकदी प्रवाह विवरणिका में सावधि जमा के वर्गीकरण और प्रस्तुति से संबंधित है। यह मामला नकदी प्रवाह के वर्गीकरण/प्रस्तुति तक ही सीमित है और तुलन पत्र में किसी परिसंपत्ति या देनदारी, की मान्यता या माप, लाभ, निवल मूल्य या कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। कंपनी इस टिप्पणी को स्वीकार करती है और आश्वस्त करती है कि भविष्य में वित्तीय विवरणिका तैयार करते समय एएस 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप सावधि जमा के वर्गीकरण और प्रस्तुति कीं समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026–27 से कंपनी के लिए इंड एएस की प्रयोज्यता के साथ, प्रासंगिक वर्गीकरण, प्रस्तुति और प्रकटन करने में इंड एएस की लागू अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
ii)	टिप्पण 18 में, कंपनी ने दर्शाया है कि तीन माह से अधिक लेकिन बारह माह से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा में ₹ 6,761.56 लाख की वृद्धि हुई है। इस प्रकार उक्त सावधि जमा नकदी और नकदी समतुल्य नहीं थे और उन्हें नकदी प्रवाह विवरणिका में निवेश गतिविधियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। तथापि, कंपनी ने निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेकिन बारह माह तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा में वृद्धि से उत्पन्न ₹ 6,761.56 लाख के नकदी बहिर्वाह पर विचार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह में ₹ 6,761.56 लाख का अधिक उल्लेख हुआ है जबकि अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य में इतनी ही राषि का अधिक उल्लेख हुआ है।	यह टिप्पणी लेखाकरण मानक (एएस) 3 – 'नकदी प्रवाह विवरणिका' के अंतर्गत तैयार किए गए नकदी प्रवाह विवरणिका में सावधि जमा के वर्गीकरण और प्रस्तुति से संबंधित है। यह मामला नकदी प्रवाह के वर्गीकरण/प्रस्तुति तक ही सीमित है और तुलन पत्र में किसी परिसंपत्ति या देनदारी, की मान्यता या माप, लाभ, निवल मूल्य या कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। कंपनी इस टिप्पणी को स्वीकार करती है और आश्वस्त करती है कि भविष्य में वित्तीय विवरणिका तैयार करते समय एएस 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप सावधि जमा के वर्गीकरण और प्रस्तुति कीं समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026–27 से कंपनी के लिए इंड एएस की प्रयोज्यता के साथ, प्रासंगिक वर्गीकरण, प्रस्तुति और प्रकटन करने में इंड एएस की लागू अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

क्र.सं.	मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	निवेश गतिविधियों के अंतर्गत उपरोक्त नकदी बहिर्वाह पर विचार करने के पश्चात, कंपनी द्वारा नकदी और नकदी समतुल्य में रिपोर्ट किए गए ₹ 8,065.05 लाख के बजाय ₹ 1,303.49 लाख में निवल वृद्धि/कमी बैठती है।	
iii)	यह पाया गया है कि कंपनी ने नकदी प्रवाह विवरणिका में वर्ष 2024–25 एवं वर्ष 2025–26 के नकदी और नकदी समतुल्य के आरंभिक शेष और अंतिम शेष में क्रमशः ₹ 22,331.02 लाख और ₹ 29,092.58 लाख की तीन माह से अधिक लेकिन बारह माह तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा को शामिल किया था। इसलिए उपरोक्त राशि को निकालकर नकदी और नकदी समतुल्य के आरंभिक शेष और अंतिम शेष के सही आंकड़े क्रमशः ₹ 641.39 लाख और ₹ 1,944.88 लाख होंगे।	यह टिप्पणी लेखाकरण मानक (एएस) 3 – 'नकदी प्रवाह विवरणिका' के अंतर्गत तैयार किए गए नकदी प्रवाह विवरणिका में सावधि जमा के वर्गीकरण और प्रस्तुति से संबंधित है। यह मामला नकदी प्रवाह के वर्गीकरण/प्रस्तुति तक ही सीमित है और तुलन पत्र में किसी परिसंपत्ति या देनदारी, की मान्यता या माप, लाभ, निवल मूल्य या कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। कंपनी इस टिप्पणी को स्वीकार करती है और आश्वस्त करती है कि भविष्य में वित्तीय विवरणिका तैयार करते समय एएस 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप सावधि जमा के वर्गीकरण और प्रस्तुति कीं समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026–27 से कंपनी के लिए इंड एएस की प्रयोज्यता के साथ, प्रासंगिक वर्गीकरण, प्रस्तुति और प्रकटन करने में इंड एएस की लागू अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

हमारे कर्मचारी–हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति



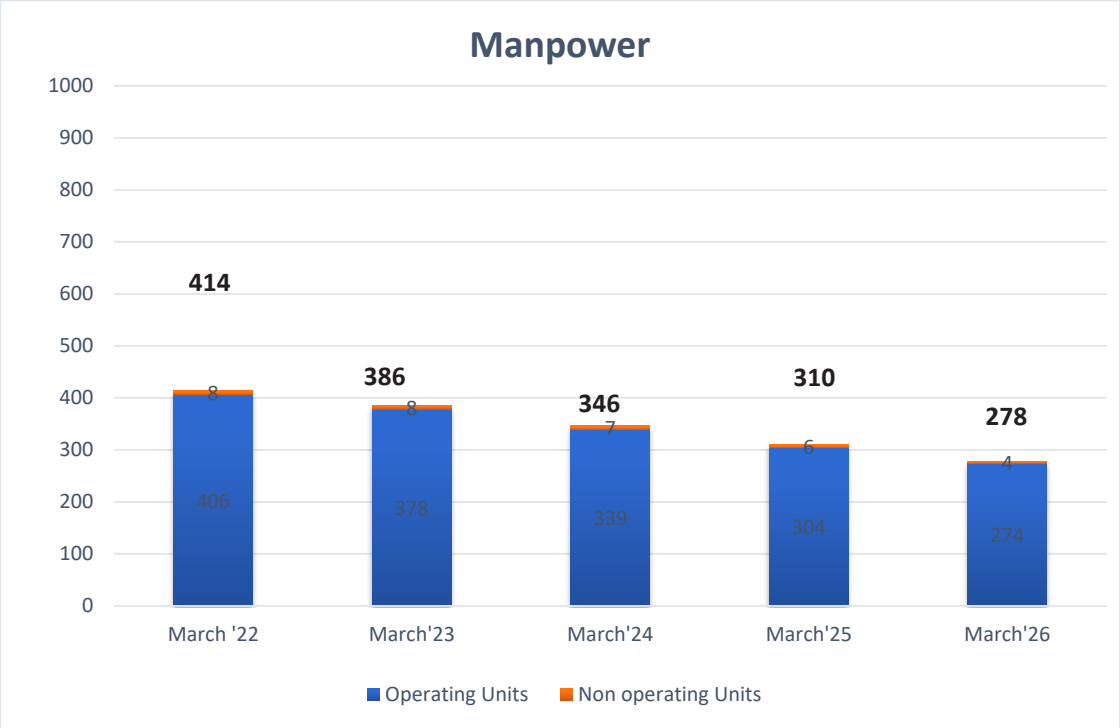
आज के गतिशील और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में, एक सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल सतत विकास और संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए मूलभूत आधार है। छह दशकों से अधिक समय से, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने अपने कर्मचारियों को अपनी सबसे बहुमूल्य संपत्ति के रूप में मान्यता दी है और उनके कल्याण, व्यावसायिक विकास और दीर्घकालिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है। अपने लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ सीसीआई एक ने समावेशी, व्यस्त और उच्च प्रदर्शन करने वाले कार्यबल को बढ़ावा देना जारी रखा है जो निगम के लचीलेपन को मजबूत करता है और इसके रणनीतिक उद्देश्यों की उपलब्धि का समर्थन करता है।

मानव संसाधन सीमेंट कॉर्पोरशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की एक प्रमुख ताकत रही है। निगम प्रगतिशील मानव संसाधन नीतियों और कर्मचारी विकास पहलों के माध्यम से एक उत्पादक, कार्यनिष्पादन–उन्मुख और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्षों से जनशक्ति में उल्लेखनीय कमी झेलने के बावजूद, सीसीआई लाभ प्राप्त करने वाली कंपनी है। यह बढ़ी हुई प्रचालन दक्षता और अपने कार्यबल के समर्पण को दर्शाता है। एक मजबूत संगठनात्मक मूल्य प्रणाली द्वारा निर्देशित, निगम जवाबदेही, सहयोग और निरंतर सुधार को बढ़ावा देना जारी रखता है, जिससे कर्मचारी अपने रणनीतिक और परिचालन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकें।

भारत सरकार की मिशन कर्मयोगी पहल के अनुरूप, सीसीआई ने कर्मचारियों को निरंतर क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास के लिए आई गॉट कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। सीसीआई केवल प्रतिभा का प्रबंधन नहीं करता है, इसे पोषित करता है। आई गॉट कर्मयोगी पर आभासी ज्ञान साझाकरण सत्रों और डिजिटल–प्रथम कौशल विकास के माध्यम से, सीसीआई सक्रिय रूप से लोगों में निवेश करता है– उन्हें उद्योग के नेता के रूप में विकसित होने के लिए सशक्त बनाता है, जबकि वे हमारे राष्ट्र के बुनियादी ढांचे की नींव हैं।

उत्कृष्टता की ओर सीसीआई की यात्रा डॉ. मानव संसाधनों की ताकत और गुणवत्ता से प्रेरित है, जैसाकि इसकी वर्तमान जनशक्ति प्रोफाइल से परिलक्षित होता है।

वर्ष	प्रचालनरत इकाईयां	गैर–प्रचालनरत इकाईयां	कुल जनशक्ति
मार्च '22	406	8	414
मार्च '23	378	8	386
मार्च '24	339	7	346
मार्च '25	304	6	310
मार्च '26	274	4	278



पेशेवर प्रोफाइल

क्र.सं.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	
		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार
1	पीएचडी धारक	1	0
2	स्नातकोत्तर अभियंता	2	2
3	स्नातक अभियंता	61	58
4	एमबीए	17	14
5	पेशेवर डिप्लोमा धारक	13	12
6	स्नातकोत्तर	14	15
7	सीए/आईसीडब्ल्यूए/एसएएस/एसीएस	5	4
8	इंजीनियर डिप्लोमा धारक	30	29
9	स्नातक	33	28
10	आईटीआई प्रमाणपत्र धारक	68	59
11	अन्य	66	57
	योग	**310**	**278**

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों का आयु–वार और श्रेणी–वार वितरण

पंक्तिबद्ध सूचक	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	कुल योग	औसत आयु
कार्यपालक अधिकारी	9	30	24	11	13	21	108	45
पर्यवेक्षक	5	7	4	1	1	15	33	48
कर्मकार	16	33	31	18	9	30	137	45
कुल योग	**30**	**70**	**59**	**30**	**23**	**66**	**278**	**46**

समूह	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (01.01.2026की स्थिति के अनुसार)				कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या (नियमित)									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा		
	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
समूह ए– टीओटी	89	11	2	18	0	0	0	0	21	3	0	0	0	0
समूह बी– टीओटी	56	7	6	14	0	0	0	0	35	0	3	0	0	0
समूह सी– टीओटी	139	24	17	45	0	0	0	0	8	2	2	0	0	0
समूह डी– टीओटी	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**286**	**43**	**25**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**

समूह	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (01.01.2026 की स्थिति के अनुसार)				
	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
समूह ए– टीओटी	108	11	5	26	1
समूह बी– टीओटी	33	7	3	6	1
समूह सी– टीओटी	136	23	17	45	1
समूह डी– टीओटी	1	0	0	1	0
योग	**278**	**41**	**25**	**78**	**3**

इकाई का नाम सीसीआई लिमिटेड

01.01.2026 की स्थिति के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या

01.01.2026 की स्थिति के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों की समूह–वार संख्या

समूह	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2026 की स्थिति के अनुसार)				सीधीभर्ती (कैलेंडर वर्ष के दौरान)							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			(नियुक्त) की गई रिक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			(नियुक्त) की गई रिक्तियों की संख्या			
	योग	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	योग	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	योग	वीएच	एचएच	ओएच
समूह क	89	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ख	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ग	138	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह घ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**286**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

टिप्पण:

i) वी एच का अर्थ है दृष्टिबाधित दिव्यांग (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

ii) एच एच का अर्थ है श्रवणबाधित (श्रवण हानि से पीड़ित व्यक्ति)

iii) ओ एच का अर्थ है आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग (चलने में अक्षमता या सरब्रेल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति)

हमारी इकाईयों (यूनिट) की प्रमुख विशेषताएं:

मंधार (जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़)

यह निगम की पहली इकाई है, जिसमें जुलाई, 1970 में उत्पादन आरंभ हुआ, इस इकाई में उत्पादन के लिए गीली प्रक्रिया अपनाई गई और नवम्बर 1978 से स्लैग सीमटें का उत्पादन शुरू करने के लिए इसका विस्तार किया गया। इस इकाई में स्लैग की मांग भिलाई स्टील संयत्र से पूरी की जाती है।

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	3.80	3.80	3.80
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	46	503	4064

भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियां वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बेच दी गई थी।

कुरकुंटा (जिला–गुलबर्ग, कर्नाटक)

यह गीली प्रक्रिया से सीमेंट का उत्पादन करने की निगम की दूसरी इकाई है, जहां वर्ष 1972 से उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	572	688	4703

भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियां वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बेच दी गई थी।

बोकाजन (जिला–कारबी अंगलोंग, असम)

यह इकाई असम के कारबी अंगलोंग जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना महज केवल सामान्य आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर ही नहीं की गई अपितु आसपास के क्षेत्रों को सीमेंट उपलब्ध कराने के सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भी की गई थी। इस इकाई में दुर्गम क्षेत्र से गुजरने वाले 18 किलोमीटर लम्बे रोपवे से चुना–पत्थर लाया जाता है। इस इकाई में 1 अप्रैल, 1977 से उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	1.08	0.98	1.18
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	7104	6291	8391
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	(966)	217	503

राजबन (जिला–सिरमौर, हिमाचल प्रदेश)

यह निगम की पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र में स्थित दूसरी इकाई है। सामान्य आवागमन कठिन होने के अलावा इस इकाई में बड़े पैमाने पर सामग्री के आंतरिक आवागमन और तैयार उत्पाद की ढुलाई सडक़ मार्ग से की जाती है चूंकि इस इकाई के निकट कोई रेल सम्पर्क नहीं है। इस फैक्ट्री के पूरे उत्पादन का वितरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। पहाड़ों में स्थित खदानों

से 9 किलोमीटर लम्बे रोप–वे के माध्यम से चूना पत्थर यहां लाया जाता है। इस इकाई में अप्रैल, 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है।

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	2.48	2.48	2.48
उत्पादन (लाख टन में)	1.12	1.41	1.41
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	6337	7558	8474
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	(862)	182	109

नयागांव (जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली इस इकाई में 1 मार्च, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	5034	63	(49)

स्थल विभाजन अर्थात नया गांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में क्लिंकर की ग्राइंडिंग की अवधारण के साथ इस इकाई की उत्पादन क्षमता और 10 लाख टन बढ़ा कर परियोजना का विस्तार किया गया। नया गावं में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली में ग्राइंडिगं इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.05.1990 से आरंभ हुआ।

नया गांव विस्तार जिसमें डीजीयू और बीजीयू भी हैं

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	5.00	5.00	5.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	2505	23	(62)

अकलतरा (जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़)

इस इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 1981 से आरंभ हुआ।

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	322	245	504

भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियां वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बेच दी गई थी।

चरखी दादरी (जिला–भिवानी, हरियाणा)

यह भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत एक रुग्ण इकाई थी और जून, 1981 में इसे सीसीआई के नियत्रंणाधीन किया गया। अल्पावधि के भीतर पुनरूद्धार के उपरांत इकाई में सीमेंट की ग्राइंडिगं का कार्य सितम्बर, 1981 में आरंभ हुआ और तत्पश्चात क्लिंकर का उत्पादन आरंभ हुआ। दो स्ट्रीम में से केवल एक ही स्ट्रीम इस लायक थी, जिसका पुनरुद्धार किया जा सका।

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.74	1.74	1.74
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	(24)	9	(43)

भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियां वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बेच दी गई थी।

आदिलाबाद (जिला–आदिलाबाद, तेलंगाना) इस इकाई में अप्रैल, 1984 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	(96)	47	(130)

तांदूर (जिला–के.वी. रंगारेड्डी, तेलंगाना)

इस इकाई में 1 जुलाई, 1987 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	10.00	10.00	10.00
उत्पादन (लाख टन में)	4.54	4.27	5.90
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	19140	17470	27642
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	936	1129	(94)

टिप्पणियां

CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD.

VISION

1. TO EMERGE AS SUSTAINABLE CEMENT COMPANY
2. COMMITTED TO CONTRIBUTE TO THE ECONOMY
3. TO ENHANCE VALUE FOR THE STAKEHOLDERS

MISSION

1. TO AUGMENT THE WEALTH CREATION FOR THE COMPANY
2. INSPIRING EMPLOYEE IN DELIVERING AN IMPROVED PRODUCT
3. AIM FOR DIVERSIFICATION IN RELATED FIELDS



Registered & Corporate Office

Cement Corporation of India Ltd.
CORE-5, Scope Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003
e-Mail: mktg_co@cciltd.in

Cement Manufacturing Units

Bokajan Cement Plant
Disstt.- Karbi Anglong
State-Assam
e-Mail: mktg_bko@cciltd.in

Rajban Cement Plant
Distt.- Sirmaur
State- Himachal Pradesh
e-Mail: mktg_rjo@cciltd.in

Tandur Cement Plant
Distt.- K.V. Rangareddy
State- Telangana
e-Mail: mktg_tdo@cciltd.in

Regional Offices & Dumps

Hyderabad | Gulbarga | Sholapur | Mehboobnagar | Gulbarga | Haridwar | Hubli | Yadgir | Raichur
Koppal Dehradun |Yamuna Nagar | Herbetpur | Rishikesh | Roorkee | Saharanpur

Email id for Centralised bulk order: mktg_co@cciltd.in